

खण्ड-06 सत्र -03 (भाग-01)
अंक-29

मंगलवार 29 मार्च, 2016
09 चैत्र, 1938 (शक)

दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही



सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा तीसरा सत्र

अधिकृत विवरण
(सत्र-03 (भाग-01) में अंक 27 से अंक 31 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग
EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव
PRASANNA KUMAR SURYADEVARA
Secretary

एम.एस. रावत
उप-सचिव (सम्पादन)
M.S. RAWAT
Deputy Secretary (Editing)

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र 3 भाग (1) मंगलवार, 29 मार्च, 2016/09 चैत्र, 1938 (शक) अंक 29

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. श्री शरद कुमार | 11. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर |
| 2. श्री संजीव झा | 12. श्री राजेश गुप्ता |
| 3. श्री पवन कुमार शर्मा | 13. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी |
| 4. श्री अजेश यादव | 14. श्री सोमदत्त |
| 5. श्री महेन्द्र गोयल | 15. सुश्री अलका लाम्बा |
| 6. श्री वेद प्रकाश | 16. श्री आसिम अहमद खान |
| 7. श्री सुखवीर सिंह दलाल | 17. श्री विशेष रवि |
| 8. श्री ऋतुराज गोविन्द | 18. श्री हजारी लाल चौहान |
| 9. श्री रघुविंद्र शौकीन | 19. श्री शिव चरण गोयल |
| 10. सुश्री राखी बिड़ला | 20. श्री गिरीश सोनी |

- | | |
|--|---------------------------------|
| 21. श्री जसनैल सिंह
(राजौरी गार्डन) | 37. श्री करतार सिंह तंवर |
| 22. श्री जसनैल सिंह
(तिलक नगर) | 38. श्री प्रकाश |
| 23. श्री राजेश ऋषि | 49. श्री अजय दत्त |
| 24. श्री महेन्द्र यादव | 40. श्री दिनेश मोहनिया |
| 25. श्री नरेश बाल्यान | 41. सरदार अवतार सिंह
कालकाजी |
| 26. श्री आदर्श शास्त्री | 42. श्री सही राम |
| 27. श्री गुलाब सिंह | 43. श्री नारायण दत्त शर्मा |
| 28. श्री कैलाश गहलोत | 44. श्री अमानतुल्लाह खान |
| 29. सुश्री भावना गौड़ | 45. श्री राजू धिंगान |
| 30. श्री सुरेन्द्र सिंह | 46. श्री मनोज कुमार |
| 31. श्री विजेन्द्र गर्ग | 47. श्री नितिन त्यागी |
| 32. श्री प्रवीण कुमार | 48. श्री ओम प्रकाश शर्मा |
| 33. श्री मदन लाल | 49. श्री एस.के. बग्गा |
| 34. श्री सोमनाथ भारती | 50. श्री अनिल कुमार बाजपेयी |
| 35. श्रीमती प्रमिला टोकस | 51. श्री राजेन्द्र पाल गौतम |
| 36. श्री नरेश यादव | 52. सुश्री सरिता सिंह |
| | 53. श्री श्रीदत्त शर्मा |
| | 54. श्री जगदीश प्रधान |
-

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-3 भाग (1) मंगलवार, 29 मार्च, 2016/09 चैत्र, 1938 (शक) अंक-29

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्रमांक-1 श्री प्रवीण कुमार

श्री प्रवीण कुमार : आपकी अनुमति से प्रश्न क्रमांक 1 प्रस्तुत है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ जल्दी क्या है?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे माध्यम से कह सकते हैं। हां, बोलिए। आप क्या कहना चाहते हैं बताओ?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नियम-54 में मैंने दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था जी।

अध्यक्ष महोदय : हां, नियम 54 में ये सारे विषय मैंने पढ़ लिये आपके। इसको लेंगे अभी जब चर्चा आएगी सारी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं, मैंने ध्यान आकर्षित किया है दिल्ली सलैक्शन सबोर्डिनेट सविर्सिज बोर्ड को भंग करने की बात की है हमने। क्योंकि वहां पर अभी जो घटना

घटी थी, अभी आपने 300 छात्राओं का सलैक्शन रद्द किया है क्यों? क्योंकि वहां करप्शन हुई।

अध्यक्ष महोदय : विजेंद्र जी अभी चर्चा होगी सारी, राज्यपाल के भाषण पर चर्चा होगी, समय का अभाव है, मुझे समय लगेगा, मैं देखता हूं। इसको मैंने रखा हुआ है, मैंने पढ़ भी लिया है सारा।

अध्यक्ष महोदय : हां, प्रवीण जी केवल प्रश्न पढ़िए मत, हां नम्बर बोल दीजिए माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दे देंगे।

श्री प्रवीण कुमार : मैं आपकी अनुमति से मैं प्रश्न क्रमांक 1 प्रस्तुत करता हूं।

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की पा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एनजीटी के निर्देश पर यातायात नियमित करने के लिए लाजपत नगर में जर्सी बैरिकेडस लगाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इन प्रतिबन्धों के कारण क्षेत्र वासियों को घूमकर आना पड़ता है और आपात स्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र के निवासियों को राहत प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक उपाय करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) हां, यह सत्य है कि माननीय एनजीटी के आदेशानुसार लाजपत नगर सेन्ट्रल मार्केट क्षेत्र में जर्सी बैरिकेडस लगाए गए हैं।

(ख) और (ग) जर्सी बैरिकेडस लाजपत नगर सैन्ट्रल मार्किट क्षेत्र में यातायात को सुचारू रूप से चलाने हेतु व पार्किंग को नियन्त्रित करने हेतु माननीय एनजीटी के निर्देशों पर लगाये गये हैं। यह जनता कि सुविधा के लिए तथा यातायात को सुचारू रूप से चलाने हेतु लगवाए गये हैं और इससे किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। जर्सी बैरिकेडस लगाने के कारण लाजपत नगर सैन्ट्रल मार्किट क्षेत्र में यातायात सुचारू रूप से चलता है और इससे आपातकालीन स्थिति में लोगों के निकलने में सुविधा भी होती है।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, जर्सी बैरिकेडस लगाने के कारण एमरजेंसी सर्विसिज जैसे एम्बुलेंस हैं, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, कट ना होने के कारण उनको एक या दो किलोमीटर घूम के आना पड़ता है जिसके कारण कई सारी अप्रिय घटना भी घट जाती है। अभी सैंटर मार्किट में आग भी लग गई थी। तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन भी है जिसके कारण वहां पे बैरीकेड हटाके कुछ प्वाइंट से हम यू टर्न वगैरह दे सकें।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे ये बैरिकेटस लगाए गये हैं पुलिस के साथ डिस्कशन करके लगाये गये हैं और अगर बीच में बैरिकेटस खोल दिये जाते हैं तो लोग जगह-जगह से कट लेने लग जाते हैं और ये पॉसीबल ही नहीं है कि एमरजेंसी के टाईम वहां से एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकल सके अक्सर ऐसा देखा जाता है, लोग सड़क पर जगह ही नहीं छोड़ते हैं। जर्सी बैरिकेडस को बीच से हटाने या खोलने की आवश्यकता है या उससे कोई बेनिफिट होगा।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सप्लीमेंटरी। कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 2 राजेन्द्र पाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2 प्रस्तुत है:

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा फाईल संख्या: एफ.1 (206)/P&P/DSSSB/2013 दिनांक 15.03.2013 के द्वारा स्टाफ नर्स (पोस्ट कोड-20/13) के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 458 एवं 244 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो रिक्त पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवारों का चयन हुआ था, सूची उपलब्ध कराई जाए;

(ग) उक्त चयनित उम्मीदवारों में से अभी तक कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई है;

(घ) उक्त रिक्त पदों में से वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने रिक्त पद हैं;

(ङ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इन सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरणे की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) इन रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चयनित उम्मीदवारों को कब तक नियुक्त कर दिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी हां,

(ख) डी.एस.एस.बी. से अब तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रमश 447 एवं 241 डोजियर प्राप्त हुए हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

(ग) उपरोक्त सूचित सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। अभी तक जिसमें से 35 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों एवं 18 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः अब तक इन 53 की उम्मीदवारी निरस्त की जा चुकी है।

(घ) स्टाफ नर्स की पोस्टें अनुबंध पर भी भरी होने के कारण कोई पद रिक्त नहीं है विभाग द्वारा स्टाफ नर्स के रिक्त पदों को भरने के लिए डी.एस.एस.बी. के माध्यम से चयन प्रक्रिया करवाई गयी थी एवं उक्त चयन प्रक्रिया के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 447 एवं 241 उम्मीदवारों का नामांकन डी. एस.एस.बी. से प्राप्त हुआ है। इन सभी उम्मीदवारों को अस्पताल आवंटित करते हुए नियुक्ति प्रस्ताव पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं एवं अभी तक जिसमें से 35 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों एवं अनु. जाति के उम्मीदवारों से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है अतः अब तक कुल 53 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की जा चुकी है।

(ङ) नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने पर उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी जायेगी।

Result Notice -325 (Part-I) Dated 29.04.2014

S. No.	Roll. No.	Name	Father's Name	DOB	CAT	Marks
1	2016531	Yogita Kurari	Rajender Singh Gathwal	29/03/85	SC/TA(h)	
2	2016992	Sueha Mehra	Pradeep Kumar Mehra	20/07/89	SC/TA(h)	
3	2016191	Babita	Laxminarayan	29/01/88	SC/TA(h)	
4	2015987	Toxija Rani	Vijender Pal	9/12/89	SC/TA(h)	
5	2016875	Kiran	Bhagwan Sahay	20/08/88	SC/TA(h)	
6	2020099	Surabhi Halder	Banarali Halder	28/09/89	SC/TA(h)	
7	2016835	Seema Ranga	Anup Singh Ranga	15/12/88	SC/TA(h)	
8	2025145	Sonia	Talvir	10/12/89	SC/TA(h)	
9	2018241	Supna Bhatti	Gopit Lal	5/09/90	SC/TA(h)	
10	2009518	Ritu	Shyam Kumar	10/28/9	SC/TA(h)	
11	2016806	Toxija Chahila	Chanderbhan	5/12/86	SC/TA(h)	
12	2011899	Karuna Shashi Supt	Bhagwan Dass Supt	13/06/88	SC/TA(h)	
13	2006373	Seesty	Vinender Kumar	10/88/8	SC/TA(h)	
14	2020755	Reeta	Chetram	1/12/85	SC/TA(h)	
15	2016640	Sunita	Bhushan Singh	15/08/88	SC/TA(h)	
16	2013104	Manasvini	Balwan Singh	10/03/89	SC/TA(h)	
17	2015582	Alka	Dev Krishan	09/09/90	SC/TA(h)	
18	2001920	Sunita Verma	Kharan Singh	17/02/90	SC/TA(h)	
19	2019789	Nisha Verma	Ashok Kumar	29/03/85	SC/TA(h)	

20	20/09/28	Pooja	Gandhi	15/0888	SC/Adh
21	20/25/39	Yandana Gantam	Bhama Prakash Singh	2/0890	SC/Adh
22	20/30/9	Jyoti	Chander Bhan	29/087	SC/Adh
23	20/24/91	Deepika Saroha	Kamal Prakash	24/088	SC/Adh
24	20/04/05	Mohita Prakash	Brahm Prakash	28/989	SC/Adh
25	20/06/01	Poonam Rani	Ramesh	15/987	SC/Adh
26	20/28/17	Shalini	Chhatra Pal	23/889	SC/Adh
27	20/17/91	Nisha Devi	Anand Prakash	22/089	SC/Adh
28	20/31/51	Kiran	Vinod Kumar	19/991	SC/Adh
29	20/21/96	Komal Bhagat	Tilak Raj Bhagat	16/889	SC/Adh
30	20/01/10	Geetika	Ishwar Singh	7/189	SC/Adh
31	20/05/17	Swati	Om Prakash	0/092	SC/Adh
32	20/02/33	Radhika	Vir Singh Shailani	15/187	SC/Adh
33	20/24/29	Suchitra Singh	VP Singh	3/1285	SC/Adh
34	20/10/01	Sandhya Rani	Santosh Kumar	8/089	SC/Adh
35	20/58/16	Bhavana	Kavratam	27/289	SC/Adh
36	20/12/35	Puja Singh	Sarjeet Singh	30/89	SC/Adh
37	20/05/53	Suman Lata	Iqbal Singh	20/287	SC/Adh
38	20/06/19	Reeta	Komal Singh	25/088	SC/Adh
39	20/2/978	Shikha	Sh. Mahavir Singh	7/092	SC/Adh
40	20/04/79	Pooja	Ashok Kumar	7/186	SC/Adh

S. No.	Roll No.	Name	Father's Name	DOB	CAT	Marks
41	2001486	Neetika Saroha	Kamal Prakash	12/09/	SC (Delhi)	
42	20015403	Asha	Srinivas	26/12/77	SC (Delhi)	
43	2002072	Barkha	Dharmender	15/08/9	SC (Delhi)	
44	2000639	Anita	Ramnarayan	23/01/88	SC (Delhi)	
45	2002045	Reem	Prem Pal	27/11/85	SC (Delhi)	
46	2002630	Anuradha Bindu	Kalka Prashad	04/08/	SC (Delhi)	
47	2002018	Anjali	Ram Sunder	30/04/88	SC (Delhi)	
48	2002023	Preeti Gautam	Rajender Kumar	06/08/	SC (Delhi)	
49	2001593	Sushma Rani	Vijaypal Singh	30/08/5	SC (Delhi)	
50	2001172	Jitender Kumar	Ram Kishor	30/09/0	SC (Delhi)	
51	2001677	Rajni	Rajender Singh	17/11/88	SC (Delhi)	
52	2004471	Reem Verma	Mukhtyar Singh	14/12/88	SC (Delhi)	
53	2000879	Suran Devi	Ram Sharan	30/2/89	SC (Delhi)	
54	2002009	Hemlata	Jaipal Singh	19/07/88	SC (Delhi)	
55	2002000	Meenakshi	Ramesh Kumar	16/09/0	SC (Delhi)	
56	2001744	Manita Kashyap	Nand Kishore	15/12/84	SC (Delhi)	
57	2000898	Hemlata	Prem Singh	7/12/89	SC (Delhi)	
58	2000664	Arti Gautam	Ram Kumar	20/2/88	SC (Delhi)	
59	2004983	Manisha	Brijpal Bainea	26/12/88	SC (Delhi)	

60	20/01/38	Chanchal	Ajeet Singh	20/01/39	SC/Tadhj
61	20/12/36	Karunadeep Kataria	Devdas	22/12/39	SC/Tadhj
62	20/02/38	Rakhi Kataria	Rishi Tal Singh	10/2/37	SC/Tadhj
63	20/12/11	Karuna Kumari	Mohit Raj	22/1/39	SC/Tadhj
64	20/05/99	Rashmi Rani	Devender Kumar	11/7/38	SC/Tadhj
65	20/15/62	Monika Varun	Ramesh Chand	9/12/36	SC/Tadhj
66	20/25/36	Usha	Satyopal	02/6/39	SC/Tadhj
67	20/7/96	Lakshmi	Ashokumar	29/09/39	SC/Tadhj
68	20/12/91	Natikasani	Pawan Kumar Soni	9/9/39	SC/Tadhj
69	20/13/38	Renu Kumari	Ramesh Kumar	20/8/36	SC/Tadhj
70	20/19/11	Manish Kumar	Ram Kishore	25/2/37	SC/Tadhj
71	20/33/16	Manjaramehra	Om Prakash	20/12/37	SC/Tadhj
72	20/02/19	Kavita	Rajkumar	2/01/37	SC/Tadhj
73	20/12/92	Pooja Rani	Rajveer Singh	3/11/29	SC/Tadhj
74	20/09/63	Rachna	Krishor Kumar	30/12/39	SC/Tadhj
75	20/6/52	Dimple Kumari	Kansar Singh	10/6/91	SC/Tadhj
76	20/2/31	Shashiprabha	Raj Kumar	9/9/33	SC/Tadhj
77	20/2/91	Annu	Satendra Singh	10/01/91	SC/Tadhj
78	20/14/93	Shivangi	Hansraj	15/12/35	SC/Tadhj
79	20/13/79	Annu Rani	Krishan Lal	15/01/90	SC/Tadhj
80	20/7/92	Jaiprakash	Ram Sahai	1/07/38	SC/Tadhj

S.No.	Roll.No.	Name	Father's Name	DOB	CAT	Marks
81	20231658	Seema Choudhary	Sanjay Kumar	8.6.83	SC:(Delhi)	
82	2013204	Kumud Gautam	Rama Kant Gautam	11.02.88	SC:(Delhi)	
83	2028800	Monica Masih	Mushtaq Masih	2.9.79	SC:(Delhi)	
84	2022680	Himanshu Chaudhary	Moti Ram Chaudhary	3.8.85	SC:(Delhi)	
85	2000378	Sangeeta Rani	Dharam Vir Singh	28.12.88	SC:(Delhi)	
1	2012418	Ritu Aralik	Anand Kumar Baraik	2.0.6.86	ST:(Delhi)	
2	2029933	Archana	Aschay Lal Shah	3.6.87	ST:(Delhi)	
3	2019493	Angelina Tigga	Linus Tigga	9.1.89	ST:(Delhi)	
4	2013537	Manju	Babbar	12.2.87	ST:(Delhi)	
5	2022354	Sarita Ekka	Naveen poulhage		ST:(Delhi)	
6	2004972	Aline Elizabeth Dung Dung	Hilarious Dung Dung	11.1.83	ST:(Delhi)	
7	2017898	Meenakshi	Ratan Singh	8.9.83	ST:(Delhi)	
8	2005017	Roxa	Satish Kumar	2.9.81	ST:(Delhi)	

Result Notice - 332 (Part-II) Dated 25.06.2014

S.N.	Roll.No.	Name	Father's Name	DOB	CAT	Marks
1	2025330	Preeti	Prakash Chand	18.12.89	SC:(Delhi)	98.
2	2024895	Reetu Kotaria	Dharamveer Singh	28.0.88	SC:(Delhi)	88.
3	2017163	Sushma	Guru Prasad	5.6.89	SC:(Delhi)	75.

Result Notice - 332 (Part-III) Dated 25.06.2014

Sl No	Roll No.	Name	Father's Name	DOB	Marks	CAT
1	2016355	Mishachandran	Manulal K	9/6/83	BSAH	SC
2	2016462	Nishach	P Haridaran	2/6/86	BSAH	SC
3	2016531	Santhi V S	Sasi VR	10/6/89	BSAH	SC
4	2019121	Ritu	Ishwar Singh	8/1/90	BSAH	SC
5	2016262	Deep Malu	Satyra Das Chaudhary	15/6/89	BSAH	SC
6	2016820	Hemlata Kumari	Soumy Kumar	14/7/88	BSAH	SC
7	2016377	Mahendra Pal Tamsar	Jagdish Prasad Tamsar	18/10/90	BSAH	SC
8	2019400	Dinesh Kumar Meghwal	Hozar Lal Meghwal	4/8/89	BSAH	SC
9	2016051	Omveer Singh	Braj Mohan	10/6/88	GFTH	SC
10	2016431	Suresh Kumar Verma	Manulabharma	2/8/87	BSAH	SC
11	2019111	Preeti	Surinder Kumar	10/1/86	BSAH	SC
12	2016352	Kailash Chand Verma	Jagann Rajgar	18/10/91	BSAH	SC
13	2016488	Gesta Kumari	Mangal Das	3/1/88	BSAH	SC
14	2017332	Hemant Kumar	Yashwant Singh	15/1/88	BSAH	SC
15	2017330	Indendra Verma	Mohan Lal Verma	27/3/88	BSAH	SC
16	2016981	Ajanta	Avanthi narin	9/3/88	BSAH	SC
17	2017313	Kamal Singh Baxoliya	Vijay Singh	15/1/85	BSAH	SC
18	2012014	Sonu Dholi	Prabhu Lal	2/3/91	BSAH	SC
19	2016885	Disha Ravindran	Ravindran C.K.	19/8/88	BSAH	SC

ST/Na Roll. No.	Name	Father's Name	DOB	Marks	CAT
24	2005799	Jai Prakash Bainsa	Ghasi Ram Bainsa	10/08/89	80
25	2004219	Vishnu Kumari	Prashant Kumar	12/12/88	80
26	2001731	Narender Kumar Verma	Brijmohan Verma	31/08/87	80
27	2001902	Prabhat	Surinder Kumar	21/11/88	80
28	2000246	Hansa Bainsa	Prasadi Lal Bainsa	15/09/91	80
29	2004031	Kundan Kumari	Jagjevan Prasad	5/09/90	80
30	2004056	Vijay Kumar	Bakhu Ram	20/09/90	80
31	2000151	Ashok Kumar Rajoraya	Hannan Sahay Rajoraya	5/07/88	80
32	2000607	Nema Ram	Mangal Ram	10/09/90	80
33	2000733	Raj Kumar Verma	Chhigan Lal Verma	8/08/87	80
34	2007063	Manisha Prasad	Rajendra Prasad	9/08/88	80
35	2002099	Tesha Kumari Sethi	Ganga Ram Sethi	18/01/86	80
36	2008002	Sandeep Kumar	Megha Ram	21/05/87	80
37	2007034	Alinder Kumar	Om Prakash	15/08/88	80
38	2008098	Jitendra Kumar Kuldeep	Sunil Ram	5/12/89	80
39	2008090	Anil Kumar Rajwensi	Chota Lal Rajwensi	2/09/91	80
40	2009171	Sarika	K. Santha Kumar	8/08/87	80
41	2005721	Sunil Bhatti	Pakar Ram	10/10/90	80
42	2002805	Suran Kumari	Nirod Lal	3/08/88	80
43	2000050	Manish Mehra	Rodha Lal Mehra	13/02/87	80

41	20/09/16	Aibi M	Chandra Mohant	8/2/87	BSAH	९८
42	20/09/16	Alka Karia	Kumbhir Singh	1/2/88	BSAH	९८
43	20/09/16	Pratibha Suran	Chait Singh	20/90	BSAH	९८
44	20/09/16	Rinku Kumar Verma	Om Prakash Verma	13/99	BSAH	९८
45	20/09/16	Shiv Prakash Bainsa	Laxman Bainsa	16/787	BSAH	९८
46	20/09/16	Pravin Kumar	Moh Ram	6/6/87	BSAH	९८
47	20/09/16	Mona Meghwan Shi	Gopal Lal	15/1288	BSAH	९८
48	20/09/16	Manju	Krishan Singh	10/489	BSAH	९८
49	20/09/16	Pa Wan Kumar Bainsa	Chandra Prakash Bainsa	10/888	BSAH	९८
50	20/09/16	Seema M B	Babu	2/12/88	BSAH	९८
51	20/09/16	Banai Singh	Ranjit Lal	20/1/87	BSAH	९८
52	20/09/16	Sithara K	Kunju	28/2/91	BSAH	९८
53	20/09/16	Rajnish Dahiya	Surat Singh Dahiya	29/1288	BSAH	९८
54	20/09/16	Rohish Kumar	Ram Kumar Singh	2/8/85	BSAH	९८
55	20/09/16	Pradhuman Singh	Bhawani Singh	1/1/90	BSAH	९८
56	20/09/16	Armit Lal Bainsa	Doyal Chand Bainsa	20/1288	BSAH	९८
57	20/09/16	Mukesh Jais	Shreeharan Lal	26/882	BSAH	९८
58	20/09/16	Chhel Narayan	Ramu Ram	7/12/88	BSAH	९८
59	20/09/16	Sumit Verma	Shyam Lal Verma	20/1/88	BSAH	९८
60	20/09/16	Vikram Singh	Amar Singh	1/1/89	BSAH	९८
61	20/09/16	Kotte Sandhya Jyothi	Karan Jyothi	2/1/89	BSAH	९८

Sl.No.	Roll. No.	Name	Father's Name	DOB	Marks	CAT
65	20106558	Rajaram Punawat	Manohar Lal	29/08/5	884H	8C
66	20107218	Bhupendra Kuryawati	Murlikhar Kuryawati	26/09/0	884H	8C
67	20107575	Surjeet Kumar Nogia	Choth Mal Nogia	01/09/0	884H	8C
68	20109917	Narash Kumar	Ram Charan	01/08/5	884H	8C
69	20109090	Satyapal	Sureshliya	30/08/7	884H	8C
70	20109663	Suman S	Sudhakar S	01/09/1	884H	8C
71	20109917	Rajesh Kumar	Chhotelal	13/08/9	884H	8C
72	2013529	Neeetu	Shri Manphool Singh	30/08/8	884H	8C
73	2013219	Manoj Kumar Mohanar	Ramesh Chand Mohanar	10/08/1	884H	8C
74	20103866	Vijay Chetival	Bhatar Mal	5/12/85	884H	8C
75	20105318	Achish Kumar Singaria	Kapoorchand	13/08/9	884H	8C
76	2014336	Fateh Chand	Ramesh Chand	18/08/88	884H	8C
77	2010823	Pramod Bainsa	Teelaram Bainsa	5/09/0	884H	8C
78	2014795	Reenu Ranga	Shri Karanbir Singh	19/09/0	884H	8C
79	2012860	Dinesh Chand Bainsa	Anand Prakash Bainsa	12/08/88	884H	8C
80	2017223	Shivprakash	Gopallal	13/08/86	884H	8C
81	2013834	Lalit Kumar Verma	Jagdish Prasad	12/08/90	884H	8C
82	20108964	Raj Kumar Jajoriya	Mool Chand Jajoriya	10/08/90	884H	8C
83	2017242	Anshul Verma	Chotu Ram Verma	19/08/77	884H	8C

81	20.07.15	Rambabu Meghwal	Kishan Lal Meghwal	10.08.9	P.SAH	8C.
85	20.03.40	Dilip Kumar Das	Mohan Lavidas	9.6.85	P.SAH	8C.
86	20.02.81	Chandra Prakash Meghwal	Bhura Lal Meghwal	29.0.88	P.SAH	8C.
87	20.03.77	Manoj M	Ramakrishnan M	26.12.86	P.SAH	8C.
88	20.07.00	Krishnakala M G	Gopalakrishnan M M	13.08.5	P.SAH	8C.
89	20.07.19	V P Singh Jotav	Sohan Lal Jattan	10.09.1	P.SAH	8C.
90	20.07.12	Tarachand Verma	Jagdish Prasad	10.6.88	P.SAH	8C.
91	20.05.90	Sita Ram Koli	Mam Chand Koli	20.8.81	P.SAH	8C.
92	20.06.78	Manpreetkaur	Pamjot Singh	10.09.1	P.SAH	8C.
93	20.05.89	Dharmendra Bainsa	Rameshchop Bainsa	10.08.9	P.SAH	8C.
94	20.08.31	Milun Tinea	K B Tinea	20.08.2	P.SAH	8C.
95	20.03.43	Manjusha V	Mohamany	03.6.89	P.SAH	8C.
96	20.00.90	Ajeet Kumar	Jug Lal	20.08.9	P.SAH	8C.
97	20.03.62	Raviraj Mohanpuria	Hazari Lal Chandel	15.08.7	P.CBH	8C.
98	20.05.91	Koushalpal Chandel	Nasim Ratan Kumar Singh	29.0.88	P.CBH	8C.
99	20.02.28	Shorokhalbam Shanti Devi	Moolchand	10.5.79	P.CBH	8C.
100	20.05.61	Rama Kumari Rajar	Narain Rajar	9.0.87	P.CBH	8C.
101	20.04.02	Indu Bab Meghwal	Kishan Lal Meghwal	20.08.7	P.CBH	8C.
102	20.03.85	Girish Kumar K	K Krishna	13.0.84	P.CBH	8C.

Sl.No.	Roll. No.	Name	Father's Name	DOB	Marks	CAT
103	2014597	Mamulal K	C. K Kesavan	13/08/80	100BH	8C
104	2014724	Hitesh Shershiya	Ramesh Chait Shershiya	18/08/87	100BH	8C
105	2014694	Kushal Kishore	Ratan Lal Verma	13/08/87	100BH	8C
106	2023872	Vivek Kumar Khangar	Lakshmi Narayan Khangar	20/08	100BH	8C
107	2022499	Akhilesh Kumar Bainsa	Ram Kishor Bainsa	03/05	100BH	8C
108	2018889	Babita	Babu Ram	02/01	100BH	8C
109	2015202	Archana Kumari	Shiv Prasad	06/09	100BH	8C
110	2012117	Suresh Lal	Hari Prasad Ram	08/01	100BH	8C
111	2002649	Mahesh Chand Jotav	Hodilal Jotav	13/08/88	100BH	8C
112	2002072	Sunil Kumar Dabaria	Prabhu Dayal Babaria	13/08/89	100BH	8C
113	2025703	Rajesh K K	Krishnakutty M F.	29/08/89	100BH	8C
114	2019095	Jyoti Kumari	Anil Kumar	4/08/87	100BH	8C
115	2003729	Avinand Kumar Jotav	Hari Singh Jotav	19/08/80	100BH	8C
116	2000093	Mahendra Kumar Verma	Fazal Ram Verma	26/07	100BH	8C
117	2014821	Satyraj V P	Kunhan Y P	06/09	100BH	8C
118	2000130	Vinod Kumar Nagla	Moti Lal Nagla	00/09/90	100BH	8C
119	2018820	Laxman Kumar	Prabhu Lal	06/08/85	100BH	8C
120	2018245	Rudresh Solanki	Bhansar Lal Solanki	10/02	100BH	8C
121	2019406	Saroj Nagar	Saroj Singh Nagar	26/05	100BH	8C

122	20/01/98	Santosh Naik	Yithal Naik	1200801	TXBH	SC.
123	20/01/12	Sandeep Deshpale	Tarachand Deshpale	1500807	TXBH	SC.
124	20/01/85	Sonbi	Bablu Kurur	2500801	DHSH	SC.
125	20/08/21	Gyanendra Kurur	Ram Sahay	11181	CRTH	SC.
126	20/05/82	Vinod Kumar Desat	Rajamal Rajgar	1500805	BSAH	SC.
127	20/08/47	Boby Krishna	D N Krishan	2000803	CRTH	SC.
128	20/05/86	Rajesh Mohanpuriya	Dahu Ram Mohanpuriya	2000806	CRTH	SC.
129	20/03/98	Puran Malregar	Udai Ram Regar	2000809	CRTH	SC.
130	20/05/27	Pradhep Kumar Atal	Babu Lal Atal	1500809	CRTH	SC.
131	20/07/06	Anil Kumar	Munge Lal	800807	CRTH	SC.
132	20/05/06	Manojest Singh	Mahinder Singh	500806	CRTH	SC.
133	20/03/18	Mahendra Parihar	Lalit Kumar Parihar	2000809	CRTH	SC.
134	20/03/52	Raman Bala	Pranchand	2000806	CRTH	SC.
135	20/09/11	Umitaj K	Rajan KA	900808	CRTH	SC.
136	20/05/00	Yasendra Kumar Joty	Bharat Lal	1000800	CRTH	SC.
137	20/03/91	Anita Rakla	Babulu Rakla	1000809	CRTH	SC.
138	20/08/15	Priyanka	Vijay Babadar	2000803	CRTH	SC.
139	20/05/06	Sunzel Kumari	Deepchand	2000803	CRTH	SC.
140	20/03/02	Vijay Kumar	Chitra Lal	2000807	CRTH	SC.
141	20/02/00	Suresh S	Surendran P	2500807	CRTH	SC.
142	20/08/12	Anil Kumar Kansotia	Rameshwer Prasad Kansotia	1000803	CRTH	SC.

ST/Na Roll. No.	Name	Father's Name	DOB	Marks	CAT
143	2016126	Vijendra Singh Bainsa	Kishori Lal Bainsa	20.883	SC
144	201253	Manish Khampuriya	Shivraj Khampuriya	16.889	SC
145	2007940	Shantanu	Rajender Singh	50.890	SC
146	2017317	Amar Moxalpuria	Hari Raj	18.985	SC
147	2021910	Dimple	Shrichand	10.890	SC
148	2016255	Rama Ram Gaudinsal	Shiv Lal	20.989	SC
149	2008288	Lala Ram Bainsa	Ghosi Ram Bainsa	20.080	SC
150	2000982	Anu Kumar	Mohabir Ram	31.1279	SC
151	2022430	Kavitha V	Velu T	31.188	SC
152	2019330	Shilpa Kumari	Ramesh Kumar	40.890	SC
153	2016490	Manulam M S	Shanku M K	16.691	SC
154	2009450	Ashok Kumar Dayma	Prabhu Dayal Dayma	30.0387	SC
155	2006787	Pashpendra Kumar Sikansar	Daulat Ram	20.0389	SC
156	2002261	Prashanth Daxar K S	Shokaran	30.0735	SC
157	2021880	Harkesh Kumar Bainsa	Kishan Lal Bainsa	30.887	SC
158	2013151	Sunil Kumar Verma	Prabhat Verma	12.888	SC
159	2006911	Jagdish Prasad Samariya	Mungilal Samariya	10.887	SC
160	2009977	Anil Kumar Mahasor	Kanhaya Lal Mahasor	20.988	SC

क्र.	प्रश्न सं.	उत्तर	प्रश्न सं.	उत्तर	प्रश्न सं.	उत्तर	प्रश्न सं.	उत्तर	प्रश्न सं.
161	2021431	Teerveni Prakash Mahaveer	Chandra Prakash Mahaveer	13/10/38	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
162	2021437	Durga Lal Dayma	Nani Chand Dayma	27/12/38	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
163	2021438	Mahendra Kumar Goone	Chiranjil Lal Bainsa	10/01/38	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
164	2021439	Rakesh Kumar Badgujar	Rajender Badgujar	15/12/37	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
165	2021440	Sanjay Bihariya	Daxindayal Bihariya	9/08/39	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
166	2021441	Mona	Ramkishan	19/07/38	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
167	2021442	Rithu Gami S	Sathyanandan V g	29/07/38	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
168	2021443	Anjali Gopal	Gopalakrishnan S	19/01/39	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
169	2021444	Narayan Lal	Vitaran Ram	19/06/39	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
170	2021445	Krishan Gopal Raigar	Hamman Sahay Raigar	3/08/35	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
171	2021446	Suresh Kumar Mourya	Radhha Kishan	29/07/39	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
172	2021447	Maharabam Miranda Daxi	Morinda Singh	12/08/37	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
173	2021448	Jitendra Kumar Khosel	Tara Chand Khosel	15/10/31	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
174	2021449	Bhupesh Kumar	Pachabul	12/07/30	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
175	2021450	Anita Udhavet	Madho Lal Udhavet	10/07/30	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
176	2021451	Shivpal Verma	Mohan Lal Verma	28/05/37	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
177	2021452	Kiran Kumari	Ramesh Chander	11/01/39	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
178	2021453	Daxi Dayal	Hardeva Ram	21/11/33	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
179	2021454	Sanjay Kumar Verma	Jagdish Prasad Verma	9/07/38	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.

SL No.	Roll. No.	Name	Father's Name	DOB	Marks	CAT
180	2001296	Vinod Kumar Chhimwal	Bhansar Lal Chhimwal	20/08/77	67/68	8C
181	20029026	Tilakchand Regar	Prem Lal Regar	13/10/88	67/68	8C
182	20025618	Rajvir Kaur	Jasvir Singh	13/01/86	67/68	8C
183	2001888	Rakesh Kumar Atal	Kalyan Sahay Atal	9/02/89	67/68	8C
184	2001270	Manoj Kumar Atal	Sundarlal Atal	28/08/89	67/68	8C
185	2002350	Chetan Prakash	Sada Ram	21/01/87	67/68	8C
186	2005905	Mukesh Khoswal	Sohan Lal Khoswal	27/07/88	67/68	8C
187	2008091	Sunil Kumar Meghwal	Janki Lal Meghwal	10/12/77	67/68	8C
188	2001127	Sagar Chouhan	Tokhar Das Chouhan	18/03/89	67/68	8C
189	2000739	Yogesh Sagar	Rameshchand Sagar	20/07/85	67/68	8C
190	2001738	Rajesh Kumar Bainsa	Reval Mal Bainsa	14/03/87	67/68	8C
191	2006832	Ashok Kumar Achwal	Malkhan Achwal	30/08/86	67/68	8C
192	2005988	Narendra Kumar Verma	Badri Narayan Verma	28/09/81	67/68	8C
193	2008025	Yograj Koli	Kolar Koli	20/09/81	67/68	8C
194						
195						
196						
197						
198	2004058	Rakesh Gangwal	Dal Chand Bainsa	01/08/88	67/68	8C
199	2001041	Priyanka Kumbhar	Gyasi Lal Kumbhar	20/09/85	67/68	8C
200	2001869	Hemlata	Yogesh Kumar	30/08/86	67/68	8C

201	20/03/22	Anil Kumar Khadla	Lalchand Khadla	30/03/38	67B/H	8C
202	20/09/15	Moolchand Nayak	Ranjit Kumar	12/11/36	67B/H	8C
203	20/05/23	Anandh Ty	P. Kunhikannan	29/08/35	67B/H	8C
204	20/07/25	Vikram Singh Arya	Indraj Singh	5/09/37	67B/H	8C
205	20/09/19	Mahesh Kumar Dhanla	Ramden Singh Dhanla	10/07/37	67B/H	8C
206	20/06/06	Raju Prasad Mahasur	Lohar Lal Mahasur	29/07/37	67B/H	8C
207	20/02/20	Buddhiprakash Josneal	Joshi Lal Bainsa	5/11/38	67B/H	8C
208	20/04/08	Sourabhya F. K	Kuttane F. P	03/08/39	67B/H	8C
209	20/08/35	Mamta Mehra	Jalbhagwan	21/11/36	67B/H	8C
210	20/09/13	Himanshu Jagrit	Tara Chand Jagrit	03/09/37	67B/H	8C
211	20/08/23	Rajesh Kumar	Rupram	19/01/39	67B/H	8C
212	20/08/07	Supra	Rajendra Singh	30/03/38	67B/H	8C
213	20/02/09	Lakshaz Sahal	Kishori Lal Sahal	19/08/36	67B/H	8C
214	20/06/32	Mahesh Kumar Verma	Gothan Lal Verma	14/01/38	67B/H	8C
215	20/02/26	Lal Chand Nayak	Hari Ram Nayak	30/08/35	67B/H	8C
216	20/07/08	Manoj Kumar Bakolia	Purhlad Rai Bakolia	10/07/37	67B/H	8C
217	20/05/02	Yugal Kishor Bakthiya	Mangal Ram Bakthiya	19/07/36	67B/H	8C
218	20/04/00	Omrprakash Yainra	Rambhajan Yainra	16/07/37	67B/H	8C
219	20/03/14	Satish Kumar	Borpal	30/08/35	67B/H	8C
220	20/05/11	Ravikant Singh Khadkar	Bishansingh Khadkar	29/08/36	67B/H	8C
221	20/03/38	Kalpana Chahal	Rajneesh Kumar	20/08/36	67B/H	8C
222	20/06/32	Suman Jotav	Kailash Jotav	5/09/37	67B/H	8C

ST/Na Roll. No.	Name	Father's Name	DOB	Marks	CAT
223	2002291 Mayanglambam Puspita Devi	L. Mayanglambam Thakshou Singh	10/05/85	67BH	SC
224	2002295 Ramjeet Singh	Navay Singh	12/09/90	67BH	SC
225	2001255 Praxxon C.S	Satheeshkumar C.K	13/02/87	67BH	SC
226	2001267 Jagdish Prasad Atal	Bindu Ram Raiger	10/07/89	67BH	SC
227	20017310 Shailendra Singh	Mohar Singh	20/11/88	67BH	SC
228	2002302 Shankarlal Raiger	Heera Lal Raiger	14/06/90	67BH	SC
229	20021212 Dourmina Pandhari Raut	Pandhariraut	18/08/77	67BH	SC
230	2001986 Sandhyaj Mohan	G. Jayaraman	20/05/88	67BH	SC
231	2002647 Naresh Kumar Surela	Mani Swaroop Surela	4/08/86	67BH	SC
232	2002150 Nitu Gota	Rakesh Kumar Dandia	10/12/87	67BH	SC
233	2002636 Pukhray	Mohan Lal	13/07/87	67BH	SC
234	2002136 Basant Purni Prakash	Ghansu Ram	23/02/85	67BH	SC
235	2002376 Shankar Lal Malhotra	Nanag Ram Malhotra	20/02/82 KANTINAGAR H.	67BH	SC
236	2002173 Subhash Chand	Suraj Mal Raiger	21/03/89 KANTINAGAR H.	67BH	SC
237	2002278 Raj Kumar Sunkariga	Damodar Prasad	18/09/86	67BH	SC
238	2002358 Shyamvander	Daya Ram Jindgar	18/09/89	67BH	SC
239	2006641 Govind Kuldeep	Choudhu Ram Kuldeep	14/08/88	67BH	SC
240	2006529 Lokesh Kumar Verma	Shivam Verma	7/12/83	67BH	SC
241	2002308 Souraj M	Skandharan M.K	7/09/90	67BH	SC

242	20/05/56	Rajendra Kumar	Dwarkan Prasad	50789	TNH	80
243	20/05/41	Anand Kk	Kunjappa	170286	TNH	80
244	20/07/61	Vikram Kanadia	Nandkishore Kanadia	20788	TNH	80
245	20/01/81	Ghanashyam Mahakar	Madan Lal Mahakar	46881	TNH	80
246	20/08/58	Vishakha	Suraj Lal	100281	TNH	80
247	20/05/14	Kanhaiya Lal Regar	Bhola Ram Regar	51288	TNH	80
248	20/02/53	Deepak Kumar	Shyam Lal	18090	GRTH	80
249	20/07/15	Deepmala Jounwal	K M Bainsa	241081	TNH	80
250	20/09/22	Ashok Kumar	Lakshmi	21283	TNH	80
251	20/02/53	Priganka	Harlal	3686	TNH	80
252	20/02/05	Ashok Kumar Baxdia	Hagarn Bainsa	200889	TNH	80
253	20/09/55	Harsh Lal Ramhari Gote	Ramhari Shamsan Gote	210487	TNH	80
254	20/03/82	Devendra Kumar	Ramkhalati	290886	TNH	80
255	20/05/77	Rajendra Prasad Laladola Chhitar Mal Laladola		50883	TNH	80
256	20/03/55	Khemraj Bainsa	Totaram Bainsa	92689	TNH	80
257	20/05/17	Anju	Ram Singh	81088	TNH	80
258	20/08/86	Dolat	Dabam	5691	TNH	80
259	20/06/94	Pradeep Bainsa	Hamman Singh	4986	TNH	80
260	20/06/58	Lalita Chaudhan	Heeralal Chaudhan	51189	TNH	80
261	20/05/77	Akdan Ram	Daya Ram	4290	TNH	80
262	20/11/73	Shagun	Shree Hare Ram	200888	TNH	80

Sl.No.	Roll No.	Name	Father's Name	DOB	Marks	CAT
253	2012012	Ashok Kumar Mahaveer	Bal Krishna Koli	13/05/85	INH	SC
254	2012552	Ashish Kumar Namital	Hukarchand Namital	4/08/83	INH	SC
255	2012990	Moti Lal	Ram Lal	15/08/87	INH	SC
256	2012561	Ravinder Kumar	Rameshwar Dayal	12/12/89	INH	SC
257	2012952	Dinesh Kumar Sabhal	Ram Pal Sabhal	2/08/89	INH	SC
258	2012406	Achana Rani	Ganga Lahri	31/08/81	INH	SC
259	2012121	Manu Mohan	Mohan TK	30/11/87	INH	SC
260	2012746	Rajkumar Khatri	Tharmani Lal	31/07/89	INH	SC
261	2012290	Devendra Kumar Verma	Nand Lal Verma	29/02/86	INH	SC
262	20129627	Mukesh Chand Bainsa	Prabhu Lal Bainsa	15/12/86	INH	SC
263	2012726	Brijesh Kumar Abris	Kailash Chand	30/04/87	INH	SC
264	2012652	Bansari Lal	Sansar Mal Verma	10/08/90	INH	SC
265	2012115	Dharmendra	Bhola Ram	10/02/90	INH	SC
266	2012609	Rathe Shyam Sewalia	Vijay Pal	20/08/86	INH	SC
267	2012501	Pankaj Khattal	Ashok Kumar	29/02/85	INH	SC
268	2012159	Omprakash Mahaveer	Bhaurani Lal Mahaveer	20/06/90	INH	SC
269	20129531	Rohita Brijpal	Ranjit Lal Brijpal	20/09/90	INH	SC
270	2012763	Surendra Kumar Meghwal	Rajchand Meghwal	10/08/86	INH	SC

281	20/05/39	Ashok Kumar	Haricharan Bainsa	20/05/39	रूपम	रु.
282	20/2/18	Bhagop Singh	Daulat Ram Koli	20/2/39	रूपम	रु.
283	20/02/45	Naresh Bainsa	Babri Bainsa	20/02/39	रूपम	रु.
284	20/10/99	Satyendra Mechhand	Laxmi Narayan Mechhand	18/02/36	रूपम	रु.
285	20/08/26	Om Prakash Bainsa	Rajaram Bainsa	20/04/30	रूपम	रु.
286	20/02/33	Jyoti Singh	Bansari Lal Singhal	20/02/31	रूपम	रु.
287	20/7/24	Sumita Devi	Birbal Singh	20/1/39	रूपम	रु.
288	20/4/17	Mohan Lal Raigar	Nathu Lal Raigar	10/02/35	रूपम	रु.
289	20/02/91	Sangeeta Verma	Ratheshyam Verma	20/02/33	रूपम	रु.
290	20/05/45	Nand Lal Regar	Bhansari Lal Regar	10/02/39	रूपम	रु.
291	20/01/25	Gajendra Kumar Baiswal	Madan Lal Baiswal	20/02/35	रूपम	रु.
292	20/02/81	Manoj Ashok Gabbur	Ashok	20/02/36	रूपम	रु.
293	20/02/52	Poonam	Nitin Malley	12/07/33	रूपम	रु.
294	20/10/37	Subhash Chand	Vivekanand	20/02/36	रूपम	रु.
295	20/05/30	Bhura Lal Bainsa	Prabhat Bainsa	10/02/39	रूपम	रु.
296	20/04/78	Pradeep Kumar	Amar Singh	20/02/31	रूपम	रु.
297	20/02/83	Anita Varita	Lakshmi Narayan Varita	20/02/30	रूपम	रु.
298	20/1/11	Kusum Bala	Amar Chand	20/02/31	रूपम	रु.
299	20/02/28	Ranjeta Mathi	Indriya Mathi	12/02/33	रूपम	रु.

Sl.No.	Roll No.	Name	Father's Name	DOB	Mark	CAIT
300	20120181	Neha Saraswat	Pritam Lal Balmiky	31/01/91	TNH	9C
301	20116558	Poonam Prabha Mahaveer	Ram Lal Mahaveer	27/10/89	TNH	9C
302	20110123	Pushpender	Manna Ram	10/02/83	TNH	9C
303	20118911	Jagdeep Singh	Rishopal Singh	11/12/89	TNH	9C
304	20163651	Tarzan Kumar Verma	Mahendra Kumar Verma	19/09/90	TNH	9C
305	20161133	Rajkumar Verma	Rahul Verma	8/07/87	TNH	9C
306	20169923	Sunil Kumar Koli	Ghans Ram Koli	20/06/88	TNH	9C
307	20153146	Arvind Kumar	Tej Singh	21/01/87	TNH	9C
308	20137019	Anupam Kurnari	Krishan Chaudhary	21/2/88	TNH	9C
309	20173886	Rohitashwa Kumar	Ratan Lal	30/08/89	TNH	9C
310	20125753	Rahul Sohal	Sudeshan Sohal	31/07/88	TNH	9C
311	20118113	Nirmal Singh	Kalsant Singh	12/01/89	TNH	9C
312	20163791	Bhajan Lal	Ratti Ram Verma	10/09/90	TNH	9C
313	20120006	Gaujan Mehar	Kunj Bihari Mehar	20/11/89	TNH	9C
314	20107019	Satyannarayan	Hanuman	20/08/89	CAITBH	9C
315	20125759	Mahendra Arora	Yash Ram	10/09/90	TNH	9C
316	20123091	Rakha	Gurmeet Singh	18/08/89	TNH	9C
317	20169229	Sumer Balrwa	Kamal Ram Balrwa	10/08/84	TNH	9C
318	20152137	Purihar Mahendra Kr.	Kesharam Purihar	20/08/88	TNH	9C

319	20/27/58	Navan Kumar Rangera	Ramanand Rangera	10/1/59	T.N.H.	8C.
320	20/29/56	Sukhvinder Kaur	Tejinder Singh	15/1/60	T.N.H.	8C.
321	20/2/53	Pargat Singh Kuldeep	Poonam Mal Kuldeep	10/1/60	T.N.H.	8C.
322	20/2/57	Sirmajit Kaur	Jinder Singh	25/2/58	T.N.H.	8C.
323	20/17/31	Jithin GS	Gangadharan	30/3/57	T.N.H.	8C.
324	20/13/53	Kishor Kumar	Om Prakash Mourya	14/2/58	T.N.H.	8C.
325	20/2/58	Uma	Baburam	20/2/58	T.N.H.	8C.
326	20/2/57	Babu Lal Jatslia	Rampal Jatslia	5/2/59	T.N.H.	8C.
327	20/2/11	Sanjay Kumar Bainsa	Gordhan Lal Bainsa	31/2/58	T.N.H.	8C.
328	20/2/59	Akshay Kumar	Mahesh Verdhani	20/2/53	T.N.H.	8C.
329	20/2/59	Sunil Singariya	Chhitar Mal	7/1/56	T.N.H.	8C.
330	20/29/13	Ranjitaj	Rajur K	5/5/58	T.N.H.	8C.
331	20/19/30	Ravindra Kumar Bainsa	Yogendra Kumar Bainsa	10/1/59	T.N.H.	8C.
332	20/25/50	Sunil Chavan	Shrishail	13/5/55	T.N.H.	8C.
333	20/5/12	Shiju S	P.N. Sankharan	24/1/56	T.N.H.	8C.
334	20/2/54	Arvind Kumar Verma	Kishan Lal Verma	31/1/56	T.N.H.	8C.
335	20/3/22	Lal Singh	Moti Ram	12/3/58	T.N.H.	8C.
336	20/4/32	Chanchal	Sushel Kumar	20/2/56	T.N.H.	8C.
337	20/26/57	Pradeep Kumar	Ramvaran	20/2/51	T.N.H.	8C.
338	20/26/12	Kamlesh Kumar Mundaotiya	Suresh Lal Mundaotiya	10/2/54	T.N.H.	8C.

Sl.No.	Roll. No.	Name	Father's Name	DOB	Marks	CAT
339	2018929	Shivkant Kabraacharya	Bijendra Singh	20/08/88	INH	SC
340	2018930	Murari Lal	Roostan Mal	16/08/89	INH	SC
341	2013416	Ramesh Desai	Manisha Ram Desai	5/08/88	INH	SC
342	2006341	Pankaj Kumar	Shyam Lal	10/87	INH	SC
343	2004822	Tara Chand	Dularan	20/1/87	INH	SC
344	2021908	Vidhya V	Pappu	29/06/89	INH	SC
345	2018728	Deepika Walia	Chandra Kumar Walia	10/87	INH	SC
346	2012614	Yashwant Verma	Ram Bhaj Verma	10/890	INH	SC
347	2005127	Dindyal Bhatnagar	Pukhray Bhatnagar	18/08/87	INH	SC
348	2005137	Darab Singh	Roostan Singh	29/12/88	INH	SC
349	2005506	Harsh Priyanka	Nemichand	29/09/90	INH	SC
350	2023928	Jakkappa Siddappa Basavagi	Siddappa	10/886	INH	SC
351	2005149	Hansraj Rajgar	Chhitar Mal	7/08/88	INH	SC
352	2005127	Bano Singh Meena	Sukh Ram Meena	7/08/88	NCJCSHT H	ST
353	2005553	Kavita Badi	Om Prakash Badi	27/1/87	INH/INH	ST
354	2014872	Ramkhiran Meena	Ram Lal Meena	17/09/90	SC/INH	ST
355	2005565	Kuldeep Singh	Prabhu Dayal	19/1/86	SC/INH	ST
356	2018926	Narayan Talwar	Sithert singh	15/09/91	SC/INH	ST
357	2020332	Mahendra Kr Meena	Munshi Lal Meena	10/889	SC/INH	ST

358	20/01/76	Vinod Kumar Meena	Phool Chand Meena	20/1/85	SCMH	ST
359	20/02/60	Naveen Prakash DBP	Babu Naika D	31/05/88	SCMH	ST
360	20/2/1/66	Ramroop Meena	Narayan Meena	20/6/90	APXH	ST
361	20/2/1/66	Durga Shankar Meena	Hota Lal Meena	10/8/87	APXH	ST
362	20/09/67	Sushela Meena	Hari Ram Meena	11/2/85	BIRM	ST
363	20/2/5/41	Ringin Dr Ma Sharjo	Lata Sharjo	12/1/85	BIRM	ST
364	20/1/5/26	Pushpendra Kr. Meena	Ram Nath Meena	6/1/89	BIRM	ST
365	20/2/8/67	Nancy Nienghoshing Haokip	H James Khongjai	10/2/81	BIRM	ST
366	20/2/8/21	Chetram Meena	Ramroop Meena	18/0/90	BMH	ST
367	20/2/2/69	Darya Meena	Govind Ram Meena	15/0/91	BSAH	ST
368	20/1/3/21	Rinchen Lamo	Nawang Golechen	20/0/90	BSAH	ST
369	20/0/0/66	Hemant Kumar Meena	Bharsani Shankar Meena	20/7/88	BSAH	ST
370	20/5/2/27	Mukesh Meena	Jagdish Prasad Meena	15/0/87	BSAH	ST
371	20/3/1/31	Vikash Meena	Rohitash Meena	5/9/89	BSAH	ST
372	20/08/00	Dipankar Kumar	Ram Bilas Prasad	14/02/86	BSAH	ST
373	20/2/35/47	Nirmal Kumar Meena	Bhenu Lal Meena	20/0/85	BSAH	ST
374	20/2/4/91	Chhote Lal Meena	Ranjit Lal Meena	6/1/88	BSAH	ST
375	20/4/1/12	Suresh Kumar Meena	Ranchi Lal Meena	10/9/91	BSAH	ST
376	20/08/86	Danu Yadu	Danu Doley	22/08/86	BSAH	ST
377	20/08/12	Princey Winsor Louis	Rahul Herbert	27/10/97	DTXH	ST

Sl.No.	Roll.No.	Name	Father's Name	DOB	Marks	CAT
373	2001872	Mukesh Kumar Meena	Hatakeen Meena	9/0/88	100 TH	ST
379	2002262	C. Martin Mate	Jang Kho Ngam Kuki	20/1/89	100 TH	ST
380	2000262	Roshalla	Zavier Lakra	19/0/84	100 TH	ST
381	2001887	Kamlesh Kumar Meena	Jagdish Prasad Meena	20/1/89	100 TH	ST
382	20017816	Chotu Lal Meena	Ramphool Meena	16/7/88	100 TH	ST
383	2001361	Hari Prakash Meena	Girraj Prasad Meena	30/09/90	100 TH	ST
384	2002796	Sheetal	Raj Lal	26/87	100 TH	ST
385	2003894	Rajesh Kumar Meena	Rameharan Meena	10/88	100 TH	ST
386	2002648	Elonikhoso	Punikhoso	13/0/86	100 TH	ST
387	2003064	Smita Murnu	Chand Lal Murnu	30/1/89	100 TH	ST
388	2002351	N.Naami Khongjai	L. Papao Khongjai	10/82	100 TH	ST
389	2000006	Madan Mohan Meena	Shivcharan Meena	10/88	100 TH	ST
390	2001992	Priscilla Sturbiakching	I. Sanghuan	20/1/83	100 TH	ST
391	2002023	Kiran Linda	Durga Linda	27/0/81	100 TH	ST
392	2001797	H.Yunggaithun	H Nengchindou	12/1/81	100 TH	ST
393	2003983	Thermeikinsingon	S Thanga Singhon	9/6/90	100 TH	ST
394	2001652	Sonika Kurari	Sumit Kumar	22/0/89	100 TH	ST
395	2001197	T.T.N Nang	Gkamkhamsoing	4/1/89	100 TH	ST
396	2003527	Hankrishan Meena	Ganga Chai Meena	11/2/89	100 TH	ST

397	20.07.72	Mitali Parla	Kishor Parla	19.08.41	DIX H	ST
398	20.06.12	Radheshyam Meena	Kailashilal Chauthary	12.12.89	DIX H	ST
399	20.07.82	Ching Bicklian	M Grikhanthang	20.08.7	DIX H	ST
400	20.07.98	Ravi Dutt Meena	Roop Singh Meena	18.09.0	DIX H	ST
401	20.07.20	Shanker Lal Meena	Bajrang Lal Meena	19.08.7	DIX H	ST
402	20.02.98	Bharat Lal Meena	Giriraj Prasad Meena	10.05.8	DIX H	ST
403	20.05.61	Gajraj Meena	Laxman Prasad Meena	10.05.8	DIX H	ST
404	20.07.75	Rajeev Meena	Kahua Ram Meena	9.08.6	DIX H	ST
405	20.08.33	Narsi Ram Meena	Natthu Lal Meena	31.08.7	DIX H	ST
406	20.08.27	Tinghollen	Hankshun	12.08.8	DIX H	ST
407	20.02.71	Roop Singh Meena	Shiv Ram Meena	15.09.0	DIX H	ST
408	20.08.65	Rosecoona Kisku	Christopher Kisku	28.08.6	DIX H	ST
409	20.07.70	Shephali Kaji Lakra	Sukhdoo Lakra	22.08.4	DIX H	ST
410	20.01.85	Dhan Raj Meena	Bhanwar Lal Meena	20.08.8	DIX H	ST
411	20.05.29	Nandha Kumari Goud	Babu Nandan Sah	5.08.9	DIX H	ST
412	20.06.60	Sapna Diyani Hans	Kushalnay Hans	21.12.1	GRTH	ST
413	20.07.72	Prabhu Dayal Meena	Ramkumar Meena	9.08.8	DIX H	ST
414	20.05.99	Lakhanlal Meena	Balicharan Meena	30.08.9	DIX H	ST
415	20.01.12	Lalimchhani	Ramharilana Sali	21.09.0	DIX H	ST
416	20.12.37	Khur Bickrawji	Lam Khoban	30.08.7	DIX H	ST
417	20.01.52	Dhooaraj Kumar Meena	Bhanu Lal Meena	9.08.7	DIX H	ST

Sl.No.	Roll.No.	Name	Father's Name	DOB	Marks	CAT
418	20121402	Bramanand Meena	Rameshwer Meena	7/9/88	DCBH	ST
419	20123111	Prem Singh Meena	Sardar Singh Meena	10/88	DCBH	ST
420	20127296	Premraj Meena	Ramesh Chand Meena	10/07/86	DCBH	ST
421	20127110	Harkholing Haskip	Sankam Haskip	13/12/89	DCBH	ST
422	20129417	Maheesh Meena	Panchu Ram	15/02/89	DCBH	ST
423	20125807	Rajendra Kumar Meena	Taslam Meena	13/10/88	DCBH	ST
424	20123101	Ravi Kant Meena	Sampat Ram Meena	5/12/84	DCBH	ST
425	20129105	Niang Khos Lian	Kham Chin Khup Hatzaw	21/08/87	DCBH	ST
426	20013999	Ramgilas Meena	Bekham Meena	20/01/85	DCBH	ST
427	20016555	Divya Kumari Meena	Manu Lal Meena	12/07/86	DCBH	ST
428	20155731	Lakshoni	Ngulthong Haskip	4/02/86	DHASH	ST
429	20119885	Vikram Singh Meena	Shri Phool Meena	6/07/89	DHASH	ST
430	20126119	Kuldeep Meena	Chhatar Lal Meena	10/07/89	CRPH	ST
431	20127118	Vinod Kumar Meena	Gyasa Ram Meena	13/07/89	CRPH	ST
432	20127349	Satya Prakash Meena	Prabhu Lal Meena	19/08/88	CRPH	ST
433	20125631	Sinorita Majare	T. Govinda Syiemlieh	7/04/82	CRPH	ST
434	20075606	Yung Ngath Niang	T Thanggin	15/07/87	CRPH	ST
435	20010185	Weini Isarni Chyne	H Umrakanta Singh	31/12/83	CRPH	ST
436	20126113	Rathay Shyam Meena	Shobhag Meena	13/07/87	CRPH	ST

437	20/12/20	Dharmendra Kt. Meena	Yadav Meena	19/03/91	कर्म	ST
438	20/07/79	Devaram Meena	Shyam Lal Meena	19/03/88	कर्म	ST
439	20/01/65	Anna Matilda Toppo	Peter Toppo	10/03/82	कर्म	ST
440	20/03/32	Sonam Angmo	Tshay Namgyal	30/28/0	कर्म	ST
441	20/17/63	Bukhya Dinesh Naik	B Fowar Naik	10/03/88	कर्म	ST
442	20/12/47	Harish Kumar Meena	Rameshwar Prasad Meena	28/10/88	कर्म	ST
443	20/02/85	Ashok Kumar Meena	Ram Prasad Meena	20/06/90	कर्म	ST
444	20/03/27	Tenzin Dhadon	Sitherterting	19/03/85	कर्म	ST
445	20/09/93	Tenzin Minkey	Phuntsok Wangyal	13/03/88	कर्म	ST
446	20/01/30	Lokesh Meena	Harbhajan Meena	13/03/89	कर्म	ST
447	20/05/92	Rajesh Kumar Meena	Kailash Chand Meena	10/03/89	INH	ST
448	20/03/78	Sumita Meena	Nirmal Kumar Meena	20/03/87	INH	ST
449	20/11/82	Mamta	Bishambar Singh	20/03/81	INH	ST
450	20/09/69	Rajaram Meena	Shankar Lal Meena	10/07/85	कर्म	ST
451	20/02/13	Suresh Chand Meena	Hariprasad Meena	19/03/88	कर्म	ST
452	20/03/73	Shama Kujur	Lokesh Kujur	9/03/87	कर्म	ST
453	20/02/25	Ram Singh Meena	Bansari Lal Meena	29/07/91	कर्म	ST
454	20/09/69	Yung Thinhu Tonsing	T. Yum Khanpu	13/03/87	कर्म	ST
455	20/03/30	Serafin Lalheiro	Lalthalamman Jonte	20/03/85	कर्म	ST
456	20/03/06	V L Lalhrupuii	Rinzenula Vancheharsing	9/11/83	कर्म	ST
457	20/03/53	Vinod Meena	Ghanayam Meena	12/07/89	कर्म	ST

ST/SL Roll No.	Name	Father's Name	DOB	Marks	CAT
468	2017771	Rajesh Kumar Meena	Bharosi Lal Meena	25/12/85	ST
469	2017926	Rakeshhyam Meena	Lakhan Singh Meena	13/10/90	ST
470	2010900	Mukesh Kumar Meena	Ramnarayan Meena	20/9/90	ST
471	2000251	LalRamraj	Ramchhanga	21/02/88	ST
472	2010952	Amrit Lal Meena	Bharti Meena	20/05/86	ST
473	2010349	Vinod Kumar	Ram Bilas	20/08/88	ST
474	2008130	Lakhan Lal Meena	Prabhu Lal Meena	10/09/91	ST
475	2015131	Rameshwar Meena	Laxtha Ram Meena	15/10/90	ST
476	2021677	Agimol Ranib	Bhaktaran MGr	21/2/86	ST
477	2009122	Narao Narayan Meena	Shanti Lal Meena	20/03/88	ST
478	2011158	Kholnelfhing Lapheng	Lhenboi Misoa	10/11/84	ST
479	2013186	Anuradha Ekka	Faruk Lapeha	20/12/80	ST
480	2010531	Ramhet Meena	Kastur Chand Meena	10/09/90	ST
481	2009119	Mou Raj Meena	Babu Lal Meena	5/08/84	ST
482	2001158	Anur Singh Meena	Bhagata Ram Meena	31/12/88	ST
483	2020067	Kamlesh Kumar Meena	Ram Chandra Meena	5/05/88	ST
484	2017526	Tenzin Thinley	Kargyu Dho ndup	16/12/88	ST
485	2009029	Thermeifhing Chongloi	Lalkhosei Chongloi	15/09/90	ST
486	2000041	Ryaseipam	R Ngareophung	20/08/83	ST
487	2018806	Tehing Ngatham	T Grouza Kham	21/02/85	ST

478	20.05.2030	Pawan Kumar Meena	Gajraj Singh Meena	61.9885	CTBH	ST
479	20.04.1952	Tachiyoudon	Tachitsering	20.0289	CTBH	ST
480	20.02.271	Ching Ngaih Muan	T. Gini Za Hau	50.0389	CTBH	ST
481	20.02.285	Murari Lal Meena	Laxmi Narayan Meena	40.185	CTBH	ST
482	20.04.286	Uday Singh Meena	Babu Lal Meena	25.0289	CTBH	ST
483	20.04.07	Dharm Singh Meena	Ramjee Lal Meena	20.0290	CTBH	ST
484	20.04.991	Lobzang Yangchen	Tsering Tampo	23.0285	CTBH	ST
485	20.02.2812	Indrani Ramesh	Majakhu	20.1888	CTBH	ST
486	20.02.258	Rohitashree K. Meena	Radhika Krishna Meena	27.0289	CTBH	ST
487	20.04.504	Pachpendra K. Meena	Durga Lal Meena	20.0288	CTBH	ST
488	20.07.18	Mahendar Kumar Meena	Mohan Lal Meena	19.1285	CTBH	ST
489	20.03.302	Imanaila	Sachinrongba	71.178	CTBH	ST
490	20.03.119	T. Thinguelbam Mate	T. Hoshkhsiang Mate	20.0288	CTBH	ST
491	20.07.50	Suresh Kumar Meena	Lala Ram Meena	15.0289	CTBH	ST
492	20.09.196	Manish Kumar Meena	Buddha Ram Meena	10.0287	CTBH	ST
493	20.03.080	Neengpajarn	T. Zarnthang	27.1287	CTBH	ST
494	20.09.09	Pasi Sanga	T Pasi Peter	20.0288	CTBH	ST
495	20.04.261	Neingehin Ganga	Pumkhomung Ganga	10.0280	CTBH	ST
496	20.07.56	Kh Grace Ngachura	T. Khayi	18.0288	CTBH	ST
497	20.02.26	Jitendra Kumar Meena	Nandkishor Meena	50.1888	CTBH	ST
498	20.12.83	Mukesh Kumar Meena	Ramnath Meena	60.0288	CTBH	ST

Sl.No.	Roll. No.	Name	Father's Name	DOB	Marks	CAT
499	2012711	Nirmala Meena	Mohar Pal Meena	16/90	67BHM	ST
500	2012809	Sangi Gangte	Dula Gangte	29/784	67BHM	ST
501	2012731	Th. Asanai Agnes	H Thaikho	29/186	67BHM	ST
502	2012999	Kharel Zoulian	Ganglin Grute	13/285	67BHM	ST
503	2019169	V Florenas Saverni	Late V Pou Khan Lal	10/292	67BHM	ST
504	2012775	Surendra Meena	Ramires Meena	30/689	67BHM	ST
505	2025331	Neangselam Kipgen	Jangkhongam Kipgen	50/90	67BHM	ST
506	2024812	Ramkesh Meena	Hajrit Lal Meena	15/288	67BHM	ST
507	2024218	YD M Tan	AT Y Thang Swan	7/381	67BHM	ST
508	2023887	Maryline Gangte	Seksholen Hungdim	15/285	67BHM	ST
509	2022810	Muneesh Kumar Meena	Ghasidya Meena	10/286	67BHM	ST
510	2012239	Phuntsook Dolma	Tashi Dorso	30/083	67BHM	ST
511	2025267	Ninia Kaikho	Kaikho Paul	13/1283	67BHM	ST
512	2025008	Sunil Kumar Meena	Mahaveer Prasad Meena	5/288	67BHM	ST
513	2012151	Sudha Ekka	Late Cyril Ekka	22/279	67BHM	ST
514	2012901	Prashant Yithal Parande	Yithal N Parande	19/288	67BHM	ST
515	2012328	Nernkheching	Tg inkhansong	8/287	67BHM	ST
516	2012907	Neha Hoto	Jeevan Hoto	18/185	67BHM	ST
517	2015054	Chinnelthing Haakip	Thentimpoo Haakip	18/284	67BHM	ST

518	20/2/28/9	Birula Kashhup	Ignatius Kashhup	25/5/83	CTBM	ST
519	20/2/28/5	Nadabira	Knepuni	23/3/89	CTBM	ST
520	20/2/5/86	Hrangbung Phullika Anal	Hrangbung Wolingam Anal	12/1/81	CTBM	ST
521	20/2/28/3	Ramavadar Meena	Ram Prasad Meena	3/10/88	CTBM	ST
522	20/2/28/57	T. Hamelhol Khong Lai	Orkholoi Tankim	5/9/89	CTBM	ST
523	20/2/32/1	Neha Bage	Nixolim Bage	1/10/89	CTBM	ST
524	20/2/3/72	Lovelona Rao	Laban Rao	18/6/85	CTBM	ST
525	20/2/4/97	T. Ngathlon	Nekkhathang	23/1/87	CTBM	ST
526	20/2/428/0	Nitesh Kumar Chanda	Raja Ram Meena	3/10/83	CTBM	ST
527	20/2/5/32	Usha Kumari Damar	Lala Ram Damar	10/10/87	CTBM	ST
528	20/2/5/66	Elizabeth Parnesi	P Khurong	10/10/88	CTBM	ST
529	20/2/6/33	Roxy Lalhangnem	Hrangthangkang	10/1/81	CTBM	ST
530	20/2/8/94	Chindimawei	T. Lian-somuan	3/10/85	CTBM	ST
531	20/2/9/92	Thaipnem	Thangkholei Kipgen	12/1/83	CTBM	ST
532	20/2/10/1	Mahesh Kumar Meena	Dhanna Lal Meena	20/1/87	CTBM	ST
533	20/2/12/3	Ramakant Meena	Muniram Meena	10/2/89	CTBM	ST
534	20/2/29/4	Rajesh Meena	Chhuttan Lal Meena	29/3/87	CTBM	ST
535	20/2/1/90	Father Manlankim Simte	H Kamzaland	23/5/85	CTBM	ST
536	20/2/29/3	Niangungahkim	Gokaplan Grite	18/12/90	CTBM	ST
537	20/2/35/0	Anjali Smitkessa	Thomassess	6/1/90	CTBM	ST

ST/SC Roll No.	Name	Father's Name	DOB	Marks	CAT	
508	201021	Abdesh Kumar Meena	Shriman Meena	51086	GTBH	ST
509	201029	Aruna	Banu Oran	60382	GTBH	ST
510	201112	Tenzin Chockyi	Tser Ing Dorjee	25082	GTBH	ST
511	201378	Kalsang Chodon	Norda	20090	GTBH	ST
512	201491	Dan Thian Nam	T.V Dal Chin Thang	11086	GTBH	ST
513	201198	Tachong Korn	Tachong Korn	20088	GTBH	ST
514	200025	Sosant Minz	Alphonse Minz	60387	GTBH	ST
515	201716	Dipal Lakra	Noel Lakra	20085	GTBH	ST
516	200491	Yang Bick Muan Yulham	Thakun	21086	GTBH	ST
517	201682	Bhila Saka	Koshang Saka	21086	GTBH	ST
518	201287	Balam Meena	Gorun Meena	10087	GTBH	ST
519	201267	Kengboiling Lhouvun	Lake Lanthang Lhouvun	20288	GTBH	ST
520	201917	Fatima Indrar	Vincent Indrar	28087	GTBH	ST
521	201279	Mamraj Meena	Amar Singh Meena	51188	GTBH	ST
522	201836	Divyajyoti Dungsang	Abraham Dungsang	131287	GTBH	ST
523	202582	Worthing Lungsang	Peter Lungsang	10381	GTBH	ST
524	201466	Angela Ayeungchi	Hengam Ayeungchi	20382	GTBH	ST
525	201897	Kishor Kumar Meena	Mata Deen Meena	10086	GTBH	ST
526	201831	Rajbeer Meena	Popu Ram	50386	GTBH	ST

557	20/12/20	Tharika Nongkhlay	Promsing Nongbri	14/6/82	CNR.	ST
558	20/12/28	Shelmolngam Khaling	Ktani	21/1/92	CNR.	ST
559	20/12/31	Hukam Singh Meena	Lahri Ram Meena	23/8/90	CNR.	ST
560	20/12/28	Nonguel Kipgen	Gendal Kipgen	19/2/88	JRCH	ST
561	20/12/31	Fwa Jyoti Guria	Late Habib Guria	14/6/81	JRCH	ST
562	20/12/18	Banshiram Meena	Lata Ram Meena	13/8/85	JRCH	ST
563	20/12/28	Father Chingnu	Thang Kho Lal	20/2/87	JRCH	ST
564	20/12/16	Singmichon Vangngao	Lt. Jacob Vangngao	30/8/87	Kanti Nagar	ST
565	20/12/09	Hari Kishan Meena	Muna Ram Meena	8/7/89	DRSH	ST
566	20/12/38	Rakesh Meena	Roop Singh Meena	13/8/91	DRSH	ST
567	20/12/35	Hosna Nannoma	Shankarlalnanoma	12/2/81	DRSH	ST
568	20/12/59	Nam Rathi	Itanurshan	20/8/89	DRSH	ST
569	20/12/50	Om Prakash Meena	Gajpand Meena	6/8/87	DRSH	ST
570	20/12/12	Jashraj Meena	Ram Ratna Meena	24/9/90	TNH	ST
571	20/12/65	Mukesh Kumar Meena	Mool Chand Meena	20/8/88	TNH	ST
572	20/12/20	Apas Monica	Tonili Apas	6/1/91	TNH	ST
573	20/12/25	Anur Kumar Meena	Ramprasad Meena	29/10/85	TNH	ST
574	20/12/11	Aradhna Mfinz	Magan Mfinz	21/2/89	TNH	ST
575	20/12/32	Goungathethiin	Kaikhogin	5/7/88	TNH	ST
576	20/12/92	Dharm Singh Meena	Prahalad Meena	6/2/85	TNH	ST
577	20/12/13	Vijendra Kumar Meena	Rutti Ram Meena	25/7/90	TNH	ST

Sl. No.	Roll. No.	Name	Father's Name	DOB	Marks	CAT
578	2021758	Florence Bishnun	Tthangdin	18/01/88	INH	ST
579	20216101	TNgalhkim	G. Sarikhanlian	01/02/86	INH	ST
580	20216553	Alit Kandulna	Masim Prakash Kandulna	12/03/85	INH	ST
581	20216996	MNarnneichhong	M Tunkhoteh	01/08/87	INH	ST
582	20216997	Keshav Lal Moana	Girraj Moana	5/03/88	INH	ST
583	20216920	I. Dierthrou Lanch	I. R. Darchao	18/10/85	INH	ST
584	20216931	Shalini Sahai	Maheesh Kumar	01/12/88	INH	SC

Result Notice No-422 (Part-V) Dated 18.08.2015

Sl. No.	Roll. No.	Name	Father's Name/ Husband's Name	DOB	Marks	Spotted by
1	20216703	Arvind V	S Balasundaram	29/12/88	98	SC
2	20216888	Vinoeth Kv	Vijayan KK	23/02/87	79.5	SC
3	20211151	K. Ghana Maddileti	K C. Maddileti	19/05/88	69.25	SC
4	20216121	Hannuman Prasad	Ramdev Bainsa	01/07/88	68.75	SC
5	20216818	Vikram Singh Moana	Suresh Mal Moana	01/05/88	100.25	ST

Result Notice (Part-V) Dated 29/04/2014

Sl. No.	Roll. No.	Name	Father's Name/ Husband's Name	DOB	Marks	CAT
1	2023109	Sheba Paul	Robin	01/08/90	91.5	SC
2	2023162	Noorb	Bhim Dutt	01/07/82	71	SC

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश प्रधान जी प्रश्न संख्या-3

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 3 प्रस्तुत है:

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की पा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक खोले हैं;

(ख) वर्ष फरवरी, 2016 तक कितने मोहल्ला क्लीनिक खोले गये हैं और कितने खोलने का लक्ष्य रखा गया था;

(ग) कितने ऐसे भवन दिल्ली सरकार के पास पहले से तैयार हैं जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जा सकती हैं; और

(घ) क्या महिला मोहल्ला क्लीनिक खोलने की कोई योजना है?

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : प्रश्न संख्या 3 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी हां।

(ख) फरवरी, 2016 तक एक मोहल्ला क्लीनिक पीरागढ़ी में खोला गया है तथा 31.3.2016 तक 100 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव है तथा वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत 39 अस्पताल एवं 266 डिस्पेंसरियों/पॉलीक्लीनिक के भवनों में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में चार निम्नलिखित भवन महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवायें के अन्तर्गत तैयार हैं:

1. मदनपुर खादर फेज-1
2. गौतमपुरी, फेज-2, मोलडबंद
3. रोहिणी सैक्टर-21
4. सावदा घेवरा, फेज-2

(घ) जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी। प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी की विधान सभा के अंतर्गत सराय पिपलथला, रविदास मार्ग नियर आजादपुर मंडी एक बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग की दो-ढाई साल से बनी पड़ी है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उसमें अभी तक ना तो मोहल्ला क्लीनिक, ना कोई डिस्पेंसरी खुली है, कुछ भी नहीं खोला गया है, उसमें कब तक खोल दिया जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री : दिल्ली सरकार के जो पहले अभी तक डिस्पेंसरियां चल रही हैं, कुछ डिस्पेंसरीज किराए के मकान में चल रही हैं, कुछ परमानेंट बिल्डिंग में चल रही हैं। तो अभी तक का रिव्यू ये रहा है, उसको चलाने में उतना खर्चा आ रहा है, वो ठीक नहीं है, अब जितनी भी इस तरह की बिल्डिंगें बची हुई हैं, या तो मोहल्ला क्लीनिक या पोली क्लीनिक, सराय पीपलथला को पोली क्लीनिक में कन्वर्ट किया जा रहा है और इस साल के अंत तक पोली क्लीनिक में कनवर्ट कर दिया जाएगा, पोली क्लीनिक के अंदर 6-7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठते हैं। एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन सब लगाई जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय : इसी फाइनैशियल ईयर में?

स्वास्थ्य मंत्री : नहीं-नहीं अध्यक्ष जी, अगले फाइनैशियल ईयर में।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष जी, एक बिल्डिंग बनी पड़ी है, और हम किराये की बिल्डिंग तलाश कर रहे हैं, कहीं नई बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं और जहां तक बिल्डिंग तीन साल से कूड़ादान में तब्दील होती जा रही है, उसमें जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री : नहीं इसमें ऐसा है, देखिए, बताऊं मोहल्ला क्लीनिक 1000 खोलने हैं हमारे को उसके साथ-साथ पोलिक्लीनिक का काम चल रहा है। इससे पहले ही कर दिया जाएगा। परन्तु मैं समय इसलिए ले रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी वजह से देरी होने लगे, जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्लानिंग में हैं मंत्री जी ने कहा है, उनको ध्यान भी है उसका। जरनैल सिंह जी। सप्लीमेंटरी बताइये।

श्री जरनैल सिंह (रा.गा.) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो मोहल्ला क्लीनिक 1000 खोलने हैं ये किस चरण पे हैं और क्या कोई इनकी जो जमीन एक्वायर करनी है या एमसीडी से लेनी है उसमें स्थिति कहां-कहां कैसी है ताकि एक क्लैरिटी आ सके ये काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

स्वास्थ्य मंत्री : 1000 मोहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए टेंडर पास हो चुके हैं और टेंडर आवंटित किये जा चुके हैं, अभी पायलेट प्रोजैक्ट के रूप में 100 मोहल्ला क्लीनिक इमीडेटली 10-15 दिन के अंदर स्टार्ट कर दिये जायेंगे। कोशिश यही है कि 13 तारीख तक पूरे कर दें। जो बिल्डिंगें नई बन रही हैं; वो साल के अंत तक, दिसम्बर तक पूरी कर दी जायेंगी और उसमें से काफी जगह चिन्हित कर ली गई हैं बाकी की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : हां शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से ये जानना चाहता हूं कि जो पोली क्लीनिक बन रही हैं, वो किस आधार पर तय की जा रही हैं? कहां पर खोली जाएंगी, क्या रेशो है? मतलब विधान सभा वाईज तय किया जा रहा है, क्षेत्र वाईज, डिस्ट्रिक्ट वाईज क्या उसकी कैल्कुलेशन है?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोशिश की जा रही है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक पोली क्लीनिक जरूर खोला जा सके और जहां तक हो सके दो खोले जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : हां सोमनाथ जी। अंतिम है ये बस।

श्री सोमनाथ भारती : आपने मोहल्ला क्लीनिक्स के लिए डीडीए से जमीन की डिमांड की है?

स्वास्थ्य मंत्री : देखिएगा मोहल्ला क्लीनिक के लिए डीडीए से अलग से जमीन की डिमांड नहीं की गई है। परन्तु पिछले साल का एक्सपीरियंस है कि हमने 10 हॉस्पिटल की जमीन डीडीए से मांगी हुई है। एक साल पूरा हो चुका है। मैं आदरणीय एलजी साहब से भी मिला था। अभी तक एक के लिए भी जमीन नहीं दी गई है मोहल्ला क्लीनिक ज्यादातर दिल्ली सरकार की जितनी जमीनें हैं, उन पर या डीडीए से एनओसी लेकर उन पर बनाया गया है। क्योंकि ये टैम्परेरी स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जमीन के आवंटन की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 4 प्रमिला जी।

श्रीमती प्रमिला टोकस : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या-4 प्रस्तुत है:

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिजली की कमी से निपटने के लिए सरकारी भवनों जैसे विद्यालय, कॉलेज और डिस्पेन्सरियों आदि पर सोलर पावर प्लान्ट लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि बिजली बचाने के उद्देश्य से सरकार सम-विषम योजना की तर्ज पर दिल्ली के नागरिकों की भागीदारी से महीने में एक दिन एक घण्टे के लिए बिजली के घरेलू उपकरणों को एक घंटा बन्द रखने की योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं तो क्यों?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी हां।

(ख) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : हां प्रमिला जी कोई सप्लीमेंटरी। हां सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती : सोलर पावर प्लांट से केन्द्र सरकार द्वारा भी और कई राज्यों ने भी रिवर्स पावर जनरेट करने की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मुझे लगता है कि हमारी सरकार इस मामले को सिरियसली लेगी और अगर कोई प्लान है तो इस बारे में हमें बताए।

स्वास्थ्य मंत्री : देखिएगा, सोलर पावर प्लांट लगाने के दो तरीके होते हैं; एक तरीका है कि सरकार कैपिटलाइज खुद करे और अपने पैसों से लगवाए दूसरा तरीका होता है कि अपने पैसे ना लगाकर वो दूसरे जो वैंडर्स हैं उनको लगाने के लिए जगह दे दे और उनसे बिजली परचेज करे। दिल्ली सरकार ने अभी तक जितने भी हमारे सोलर प्लांट लगाए गये हैं; उनका सारा ऑडिट कराया था। उनके अंतर जो हमें बिजली पड़ रही थी, उसकी कॉस्ट 12 रुपये से लेकर 35 रुपये यूनिट पड़ रही थी। तो मुझे लगता है कि कैपिटल कॉस्ट के ऊपर सरकार का पैसा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए सरकार ने निश्चय किया है कि आगे से जितने भी सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, वो सारे के सारे वैंडर्स के द्वारा लगाए जाएंगे मतलब की सारा का सारा पैसा वैंडर्स लगाएगा हम सिर्फ बिजली परचेज करेंगे इसी श्रृंखला में मैं सदन को बताना चाहूंगा दिल्ली में दो मैगावाट का पावर प्लांट लगा दिया है और दिल्ली सैक्रेटेरिएट की बिजली वहां से ली गई है। उसमें आगे और एक्सटेंशन भी किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : हां, अलका जी बताएं।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष महोदय, बजट पेश करते हुए आपने बताया कि 42 हजार अंधेरी जगहों को आपने चिन्हित किया है, जहां पर आप लाइट लगाने जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि उसमें एलईडी लाइट्स लगा रहे हैं या फिर सोडियम लाइट्स लगेंगी?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये सारी एलईडी लगेंगी, नहीं, सोलर लाइट नहीं। क्योंकि चार्ज नहीं हो पाती हैं इसलिए सोलर लाइट लगाना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय : हां महेन्द्र जी।

श्री महेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी

से पूछना चाहूंगा कि सोलर लाईट यदि आप खरीदोगे तो किस रेट के ऊपर आपकी प्लानिंग है?

स्वास्थ्य मंत्री : यह बता पाना सम्भव नहीं है कि किस रेट पर खरीदेंगे। वो तो टैंडर्स के बाद पता लगेगा। अभी ऐसे कहना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 5 श्री जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 5 प्रस्तुत है:

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले चार सालों में दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाए जाने के कारण लोगों के बिल ज्यादा राशि के आ रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इन कम्पनियों ने बढ़े हुए लोड के अनुपात में अपने सिस्टम जैसे ट्रांसफार्मर/केबल अपग्रेड कर लिये हैं;

(ग) यदि हां, तो विधान सभा वार बिजली कम्पनियों द्वारा पिछले चार साल में किये गए अपग्रेडेशन का विवरण दें;

(घ) क्या बिजली की तीनों कम्पनियों ने इस बाबत कोई जानकारी सरकार को दी है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार बिजली कम्पनियों द्वारा अपने इस दायित्व के पूरा किये जाने की जांच कराने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, इसका पूरा विवरण दें?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के आदेश दिनांक 1 फरवरी, 2011 एवं 22 नवम्बर, 2011 के अनुसार उपभोक्ताओं का स्वीकृत लोड बढ़ जाता है। घट जाता है जिसके कारण उपभोक्ताओं के बिल में बढ़ोत्तरी/घटोतरी हो जाती है।

(ख) और (ग) जी हां। वितरण कम्पनी द्वारा बढ़ाई गई क्षमता का विवरण अनुलग्नक 'क', 'ख', तथा 'ग' में संलग्न है

(घ) वितरण कम्पनी द्वारा सभी योजनाओं का ब्यौरा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को समय-समय पर प्रस्तुत किया जाता है।

Annexure 'क' 'ख'

TPDDL

Description	2012-13	2013-14	2014-15
No. DTs (Nos.)	28890	28340	28693
MVA Capacity (MVA)	4742	4770	4891
11 KV Network (Km)	3796	3847	3963
LV Network (Km)	NA	6005	8350

[illegible]

807278109, 0143362, 466035, 0040876, 073129, 0737447, 481417, 0732109, 0733390, 0747111, 0726151, 060

[illegible]

[illegible]

M.A. Wise Summary of Capacity addition in BPP.									
Sl.No.	Name of M.A.	Capacity Added in FY:14-15				Capacity Added in FY:15-16			
		TRF (In MVA)	HT Cable (In Km)	TJ Cable (In Km)	8	TRF (In MVA)	HT Cable (In Km)	TJ Cable (In Km)	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Col. Shri Devender Sharma	2.0	2.1	0	2.0	5.5	1.1		
2	Shri Adarsh Shastri	2.0	2.3	0.1	1.2	3.5	0.2		
3	Shri Ajay Tatt	0.2	0.0	0	1.7	0.0	4.3		
4	Shri Armanullah	12.7	1.6	3.8	9.6	9.5	1.2		
5	Shri Aytar Singh	1.7	4.0	0	0.0	0.0	1.2		
6	Shri Dinesh Mohania	5.0	0.0	0	2.1	6.2	3.8		
7	Shri Ginish Soni	1.3	0.0	1.6	1.1	0.0	3.0		
8	Shri Gulaab Singh	101.8	17.3	0.8	9.5	0.8	0.7		
9	Shri Jagdeep Singh	0.6	0.0	0.3	1.6	2.0	0.9		
10	Shri Jarnail Singh	1.3	0.0	0	0.9	3.1	0.6		
11	Shri Jarnail Singh T	4.1	1.1	2.1	3.2	0.8	0.0		
12	Shri Kaibh Gohat	19.1	11.5	6.1	15.0	2.9	3.1		
13	Shri Kartar Singh Tamsar	5.2	0.7	2.1	2.8	0.2	3.1		
14	Shri Madan Lal	2.9	4.8	1.8	0.9	1.1	0.1		
15	Shri Mahender Yadav	1.3	0.0	3.1	1.3	6.2	2.1		

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Smt Bhavna Gaur	2.2	11.3	1.6	1.7	6.5	2.3
17	Shri NTD Sharma	0.9	0.7	0	1.0	2.7	1.8
18	Shri Naresh Baliyan	2.4	3.7	0.1	4.6	6.0	0.8
19	Shri Naresh Yadav	4.4	0.4	0.8	0.0	2.7	4.9
20	Shri Pralash Jaiswal	0.6	0.0	0	0.6	0.0	0.1
21	Shri Praveen Kumar	3.6	0.0	0.4	2.2	0.0	0.5
22	Shri Raghuvinder Shokeen	4.8	0.0	2.2	3.3	0.3	2.9
23	Shri Rajesh Rishi	6.3	2.5	0.8	0.0	0.0	3.3
24	Shri S.C. Goel	0.0	0.0	0.2	0.9	3.2	0.0
25	Shri Sahi Ram	3.2	4.4	2.6	0.9	2.4	1.5
26	Shri Satyendra Jain	0.9	0.0	0	2.3	0.6	1.9
27	Shri Suresh Bhardwaj	5.9	0.0	0	1.3	4.6	3.8
28	Shri Sornath Bhatti	2.1	0.5	2.6	2.4	2.7	1.1
29	Shri Sukhvir Singh Dalai	3.8	1.6	4.8	52.3	0.0	3.2
30	Shri Surender Singh	0.0	2.1	0	0.0	0.0	0.0
31	Smt Premila Tokas	4.8	1.6	5.8	0.9	2.7	3.3
Grand Total		207.2	74.5	43.7	127.5	76.6	57.1

MTA Wise-Summary of Capacity addition in BRT.

Sl. No.	Name of MTA	Capacity Added in FY (14-15)				Capacity Added in FY (15-16)			
		TRE (In MVA)	HT Cable (In KM)	LT Cable (In KM)	HT Cable (In KM)	TRE (In MVA)	HT Cable (In KM)	LT Cable (In KM)	HT Cable (In KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Col. Shri Devender Sharma	2.0	2.1	0	2.0	5.7	1.1		
2	Shri Adarsh Shastri	2.0	2.3	0.1	1.2	3.5	0.2		
3	Shri Ajay Dutt	0.2	0.0	0	1.7	0.0	4.3		
4	Shri Amanatullah	12.7	1.6	3.8	9.6	9.5	1.2		
5	Shri Arun Singh	1.7	4.0	0	0.0	0.0	1.2		
6	Shri Dinesh Mohania	5.0	0.0	0	2.1	6.2	3.8		
7	Shri Gritish Soni	1.3	0.0	1.6	1.1	0.0	3.0		
8	Shri Gulab Singh	10.8	17.3	0.8	9.5	0.8	0.7		
9	Shri Jagdeep Singh	0.6	0.0	0.3	1.6	2.0	0.9		
10	Shri Jarnail Singh	1.3	0.0	0	0.9	3.1	0.6		
11	Shri Jarnail Singh T	4.1	1.1	2.1	3.2	0.8	0.0		
12	Shri Kailash Gehlot	19.1	11.5	6.1	15.0	2.9	3.1		
13	Shri Kartar Singh Tamsar	5.2	0.7	2.1	2.8	0.2	3.1		
14	Shri Madan Lal	2.9	4.8	1.8	0.9	1.1	0.1		
15	Shri Mohender Yadav	1.3	0.0	3.1	1.3	6.2	2.1		

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Smt. Bhavna Gaur	2.2	11.3	1.6	1.7	6.5	2.3
17	Shri N.D. Sharma	0.9	0.7	0	1.0	2.7	1.8
18	Shri Naresh Bhatnagar	2.4	3.7	0.1	4.6	6.0	0.8
19	Shri Naresh Yadav	4.4	0.4	0.8	0.0	2.7	4.9
20	Shri Prakash Jaiswal	0.6	0.0	0	0.6	0.0	0.1
21	Shri Praveen Kumar	3.6	0.0	0.4	2.2	0.0	0.5
22	Shri Raghuvinder Shokeen	4.8	0.0	2.2	3.3	0.3	2.9
23	Shri Rajesh Rishi	6.3	2.5	0.8	0.0	0.0	3.3
24	Shri S.C. Goyal	0.0	0.0	0.2	0.9	3.2	0.0
25	Shri Shri Ram	3.2	4.4	2.6	0.9	2.4	1.5
26	Shri Satyendra Jain	0.9	0.0	0	2.3	0.6	1.9
27	Shri Saurabh Bhattacharya	5.9	0.0	0	1.3	4.6	3.8
28	Shri Somnath Bhatti	2.1	0.5	2.6	2.4	2.7	1.1
29	Shri Sukhvir Singh Talal	3.8	1.6	4.8	52.3	0.0	3.2
30	Shri Surender Singh	0.0	2.1	0	0.0	0.0	0.0
31	Smt. Premila Tokas	4.8	1.6	5.8	0.9	2.7	3.3
Grand Total		20.2	34.5	43.7	127.5	78.6	57.4

Supplementary for Starred Question No. 05

- All Bills are issued on the basis of Tariff Order issued by DERC from time to time. The Sanctioned Load is revised based on three highest maximum Demand Readings in the Previous Years as per DERC Orders dated 01.02.2011, 11.01.2012, 22.11.2012 and 20.01.2012 (copy enclosed as Annexure-"A").
- The Electricity Bills are raised by DISCOMs as per the prevailing tariff notified by DERC in its Tariff Order.
- DERC has also notified a Public Awareness Bulletin for information of consumers for redressal of their grievances (copy enclosed as Annexure-"B").
- It is the duty of DISCOMs to develop and maintain an efficient coordinated and economical distribution system in their area of jurisdiction. Further, upgradation of network to cater for expected load growth, to reduce AT & C losses and to remove congestion is a continuous process.

Annexure 'A'

F.11(548)/DERC/2009-10/C.F.No.2373/4557

February 01, 2011

Petition no. 05/2010

To

BSES Rajdhani Power Ltd.
Through its: CEO
BSES Bhawan
Nehru Place
Delhi-110 019.

BSES Yamuna Power Ltd.
Through its: CEO
Shakti Kiran Building
Karkardooma Delhi-110 092.

North Delhi Power Limited
Through its: Managing Director
Sub-Station Building
Hudson Lines, Kingsway Camp
Delhi-110009.

The Chairperson
New Delhi Municipal Council
Palika Kendra
Sansad Marg
New Delhi - 110 001.

Sir,

The Hon'ble Appellate Tribunal for Electricity (ATE) vide its Order dated 09.12.2010 in Appeal no. 139/2010 and in the matter of North Delhi Power Ltd. Versus Delhi Electricity Regulatory Commission has modified the Commission's Order dated 08.04.2010 to the extent that the minutes of the joint meeting held on 03.12.2010 between the officers of the Commission and NDPL shall form part of the above Order of the Commission.

2. The operative part of the Minutes of the Meeting dated 03.12.2010 on the subject matter is reproduced as under:

"It was mutually agreed that these issues will be comprehensively addressed in the revised Standard of Performance Regulations being framed by the State Commission. However, pending issuance of the

Regulations, a procedure have been agreed as laid down in the agreed Minutes of the Meeting."

As per the Minutes of the Joint Meeting, following shall be adopted by the Licensee:

(i) Where energy meters have provision for recording the maximum demand, the average of the 3 highest maximum demand readings recorded by the consumer during the 12 month period from April to March (rounded all to the next higher whose number would be adopted to revise the Sanctioned Load. For such consumer, the security deposit would be revised accordingly on the above??

(ii) Where the energy meters of the consumers do not have MDI, the Commission, shall evolve appropriate guidelines in the Regulations bases on the apalysis of data to be submitted by Power Utilities. The utilities shall provide information regarding the average kWh/KW for the 12 month period April to March of 2009-10 for consumers having meters with maximum demand indication for the above analysis.

So, in light of the above order of the Appellate Tribunal all the distribution licensees are directed to comply with the decisions taken in the joint meeting dated 03.12.2010 on the above subject till the above issue is comprehensively addressed in the revised Standard of Performance Regulations by the Commission. (Copy of the Minutes of the Joint Meeting is attached as Annex 'A'. The copy of the Appellate Tribunal Order is attached as Annex 'B'.

This issues with the approval of the Commission.

End: As above.

Yours' faithfully.

Sd/-

(Sunita Yadav)

Secretary

Annexure 'A'

Minutes of Meeting held with NDPL in Delhi Electricity Regulatory Commission, Malviya Nagar, New Delhi on 03.12.2010 at 12.00 Noon

In compliance with the directions of the Hon'ble Appellate Tribunal for Electricity vide Order dated 23-11-2010 passed in relation to the Appeal No. 139/2010 titled as "North Delhi Power Limited versus Delhi Electricity Regulatory Commission" a meeting was held amongst officers of NDPL and DERC at the Commission's Office to discuss and deliberate on the issues involved and for resolving the matter. The Hon'ble ATE has directed as under:

"Heard both the parties. Both the parties have agreed to work out a procedure for additional security from the existing consumers. Accordingly, they are directed to submit an agreed procedure on or before 07.12.2010."

2. The following officers were present in the meeting;

DERC

- i. Smt. Anjuli Chandra, Executive Director (Engg./Tariff)
- ii. Sh. K.K. Verma, Jt. Director (Engg.)
- iii. Sh. Anish Garg, Jt. Director (PS&E)

NDPL

- iv. Sh. Vivek Singla, Sr. General Manager (PM&CC)
- v. Sh. Sunii Kumar Sharma, AGM (PM&CC)
- vi. Sh. Anurag Bansal, HOG (Corporate Legal)
- vii. Sh. Vorun Sharma, Manager (CCM)

3. NDPL stressed the need for the compliance of clause no. 47 of Electricity Act., 2003 as under:

'47. Power to require security

.....?? Not readable

?????

(a) *in respect of the electricity supplied to such person: or*

(b) *where any electric line or electrical plant or electric meter is to be provided for supplying electricity to such person, in respect of the provision of such line or plant or meter, and if that person fails to give such security, the distribution licensee may, if he thinks fit, refuse to give the supply of electricity or to provide the line or plant or meter for the period during which the failure continues.*

(2) *Where any person has not given such security as is mentioned in sub-section (1) or the security given by any person has become invalid or insufficient, the distribution licensee may, by notice, require that person, within thirty days after the service of the notice, to give him reasonable security for the payment of all monies which may become due to him in respect of the supply of electricity or provision of such line or plant or meter.*

(3) *If the person referred to in sub-section (2) fails to give such security, the distribution licensee may, if he thinks fit, discontinue the supply of electricity for the period during which the failure continues.*

(4) *The distribution licensee shall pay interest equivalent to the bank rate or more, as may be specified by the concerned State Commission, on the security referred to in sub-section (1) and refund such security on the request of the person who gave such security.*

(5) A distribution licensee shall not be entitled to require security in pursuance of clause (a) of sub-section (1) if the person requiring the supply is prepared to take the supply through a pre-payment meter.

4. The procedure suggested by NDPL is as under:

(i) Notice u/s 47 (2) of the Electricity Act 2003 to be issued by NDPL to the consumer (whose security deposit with NDPL has become insufficient) keeping in with requirements of section 4(2) of the Electricity Act, 2003 to deposit within 30 days from the service of the notice, reasonable security deposit as demanded by NDPL, failing which the supply shall be liable for disconnection by the NDPL, of the Electricity Act, 2003.

(ii) Basis of computation of Reasonable Security Deposit:

- The Licensee shall review the consumption pattern of the consumer for the adequacy of the security deposit from April to March of the previous year.
- Consumer shall be required to maintain a reasonable security deposit equivalent to consumption bill of 2 months 15 days (for monthly billing cycle Consumers) and 3 months 15 days (for bimonthly Billing cycle Consumers), based on average monthly consumption bills of the previous financial year. Any shortfall or excess amount estimated with existing security deposit shall be adjusted in the first bill of next financial year for respective consumer.
- Reasonable security deposit as stipulated above shall be applicable to all categories of consumers.
- Under Clause 16(vi) of Delhi Electricity Supply Code & Performance Standards Regulations, 2007, Licensee shall credit the interest due on account of security deposit in the first bill of next financial year for respective consumer.

5. The existing SOP regulation 2007 provide the following:

- (i) Clause 29 of Delhi Electricity Supply Code & Performance Standards Regulations, 2007 (SoP Regulations, 2007) specify the security deposit to be deposited by new consumers which is based upon the sanctioned load of the consumer.
- (ii) There is no provision for enhancement of security deposit for existing consumer on the basis of increase consumption at the consumer.

.....?? Not readable.

?????

above basis. First such period shall be April 09 - March 10 and the revision shall take place during the current FY.

- (ii) Where the energy meters of the consumers do not have MDI, the Commission shall evolve appropriate guidelines in the Regulations based on the analysis of data to be submitted by Power Utilities. The utilities shall provide information regarding the average kWh/KW for the 12 month period April to March 2009-10 for consumers having meters with maximum demand indication for the above analysis.

For NDPL

Sd/-

Vivek Singla

Sr. General Manager (PM&CC).

For DERC

Sd/-

(Anjali Chandra)

Executive Director (Engg.).

COURT - II

APPELLATE TRIBUNAL FOR ELECTRICITY

(Appellate Jurisdiction)

Appeal No. 139 of 2010

Dated : 9th December, 2010

Coram: Hon'ble Mr. Rakesh Nath, Technical Member
Hon'ble Mr. P.S. Datta, Judicial Member

In the matter of:

North Delhi Power Ltd.

...Appellant(s)

Versus

Delhi Electricity Regulatory Commission & Ors.

...Respondent(s)

Counsel for the Appellant : Mr. K. Datta, Mr. Ajaay Kapoor
Mr. Anurag Bansal

Counsel for the Respondent : Mr. Sachin Data
Mr. K.K. Verma for DERC

ORDER

Learned Counsel for the State Commission had submitted that the Commission had no objection to enhancement of sanctioned load of consumers whose consumption is over a period of time is more than the sanctioned load but the Commission was concerned about the methodology to be adopted while doing so. Accordingly, in the last hearing dated 27.11.2010 both the parties had agreed to work out a procedure for additional security for the existing consumers and this Tribunal had directed the parties to submit the agreed procedure. Parties have now filed minutes of the meeting held on 3.12.2010 wherein it has been agreed that the issue will be comprehensively addressed in the revised Standards of

Performance Regulations being framed by the State Commission. However, pending issuance of the Regulations, a procedure has been agreed as laid down in the agreed minutes of meeting. Accordingly, this Appeal is disposed of in terms of the minutes of the joint meeting dated 3.12.2010 signed by both the parties which shall form part of the order and the order impugned dated 8.4.2010 stands modified to that extent. Accordingly, **the Appeal stands disposed of.**

(Justice P.S. Datta)

Judicial Member

(Rakesh Nath)

Technical Member

PK/KSM

F.7(57)/DERC/CA/2011-12/3060/5708

11.01.2012

The Chief Executive Officer
M/s BSES Rajdhani Power Ltd.
BSES Bhawan
Nehru Place
New Delhi - 110019
The Chief Executive Officer
North Delhi Power Ltd
33 KV Grid Sub-station
Hudson Lane
Kingsway Camp
Delhi - 110 009

The Chief Executive Officer
M/s BSES Yamuna Power Ltd.
Shakti Kiran Building, Karkardooma
New Delhi - 110 009
The Chairman
New Delhi Municipal Council
Palika Kendra, Sansad Marg
New Delhi-110001

**Sub.: Clarification regarding Revision of Sanctioned
Load Order dated 22.11.2011**

**Ref.: DERC's Order No. 7(57)/DERC/CA/2011-12/3060/5005
dated 22.11.2011 & Order No. 11(548)/DERC/2009-10/
C.F. No.2373/4557 dated 01.02.2011**

Sir,

Representations have been received from Discoms seeking clarification regarding the applicability of the initial order no. 11 (548)/DERC/2009-10/ C.F.No.2373/4557 dated 01.02.2011 and the second order dated 22.11.2011.

In this respect, it is clarified that the first order dated 01.02.2011, followed by second order dated 22.11.2011, regarding upward revision of the sanctioned load of the consumer, (after issue of notice, and giving 30 days time to the consumer to deposit the enhanced security deposit) shall be applicable for all categories of consumers.

The clause regarding reduction in sanctioned load, in second order dated

22.11.2011 (based on average of three highest MDIs in the previous financial year) shall be applicable to domestic consumers only. For all other categories of consumers, load reduction shall be carried out in terms of Clause 21 of the DERC (Supply Code & Performance Standards Regulations), 2007.

This issues with the approval of the Commission.

Yours faithfully .

Sd/-

(Jayshree Raghuraman)

Secretary

F.7(57)/DERC/CA/2011-12/3060/5005

22.11.2011

The Chief Executive Officer
M/s BSES Rajdhani Power Ltd.
BSES Bhawan
Nehru Place
New Delhi - 110019

The Chief Executive Officer
North Delhi Power Ltd
33 KV Grid Sub-station
Hudson Lane
Kingsway Camp
Delhi - 110 009

The Chief Executive Officer
M/s BSES Yamuna Power Ltd
Shakti Kiran Building, Karkardooma
New Delhi - 110 009

The Chairman
New Delhi Municipal Council
Palika Kendra, Sansad Marg
New Delhi-110001

Sub: Revision of Sanctioned Load of the Consumers

**Ref.: Our Order No.F.11(548)/DERC/2009-10/
C.F.No.2373/4557 dated 01.02.2011**

Sir,

This is in reference to our aforementioned order of revision of sanctioned load of the consumers based upon the MDI readings of the consumer. Various representations have been received from different consumers groups, RWAs etc. regarding requirement of notice to the consumers before enhancement of sanctioned load and reduction of the sanctioned load based upon the usage pattern. In respect of the same, it is hereby clarified that the following procedure shall be adopted by the Discoms:

1. In cases where average of three MDI readings from April to March in the previous year of the consumers exceed the sanctioned load, the Discoms shall issue a notice to the consumer giving details of the months and exact readings where the usage of the consumer has exceeded the sanctioned load in the previous year and the proposed increase in

sanctioned load. The consumer shall be given 30 days period to deposit the enhanced security deposit for such increase in sanctioned load, in accordance with Electricity Act, 2003. If the consumer fails to do so, the additional amount may be included in the next bill, indicating the reasons for such inclusion in the bill.

2. In cases where the average of three highest MDIs in the previous year is less than the sanctioned load of the consumer, the Discom shall issue a notice to the consumer giving details that his maximum demand is less than the sanctioned load. The Discom shall seek the consent of the consumer for load reduction and in case the consumer agrees, the same shall be carried out in the next billing cycle. The Discom shall also refund the pro-rata security deposit in case domestic consumers by adjusting the same in the next billing cycle of the financial year.
3. The revision of sanctioned load upward/downward shall be done once a year at the beginning of the financial year.
4. This is applicable only for domestic consumers. Other consumers shall be governed by the relevant provisions in the Supply Code and Performance Standard Regulations.

Yours faithfully.

(Sunita Yadav)

Secretary

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
Delhi Electricity Regulatory Commission
 (A Statutory Body of Govt. of NCT of Delhi)

.../Engg/DERC/2010-11/CE2621/5897

20.01.2012

The Chief Executive Officer
 M/s BSES Rajdhani Power Ltd.
 BSES Bhawan
 Nehru Place
 New Delhi - 110019
 The Chief Executive Officer
 North Delhi Power Ltd
 33 KV Grid Sub-station
 Hudson Lane
 Kingsway Camp
 Delhi - 110 009

The Chief Executive Officer
 M/s BSES Yamuna Power Ltd
 Shakti Kiran Building, Karkardooma
 New Delhi - 110 009
 The Chairman
 New Delhi Municipal Council
 Palika Kendra, Sansad Marg
 New Delhi-110001

Sub.: Replacement of the Service Cable vis-a-vis Sanctioned Load of the Consumer

Ref.: Meeting held on 03.01.2012 in the Commission - Revision of Sanctioned Load based on MDI

Sir,

This is in respect of revision of sanctioned load of the consumers being carried out by the Discoms, based upon the average of the 3 highest MDIs in the preceding financial year. We are in receipt of a large no. of representation from consumers regarding the issue of notices by the Discoms for deposit of total SLD charges for the revised sanctioned load.

It has been noticed that the different Discoms are using different yardsticks for levying these charges.

The existing SLD charges, as per 'Table - 4' of DERC Supply Code and Performance Standards Regulations, 2007 are as under:

Service Line cum Development Charge		
Sl. No.	Sanctioned Load (kW)	Amount (Rs)
1	Upto 5	3000
2	More than 5 upto 10	7000
3	More than 10 upto 20	11000
4	More than 20 upto 50	16000
5	More than 50 upto 100	31000
6	More than 100 kW (at 11kV)	50% of the cost of HT cables/line/ switchgear

The matter has been considered and it has been decided that only the differential SLD charges for movement from one slab to another state may be charged from the consumers whose load has to be increased due to enhancement in the MDI readings. Thus, for enhancement of sanctioned load from 4 kW to 6 kW, (6 kW - 4 kW), the consumer will have to pay the differential amount of Rs 7,000 (-) Rs 3,000 = Rs 4,000/-only. Further, in cases where the differential SLD is charged from the consumer, Discoms shall replace the service line if required.

It is also directed that the service line charges shall be credited to the capital account of the concerned Discom and not charged to revenue account.

This issues with the approval of the Commission.

Yours faithfully

Sd/-

(Anjali Chandra)

Exe. Director (Engg.)



Public Awareness Bulletin - 8

Three Tier Grievance Redressal Structure

Consumer Grievance / Complaints like: New Connection, Billing, Metering, Power Cuts, Power Fluctuation, Load Shedding, Load Enhancement/Reduction, Street Lights, Meter/Service Reconnection of Power Supply, Power Theft/Unauthorized Use of Electricity, Name Change, Transfer of Connection and Change of Category.

TIER - I

STEP 1: Customer Care Officer / Customer Relation Executive

STEP 2: Business Manager / Customer Service Manager / District Manager

STEP 3: Circle Head/Districtal Chief

STEP 4: Head Customer Care of DISCOM (BRPL, BYPL, TPDDL & KMC) according to area of operation

Contact Nos. of DISCOMs:

BSES Rajdhani Power Ltd. (BRPL)
 Call Centre Number 011-26063707 (24x7)
 Customer Care Centre (Timing 9 AM to 5 PM)
 Email: BRPLCustomerCare@bri.in
 18A St. Yamuna Power Ltd. (BYPL)
 Call Centre Number 011-26290828 (24x7)
 Customer Care Ctr. (Timing 9 AM to 5 PM)
 Email: byplcustomercare@bypl.co.in
 Taty Power Delhi Distribution Ltd. (TPDDL)
 Call Centre Number 011-65404040 (24x7)
 Customer Care Center (Timing 9 AM to 5 PM) Main & DC 304H to 304H-20, Email: tpddlcustomercare@tpddl.co.in
New Delhi Municipal Council (NDMC)
 Call Centre Number 011-49930055 Email: ndmc@ndmc.gov.in

↓

AGGRIEVED CONSUMER

TIER - II

Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF)

↓

AGGRIEVED CONSUMER

For aggrieved consumer with the grievance for DISCOM in respect of grievances like New Connection, Billing, Metering, Power Cuts, Load Shedding, Load Enhancement/Reduction, Disconnection, Reconnection of Power Supply, Name Change, Street Light Transfer of connection and any special grievances to CGRF:

BRPL: Secretary, CGRF, BRPL, Sub Station Building, Goolery, Connaught Place, New Delhi - 110017. Email: cggrf@bri.in

BYPL: Secretary, CGRF, BYPL, Sub Station Building, Shaheed Bhagat Singh Park, New Delhi - 110017, Connaught Place, New Delhi - 110017. Email: cggrf@bypl.co.in

TPDDL: Secretary, CGRF, TPDDL, Sub Station Building, Police Colony, Model Town - 110028.

Email: cggrf@tpddl.co.in

NDMC: Secretary, CGRF, NDMC, Shop No. 87-88 & 81-82, Shaheed Bhagat Singh Park, Connaught Place, New Delhi - 110017.

* CGRF does not have jurisdiction to adjudicate on matters related to assessment in relation to unauthorized use of electricity. Appeal against the assessment, Theft of Electricity, Power for adjudicate, Compensation of damages, Motive of accident and inquiries etc. which fall in 126, 127, 128, 138, 143, 152 & 181 of Indian Electricity Act, 2001.

↓

OMBUDSMAN

For registering Electricity related Complaints like (Connection, Billing, Supply, Meter, Theft, Fluctuation and Street Light) Consumer may also approach Public Grievance Cell (PGC) directly set up by Delhi Government.

For aggrieved with CGRF order, an appeal against CGRF order may be filed with the Electricity Ombudsman:

Elect. Ombudsman, App. District Government School, Vasant Vihar, New Delhi - 110057

Email: app.ombudsman@delhi.gov.in

Public Grievance Cell, Department of Power, C-107B, S.D.O. Building, 33rd Sub Station, Main Road, Vasant Vihar, New Delhi - 110057. Tel: 10041140277

For aggrieved with Ombudsman order, an appeal against Ombudsman order may be filed with the Electricity Regulatory Commission:

Delhi Electricity Regulatory Commission, 33rd Sub Station, Main Road, Vasant Vihar, New Delhi - 110057. Tel: 10041140277

Forward to Public Interest by

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

MEMBER SECRETARY, DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, 33rd Sub Station, Main Road, Vasant Vihar, New Delhi - 110057. Tel: 10041140277

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी जगदीप सिंह जी ।

श्री जगदीप सिंह : सर, मैं इसमें छोटा सा एक संज्ञान लेना चाहूंगा कि लोड बढ़ा तो दिया, पैसे भी चार्ज कर लिए गये हैं और कहीं न कहीं हर विधान सभा से 4 करोड़ रुपये से ऊपर पैसा हर कम्पनी ने इक्कट्ठ किया। लेकिन उसके एवज में जो ट्रांसफार्मर या नये आरएमयूज या नई तारों के केबलस डालने थे वो अभी तक नहीं डाले, कम्पनियां पैसा तो ले रही हैं, लेकिन उस सिस्टम को अपडेट नहीं कर रही है जिसकी वजह से बिजली बहुत जाती है और कम एरिया में जाने की बजाए वो बहुत बड़े-बड़े एरिया में जाती है। ये सिस्टम अपग्रेड ना होने की वजह से। अपडेट क्यों नहीं किया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय सदस्य के सुझाव के अनुसार जैसा इन्होंने बताया मुझे ऐसा नहीं लगता कि अपडेटिंग नहीं की जाती है, जब भी जरूरत होती है ट्रांसफार्मर अपडेट किये जाते हैं। परन्तु आप मेरे संज्ञान में लाये हैं तो हम इसकी जरूर जांच करवाएंगे और अगर ऐसा होगा तो हम कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री नितिन त्यागी जी। क्वेश्चन पूछिए नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जो ये अनाथराइज्ड/रेगुलराइज्ड टाईप की कालोनीज हैं, अभी भी अनाथराइज्ड जो कालोनी हैं, वहां पर किसी भी तरीके के लिए प्लान्ड नहीं होता कि कहां पर आप ट्रांसफार्मर रखेंगे। जैसे कि मेरा लक्ष्मी नगर है। अब आज की तारीख में हर लैण्ड ऑनिंग एजेन्सीज डिस्कॉम से वो ट्रांसफार्मर हटाने के लिए लेटर भेज रही है तो वो वहां से कहां हटाके ले जायेंगे और लोगों को बिजली किस तरीके से मिलेगी अगर वो वहां से ट्रांसफार्मर हट जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमने सीलमपुर विधान सभा के लिए सदस्या आयी थी तो एक ट्रायल किया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर्स को खम्भों के ऊपर लेके ऊपर बना दिया जाये। अगर ये सफल हो जाता है तो हमें कोई सूरत नहीं नजर आती है। तो मैंने डिस्काम को बुलवाया था। उनसे बातचीत की थी तो कहते हैं सम्भव तो है। ट्रायल करके 10-12 लगाके देखते हैं। अगर सफल हुआ तो सब जगह लगा दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेशपति त्रिपाठी जी। भई, दो से ज्यादा नहीं।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लोड जो बढ़ाया जाता है उसके लिए जो चार्ज लिया जाता है। उसके लिए केवल तार वगैरह केवल चेन्ज करना होता है। ये तार चेन्ज नहीं होते हैं। कई बार शिकायत आती है। इसको कौन मानीटर करती है? किसको रिपोर्टिंग की जाती है कि ये काम हो गया? जो चार्ज लिया गया उसका काम कर दिया गया, इसको कौन मानीटर करता है?

स्वास्थ्य मंत्री : डिस्कॉम्स को रेगुलरली मानिट्रिंग करने का सारा काम डी.ई. आर.सी. के जिम्मे है और डी.ई.आर.सी. मानीटर करता है। जहां तक कि सभी केसेज में केवल चेन्ज करने की जरूरत है कि नहीं। ये कहना सम्भवन नहीं है। कई बारी लोड को दो किलोवाट से तीन किलोवाट किया जाता है या तीन से चार किलोवाट किया जाता है या एक किलोवाट बढ़ाया जाता है तो केबल उस बारे में चेन्ज नहीं की जाती है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने पालिसी डाइरेक्शन दी है कि इसको बिल्कुल क्लीयरिफाई किया जाये कि केबल चेन्ज होगी तभी वो चार्जेज एक्स्ट्रा लें अदरवाईज न लें। तो ये डाइरेक्शन हम दे चुके हैं उनको। जल्दी ही आशा है कि डीईआरसी उसको नोटिफाई करेगा।

अध्यक्ष महोदय : सुश्री भावना गौड़ जी। प्रश्न संख्या 6। अवकाश पर हैं।
श्री जितेन्द्र सिंह तोमर जी। प्रश्न संख्या 7

श्री जितेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 7 प्रस्तुत है:

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि सरकार के अनुरोध पर दिल्ली विकास प्राधिकरण विचाराधीन है;

(ग) इसका विवरण क्या है; और

(घ) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल बनाने हेतु अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं

(घ) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में अस्पताल बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इस विधानसभा के समीप केशवपुरम में (वजीरपुर विधानसभा में स्थित) 200 बिस्तरों का अस्पताल बनाने की योजना है, जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जितेन्द्र सिंह तोमर जी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मेरी मीटिंग हुई थी वाईस चेयरमैन डी.डी.ए. के साथ और उनमें उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने लॉरेन्स रोड इण्डस्ट्रीज एरिया में जमीन देने की सहमति का पत्र आपके सेक्रेटरी हेल्थ के यहां भेज दिया है। ऐसी मेरी जानकारी है। उन्होंने मुझे खुद बताया था एक बात। दूसरी बात ये है कि मेरे यहां एक अतर सिंह जैन हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल। बहुत छोटा हॉस्पिटल है। बहुत बुरी हालत में है। वहां जाने के लिए भी बहुत मुश्किल से पहुंचना पड़ता है। बहुत लड़-झगड़ के। आपसे मैं फिर बाद में बात करूंगा कि डीएसआईडीसी को भी थोड़ा टाईट कर दें। आठ महीने से काम कर रहे हैं। लेकिन हुआ नहीं वहां पर। तो उस हॉस्पिटल के साथ में एक हजार मीटर का एक प्लॉट है डीडीए का। उसको भी देने के लिए डीडीए तैयार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने विभाग को बोलें कि वो डीडीए के साथ इन्ट्रैक्ट करके, उससे बात करके अगर उस जगह को उसमें लें ले तो अतर सिंह जैन हॉस्पिटल पर एक हजार गज जगह है। उस दोनों को मिलाके बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन सकता है। छोटे-छोटे हॉस्पिटल जो प्राइवेट मैक्स हॉस्पिटल बना हुआ है तेताजी सुभाष प्लेस में। वो मल्टीस्टोरी बना कर दो हजार गज जमीन में इतना बड़ा हुआ है। हम वहां पर बढ़िया हॉस्पिटल बना सकते हैं, एक बात। दूसरी बात आपने कहा कि वजीरपुर विधान सभा में डीयर पार्क है। आप उसका अधिग्रहण करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि राजेश बुरा मत मानना भाई, अध्यक्ष जी, आप के यहां आलरेडी एक हॉस्पिटल है वहां पर। एक हॉस्पिटल आलरेडी है वहां पर दीपचन्द बन्धु हॉस्पिटल और मेरी विधान सभा और वजीरपुर विधान सभा में जो एक पार्ट है मेरा वो तो साथ पड़ता है। उसके बाकी जो ढाई वार्ड हैं वो बहुत दूर पड़ता है वहां से। तो मैं आपसे मंत्री जी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मेरे यहां का प्रयास करें

क्योंकि वहां तो आलरेडी एक है। एक हॉस्पिटल बना हुआ है उस विधान सभा के अन्दर। जब आपको डी.डी.ए. वहां पर जगह देने के लिए तैयार है। दो जगह मैं आपको प्रपोज कर रहा हूं। एक जगह में बता रहा हूं कि मेरी वाईस चेयरमैन डीडीए से बात हुई है उन्होंने कहा कि हमने एक लेटर....

अध्यक्ष महोदय : तोमर जी, क्वेश्चन कर लीजिए। जो इस पर करना है।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमर : सर, क्वेश्चन यही है कि जो हॉस्पिटल की जगह का लेटर भेजा है इन्होंने वो दिखवा लें ये। एक बार अपने विभाग से और उसे पर कार्रवाई करें और एक जो दूसरा है एक हजार गज जमीन जो अतर सिंह जैन हॉस्पिटल के साथ में हैं, उसका अधिग्रहण कर सकते हैं। वो डी.डी.ए. देने को तैयार है। मेरी उनसे बात हुई है। ये प्रार्थना करना चाह रहा हूं मंत्री जी से।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय हमारे सदस्य जी को कि अगर वो डी.डी.ए. से इतनी आसानी से जमीन दिलवायेंगे तो हम जरूर बनाने के लिए तैयार होंगे। मुझे एक्सपीरियेन्स उल्टा है कि दिल्ली सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और डी.डी.ए. जमीन देने को तैयार नहीं है। एल.जी. साहब से मैं खुद मिल चुका हूं। मुख्यमंत्री जी बात कर चुके हैं। अगर जमीन देते हैं तो हम लेने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, एक सेकेण्ड तोमर जी। अभी जैन साहब उन्होंने कहा कि एक लेटर डी.डी.ए. ने दिया है।

स्वास्थ्य मंत्री : वो लेटर हमारे पास कोई नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इनकी विधान सभा से संबंधित है सवाल। आपने क्या। नहीं उसको छोड़िए। क्वेश्चन रह जायेंगे बीस लोगों का टर्न देनी है प्लीज। चलिए करिए एक सेकेण्ड का।

श्री राजेश गुप्ता : सर, जैसे कि आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि वो जमीन जिसकी अभी बात हो रही है, उसके लिए जमीन अधिग्रहण कर ली है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, वो जमीन आलरेडी अधिग्रहीत है और पैसे भी दिये जा चुके हैं। तो क्या वो इस साल में बनने जा रहा है?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अधिग्रहित घोषित गलती से निकल गया है। जमीन के पैसे दिये जा चुका है। अधिग्रहीत हो चुका है परन्तु उसका पोजेशन अभी तक डीडीए से नहीं मिला है क्योंकि उसमें एन्ट्री नहीं मिल पा रही है। उस बारे में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे ही हमें एन्ट्री मिल जायेगी और हमें पोजेशन मिल जायेगा, परन्तु उसका काम स्टार्ट कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब नहीं। प्लीज। हां, अलका लाम्बा जी।

श्री राजेश गुप्ता : एन्ट्री हो गयी है। एन्ट्री के सिर्फ पैसे देने हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें गड़बड़ हो जायेगा। मेरा प्रयास है बीस आ जायें। थोड़ा सा। गर्ग साहब प्लीज। अलका जी, जल्दी करिए।

सुश्री अल्का लाम्बा : अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 8 प्रस्तुत है:

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में बिक्री हेतु लाए जा रहे मिलावटी दुग्ध उत्पादों (दूध, घी, पनीर, खोया) में मिलावट रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किया जा रहे हैं;

(ख) क्या इन राज्यों की दिल्ली की सीमाओं के प्रवेश द्वारों पर इन उत्पादों के सैंपल उठाने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण दें;

(घ) दिल्ली में मिलावटी मिल्क पाउडर जो कि दुग्ध उत्पादों में मिलावट का मुख्य एजेंट है को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों पर तेजी से फैल रहे अस्वास्थ्यकर खुले भोजनालयों पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में बिक्री हेतु लाए जा रहे मिलावटी दुग्ध उत्पादों (दूध, घी, पनीर, खोया आदि) में मिलावट रोकने हेतु खाद्य संरक्षा विभाग समय-समय पर इन राज्यों से सटे दिल्ली की सीमाओं के प्रवेश द्वारा पर इन उत्पादों के सैम्पल उठाता है, तथा दोषी पाये जाने पर विधिनुसार कार्रवाई की जाती है,

(ख) जी हां, समय-समय पर पड़ोसी राज्यों की सीमाओं के प्रवेश द्वारों पर योजनानुसार इन उत्पादों के सैम्पल उठाये जाते हैं,

(ग) इस वर्ष फरवरी माह में दिल्ली की सीमाओं पर अन्य राज्यों से लाए जा रहे दुग्ध व दुग्ध उत्पाद के 27 नमूने लिये गये, जिनमें से 7 नमूने निम्नस्तर के पाये गये तथा दोषियों के खिलाफ विधिनुसार कार्रवाई की जा रही है,

(घ) मिल्क पाउडर स्वयं में ही एक खाद्य पदार्थ है जिसके मानक खाद्य संरक्षा अधिनियम 2006 में दिये गये हैं तथा मिल्क पाउडर में मिलावट की जांच नियमित रूप से की जाती है, ताकि मिलावटी मिल्क पाउडर का प्रयोग अन्य दुग्ध उत्पादों में न किया जा सके।

(ड) अस्वास्थ्यकर कर खुले भोजनालयों के लिए न केवल चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र, बल्कि पूरी दिल्ली राज्य में जागरूकता अभियान, जो पूरे मार्च महीने तक चलेगा तथा इस अभियान में छोटे व खुले खाद्य पदार्थ बिक्री करने वालों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ताकि नागरिकों को स्वास्थ्य तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके।

अध्यक्ष महोदय : अलका जी। एनी सप्लीमेन्ट्री। थैंक यू।

अध्यक्ष महोदय : श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) : धन्यवाद अध्यक्ष जी। कोई फूड सेफ्टी डिपार्टमेन्ट की तरफ से हेल्पलाइन नम्बर जारी किया गया है क्योंकि पीछे क्षेत्र में एक दूध की दुकान की काफी कम्प्लेन्ट भी आयीं। स्पेशल कमिशनर को कम्प्लेन्ट दी गयी और उसके डेढ़-दो महीने बाद फॉलो-अप किया गया तो कमिशनर साहब का रिप्लाय था कि इनका सैम्पल ठीक है। पहली बात तो आम पब्लिक के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेन्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसके बाद कार्रवाई में क्या पारदर्शिता है, कुछ नहीं मालूम चल रहा है। इस पर मंत्री जी बताएं?

स्वास्थ्य मंत्री : फूड सेफ्टी डिपार्टमेन्ट की अलग से अभी हेल्पलाइन नहीं है परन्तु आदरणीय सदस्य का बहुत ही अच्छा सुझाव है। जल्द ही इसके लिए हेल्पलाइन शुरू की जायेगी ताकि वहां पर अपनी कम्प्लेन्ट की जा सके तथा उसका जवाब दिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये डिपार्टमेन्ट जो सैम्पल उठाता है और इसके जो परिणाम आते हैं। जो उनकी परिधि में नहीं आते।

उस परिधि के बाहर जाकर जब उनको फेल करते हैं और जब वो व्यक्ति अपील में दूसरी लैब में अपर लैब में जाता है, वहां वो पास हो जाता है तो क्या ये समझा जाये कि वहां केवल उन्हीं लोगों का सैम्पल पास होता है जो उनको रिश्वत देते हैं?

अध्यक्ष महोदय : कोई पार्टिकुलर एक्जाम्पल दे दीजिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : एक्जाम्पल मेरा अपना है। मैं बता रहा हूं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : भाई बातचीत नहीं। प्लीज।

अध्यक्ष महोदय : कोई रेफ्रेन्स देके, डेट देके पूछिये। चलिए। मंत्री जी

श्री ओ.पी. शर्मा : नीचे भी दें देंगे। आपको भी दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी। बताइए।

स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कोई बात संज्ञान में नहीं आयी है। अगर कोई भी पार्टिकुलर केस है, जहां पर रिश्वत दी जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी और अगर आदरणीय सदस्य जी ये कह रहे हैं कि ऊपर जाकर देने से उनका सैम्पल पास हो जाता है तो वो भी एक शमी है। अभी बोला है आपने।

श्री ओ.पी. शर्मा : नहीं, मैंने नहीं बोला है। ऊपर के लिए इन्होंने बोला है। मैंने नीचे के लिए बोला है। वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसको जो फेल कर रहे हैं। वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं आपको लिखित में उसको आपके पास भिजवा दूंगा।

स्वास्थ्य मंत्री : देखिए, अध्यक्ष जी, ऐसा हो सकता है। अगर हमारे कोई सदस्य

इस तरह का कोई बिजनस करते हैं और उनके सैम्पल उठाये जाते हैं तो उसके लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है किसी भी तरह की। उनके सैम्पल उठाये जायेंगे और अगर फेल होते हैं तो फेल भी होंगे। ...व्यवधान।

श्री ओ.पी. शर्मा : आप गलतबयानी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : भाई, ओम प्रकाश जी ऐसे नहीं चलता।

श्री ओ.पी. शर्मा : नहीं, तो कैसे चलता है? इम्यूनिटी कौन मांग रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वो जो उत्तर दे रहे हैं।

श्री ओ.पी. शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नहीं मैंने इम्यूनिटी कहाँ मांगी आपसे?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ओम प्रकाश जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप हर बात के लिए ...भाई बाकी सदस्यों न बोलें प्लीज।

श्री ओ.पी. शर्मा : नहीं, मैंने इम्यूनिटी नहीं मांगी तो ये दे क्यों रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी आपने तुरन्त रियेक्शन किया कि गलतबयानी कर रहे हैं। ये क्या गलत बोला उन्होंने?

श्री ओ.पी. शर्मा : उन्होंने कहा, इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। मैंने इम्यूनिटी मांगी नहीं। क्या मैंने इम्यूनिटी मांगी है।

अध्यक्ष महोदय : चलिए। पूरा उत्तर होने दीजिए।

श्री ओ.पी. शर्मा : आप कृपया सोच-समझकर जवाब दीजिए। आप मंत्री हैं। आप मंत्री की गरिमा का ध्यान रखिये।

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, आप बैठिए। चलिए ठीक है। ठीक जवाब

दे रहे हैं बिल्कुल। गलत होगा मैं टोक दूंगा। मुझे इतना संज्ञान है कि क्या गलत। आप बैठिए। दो मिनट बैठिए। मैंने सुन लिया पूरा।

श्री ओ.पी. शर्मा : आप सुन नहीं पाये। आप दुबारा सुनिए। नहीं सुन रहे हैं न आप। मैंने इम्यूनिटी नहीं मांगी। ये क्यों दे रहे हैं?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : चलिए।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार मिलावट के खिलाफ हर तरह का एक्शन लेगी। किसी भी तरह की छूट किसी को नहीं दी जायेगी।

...(व्यवधान)...

श्री ओ.पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी फिर गलतबयानी कर रहे हैं। और माननीय मंत्री महोदय फिर गलत बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, अब ओम प्रकाश जी हो गया।

श्री ओ.पी. शर्मा : मंत्री महोदय, मैं छूट की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रताड़ित करने का जो मामला है। मैं उसके विषय में आपसे बात कर रहा हूँ। और आप बार-बार गलतबयानी कर रहे हैं सदन में।

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, अब आप बैठ जाइये।

श्री ओ.पी. शर्मा : माननीय मंत्री जी, सवाल क्या है आप जवाब क्या दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप देखिए, राजनीतिक पहलू से बात करते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को दुहरा देता हूँ। दो मिनट माननीय मंत्री जी, विषय को खत्म करियेगा इसके बाद। बीस क्वेश्चन होने होते हैं एक घण्टे में। आपने कहा। अब सुन लीजिए। वो

सही दे रहे हैं आप बीच में टोक रहे हैं बराबर।

श्री ओ.पी. शर्मा : वो इम्यूनिटी की बात करते हैं। आप छूत की बात करते हैं वो गलत है।

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट रुक जाइये। आपने कहा, अधिकारी वर्ग सैम्पल लेने आते हैं। अपनी सीमा से बाहर जाकर।

श्री ओ.पी. शर्मा : रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जो रिजल्ट है, उसमें जो रिजल्ट दे रहे हैं। उसको फेल कर रहे हैं। उसकी बात कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आपने पहली बात तो आप पूरी बात सुन लीजिए। मैं समझ रहा हूँ। आपने कहा कि अपनी सीमा से बाहर जाकर जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। एक विषय ये रखा आपने। दूसरा विषय रखा कि वो सैम्पल फेल कर देते हैं लेकिन और किसी दूसरी लैब में जाकर करवाते हैं तो सैम्पल पास हो जाता है।

श्री ओ.पी. शर्मा : हां, सरकारी में, अपील में।

अध्यक्ष महोदय : हां, अपील में जाकर। किसी दूसरी सरकारी लैब में पास करवाते हैं। वो फेल हो जाते हैं। वो पास हो जाते हैं और वो सैम्पल लेके जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। साथ में आपने जोड़ा रिश्वत देने से फेल हो जाते हैं।

श्री ओ.पी. शर्मा : रिश्वत नहीं देने से फेल हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, रिश्वत नहीं देने से फेल हो जाते हैं। अब ये क्या पता ऊपर वाले रिश्वत देकर पास करवाते हैं। चलिए....भई ऐसे नहीं चलेगा अलका जी। बिना परमीशन के खड़े हो जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। नहीं, बैठिए सोमनाथ जी। प्लीज। और ओम प्रकाश जी ये स्पेसफिक क्वेश्चन है आपका। इसको एक बार लिखित में

दे दीजिए। लिखकर दे दीजिए। माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए। आपको उत्तर मिल जायेगा। चलिए एक सेकेण्ड।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो ये है कि दिल्ली।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : भई इतना शान्तिपूर्वक चल रहा था विषय। भई सोमनाथ जी मैंने अभी इजाजत नहीं दी। सोमनाथ जी, मैंने इजाजत नहीं दी। बैठिए। माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। हां माननीय मंत्री जी। अब कोई नहीं बोलेंगा। भई ओम प्रकाश जी। माननीय मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूरी दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अन्दर एनसीटी आफ दिल्ली में पूरी राजधानी के अन्दर कोई भी बिजनस अब अगर फूड से रिलेटेड है तो वो पूरा का पूरा दिल्ली सरकार के अधीन आता है, क्षेत्र में आता है। किसी भी सैम्पल को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं कहा जा सकता पहली बात। दूसरी बात हमारे आदरणीय सदस्य जी ने अभी कहा कि। डाटा देख लीजिए, दुबारा देख लीजिए। जो इन्होंने बोला था। हम आपको भी पैसे दे देंगे। वहां पैसे देकर के कराते हैं। ये चेक करा लीजिएगा। आप चेक करा लीजिएगा। आप चेक करा लीजिएगा। अगर उन्होंने ऐसी बात कही होगी तो शर्मनाक है ये।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी समय दे रहा हूं। दो मिनट रुकिये।

स्वास्थ्य मंत्री : दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और मिलावट के खिलाफ हम कटिबद्ध हैं और सख्त एक्शन लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं ओम प्रकाश जी इजाजत नहीं दे रहा हूं। देखिये, ओम

प्रकाश जी, आपने एक शब्द बोला जो मैं नहीं दोहराना चाह रहा था। मैं नहीं दूहराना चाह रहा था जो शब्द आपने बोले हैं। आप बैठ जाइये। प्रश्न संख्या 9 श्री अनिल वाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 9 प्रस्तुत है:

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के उपभोक्ताओं से बिजली कम्पनियों द्वारा 5 से 10 साल पुराने बिल का बकाया वसूलने की शिकायतें मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या नियमानुसार कम्पनियां इतने पुराने बिल की वसूली कर सकती हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि डीईआरसी एक्ट के तहत उपभोक्ता अपनी पसन्द की कम्पनी के मीटर लगा सकता है;

(घ) यदि हां, तो अभी तक बिजली कम्पनियों की तरफ से उपभोक्ताओं को यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया है;

(ङ) क्या सरकार इस सन्दर्भ में दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर रही है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि बिजली कम्पनियों ने बिजली की शिकायतों के अपने सारे शिकायत केन्द्र बंद कर दिये हैं और उपभोक्ता इसकी शिकायत केवल आन लाईन ही कर सकता है; और

(छ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं की सुविधाओं को देखते हुए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय स्वास्थ्य मंत्री।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) कभी-कभी इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो नियमानुसार उचित कार्रवाई हेतु उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को भेज दी जाती है।

(ख) वितरण कम्पनियां विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 के अनुसार उपभोक्ताओं से दो वर्ष से पुराने बिलों की वसूली केवल तभी कर सकती है, जब कि ये वसूली वितरण कम्पनियों के बिलों में निरंतर दर्शाया जा रहा है।

मतलब कि अगर वो पहले से दिखा रहे हैं तो मांग सकते हैं। अचानक नहीं मांग सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके बिल में तो दस हजार रुपये हैं। पुराना पांच साल पीछे के निकाल के एकदम कह दिया कि एक लाख रुपया और दे दीजिए। वो नहीं कर सकते। अगर लगातार दिखा रहे हैं तो वो मांग सकते हैं। अगर लगातार नहीं दिखा रहे हैं तो नहीं मांग सकते। एक मिनट। बाद में सप्लीमेन्ट्री पूछ लेना।

(ग) और (घ) जी हां। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित तकनीकी विनिर्देश तथा विक्रेता सूची के अनुसार उपभोक्ता अपनी पसंद का बिजली का मीटर लगा सकता है। जो अनुलग्नक क में संलग्न है।

(ङ) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इस विषय में दिशानिर्देश पहले से जारी किए जा चुके हैं।

(च) जी नहीं।

(छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

Annexure-I
Additional Requirement for Single Phase Energy Meter
Sl. No. Features in addition to BIS

	Features	Requirement
1	Functional	
	• Starting current	• 0.2 % of Ib
2	Measuring Parameters	• Cumulative kWh • Cumulative KVAh, wherever applicable • Real time & Date • Maximum Demand • Six Month History • Time of Day tariff • ON/Off hours • Instantaneous Voltage • Instantaneous Current • Instantaneous Load KW • Meter Sr.No.
3	Anti Tamper Features	• I/C & O/G Interchanged • Phase & Neutral Interchanged • I/C Neutral Disconnected, O/G Neutral & Load Connected To Earth. • I/C Neutral Disconnected, O/G Neutral Connected To Earth Through Resistor & Load Connected To Earth. • I/C Neutral connected, O/G Neutral

		Connected to Earth through Resistor & Load Connected to Earth.
		• I/C (Phase & Neutral) Interchanged, Load Connected To Earth. • I/C & O/G (Phase or Neutral) Disconnected, Load Connected To Earth. • Single wire temper (Neutral Missing) • Reverse energy • Neutral wire energy measurement • Neutral wire energy measurement • Wekled meter body • Tamper history
4	Tamper logging	• Low Voltage • Protection against HV spark • External Magnetic tampers • Write Transactions • Top cover Open • Abnormal Power off
5	ELLED	• ELLED
6	Additional Features (optional)	• Mid night data • Temperature logging • Power factor recording • KVAh • Net Metering

Technical Specifications**for****Three Phase Energy Meter**

The equipment covered by these broad specifications shall conform to the requirements stated in latest editions of relevant Indian/ IEC Standards and Regulations.

2.0 Standards Applicable:

Unless specified elsewhere in this specification, the performance & testing of the meters should conform to the following Indian/International standards, to be read with up to date and latest amendments/revisions along with additional requirements at Annexure-I.

Sl. No.	Reference Detail	Reference Title
1	IS 13779 (1999)	A.C. Static Watt hour meter class 1.0 and 2.0
2	CEA Regulation (2006)	Installation and operation of meters Dtd: 17/03/2006
3	CBIP - TR No. 325	Guide on A.C. Static Electrical Energy Meters -Specification (latest amendment).
4	IS 9000	Basic Environmental testing procedure for electrical and electronic items.
5	IS 12346 (1999)	Specification for testing equipment for A.C. Electrical energy meter.
6	IS 11000 (1984)	Fire hazard testing
7	IEC 62052-11 (2003)	Electricity Requirements (AC) General Requirements Tests and Test conditions for A.C. Static Watt hour meter for active energy Class 1.0 and 2.0.
8	IEC 62053-21 (2003)	A.C. Static hour hour what meter for active energy Class 1.0 and 2.0
9	IS 15707 (2006)	Testing Evaluation installation and maintenance of AC Electricity Meters- Code of practice.
10	IEC 60068	Environmental testing

2.6 General Technical Requirements:

Sl. No.	Particulars	Standard Specification
1	Type of the meter	Three phase four wire, whole current meter, direct reading type
2	Accuracy Class	1.0
3	Basic Current (I _b) & rated max . current (I _{max})	I _b = 29 Amp, I _{max} = 100 Amp
4	Operating Voltage	Voltage +20 % to -40 % of V _{ref} . However the meter should withstand the maximum system voltage
5	Operating Frequency	F = 50 Hz ± 5 %
6	Power consumption per phase	As per IS
7	Starting Current	0.2 % of I _b
8	Short time over current	3000 A for 0.01 sec
9	Influence of heating	External surface of the meter shall not exceed 20 K at 45° C ambient temperature
10	Rated Impulse withstand voltage	8 KV
11	AC withstand voltage for 1 minute	4 KV
12	Insulation resistance	
	a Between Frame & voltage & current Circuit	5 M Ohm
	b Between each current Circuit & other circuit	50 M Ohm
13	Mechanical requirement	As per Clause of 12.3 of IS 13779
14	Resistance to heat & fire	Shall not be ignited by thermal overload material shall be fire retardant

- | | | |
|----|---|--|
| 15 | Protection against penetratin of dust and water | of protection IP: 51 as per IS 12063
.....in meter |
| 16 | Resistance against climatic influence | Clause 12.6 of IS: 13779 |
| 17 | Electromagnetic Compatibility | shall be as per CBIP technical Clause No. 325 |
| 18 | Power range | Unity- zero Lead |
| 19 | Energy measurement | Fundamental energy + Energy due to
..... |
| 20 | Test Output Device | Flashing LED visible from the front |
| 21 | Billing Data | a) Meter serial number, Date and time, KWh, Power factor, MD in KW & KVA, History of KWh, KVAh & MD of both for last 6 months along with TOD readings. KVAh is computed based on KVARh and KWh. If Power factor is 1 or leading then, KVAh shall be treated equal to KWH

b) All these data shall be accessible for reading, recording, and spot billing by downloading through optical port on CMRI or Desktop computers at site. |
| 22 | MD registration | a) Meter shall store MD in every 30 minutes period along with date & time. At the end of every 30 minutes new MD shall be previous MD and store whichever is higher and the same shall be displayed.

(b) It should be possible to reset MD automatically on the defined date. |
| 23 | Auto reset of MD | The MD resetting shall be automatic at the 1st of the month i.e. 0000 hours of 1st of the month. Manual MD reset button shall not be available. Provision shall be made to change MD reset |

		date through MRI even after installation of meter on site.
24	TOD metering	Meter shall be capable doing TOD metering for KWH, KVAH & MD In KW & KVA with 6 time zones wherever applicable. It shall possible to reconfigure the meters for TOD Tariff, billing date, RTC etc. through proper authentication process via communication port.
25	Climatic condition	The Meter should function satisfactorily with temperature ranging from 0-60°C and..... upto 95%
26	Calibration	Meter shall be calibrated at factory and in calibration shall not be at site by any means. Certified by.
27	Meter Sealing	As per IS 13779 & CEA metering regulation 2000
28	Memory	Non-volatile memory independent of battery memory should be retained upto 10 years in case of power failure.
29	Battery	In case battery removal or total discharge same should not affect the working & memory of the meter
30	Load Survey	60 Days Load Survey for KW, KVA, Voltage, Current of each phase, with 30 minutes integration period
31	Connection diagram	Shall be provided on terminal cover
32	Initial Startup of meter	Within 5 sec after ref voltage is applied to the meter terminal
33(a)	Internal dia of the terminal hole	As per CBIP
33(b)	Depth of the terminal hole	25mm

34	Clearance between adjacent terminal	10mm
35	Display	LCD (6 Digit), Height 10 mmX6 mm, pin type, viewing angle min 160 degrees
36	Security feature	Programmable facility to restrict the access to the information recorded at different security level such as read communication, communication write etc.
37	Software/ Communication Compatibility/ Communication port	Optical port with RS 232 compatible to transfer the data locally through CMRI & remote through PSTN / Optical fiber/ GSM / CDMA / RF/ any other technology to the main computer.

The Supplier shall supply Software required CMRI (Atleast for Analogic & SANDS & for the connectivity to AMR The software should be compatible to Micoosoft Windows systems. The software should have polling feature with optional selection of parameters to be downloaded for

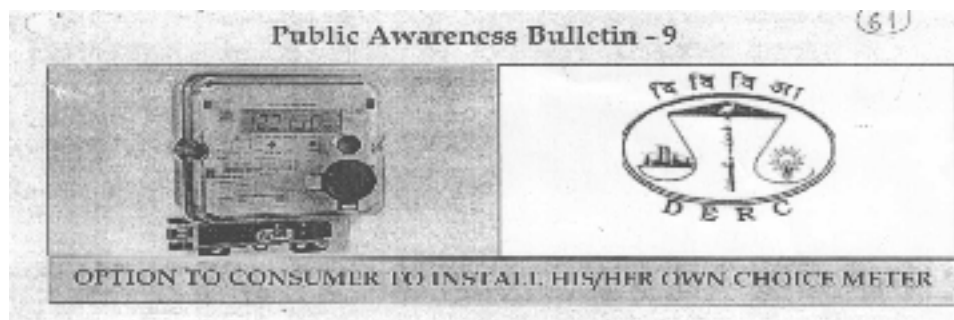
The supplier shall provide meter reading

Annexure-I

Additional Requirement for Three Phase Whole Current Energy Meter

Sl. No.	Feature in addition to BIS	
	Features	Requirement
1	Functional • Starting current	• 0.2 % of I_b
2	Measuring Parameters	• Real time & Date • Cumulative kWh • Other energy kWh (Lag), kWh (lead) & kWh (lag) • Current Maximum demand in kW & KVA • Inst V, I & Power Factor • Maximum Demand • Six month energy history • Load Survey • Time of Day tariff • On/Off hours
3	Anti Tamper And Anti-Fraud Features	• Reverse Phase Energy • sequence reversal • missing potential. • shorting • body • • Energy computation during missing potential

- On/Off
 - Abnormal Power Off
 - Protection against HV spark/ ESD
 - Low voltage event.
 - Top cover open
 - Transactions
 - Neutral Disturbance
 - Only two Phase (One phase and one neutral missing)
- 4 Additional Features(Optional)
- Mid night data
 - Temperature
 - Net Metering
-



For the general awareness of consumers in Delhi, the Commission has notified the broad technical specifications for energy meters. The specifications are uploaded on the website of DERC and DISCOMs. The consumers / applicants intending to install their own procured meter, can do so as per the following procedure.

1. If the Applicant wishes to provide the meter himself, he shall inform the same to the Licensee at the time of making an application for a new connection.
2. The consumer shall submit the new purchased meter at the respective Divisional Office of the Licensee.
3. The Licensee shall test, install and seal the meter. The licensee shall inform the date and time to the consumer for installation.
4. To facilitate the procurement of own meter by the consumer, the Commission has also notified the makes of the meters, along with the contact numbers of vendors approved by the licensees. The consumer may purchase his own meter from this list of approved makes. In case of any issue, the consumer may approach respective DISCOMs.
5. At any stage, the consumer may request the Licensee to take back licensee's meter and provide his own meter by following the procedure given above.

Makes and Vendor List for Single Phase & Three Phase Energy Meters

Vendor	Name	Contact details	Mail id	Address
L&T	Mr. Abhishek	09711596686	abhisheksingh.parihar@intebg.com	Mysore Complex, KIADB Indl. Area, Hebbal-Hootagalli, Mysore-570018
Landis + Gyr	Mr. Shantanu	09250905768	shantanu.pandit@landisgyr.com	Diamond Harbour Road, 24 Parganas (S), West Bengal, JOKA-700104
	Mr. Amit Sharma	09212616844	amit.sharma@landisgyr.com	C-48, Sector-57, Noida (U.P)-201301
Secure	Mr. Sidharth	09810702383	siddharth.mishra@securetogether.com	4th Floor, 401, Park Central, Sector-30, NH-8, Gurgaon (Haryana)-122001
				301-305, Millenium Plaza Towar, Sector-27, Gurgaon- PH 2882200
Genus	Mr. Kailash Paliwal	09312032406	kailash.paliwal@genus.in	Spl-3, RIICO Indl. Area, Sitapura, Tonk Road, Jaipur-302022
				D-116, Okhla Industrial Area, New Delhi

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेन्ट्री। हां वाजपेयी जी।

श्री अनिल वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह पहले भी क्वेश्चन मैंने हाउस में उठाया था सर कि जितनी भी ये हमारी बिजली कम्पनियां हैं। अगर कोई कंज्यूमर इनके पास जाता है कि हम अपना मीटर खरीद कर लगा सकते हैं तो वो लोग कहीं पर कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मेरा सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि कि ये दिल्ली के सारे

उपभोक्ताओं के हितों की बात है कि क्यों नहीं इस तरीके का कोई सरकारी आदेश जारी कर दिया जाये और जो कम्पनियां, जिनके कम्पनियों के मीटर्स हैं, उनकी एक लिस्ट जारी कर दी जाये। क्योंकि डी.ई.आर.सी. ने ये आर्डर तो किये लेकिन बी.पी.वाई.एल. वगैरह और कम्पनियां जो है, उन्होंने अपने तीन नाम दे दिये। कम से कम आठ, दस जो मीटर बेचने वाली कम्पनियां हैं उनके नाम प्रदर्शित करा दिये अखबार के माध्यम से और उपभोक्ताओं को बताया जाये कि वो अपना मीटर्स स्वैच्छ से खरीद के लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय स्वास्थ्य मंत्री।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बाजपेयी जी को जिन्होंने पहले भी पहले यह प्रश्न उठाया था। दिल्ली सरकार ने अपने प्रयासों के द्वारा उन कम्पनियों को मजबूर किया है। इन कम्पनियों ने लिस्ट दी है, वह लिस्ट जवाब के साथ आपको दे दी है और इसका प्रचार करने के लिए हम अखबार में विज्ञापन भी छपवा देंगे ताकि लोग अपना मीटर खरीद कर अपनी मर्जी से लगवा सकें।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है मेरा कि कई जगह कम्पलेंट सेंटर्स बन्द कर दिए गए हैं। ट्रांस यमुना में अधिकतर जितने शिकायत केन्द्र हैं, वो सभी बन्द कर दिये गए हैं। दिक्कत क्या आ रही है अगर कम्पलेंट सेंटर बंद कर दिये गए और लाईट नहीं है और कंजूमर मोबाइल पर शिकायत को तो वह कहता है एक दबाइये, दो दबाइये, तीन दबाइये, चार दबाइये कम से कम 15 से 20 रुपये कंजूमर के खर्च हो जाते हैं तो ये गलत बयानबाजी कम्पनी की है।

स्वास्थ्य मंत्री : जो आपने ये बात मेरे सामने रखी है, इसको देखा जाएगा और कम्पलेंट सेंटर्स फिर से खुलवाए जाएंगे अगर बंद किये गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : बाजपेयी जी दो से ज्यादा नहीं। ये सारे क्वेश्चन रह जाएंगे।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : आधा मिनट सर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जो सोलंकी बात मंत्री जी ने कही है, मैं ऐसे बिल आपको दे सकता हूँ अपनी गांधी नगर विधान सभा के जिनके 20-20 साल 15-15 साल पुराने बिल आ गए हैं उनके बिल आ जाते हैं और उसके बाद अगले दिन इम्पलाई पेचकस लेकर चले जाते हैं, उनका मीअर उखाड़ कर ले जाते हैं। तो इस लिए प्लीज गाईड लाईन जारी करवाइए।

स्वस्थ मंत्री : सर दोबारा से क्लैरिफाई कर दूँ अगर बिल में पुराना पेंडिंग 10 साल पुराना या 15 साल पुराना भी लगता हुआ आ रहा है तो वो उसको चार्ज कर सकते हैं। अगर दो साल से वो उसको नहीं लगा रहे हैं अचानक नहीं ले सकते। दो साल से पुराने बिल को अचानक वो नहीं लगा सकते। ऐसी अगर कोई भी शिकायत है तो हमें दीजिए हमारे संज्ञान में लाईए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको माफ करवाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : जैन साहब, इसमें मेरी जानकारी जहां तक मुझको ध्यान में है जब प्राइवेटाइजेशन किया गया था एक डेड लाईन दी गई थी इससे पुराने बिल जो है उस डेड लाईन से पुराने बिल बिजली कम्पनियां वसूल नहीं कर सकती।

स्वास्थ्य मंत्री : नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उसमें वसूल करने की जिम्मेदारी बिजली कम्पनियों की थी और पैसा वो दिल्ली सरकार के पास आना चाहिए था। जिम्मेदारी उनको दी गई थी कलैक्ट करने की परन्तु इसमें एक कंडीशन है अगर दो साल से पुराना है तो लगातार आपके बिल में आना चाहिए अदरवाइज नहीं ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चलिए। देखिए अभी नहीं। दो लोगों के हाथ उठे हुए हैं। फतेह सिंह जी।

चौ. फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक यमुना पार के मामले में मैंने देखा बिजली कम्पनी को बीएसईएस वहां काम करती है। आज जो गरीब के झोपड़-पट्टी हैं या पुअर क्लास है, उनके घर पर चोरी का केस बना करके उनके मीटर को उखाड़ करके और मोटा बिल बनाकर भेजा जाता है और उसके बाद जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा कहा गया कि 67 प्रतिशत ऐसे चोरी के केस के मामले में इसको छूट देने का प्रावधान किया गया था लेकिन वहां पर जो बीएसईएस के अधिकारी बैठे हैं, जिनको छूट देने का अधिकार है वो कहीं 20 प्रतिशत, कहीं 10 प्रतिशत, कहीं 15 प्रतिशत इस प्रकार छूट करते हैं, जबकि सरकार की नीति के अनुसार 67 प्रतिशत छूट उन लोगों को देनी चाहिए और चोरी के केस में....

अध्यक्ष महोदय : फतेह सिंह जी, क्वेश्चन करो न आप। क्वेश्चन करिए।

चौ. फतेह सिंह : क्वेश्चन मेरा यह है कि क्या सरकार के द्वारा निर्धारित 67 प्रतिशत की छूट चोरी के केस के मामले में दी जा सकती है और देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए?

स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पुराना बिजली विवाद निवारण समाधान स्कीम हम लाए थे, उसके अंदर एलपीएससी जितने भी लेट पेमेंट सरचार्ज हैं, सारे के सारे खत्म कर दिये जाते हैं। उसके बाद बचे हुए बिल को 2/3 माफ कर दिया जाता है। 67 प्रतिशत नहीं है वो लगभग कई केसों में तो 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत तक भी छूट बन जाती है। सभी के लिए लागू है परन्तु अब उसकी आखिरी तारीख 31 तारीख को आने वाली है, जिनके भी पेंडिंग है, अपने तुरन्त करवा लीजिए। उसमें डेट फिक्स है कि उस डेट से पहले वाले केस होंगे। 31 जुलाई को वो स्कीम लेकर आए थे। हम लोग उस डेट से पहले के भी जितने भी केस हैं लगभग 80 हजार लोग अपने बिलों को स्टेल् कर चुके हैं और जिनके पेंडिंग है, वो तुरन्त करा लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : फतेह सिंह जी, देखिए सप्लीमेंटरी एक एलाउड है।

चौ. फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, वो जो है वह अधिकारियों के मिलीभगत के कारण से गरीब आदमी को परेशान होना पड़ता है।

श्री पवन कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय क्या कोई ऐसी सिस्टम है, जो सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है जिससे कि उपभोक्ता शिकायत करें और उसका फीड बैक एसएमएस के द्वारा या किसी तरीके से वापिस उसको मिले।

स्वास्थ्य मंत्री : ये शिकायत के लिए डिस्कॉम के अपनी शिकायत के कक्ष हैं और वो उसका फीड बैक साथ-साथ देते भी हैं। अगर वो फीड बैक नहीं दे रहे हैं तो संज्ञान में लाया जाए जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि अगर उन्होंने अपने आफिस बंद कर दिये हैं, उनको खुलवाया जाएगा और डिस्कॉम वाले उसका फीड बैक नहीं दे रहे हैं तो उनको मजबूर किया जाएगा कि वो पूरा फीड बैक दें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 10 महेन्द्र गोयल जी। नहीं मैं दो से ज्यादा नहीं। ऐसे तो समय नहीं रहेगा। महेन्द्र गोयल जी प्रश्न संख्या 10।

श्री महेन्द्र गोयल : धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न संख्या 10 प्रस्तुत है:-

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताते की कृपा करेंगे कि:-

(क) दिल्ली सरकार के खाद्य संरक्षण विभाग द्वारा दिल्ली खाद्य पदार्थों की मिलावट की जांच के लिए कितनी लैब्स कहां-कहां स्थित है, पूर्ण विवरण सहित बताया जाए;

(ख) क्या खाद्य संरक्षण विभाग कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही हैं; और

(घ) पिछले एक साल में इस विभाग द्वारा कितने सैम्पल उठाये गए और खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिए दिल्ली में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 10 का उत्तर प्रस्तुत है:-

(क) दिल्ली सरकार के खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा दिल्ली खाद्य पदार्थों की मिलावट की जांच हेतु एक लैब है। जो कि ए-20, लॉरेन्स रोड, दिल्ली में स्थित है। उसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा 10 प्राईवेट लैब प्रमाणित हैं, जिसका विवरण संलग्नक अ में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) खाद्य संरक्षा विभाग में कर्मचारियों की कमी के निदान हेतु दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड को समय-समय पर प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

(घ) पिछले एक वर्ष 1.1.2015 से 31.12.2015 में विभाग ने कुल 1680 नमूने जांच के लिए उठाए हैं। जिनमें 248 नमूने खाद्य व संरक्षा अधिनियम 2006 के अनुरूप नहीं पाए गए, तथा दोषियों के खिलाफ विधिनुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त लोगों को मिलावट के खिलाफ जागरूक करने के लिए समय-समय पर विज्ञापन जारी किये जाते हैं।

संलग्नक (अ)

List of Approved (NABL) Labs in Delhi

1. Arbros Pharmaceuticals Limited,
Analytical Divisions, 4/9, Kriti Nagar Industrial Area,
New Delhi-110015
Email: r.malik@arbros.net, arbrolab@arbrospharma.com

2. AvonFood Lab Private Limited,
C-35/23, Lawrence Road Industrial Area, Delhi-110035
Email:marketing@avonfoodlab.com,
3. Delhi Test House, Delhi
A-62/3, G.T. Karnal Road, Industrial Area,
Opp. Hans Cinema, Azadpur, New Delhi —110033
E—mail: info@delhitesthouse.com
4. FICCI Research and Analysis Centre, New Delhi
Plot No—2A, Sector—8, Dwaraka, New Delhi —110077
E—mail :info@fraclabs.org
5. ITL Labs Private Limited
B—283—284, Mangolpuri, Industrial Area, Phase—I,
Delhi—110083
6. Shriram Institute for Industrial Research, Delhi
19, University Road, New Delhi — 110 007,
Email: sridlhi@vsnl.com
7. Sigma Test and Research Centre, Delhi
BA- 15, Mangolpuri Industrial Area,
Phase - II, Delhi — 110034
Email:rahul@sigmatest.org, info@sigmatest.org
8. Sophisticated Industrial Materials Analytical
Labs Private Limited, Delhi
A—3/7. Mayapuri Industrial Area, Phase—II,
New Delhi—110064
Email:testing@simalab.co.in, amc@simalab.co.in

9. SpectroAnalytical Labs Limited, Delhi
E—41, Okhla Industrial Area, Phase—2, New Delhi -110020
Email: kkm@spectro.in, care@spectro.in
10. Standard Analytical Laboratory (ND) Private Limited
69, Functional Industrial Estate, Patparganj, Delhi - 110092
E-mail: info@testinglaboratoryindia.com,
customercare@testinglaboratoryindia.com

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि बहुत से बैकेंट हॉल होते हैं जिनके अंदर जब ब्याह शादी का सीजन होता है तो उनके अंदर जो पुराना खाना बच जाता है, वो अगली शादी के अंदर परोसा जाता है जो कि अनहॉइजैनिक् होता है, तो इसके बारे में आप जांच करवाने कोई.....

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि शादियों का सीजन आने दीजिए। इस प्रकार यह जरूर कराया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 11 त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 11 प्रस्तुत है:-

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि माडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में 200 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण के लिए 11350 वर्ग मीटर जमीन के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा डीडीए को पैसा दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) इस जमीन पर अस्पताल निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा ?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर प्रस्तुत है:-

(क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 11350 वर्ग मीटर जमीन मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में 200 बिस्तारों के अस्पताल के निर्माण के लिए आवंटित कर दी गई है। राज्य स्वास्थ्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस जमीन के लिए रुपये 8,62,85,957/- का भुगतान कर दिया गया है।

(ग) जमीन का कब्जा प्राप्त होने पर अस्पताल के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : हां त्रिपाठी जी कोई सप्लीमेंटरी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : अभी तक इसका कब्जा लेने के लिए विभाग के द्वारा क्या-क्या प्रयास किया गया है क्योंकि कई बार डीडीए से बात हुई उन्होंने कहा कि पैरुजल नहीं किया जा रहा है हम देने को तैयार हैं वहां पर 19 हजार गज से ज्यादा जमीन वहां पर पड़ी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : भई 11350 का विषय है यह। बाकी कितनी पड़ी हुई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप क्वेश्चन करिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : इससे ज्यादा पड़ी हुई है। क्या प्रयास हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : हां, यह ठीक है।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या कार्यवाही क्या चिट्ठी पत्री लिखी गई ? कितने अधिकारियों की मीटिंग हुई ? पूरा विवरण लिखित में दिया जाए ?

स्वास्थ्य मंत्री : डीजीएचएस की ओर से बार-बार उनसे मिटिंग की जा रही है। और परस्यू किया जा रहा है कि उस लैंड के अंदर कुछ पेड़ या इंटी वाला इश्यू है जिसकी वजह से उनको थोड़ा टाइम लग रहा है और जहां तक आपने कहा है, पूरी डिटेल् माननीय सदस्य को लिखित में दे दी जाएगी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : वहां पर इंट्री की कोई दिक्कत नहीं है। मेन जीटी रोड से ही इंट्री है।

अध्यक्ष महोदय : त्रिपाठी जी, हो गया अब आपका। जरनैल जी एक सैकेंड। आप हाथ खड़ा करिए मैं इजाजत दूंगा प्लीज। ऐसे नहीं सब बोलने लगेंगे। हां बोलिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इंट्री की। कोई दिक्कत नहीं है। मेन जीटी करनाल रोड से एंट्री है। मैं चाहता हूं एक बार मीटिंग बुलाकर अपनी अध्यक्षता में एक बार उसका रिव्यू करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : हां जी।

श्री महेन्द्र यादव : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरी विकास पुरी विधान सभा में एक हॉस्पिटल काफी टाईम से बनने के लिए कांग्रेस के टाईम से था और अभी भी डीएसआईडीसी पीछे मिले थे तो कह रहे थे कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसी साल में शुरू हो जाएगा या अभी और भी समय लगेगा?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इनकी विधान सभा में एक अस्पताल के नक्शे बनाए गए थे। परन्तु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि पहले जितने भी प्लान बनाए गए, वो इस तरीके से बनाए गए कि कभी भी ऐफिसिएन्सी और कॉस्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। एक करोड़ रुपये प्रति बेड

के हिसाब से कॉस्ट आ रही थी। उस आर्किटेक्ट के साथ जो कन्सर्न्ड आर्किटेक्ट था, मैं खुद 4 या 5 मिटिंग कर चुका हूँ। रिवाइज्ड ड्राइंग भी देख चुके हैं, वो नहीं बन पा रही हैं। उनसे और कॉस्ट जो एक करोड़ रुपया प्रति बेड थी वह लगभग 60 लाख 65 से नीचे नहीं आ पा रही है। उसके डिजाइन दुबारा बनवाए जा रहे हैं और मैं आदरणीय सदस्य को कहना चाहूँगा कि इस साल तक जरूर उस काम को स्टार्ट करा दिया जाएगा। हॉस्पिटल की जो कॉस्ट है परन्तु हमारा जो आईडिया है कि जनता का पैसा है हमें उसको बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हमें उसे ठीक से बनाएंगे और कम से कम कॉस्ट में बनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : गर्ग साहब।

श्री विजेन्द्र गर्ग : मेरी राजेन्द्र नगर विधानसभा के अंतर्गत नारायण विहार में दिल्ली सरकार के आग्रह पर अस्पताल के लिए लगभग 300 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड आबंटित किया गया था तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उस भूखण्ड पर अस्पताल या पोलीक्लीनिक की कोई योजना है और अगर है तो वो कब तक निर्माण शुरू होगा?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले तो 300 वर्ग मीटर का नहीं है शायद वो प्लॉट 3000 वर्ग मीटर का है और उसके ऊपर 3000 वर्गमीटर में अस्पताल नहीं बन सकता है, पोलीक्लीनिक बनने के नक्शे बन रहे हैं और हमारी पूरी आशा है कि इस फाइनैशियल ईयर में मतलब 31 मार्च तक तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि नई बिल्डिंग बनेगी हो सकता है दो-तीन महीने आगे भी हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रवीण जी।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके

से एरिये में जो हॉस्पिटल ओपन होते हैं वो किस आधार पर होते हैं क्योंकि मैं भी कई बार रिक्वेस्ट भेज चुका हूं लेकिन मेरी रिक्वेस्ट कभी मानी नहीं गई है तो इस वजह से मैं जानना चाहता हूं कि वो किस आधार पर होता है।

स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अन्दर हमारे सभी विधानसभा सदस्य बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके इलाके के अन्दर एक नया अस्पताल खोल दिया जाए। दिल्ली एक शहर है और जहां पर डिसपेंसरीज बहुत ज्यादा नहीं है और इसी वजह से जगह-जगह पर अस्पताल खोले गए हैं। कई सारे अस्पताल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हमारे सदस्यों को पता होगा कि जो पेरीफेरिल हॉस्पिटल है। पेरीफेरिल हॉस्पिटल्स के अन्दर ज्यादातर पेशेंट्स को ज्यादातर रेफर किया जाता है। मैंने हॉस्पिटल के अन्दर 20 हजार बेड करने का विचार है। 10 हजार को 20 हजार बेड करेंगे और इनको बहुत अच्छी तरह से चलाकर दिखायेंगे। जो हमने 5 या 6 हॉस्पिटल बताए हैं, उनको हम बनायेंगे और इसके बाद फरदर एक्सटेंशन नैक्सट स्टेज में की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, अब नहीं प्लीज। अब नहीं। तीन क्वेश्चन हो गए। देखिए, जरनैल जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद भी दे रहा हूं कि मॉडल टाउन का क्वेश्चन था और सबने अपनी विधानसभा की जगह के बारे में पूछ लिया और 300 वर्गमीटर बोलने के बाद उन्होंने करेक्ट किय है कि वो 3000 वर्गमीटर है तो इनकी पूरी दिल्ली का ध्यान है कि कहां कितना पड़ा है। मुझे हंसी भी आ रही है कि सबका वो उत्तर भी दे रहे हैं। हालांकि उस क्वेश्चन से सप्लीमेंटरी नहीं निकल रहे थे।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) : बहुत इन्फोर्मड है और वाकई सवाल से सवाल का नहीं मतलब होता लेकिन फिर भी जानकारी होती है इसलिए मैं एपरीशिएट करता

हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं छोटे से दो सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि टेक्नीकल सवाल था ऐसी कितनी लैण्ड्स है डीडीए की जहाँ पर आप पैसा दे चुके हैं जैसा ईस्ट में है लेकिन अभी तक कब्जा नहीं दिया जा रहा है या इसके पीछे कोई मंशा उनकी ठीक नहीं है पहला एक सवाल। दूसरा एक गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल के जो बेड की कैपिसिटी बढ़ानी है, वो आप कब तक कर देंगे, इसका भी थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय : अब ये लास्ट है इसके बाद नहीं प्लीज। अभी और क्वेश्चन आयेंगे, उसमें निकाल लेना। दो मिनट।

स्वास्थ्य मंत्री : पहले इसका जवाब दे देते हैं। सभी माननीय सदस्यों को दोबारा से बताना चाहूंगा कि जितना भी फर्स्ट फेज एक्सटेंशन प्रोग्राम है 31 दिसम्बर, 2017 तक पूरा कर दिया जाएगा उसमें गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल का एक्सटेंशन प्रोग्राम भी शामिल है। दूसरी बात जहाँ तक रही है कि सिर्फ मॉडल टाउन का एक ऐसा प्लॉट है जिसका कब्जा नहीं मिल पाया है ऐसी कोई प्लॉट नहीं है जिसका कब्जा नहीं मिला है। बाकी हम प्लॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं और डीडीए अभी दे नहीं रही।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ जिनको अपनी विधानसभा के विषय में कोई स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न पूछना है वो कृपय लिखकर भेज दें आप उनको। वो ज्यादा उचित रहेगा मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य से संबंधित विषय बहुत गंभीर है। आप लिखित में उनको भेजें, वो निश्चित रूप से उत्तर देंगे। चौ. फतेह सिंह जी प्रश्न सं. 12

स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 12 से पहले मैं अपने सदस्य महोदय का जवाब देना चाहूंगा छोटा सा जवाब है सरिता विहार में इनका अस्पताल है जो मैंने 5-6 बताए, उन्हीं में आता है। इनका बन जाएगा। ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, अब तो धन्यवाद दे दो मंत्री जी को। चलिए प्रश्न संख्या-12।

चौ. फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 12 प्रस्तुत है:

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मौहल्ला क्लीनिक खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(घ) ये मौहल्ला क्लीनिक कब तक खोल दिए जाएंगे?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 12 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी हां।

(ख) स्थानों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है।

(ग) और (घ) वर्तमान में निम्नलिखित 2 मोहल्ला क्लीनिक आरम्भ किये जा चुके हैं:-

1. डी-29, गोकलपुरी, उत्तर-पूर्वी जिला, दिल्ली
2. बी-18/1, गंगा विहार, दिल्ली

चौ. फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या हमारी इस विधानसभा में और पोलीक्लीनिक खोलने का भी कोई विचार सरकार का है।

स्वास्थ्य मंत्री : मौहल्ला क्लीनिक, देखिए, पोलीक्लीनिक का ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार नहीं हुआ है, चल रहा है। मौहल्ला क्लीनिक सभी विधानसभाओं में कम से कम हमारा विचार है कि 8 या 10 जरूर खोलेंगे डिपेंडिंग अपोन कि कितना बड़ा एरिया है कि वहां पर कितनी डिस्पेंसरियां कम हैं या ज्यादा हैं तो आप अपनी जगह देखकर बताइएगा जरूर खोलेंगे हम।

अध्यक्ष महोदय : सरिता जी।

सुश्री सरिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करें कि पोलीक्लीनिक खोलने का आधार क्या होगा? जैसे मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई सरकारी जगह नहीं है और दो पहले से डिस्पेंसरी चल रही है दिल्ली सरकार की वो भी किराए की जगह में चल रही है तो वहां पर इस स्थिति में आप पोलीक्लीनिक कैसे खोलेंगे वहां पर क्या प्रावधान होगा?

स्वास्थ्य मंत्री : देखिए, पोलीक्लीनिक खोलने का आधार सबसे पहले तो ये है कि दिल्ली सरकार की कुछ डिस्पेंसरी बनी हुई है हजार मीटर का प्लॉट है, डेढ़ हजार मीटर के प्लॉट हैं या दो हजार मीटर के प्लॉट हैं। चार-चार मंजिल के विशाल भवन बनाए हुए हैं और उस डिस्पेंसरी के अन्दर आप जाकर के देखेंगे डाक्टर एक होंगे या हद से हद दो डाक्टर होंगे। 15-20 या 25 लोगों का स्टॉफ होता है ऊपर के फ्लोर खाली पड़े है ताले लगे हुए है उनमें और उन्होंने सामान भरा हुआ है। कहते हैं कि हमने कबाड़ा भर रखा है। इसके लिए उन सारी बिल्डिंगों को यूज किया जाएगा पूरी तरह से। फर्स्ट फेज में वो है 65 ऐसी डिस्पेंसरियों को चिन्हित कर लिया गया है जिनको अपग्रेड करके पोलीक्लीनिक में कनवर्ट किया जाएगा। परन्तु सभी को मौहल्ला क्लीनिक 1000 कंप्लीट होने के बाद ही चालू करेंगे क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि जैसे एक डिस्पेंसरी को हम अपग्रेड कर रहे हैं तो उस टाइम पर वहां पर डिस्पेंसरी

की सुविधा खत्म हो जाती है। 65 तो ऐसी बिल्डिंग हैं। कुछ हमारे पास प्लॉट हैं। जैसे कि अभी विजेन्द्र गर्ग जी ने बताया उनके यहां पर 3000 मीटर का प्लॉट है तो हम उसको नया पोलिक्लीनिक बनायेंगे। जहां पर भी हमारे पास एक हजार मीटर या उससे बड़े प्लॉट है उन सभी प्लॉट्स को हम पोलिक्लीनिक बनायेंगे। तीसरी बात यह रही कि जगह के बिना तो पोलिक्लीनिक बनाना संभव नहीं है वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर नहीं बन पायेंगे इसलिए जगह जरूर चाहिए बिना जगह के नहीं बन पायेंगे।

श्री नरेश यादव : डिस्पेंसरी चल रही है तो क्या वो पोलिक्लीनिक में कनवर्ट हो सकता है लेकिन वो किराए पर चल रही है।

स्वास्थ्य मंत्री : देखिए, किराए की किसी भी डिस्पेंसरी को पोलिक्लीनिक में कनवर्ट नहीं किया जाएगा।

श्री नरेश यादव : अगर हम वहां पर ग्राम सभा की जमीन उपलब्ध करा दें ?

स्वास्थ्य मंत्री : थैंक यू।

अध्यक्ष महोदय : आदर्श शास्त्री जी प्रश्न संख्या-13।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 13 प्रस्तुत है:

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि द्वार का विधान सभा क्षेत्र में बी.एस.ई.एस. बिजली कंपनी के कर्मचारी मीटर-चेकिंग के नाम पर उपभोक्ताओं के बिजली मीटर उतारकर ले जाते हैं और बाद में मीटर से छेड़छाड़ का मामला बताकर मोटी-मोटी धनराशि के बिल भेजते हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि उपभोक्ता के आवेदित नए मीटर पास होने पर कर्मचारी

जब लगाने जाते हैं तो उपभोक्ताओं से रिश्वत के तौर पर अतिरिक्त पैसे मांगे जाते हैं, अन्यथा भारी राशि के बिल भेजने की धमकी दी जाती है और साथ ही उनके कनेक्शन के ज्वाइंट को ढीला भी कर दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) पिछले एक वर्ष में द्वारका विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने बिजली मीटर लगाए गए और उनमें से कितने मीटर खराब अथवा जलने की शिकायतें प्राप्त हुईं?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 13 का उत्तर प्रस्तुत है:

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जी नहीं। द्वारका विधान सभा क्षेत्र में इस तरह का मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(ख) जी नहीं। इस प्रकार का कोई सिद्ध मामला इस विभाग के प्रकाश में नहीं आया है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(घ) द्वारका विधानसभा क्षेत्र में 18014 मीटर (14735 नये मीटर सम्मिलित हैं) लगाये गये हैं। जिनमें से 3279 मीटर जलने, खराब होने की शिकायत के कारण बदले गये हैं। उपरोक्त 14735 नये मीटरों में से 173 मीटर खराब तथा जले हुए पाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : जो बिजली के बिल ज्यादा आ जाते हैं और उनके ऊपर छूट के लिए बात की जाती है तो क्या सरकार की कोई नियमित पॉलिसी इसके ऊपर

है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विधायक की चिट्ठी लिखने पर या बात करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट 40 परसेंट तक दिया जाता है। मगर यूनिलेटरली कई बार डिस्काउंट बिना विधायक के बात किए 50-60 परसेंट 65 परसेंट तक भी दिया जाता है तो कोई ऐसी पॉलिसी है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो मैं दोबारा से याद दिलाना चाहूंगा अभी पॉलिसी चल रही है, वो 50-60 परसेंट नहीं है, 67 परसेंट की है। अभी 31 मार्च तक आप उसका बेनिफिट उठाइयेगा। 67 परसेंट तक का डिस्काउंट सभी को मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : कमांडो सुरेन्द्र सिंह।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जो दिल्ली कैंट का क्षेत्र है, उसके अंदर एमईएस को लाइट लगाने की अथॉरिटी है और कुछ सिविलियन मकान है उनके उन्होंने कनैक्शन काट दिए और मैं पिछले काफी दिन से लगातार चिट्ठियां लिख रहा हूँ और दो झुग्गी कलस्टर्स हैं वहां पर दस हजार लोग आज अंधेरे में रह रहे हैं। लगातार कई सालों से तो वहां डीईआरसी के साथ भी मैं मीटिंग कर चुका हूँ तो उस मामले में लोगों को कनैक्शन देने का मामला कहां तक पहुंचा है।

अध्यक्ष महोदय : ऋतुराज जी, आपने पूछना है, यह अंतिम दो क्वेश्चन हैं। समय हो गया है, एक घंटे का था प्लीज।

स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, यह क्षेत्र दिल्ली कनट्रानमेंट बोर्ड के एरिया में आता है और दिल्ली कनट्रानमेंट बोर्ड अपने अनुसार चला रहा है। मैं माननीय सदस्य

से कहना चाहूंगा कि इसकी पार्टिक्युलर डिटेल्स लिख कर दें तो इसके बारे में पता करके बताया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : तोमर जी, आपका हो गया था एक ?

श्री जितेन्द्र सिंह तोमर : सर, मेरा कहां हुआ है? मैं तो आपसे काफी देर से समय मांग रहा हूं। एक मिनट दे दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरी दिल्ली की बात है। एक मिनट दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ये तीन लास्ट है। देखिये, एक घंटे से ज्यादा हो गया है। तोमर जी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि समाधान स्कीम जो है, वो चल रही है और 31 मार्च को खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी तो उसमें एक निश्चित तारीख थी कि उस तारीख के बाद के केस नहीं लिए जाएंगे तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि तीनों कंपनियां जो दिल्ली के अंदर हैं, वो इतनी दादागिरी कर रही है इस मामले में, कि किसी के मीटर के बारे में बोलते हैं कि हमारी लैब में चैक हुआ है, यह इसकी डिटेल है और आप मल्टीपल बिल बनाकर दे देते हैं और उसके बाद अभी आदर्श भाई कह रहे थे, जैन साहब मैं अपनी बात पूरी कर लूं जरा। आदर्श भाई अभी कह रहे थे कि हमारे लिखने से वो 40 परसेंट देते हैं, बाकी 50 भी देते हैं, 60 भी देते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं, अभी अपने यहां का केस बता रहा हूं कि शायद एक महीने पहले की बात है, किसी ने कंप्लेंट की कि मेरा मीटर खराब हो गया है तो उसका मीटर लेने आये और उतार कर ले गये। उसके बाद उसको बोला कि आपने इसमें मेग्नेट लगा रखा था। कभी बोलते हैं कोई स्टण्ट नहीं है आपके टर्मिनल ठीक है। आपने मेग्नेट लगा रखा था, पॉजिटिव को नेगेटिव में लगा दिया, इसलिए आपका बिल बना दिया है तो मेरा आग्रह है मंत्री जी से कि

थोड़ा सा इन पर शिंकजा कर्सें, इनकी बहुत दादागिरी चल रही है, मेरे सारे साथी इस बात से सहमत होंगे कि दादागिरी पूरी चल रही है और दूसरी बात जब हम बात करते हैं कि वह बिल्कुल ठीक आदमी है, इसने बेइमानी नहीं की, वो कसमें खा रहा हैं अपनी, कह रहा है मैंने कुछ कभी किया नहीं तो फिर वो कहते हैं कर दिया 40 परसेंट देंगे आपको। नहीं तो आप लोक अदालत में चले जाइये। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाह रहा हूं थोड़ा सा इनको टाइट करिये। बिल्कुल दादागिरी कर रहे हैं ये लोग, जो समाधान स्कीम के बाद के केस हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, इसके बाद 280 को चलाना है या नहीं? मैंने कहा है जो क्वेश्चन है वो लिखकर भेज दीजिए मंत्री जी को बाद में।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमर : सर, एक आखिरी लाइन यह है कि समाधान स्कीम के बाद के जो केसेस हैं उसके लिए क्या सरकार ने कोई निश्चित किया हुआ है कि कितने परसेंट उनको मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं? क्या ऐसी कोई स्थिति है और नहीं है तो क्या सरकार ऐसा कुछ करने की सोच रही है? मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री जी से।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, यह जो चोरी के केस बनाये जाते हैं, उसके लिए डिटेल् में डीईआरसी को हमने पॉलिसी डायरेक्शन दी है सैक्शन 108 के अंदर कि कोई भी केस बनाने से पहले जो पीजीसी सेल बनाया गया है, वो अगर इसको जस्टिफाई करेगा, तभी केस बनाया जा सकेगा। अदरवाइज केस नहीं बनाया जा सकेगा और हमें आशा है कि जल्द ही वो आदेश पारित होंगे और इस तरह की शिकायतें बिल्कुल भी नहीं आयेंगी क्योंकि अभी क्या होता है कि वही केस बनाते हैं और वही अपनी लैब के अंदर मीटर को चेक करते हैं और वही लोग उसके ऊपर फैसला करते

हैं तो उसको खत्म कर रहे हैं। हमने सजेशन दिया कि थर्ड पार्टी जो पीजीसी सेल बनाया हुआ है, उस सेल के लोग मीटर को थर्ड पार्टी से चैक करायेंगे। किसी तीसरी लैब में चैक करायेंगे। उसके बाद अगर उनको जस्टिफाई लगेगा तभी केस बनाया जा सकता है वरना केस नहीं बनाया जा सकता।

श्री अमानतुल्लाह खान : सर, मेरा कहना यह है कि तीनों कंपनियों के सीईओ हैं, उनको और सारे एमएलएज को एक बार बुला लीजिए मालूम हो जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं। ये मनमानी कर रहे हैं, मीटर उतार कर ले जाते हैं ऐसे ही।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखित में मुझे दीजिए। फिर मैं करता हूँ।

श्री अमानतुल्लाह खान : सर, आपको लिखित में दे दूँगे।

अध्यक्ष महोदय : सरिता जी, अब मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। सोमनाथ जी बैठिये। सरिता जी, बात को समझिये। सब के 280 रह जायेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने लास्ट बोला हुआ है। आप लिखकर मुझे दे दीजिएगा। नारायण दत्त जी, मुझे मालूम है, मैंने देखा है, आप बैठिये।

श्री आसिम अहमद खान : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से एक सवाल जानना चाहता हूँ जैसे अभी बताया गया कि 31 मार्च तक यह स्कीम चल रही है 67 परसेंट बिल माफ करने वाली लेकिन बिजली कंपनी के जो लोग हैं 31 जनवरी के बाद ही उन्होंने मना कर दिया था कि ये 31 जनवरी तक की स्कीम है और यह खत्म हो चुकी है और वो नहीं करते हैं। दूसरा, जैसा अभी शास्त्री जी ने कहा कि हम जिसको चिट्ठी लिखकर देते हैं उसको देते हैं, वो 25-30 परसेंट डिस्काउंट और कोई उनके पास डायरेक्ट जाता है तो उसको 60 परसेंट तक दे देते हैं। जब यह किसी के यहां छापा मारते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है एक गरीब आदमी अगर कोई चोरी कर भी रहा है वो हजार, दो हजार रुपये की बिजली चुरा भी रहा है और जब वो उसका बिल

बनाते हैं तो सीधा तीन-चार लाख बना देते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी एक हफ्ते पहले एक आदमी मिट्टी का तेल लेकर मेरे ऑफिस में आया और उसके हाथ में बिजली का बिल था बोला मेरा डेढ़ लाख रुपये बिल बना दिया। मैं छह हजार रुपये महीना कमाता हूँ मेरे घर में पांच आदमी हैं या तो मैं रोटी खा लूँ या अपने ऊपर तेल डालकर आग लगा लूँ। मैंने बिजली कंपनी वालों को फोन किया, मैंने कहा आपने इसका बिल कैसे बना दिया, वो कहा रहा है कि मेरे घर में सिर्फ एक पंखा और पानी की एक मोटर है, आपने डेढ़ लाख का बिल कैसे बना दिया। कहने लगा कि हमें सरकार की तरफ से आदेश है हम बिल ऐसे ही बनाएंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए। फिर मैंने उसको गुस्से में डाटा इस बात पर मैंने रिकार्डिंग भी कर ली है। हमारी गलती नहीं है अगर तुम अपने पैसे की रिकवरी करने के लिए एक आम आदमी की जान तक ले लोगे, एक आदमी जिसके घर में खाने को नहीं है और वो मिट्टी का तेल लेकर मेरे ऑफिस में आया आग लगाने के लिए। मैंने उसको समझा-बुझा कर भेजा, उल्टा बिजली कंपनी वाले हमसे कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से हमें आदेश है कि ज्यादा बिल बनाओ। एक आदमी का जो 20 हजार या 25 हजार की पैन्लटी बननी चाहिए, चार-लाख रुपये का बिल बन रहा है। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर वो फॉर्मूला क्या है? ये जितना मर्जी चाहते हैं, उतने का बिल बना देते हैं। उनको पता है कि एमएलए तीस-चालीस परसेंट डिस्काउंट करेगा या 66 परसेंट स्कीम में यह माफ करेंगे। वो पहले ही सौ रुपये का बिल 500 रुपये बना देते हैं कर लो कितना डिस्काउंट करना है। यह जो 31 मार्च वाली स्कीम है, यह हमारे मटिया महल विधान सभा के अंदर जब अधिकारियों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि 31 जनवरी को यह स्कीम खत्म हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात बताई है

यह चिंताजनक है कि अगर उनके एरिया में, जो स्कीम 31 मार्च तक चल रही है और वे लोग कह रहे हैं कि 31 जनवरी को खत्म हो गई है तो यह तो गलत है और कोशिश करते हैं कि इसे एक महीना और बढ़ा दी जाये, क्योंकि तीन दिन में खत्म नहीं हो पायेंगे, दो दिन रह गये हैं और अब 30 और 31 परन्तु मैं सभी सम्मानित सदस्यों से कहना चाहूंगा कि अभी तक 80 हजार केस सैटल हुए हैं। अभी भी कई हजार केस बाकी हैं, वो सब सैटल करा लें और एक महीने के लिए इसको और बढ़ा दें। आगे के लिए मैं बताना चाहूंगा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नारायण दत्त जी, अब मैं नहीं ले सकूंगा, क्वेश्चन अवर पूरा हो गया है। दस मिनट ज्यादा हो गये हैं।

श्री एन.डी. शर्मा : सर, इसमें जो इनफोर्मेशन दी है, वो ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कौन सी इनफोर्मेशन?

श्री एन.डी. शर्मा : सर, मैंने एक सवाल लगाया था कि बदरपुर विधान सभा के अंदर एक हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए जमीन अलॉट है पांच हजार गज के करीब। उसमें अभी मेरे पास सवाल आया है कि उस एरिया के अंदर 'ओ' जोन है जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्यों के लिए 'ओ' जोन को हटा दिया। वहां स्कूल बन रहे हैं, बारातघर बन रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए 'ओ' जोन कैसे है? 6 लाख लोग उस विधान सभा में रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, उत्तर दे रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो जमीन डीडिए से 100 बेडेड

हॉस्पिटल के लिए दी गई है, डीडीए ने लैटर लिख कर बताया है कि वो जो जगह है, वाटर एंड रिवर बॉडी के नाम से उस जगह का लैंड यूज बताया गया है और 'ओ' जोन में उन्होंने लिख कर बताया है क्योंकि हमें नक्शे पास कराने होते हैं। नक्शे पास कराकर ही वहां पर नई बिल्डिंग बन सकती है, फिर भी आदरणीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि अगर वो परश्यू कराना चाहें तो हमें नक्शे जमा करा देते हैं। नक्शे पास होंगे तो हम जरूर बना देंगे।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

*06. सुश्री भावना गोड़ : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) इसका पूर्ण विवरण दें;

स्वास्थ्य मंत्री : (क) और (ख) देश की राजधानी होने के कारण यहां पर अनेक महत्वपूर्ण संस्थान जैसे कि राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, विभिन्न मंत्रालयों, सांसद आवासों, रक्षा मुख्यालय और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस से ऊपर ही है। अपराध की रोकथाम की अतिरिक्त दिल्ली पुलिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अति-विशिष्ट लोग व दूतावासों को सुरक्षा मुहैया कराती है। गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहारों का प्रबंधन भी पुलिस कराती है। वर्ष 2015 में 11156 और वर्ष 2016 में अब तक 1250 आन्दोलन, धरना, प्रदर्शन आदि तथा इसके अतिरिक्त अनेक सम्मेलन और बड़े-बड़े कार्यक्रम बड़ी सफलतापूर्वक दिल्ली में सम्पन्न कराये गए।

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक संयुक्त संचालन में विभिन्न गोपनीय एजेंसियों

के साथ मिलकर मो. आशिफ नाम के आतंकी जो अल-कायदा आतंकी संगठन का भारतीय मुखिया था, को गिरफ्तार किया। जनवरी 2016 में भी ISIS नाम के आतंकी संगठन के एक स्थानीय इकाई का खुलासा किया जिसमें संयुक्त संचालन से चार आतंकवादियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली पुलिस, ने प्रत्येक थाने में, महिला सहायता डेस्क की स्थापना की है जहां महिला पुलिसकर्मी द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। महिलाओं की सहायता हेतु चौबीसों घंटे टेलीफोन सेवा 1091 उपलब्ध है।

कई इलाकों में महिला बीट कास्टेबलों को तैनाती की गई है। पीसीआर वेन में भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती संवेदनशील इलाकों में की गई है ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम की जा सके। पुलिस द्वारा वर्ष 2015 में 1,96,726 लड़कियों/महिलाओं को “अब नहीं है डरना” के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है। इसी वर्ष 27022 पुलिसकर्मियों को gender sensitization का प्रशिक्षण दिया गया। हिम्मत ऐप तथा ऑप्रेसन निर्भीक, आदि महिलाओं की सुरक्षा से समर्पित हैं।

***14. श्री नारायण दत्त शर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदरपुर विधान सभा के अंतर्गत मीठापुर में प्रस्तावित 100 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा;

(ख) गौतम पुरी में तैयार अस्पताल-भवन में अस्पताल कब तक खोल दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पत्र सं. एफ. 50(10)/आर.वाई.पी./पी.एल.जी./2012/जोन-ओ/डी-1233 दिनांक 30.12.2014 के अनुसार

अस्पताल हेतु आवंटित भूमि का उपयोग “जल एवं नदी बॉडी” (Water & River Body) के लिये है और “जोनल विकास योजना” के अन्तर्गत यह जोन ‘ओ’ में आता है। उक्त जोन में मौजूदा निर्धारित स्थान के अलावा इसका और कहीं भी किसी भी प्रकार की जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सरकारी और सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक के लिये भी उपयोग नहीं हो सकता। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार जोन “ओ” में कोई भी निर्माण एवं विकास का कार्य नहीं हो सकता। अतः मातृ एवं शिशु अस्पताल, मोलड़बंद के लिये आवंटित भूमि पर जोन ‘ओ’ के कारण निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता।

(ख) गौतमपुरी में निर्मित भवन एक स्वास्थ्य-केन्द्र/डिस्पेंसरी हेतु बनाया गया है, न कि अस्पताल के लिये। इस भवन में एक पॉलीक्लीनिक खोलने का प्रस्ताव है, जिसे वर्ष 2016 के अन्त तक खोल दिया जायेगा।

***15. श्री एस.के. बग्गा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2015-2016 में बिजली कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं के बिजली के कितने मीटर उतारे गए हैं;

(ख) इनमें से कितने मीटर खराब पाए गए हैं तथा कितने ठीक पाए गए हैं;

(ग) बिजली के नए कनेक्शन देने के लिए अधिकतम कितना समय निर्धारित किया गया है;

(घ) वर्ष 2015-16 में बिजली के कितने नए कनेक्शन लगाए गए हैं;

(ङ) उपभोक्ताओं के बिजली के मीटर उतारने के बाद लैब से चैक होकर रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है;

(च) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2015-16 में बिजली मीटर्स के तेज चलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(छ) यदि हां, तो कितनी

(ज) इनमें से कितने मामलों में क्या-क्या कार्रवाई की गई;

(झ) बिजली के बिलों में दी जा रही वर्तमान छूट कब तक के लिए दी गई है;

(ञ) क्या यह सत्य है कि सरकार इस छूट को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है, और

(ट) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

ऊर्जा मंत्री : (क) और (ख) वितरण कम्पनियों के द्वारा वर्ष 2015-16 में बदले गये मीटरों का विवरण निम्न है:-

क्र.सं.	कम्पनी	बदले	जले हुए/खराब
1.	BRPL	87184	37578
2.	TPDDL	99815	63940
3.	BYPL	52016	25140

(ग) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युतिकृत क्षेत्र में नये कनेक्शन जारी करने की अधिकतम समय सीमा 15 दिन है। जिसमें 6-7 दिन डिमांड नोट जारी करने के लिए तथा पैसा जमा करने के बाद 5 दिन मीटर लगाने के लिए तय किये गये हैं।

(घ) विवरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 2015-16 में जारी किये गये कनेक्शनों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र.सं. कम्पनी	कनैक्शन
1. BRPL	151683
2. TPDDL	82000
3. BYPL	88400

(ड) मीटर हटाने के बाद लैबोरेटरी से रिपोर्ट मिलने में औसतन 3-4 दिन का समय लगता है।

(च) और (छ) जी हां। जिसका ब्यौरा 29.02.2016 तक निम्नलिखित है:-

1. BRPL	26025
2. TPDDL	7639
3. BYPL	11827

(ज) सभी मीटरों की जांच मौके पर की गई जिसमें से केवल 07 मीटर तेज पाये गये। उन सभी मीटरों को बदल दिया गया है।

(झ) और (ट) दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक के लिए सबसिडी की गई व्यवस्था की है तथा अगले वित्त वर्ष में सबसिडी जारी रखने का प्रस्ताव है।

*16. श्री संजीव झा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की आबादी को निर्बाध की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो यहां ट्रांसफार्मर कब तक लगा दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बुराड़ी क्षेत्र में एक नया ग्रिड बनाने के लिए उचित जगह का चुनाव किया जा रहा है।

***17. श्री शरद कुमार :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सुविधाओं के अभाव में नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र अस्पताल एक डिस्पेंसरी के रूप में कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह अस्पताल अपनी पूरी क्षमता से कब तक कार्य करना शुरू कर देगा;

(घ) क्या यह सत्य है कि इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, ब्लड बैंक आदि सुविधाएं तथा स्टाफ की भारी कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त समस्याओं का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) एवं (घ) जुलाई, 2015 से अस्पताल में समग्र सुधार शुरू किये गये, जिसकी वजह से अस्पताल अपनी अधिकतम क्षमता अनुसार कार्य कर रहा है। सुविधाओं के विस्तार की प्रक्रिया जारी है।

स्टाफ की कमी की वजह से अस्पताल अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। फिर भी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के मरीजों के लिये अल्ट्रासाउंड की सुविधा चिन्हित निजी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इस अस्पताल में ब्लड-स्टोरेज सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। नियमानुसार 200 बिस्तारों का अस्पताल होने के कारण इस अस्पताल में रक्त-कोष की सुविधा आरम्भ नहीं की जा सकती।

(ड) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

***18. कु. राखी बिड़ला :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मंगोलपुरी विधानसभा में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के लिये भवनों के नवनिर्माण हेतु भूमि आवंटित हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसका अनुमानित बजट कितना है; और

(ग) इन भवनों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) इस भूमि का अनुमानित बजट लगभग रु. 76,02,328/- है।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार इस स्थान पर पॉलीक्लीनिक खोलने का प्रस्ताव है। बिल्डिंग प्लान एवं नक्शे के अनुमोदन की कार्यवाही के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

***19. श्री श्रीदत्त शर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की घोण्डा विधानसभा में नया अस्पताल बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) इस पर कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

***20. श्री ओ.पी. शर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कोई कमेटी बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन थे;

(ग) इसकी नियुक्ति की स्वीकृति किस सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई;

(घ) क्या यह सत्य है कि यह नियुक्ति दिल्ली उच्च-न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार हुई है;

(ङ) यदि हां, तो वे दिशा निर्देश क्या हैं;

(च) क्या यह नियुक्ति दिल्ली विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत न्यायसंगत है;

(छ) इसके अनुसार चयन समिति के कौन-कौन सदस्य होते हैं; और

(ज) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार के राजपत्र संख्या-185 दिनांक 2004 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्देश है कि उपराज्यपाल विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का उपयोग और निर्वाहन करेंगे?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली सरकार ने अध्यक्ष, दिल्ली

विद्युत विनियामक आयोग के चयन के लिए एक समिति गठित की है। समिति के निम्न सदस्य हैं:-

1.	न्यायमूर्ति एस.एन. अग्रवाल दिल्ली उच्च न्यायालय तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार	सदस्य
3.	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग	सदस्य

(ग) इस चयन समिति की नियुक्ति मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार द्वारा की गई।

(घ) जी हां।

(ङ) माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने दायर याचिका संख्या WP(C) 11605/2015 के परिणाम पर निर्भर नियुक्तियों के लिए चयन की अनुमति दिल्ली सरकार को दी है। माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि नियुक्ति पत्र में यह लिखा जाए कि नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर निर्भर रहेगी।

(च) जी हां। यह नियुक्ति विद्युत अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई है।

(छ) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 85 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित चयन समिति का गठन करना अपेक्षित है:-

1. एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है अथवा न्यायाधीश रहे हैं - अध्यक्ष
2. संबंधित राज्य हो मुख्य सचिव - सदस्य
3. प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष - सदस्य

(ज) जी हां। दिनांक 20.02.2004 के भारत सरकार के अधिसूचना संख्या एस. ओ. 217 (ई) जो भारत के राजपत्र संख्या 185 दिनांक 20.02.2004 में प्रकाशित हुआ था, के अनुसरण में, यह निदेश हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और दिल्ली के उप राज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेशों तक, राज्य सरकार के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) के उपबंधों के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। किन्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सुविचारित राय में संविधान के अनुच्छेद 239AA, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनस रूल 1993 में प्रदत्त शक्तियों तथा कार्यों के निर्वहन के अनुसार माननीय उपराज्यपाल निर्वाचित कार्यपालिका की सहायता एवं सलाह मानने के लिए बाध्य है। ये शक्तियां तथा कार्य संविधान के अनुच्छेद 239AA के अनुसार निर्वाचित कार्यपालिका को स्थान्तरित किए गए हैं। इसलिए निर्वाचित कार्यपालिका ने इस विषय में फैसला लिया है जोकि माननीय उपराज्यपाल की ओर से तथा माननीय उपराज्यपाल के द्वारा लिया गया माना जायेगा।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

01. श्री राजेन्द्र पाल गौतम : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 शिक्षा सत्रों में वर्षवार मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रत्येक में कितने विद्यार्थियों के दाखिले हुए;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कितने-कितने विद्यार्थी थे;

(ग) उपरोक्त विद्यार्थियों में से वर्षवार कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा उनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रत्येक वर्ग के कितने विद्यार्थी थे; और

(घ) उपरोक्त विद्यार्थियों में से वर्षवार कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तथा उनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रत्येक वर्ग के कितने विद्यार्थी थे?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) से (घ) मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एम.ए.एम. सी.) एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (यू.सी.एम.एस.) के विद्यार्थियों का वर्षवार पूर्ण विवरण परिशिष्ट “अ” एवं “ब” पर संलग्न है।

विधान सभा अतारांकित प्रश्न सं. (क्र, ख, ग, घ)

परिशिष्ट-अ

MAULANA AZAD MEDICAL COLLEGE DELHI

(a) Total Admissions MBBS & Post Graduation in Year 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15

Year	Total Admission
2011	417
2012	405
2013	416
2014	405

(B) Category wise Admission in years 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15

Year	SC	ST	OBC	Minority
2011	65	24	71	30
2012	73	23	97	36
2013	60	37	103	43
2014	63	35	104	41

(C) Category wise students pass in year 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15

Year	Total Students	SC	ST	OBS	Minority
2011	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-
2013	21	5	0	1	0
2014	165	30	7	11	1

(D) Category wise and year wise fail students in 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15.

Year	Total Students	SC	ST	OBS	Minority
2011	37	8	7	9	3
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0

परिशिष्ट 'ब'

यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्सस

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 शिक्षा सत्रों में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइन्सेज में प्रत्येक में कितने विद्यार्थियों के दाखिले हुए।

(ख) उनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व. वर्ग के कितने-कितने विद्यार्थी थे;

(ग) उपरोक्ता विद्यार्थियों में से वर्षवार कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा उनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक वर्ग प्रत्येक वर्ग के कितने विद्यार्थी थे; और

(घ) उपरोक्त विद्यार्थियों में से वर्षवार कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तथा उनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक वर्ग प्रत्येक वर्ग के कितने विद्यार्थी थे?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) वर्षवार एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियों का दाखिला इस कॉलेज में निम्नलिखित है

सत्र 2011-12	150 विद्यार्थी
सत्र 2012-13	150 विद्यार्थी
सत्र 2013-14	150 विद्यार्थी
सत्र 2013-14	150 विद्यार्थी
सत्र 2014-15	149 विद्यार्थी

(ख) सत्र 2011-12, 150 विद्यार्थी (अनुसूचित जाति-32);

जनजाति-03; अ.पि.व. 40 (अल्पसंख्यक व. 06)

सत्र 2012-13, 150 विद्यार्थी (अनुसूचित जाति-33);

जनजाति-02; अ.पि.व. 41 (अल्पसंख्यक व 07)

सत्र 2013-14 150 विद्यार्थी (अनुसूचित जाति-22;

जनजाति 12; अ.पि.व. 41 (अल्पसंख्यक व 03)

सत्र 2014-15- 149 विद्यार्थी (अनुसूचित जाति 32)

जनजाति 01; अ.पि.व. 41 (अल्पसंख्यक व 03)

(ग) एडमिस, बैच (2011-12) अंतिम प्रोफ, भाग-2 वार्षिक परीक्षा का परिणाम:

वार्षिक परीक्षा नवम्बर/दिसम्बर, 2015	अनुपूरक परीक्षा फरवरी/मार्च 2016 (अनुपूरक परिणाम प्रतीक्षित)
--------------------------------------	---

कुल उत्तीर्ण - 99

कुल उपस्थित विद्यार्थी - 79

अनुसूचित जाति - 20

अनुसूचित जाति - 18

जनजाति-02

जनजाति - 02

अ.पि.व. - 19

अ.पि.व. - 20

अल्पसंख्यक - 06

अल्पसंख्यक - 00

एडमिस, बैच (2012-13) अंतिम प्रोफ. भाग-II वार्षिक परीक्षा का परिणाम:

वार्षिक अंतिम प्रोफ. भाग-1 परीक्षा नवम्बर/दिसम्बर-2015

कुल उत्तीर्ण - 146

अनुसूचित जाति - 25

जनजाति - 01

अ.पि.व. - 22

अल्पसंख्यक - 02

एडमिस बैच (2013-14) दूसरा प्रोफ. वार्षिक परीक्षा का परिणाम:

वार्षिक परीक्षा दिसम्बर, 2015	अनुपूरक परीक्षा फरवरी/मार्च, 2016 (अनुपूरक परिणाम प्रतीक्षित)
-------------------------------	--

कुल उत्तीर्ण - 134

कुल उपस्थित विद्यार्थी - 32

अनुसूचित जाति - 14

अनुसूचित जाति - 15

जनजाति-08

जनजाति - 02

अ.पि.व. - 29

अ.पि.व. - 07

अल्पसंख्यक - 02

अल्पसंख्यक - 00

एडमिस - बैच (2014-15) प्रथम प्रोफ. वार्षिक जुलाई-2015 तथा अनुपूरक परीक्षा दिसम्बर-2015 का परिणाम

कुल उत्तीर्ण - 146 (अनुसूचित जाति-27, जनजाति-02; अ.पि.व.-35; अल्पसंख्यक-02)

(घ) (क) एडमिस - बैच (2011-12) अंतिम प्रोफ. भाग-2 अनुपूरक परिणाम प्रतीक्षित।

(ख) एडमिस - बैच (2012-13) अंतिम प्रोफ. भाग-1 वार्षिक परीक्षा का परिणाम: कुल अनुत्तीर्ण-07 (अनुसूचित जाति - 00 ; जनजाति-00; अ.पि.व-04; अल्पसंख्यक-00)

एडमिस - बैच (2013-14) दूसरे प्रोफ. अनुपूरक परीक्षा फरवरी/मार्च-2016 (अनुपूरक परिणाम प्रतीक्षित)

एडमिस - बैच (2014-15) प्रथम प्रोफ. वार्षिक परीक्षा का परिणाम: कुल अनुत्तीर्ण-04 (अनुसूचित जाति-02, जनजाति-02; अ.पि.व.-01; अल्पसंख्यक-00)

02. **चौ. फतेह सिंह :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार का दिल्ली में नए अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव मंडोली में एल.एम.सी. की उपलब्ध जमीन पर भी अस्पताल खोलने पर सरकार विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो यहां पर अस्पताल कब तक खोल दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(घ) अस्पताल स्थापित करने के लिये निर्धारित मानदण्ड के अनुसार अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है।

03. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की भजनपुरा में डिस्पेंसरी के भवन निर्माण की योजना है;

(ख) यदि हां, तो डिस्पेंसरी के निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां। भजनपुरा औषधालय की जर्जर इमारत को ध्वस्त कर नए भवन के निर्माण की योजना है।

(ख) बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति से उपरान्त ही डिस्पेंसरी के निर्माण की नीति का निर्धारण किया जायेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

04. श्री एस.के. बग्गा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में इस समय कुल कितने बिस्तरों की व्यवस्था है;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

- (ग) यदि हां, तो इन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कब तक बढ़ा दी जायेगी;
- (घ) क्या यह सत्य है कि सरकार के अस्पतालों में बहुत से कर्मचारी कान्ट्रैक्ट बेसिज पर नियुक्त हैं;
- (ङ) उन्हें नियमित करने की सरकार की क्या योजना है, कृपया पूरा विवरण दें;
- (च) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी में रजिस्ट्रेशन की लिये 2/-रुपये व 5/- रुपये की पर्ची काटी जाती है;
- (छ) क्या सरकार निम्न आय वर्ग के लिये इस शुल्क को हटाने पर विचार कर रही है।
- (ज) क्या यह सत्य है कि सरकार दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक्स खोलने पर विचार कर रही है;
- (झ) यदि हां, तो ये मोहल्ला क्लीनिक्स कहां-कहां और कब तक खोल दिये जायेंगे; और
- (ट) सरकारी अस्पतालों में एम.एस. व सीनियर डॉक्टर की ट्रांसफर कितने समय बाद की जाती है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में वर्तमान में कुल 10,859 बिस्तरों की व्यवस्था है।

(ख) जी हां।

(ग) भौतिक संरचना (Physical Infrastructure) की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।

(घ) जी हां।

(ङ) कान्ट्रैक्ट बेसिज पर नियुक्त कर्मचारियों का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(च) जी नहीं। दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियों एवं अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

(छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(झ) वर्तमान में सरकार की अग्रगामी परियोजना (Pilot Project) के अंतर्गत पूरी दिल्ली में 31.03.2016 तक 100 मोहल्ला क्लीनिक खोलने की योजना है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव है।

(ट) सरकारी अस्पतालों में एम.एस. एवं सीनियर डॉक्टरों का ट्रांसफर प्रशासनिक आवश्यकतानुसार किया जाता है।

05. **सुश्री अलका लाम्बा :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा डेंगू, मलेरिया, टाईफाइड जैसी महामारियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग को जल-भराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने तथा मच्छरों का पनपना रोकने के लिये त्वरित कदम उठाने हेतु सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये हैं;

(ग) सम्पूर्ण शहर में व्यापक स्तर पर फॉगिंग करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) मच्छरों का पनपना रोकने हेतु एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) सरकार क्षरा डेंगू, मलेरिया, टाईफाईड जैसी महामारियों को रोकने हेतु उठाये गए कदम परिशिष्ट-‘क’ पर संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) तीनों दिल्ली नगर निगमों द्वारा डेंगू एवं मलेरिया आदि बीमारियों को फैलने से रोकने के लिये फोगिंग का इंतजाम किया गया है। कीटनाशक दवाईयों का इंतजाम किया जा रहा है। वार्डों में फोगिंग कार्य के लिये फोगिंग मशीनें उपलब्ध करवा दी गई हैं। इसके अलावा व्हीकल माउंटेड फोगिंग मशीनों का इंतजाम भी किया गया है।

(घ) उपरोक्त (क) के अनुसार

Annexure-A

Preparedness of Delhi Govt. to control Dengue/Malaria in Delhi

1. Mother labs are being strengthened to tackle the dengue outbreak.
2. More dengue beds are being introduced in major Govt./Pvt. Hospitals.
3. Adequate number of NSI-Ag (ELISA) and MAC ELISA (IgM) kits are available in all hospitals.
4. Nodal officers have been identified in each SSHs and Private Hospitals who are supervising the activities to control mosquito breeding in their respective hospital premises.
5. Vulnerable areas for mosquito breeding are being identified to take preventive measures.
6. DBC workers are being provided with pamphlets/advisory for distribution

to every household during their visit for creating awareness amongst the community regarding the disease.

7. This year CDMOs/DSOs will also be involved in VBDC activities in collaboration and coordination with DHOs.
8. IEC activities will be done throughout the year through print media, hoardings, flexes, banners, Public Address System, Rallies, Nukkad Natak, Magic Shows etc. Pamphlets and brochures with the information of dengue will be distributed house to house to make the community aware regarding the dengue.
9. Training of Doctors, Entomologists and Epidemiologists has been done through NIMR and NVBDCP and Lab technicians & Microbiologist are trained through NCDC or SDMC in winter season.
10. It is planned that CPA will procure all consumables, medicines and chemicals related to control VBDs for 3 DMCs.
11. Indoor residual spray will be done at Govt & Pvt. schools and educational institutions in summer vacations to prevent students from dengue or other vector borne diseases.
12. Malaria microscopy will be enhanced at each Sentinel Surveillance Units or dispensaries.
13. All blood banks are being directed to keep adequate amount of blood bags, logistics, screening kits and reagents.
14. Awareness activities through print media & Radio spots, PA system of Hospitals, will continue as usual.

06. श्री संजीव झा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय शोधों द्वारा होम्योपैथी को 'प्रायोगिक ओषध' एवं छदम विज्ञान दर्शाए जाने के बावजूद स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य

शिक्षा के बजट को होम्योपैथी की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है;

- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) सरकार द्वारा अब तक दिल्ली में कुल कितने मोहल्ला क्लीनिक खोले गए हैं;
- (घ) प्रत्येक पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है;
- (ङ) सरकार की ऐसी और कितने मोहल्ला क्लीनिक खोलने की योजना है; और
- (च) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी नहीं।

- (ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।
- (ग) अब तक निम्नलिखित तीन मोहल्ला क्लीनिक खोल गये हैं:-
 1. पीरागढ़ी
 2. गोकलपुरी
 3. गंगा विहार
- (घ) 1. पीरागढ़ी स्थित मोहल्ला क्लीनिक को स्थापित करने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा अब तक 16.7 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।
- 2. गोकलपुरी एवं गंगा विहार स्थित मोहल्ला क्लीनिक दिनांक 23.03.2016 को किराये के भवन में प्रारंभ किये गये हैं।
- (ङ) वर्तमान में सरकार की अग्रगामी परियोजना (Pilot Project) के अंतर्गत पूरी दिल्ली में किराये के भवनों में 31.03.2016 तक 100 मोहल्ला क्लीनिक खोलने

की योजना है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव है।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

07. **श्री महेन्द्र गोयल :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की अम्बेडकर अस्पताल में सिक्क्योरिटी, हाउस कीपिंग और नर्सिंग अर्दली के लिये एक टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करने की योजना है पूर्ण विवरण दें; और

(ख) यदि हां, तो उसके देरी से लागू करने के क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण सहित बताया जाए?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सिक्क्यूरिटी, हाउस कीपिंग एवं नर्सिंग अर्दली के लिये क्षेत्रीय आधार पर कलस्टर निविदा आमंत्रित करने की योजना है।

(ख) निविदा आमंत्रित करने का कार्य प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है।

08. **सुश्री भावना गौड़ :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिसूचना संख्या एफ. नियम 70/45/2006/चिकित्सा एवं परिवार कल्याण/Vol.IV/ पीएफ/6796-6810, दिनांक 20.08.2014 नियम 6(2) के तहत दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रारम्भिक संविधान में नियुक्त किये गए 528 गैर शिक्षण विशेषज्ञ ग्रेड-3 एवं चिकित्सा अधिकारियों को किस तारीख से नियुक्त किया गया था;

(ख) इन चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को सेवा की शर्तों के अनुसार किस तारीख से सेवा संबंधी लाभ प्रदान किए गए हैं। इस संबंध में जारी किये गए आदेश की प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराएं;

(ग) ये चिकित्सा अधिकारी एवं विशेषज्ञ नई पेंशन योजना के लिये किस तारीख से हकदार हैं;

(घ) क्या इससे पहले के नियुक्त कर्मचारियों को अंशदान की कटौती के लिये कोई निर्देश जारी किया गया है;

(ङ) क्या नियम 6(2) के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2004 से पहले प्रारम्भिक भर्ती किये गये उन गैर शिक्षण विशेषज्ञ ग्रेड-3 और चिकित्सा अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना देने का कोई प्रावधान विचाराधीन है;

(च) सरकार द्वारा दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी) के नियमों एवं शर्तों के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों को पदोन्नति देने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) क्या यह सत्य है कि पदोन्नति के उपरान्त इनके वेतमान में होने वाली विसंगतियों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिनांक 23.12.2009 से दिल्ली स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्त किया गया था।

(ख) दिनांक : 23.12.2009 से। सम्बन्धित आदेश/नियमावली की प्रतिलिपि “परिशिष्ट-क” पर संलग्न है।

(ग) दिनांक 01.01.2010 से।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(च) चिकित्सा अधिकारी और विशेषज्ञों को पदोन्नति देने के लिये समय-समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया जारी है।

(छ) यदि पदोन्नति के उपरान्त किसी चिकित्सा अधिकारी एवं विशेषज्ञों के वेतनमान में कोई विसंगति पाई जाती है तो उसके लिये सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं वित्त विभाग की संस्तुति एवं सहयोग से मामले की गुणवत्ता के आधार पर उसे दूर करने का प्रयास किया जा सकता है।

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

9वां तल, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नयी दिल्ली-02

स.फा. 70/452006/स्वा. एवं परि.कल्या./खंड-1/6828-6843

दिनांक 21/8/2014

अधिसूचना

सं.फा. 70/45/2006/स्वा. एवं परि.कल्या./खंड-1/-गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24.9.68 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/78/68-डीएच (एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 15.5.2012 के कार्यालय आदेश सं. 70/49/2006-स्वा. एवं परि. कल्या./खंड-IV/पीएफ/2670-2700 दिनांक 22.5.2014 के कार्यालय आदेश सं.

11/101/2011-स्वा. एवं परि. कल्या./2769-86 और दिनांक 04.02.2014 के यं. 4/1074/2012-स्वा. एवं परि. कल्या. न्यायालय मामले नं. 825-840 और दिनांक 06.05.2014 के कार्यालय आदेश सं. 70/49/2006-स्वा. एवं परि. कल्याण पीएफ/233-47 के क्रम में और दिनांक 17.01.2014 के पत्र सं. 01 (31)/03/-2011-एपी./02 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर दिल्ली उपराज्यपाल दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 से दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों की निम्न सूची अनुसार 528 चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ ग्रेड-3 (विभिन्न विषय) और गैर शिक्षण विशेषज्ञों उप-संवर्ग की क्रमशः नियुक्ति करते हैं। दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी) नियमावली, 2009 के नियम 6(2) के अन्तर्गत प्रारम्भिक संरचनात्मक अवस्था पर नियुक्त सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1.	डॉ. भूपेन्द्र नाथ मिश्रा	08.03.1963
2.	डॉ. परमेश्वर राम	31.01.1964
3.	डॉ. अभय कुमार झा	10.01.1996
4.	डॉ. मनोज ढींगरा	14.04.1967
5.	डॉ. रीटा चानना	28.06.1968
6.	डॉ. अर्जुना रॉबिन्सन	28.11.1967
7.	डॉ. अमित कुमार मंडल	15.04.1969
8.	डॉ. रीटा राय	08.12.1963
9.	डॉ. राम चन्द्र	05.03.1959
10.	डॉ. बीना बहल	05.08.1960

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
11.	डॉ. गिरीश कुमार	08.11.1962
12.	डॉ. जानु कुमारी दास	30.01.1963
13.	डॉ. जय प्रकाश पालयिया	14.01.1964
14.	डॉ. मधुलिका गुप्ता	16.06.1965
15.	डॉ. ललित कुमार चौहान	15.03.1965
16.	डॉ. स्वागता बिस्वास	20.12.1969
17.	डॉ. नवीन कुमार	25.12.1969
18.	डॉ. रेणु जैन	05.01.1965
19.	डॉ. राजेन्द्र कुमार चौपड़ा	24.04.1959
20.	डॉ. अर्चना सक्सेना	04.04.1968
21.	डॉ. हिमानी मजूमदार	06.11.1951
22.	डॉ. रीटा मांगिया	04.12.1956
521.	संजय शर्मा	24.02.1971
522.	भावेश कुमार	15.02.1966

तत्पश्चात् दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी) नियामवली, 2009 की प्रारम्भिक संरचना में सम्मिलित किए गए छह (06) गैर शिक्षण विशेषज्ञ डॉक्टरों की सूची

523. डॉ. जितेन्द्र बहल (शिशु चिकित्सा विज्ञान) 15.08.1970

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
524.	डॉ. पी.एन. पाण्डे (तंत्रिका शल्य चिकित्सा)	01.01.1963
525.	डॉ. शिप्रा रामपाल (रेडियोलॉजी)	14.06.1966
526.	डॉ. नरेन्द्र कुमार वर्मा (आंख, नाक, गला)	31.12.1965
527.	डॉ. आशीष गोपाल (आंख, नाक, गला)	19.05.1966
528.	डॉ. अक्षय बहादुर (शल्य चिकित्सा)	07.12.1968

इसके अतिरिक्त उक्त वर्णित 528 चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ ग्रेड-III (विभिन्न विषय) का दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 को उनके द्वारा आहरित किया गया वेतन सुरक्षित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अशोक कुमार

उप-सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
दिनांक 21/8/2014

सं.फा. 70/45/2006/स्वा. एवं परि.कल्या./खंड-1/6828-6843

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राज निवास, नई दिल्ली-54
3. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (सा. प्र. लि.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सरकारी राजपत्र में उपरोक्त नामों को प्रकाशित करने के अनुरोध सहित।

5. प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
6. प्रधान सचिव (विधि एवं न्याय विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
7. प्रधान सचिव (सेवाएं), सेवाएं विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
8. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
9. समस्त विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली।
10. समस्त चिकित्सा अधीक्षक/समस्त अस्पताल/संस्थानों के विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
11. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, कड़कड़डूमा, दिल्ली-32
12. निदेशक, परिवार कल्याण निदेशालय, विकास भवन-2, नई दिल्ली।
13. विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी को।
14. विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित चिकित्सा को।
15. गार्ड फाईल।

अशोक कुमार

उप-सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

दिनांक : 21/8/2014

सं. फा. 70/49/2006/स्वा. परि. कल्या. /पार्ट फा.VI-/9192,-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 29-09-1968 के कार्यालय ज्ञापन सं. 24/78/68-डीएच(एच) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी) की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नानुसार नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त शीर्ष एवं प्रारम्भ-** (1) ये नियम दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी) नियमावली, 2009 कहे जायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएं-** इन नियमों में कब तक संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) “आयोग” का अर्थ है संघ लोक सेवा आयोग से;

(ख) “नियंत्रण प्राधिकारी” का अर्थ है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार;

(ग) “विभागीय पदोन्नति समिति” का अर्थ है समूह “क” विभागीय पदोन्नति समिति जो सेवा के समूह “क” में पदोन्नति या स्थायीकरण के मामलों के विचारार्थ अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट है;

(घ) “ड्यूटी पद” का अर्थ है कोई ऐसा पद जो अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट है, स्थायी हो या अस्थायी;

(ङ) “सरकार” का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल;

(च) “ग्रेड” का अर्थ है अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड;

(छ) “अनुसूची” का अर्थ है इस नियमावली को अनुसूची;

(ज) “सेवा” का अर्थ है दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी);

(झ) “उप-संवर्ग” का अर्थ है सेवा की कोई दो विधाएं अर्थात् सामान्य ड्यूटी तथा गैर-शिक्षण विशेषज्ञ जैसी की स्थिति हो।

3. **सेवा का संघटन** - सेवा में शामिल सभी ड्यूटी पर केन्द्रीय सिविल सेवा समूह “क” के रूप में वर्गीकृत होंगे तथा ग्रेड, वर्तमान, गैर-प्रेक्टिस भत्ता तथा अन्य मामले अनुसूची-I में तथा विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

4. **सेवा की अधिकृत संख्या** - (i) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि पर सेवा के विभिन्न ग्रेडों में शामिल ड्यूटी पदों को अधिकृत संख्या अनुसूची 2 में तथा विनिर्दिष्ट रूप में होगी;

(ii) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् विभिन्न ग्रेडों में ड्यूटी पदों की अधिकृत स्थाई संख्या सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित संख्या के अनुसार होगी;

(iii) सरकार समय-समय पर जैसा आवश्यक समझे, विभिन्न ग्रेडों में ड्यूटी पदों की संख्या में अस्थायी बढ़ोतरी या कमी कर सकती है;

(iv) सरकार, आयोग के परामर्श से, अनुसूची 2 में शामिल पदों को छोड़कर किसी भी पद को सेवा में शामिल कर सकती है। या उक्त अनुसूची में शामिल पद को सेवा से निकाल सकती है।

(v) सरकार, आयोग के परामर्श से, किसी ऐसे अधिकारी को जिसका पद उप-नियम (iv) के अन्तर्गत सेवा में शामिल किया गया हो, सेवा के समुचित ग्रेड में अस्थायी रूप में या मौलिक रूप में जैसा, भी उचित समझे, नियुक्त कर सकती है तथा समरूप ग्रेड में उसकी लगातार नियमित सेवा को ध्यान में रखते हुए ग्रेड में उसकी वरिष्ठता को निश्चित कर सकती है;

(vi) प्रत्येक उप-संवर्ग (एसएजी के पदों को छोड़कर) में कुल पद संख्या का दस प्रतिशत तक सेवा में प्रशिक्षण/अवकाश/प्रतिनियुक्ति आरक्षित के रूप में शामिल किया जायेगा।

(vii) सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (जीडीएमओ) उप-संवर्ग चिकित्सा अधिकारी (5,400 रुपये ग्रेड पे पीबी 3) में जिन अधिकारियों ने 5,400 रुपये के ग्रेड पे पीबी-3 में चार वर्षों की सेवा की है जिसमें संशोधन पूर्व 8000-16,500 रुपये में की गई सेवा भी शामिल है वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (6,600 रुपये के ग्रेड पे पीबी-3 में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में पांच वर्षों की नियमित सेवा है जिसमें पूर्व संशोधित 10,000-15,200 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा भी शामिल है मुख्य चिकित्सा अधिकारी (7,600 रुपये ग्रेड में पीबी-3) के पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इस ग्रेड में संशोधन पूर्व 12,000-16,500 रुपये के वेतनमान में की गई सेवा सहित पे बैंड-3 में ग्रेड में 7,600 रुपये में 4 (चार) वर्षों की सेवा उपरान्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड) के ग्रेड में 8,700 रुपये ग्रेड पे के पद पर पदोन्नति किए जाने के योग्य होंगे। तत्पश्चात् कोई मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) जिसने 14,300-18,700 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित बैंड-4 में 8,700 रुपये के ग्रेड में सात वर्ष की सेवा की हो या 20 वर्षों की नियमित सेवा की हो वे ग्रेड में 10,000 रुपये पे बैंड-4 सहित एसएजी ग्रेड में पदोन्नति के लिये योग्य होंगे। चिकित्सा अधिकारी से एसएजी ग्रेड के वेतनमान में पदोन्नतियां, रिक्तियों से नहीं जुड़ी होंगी।

10,000-15,200 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पे बैंड-3 में 6,600 रुपये के ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त कोई गैर-शिक्षक विशेषज्ञ ग्रेड-III, पे बैंड-3 ग्रेड पे 10,000 रुपये के गैर-शिक्षक उप-संवर्ग के

विशेषज्ञ अधिकारी ग्रेड-II, के पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे। 12,000-16,500 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पे बैंड-3 में 7,600 रुपये के ग्रेड पे में 4 वर्ष की नियमित सेवा के उपरांत कोई गैर-शिक्षक विशेषज्ञ अधिकारी ग्रेड-II, पे बैंड-4 में ग्रेड पे 8,700 रुपये पर गैर-शिक्षक विशेषज्ञ ग्रेड-I में पदोन्नत किए गए जाने के लिये योग्य होंगे। इसके अतिरिक्त 14,300-18,300 रुपये के पूर्व संशोधित वर्तमान में की गई सेवा सहित पे बैंड-4 में ग्रेड पे 8,700 रुपये में सात वर्ष की नियमित सेवा उपरान्त कोई गैर-शिक्षक विशेषज्ञ ग्रेड-1, पे बैंड-4 में 10,000 रुपये के ग्रेड पे सहित एसएजी ग्रेड में पदोन्नति किए जाने के लिये योग्य होंगे।

5. **सेवा के सदस्य** - (i) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) नियम 4 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति

(ख) नियम 6 के अन्तर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति; तथा

(ग) नियम 7 के अन्तर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति।

(ii) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त व्यक्ति इस नियुक्ति पद के पश्चात् अनुसूची-2 में उस पर लागू समुचित ग्रेड में सेवा का सदस्य माना जायेगा।

(iii) उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति की तिथि से अनुसूची 2 में उस पर लागू समुचित ग्रेड में सेवा का सदस्य होगा।

6. **सेवा या प्रारंभिक गठन :-** (1) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 1996 के अन्तर्गत नियुक्त वे सभी अधिकारी जो नियमावली के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दिल्ली सरकार में कार्यरत हैं और जो इस सेवा का भाग होने का विकल्प चुनते हैं, इस नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त माने जायेंगे तथा वे संबंधित ग्रेडों में सेवा के सदस्य होंगे।

(2) 18 दिसम्बर, 2006 को अर्थात् दिल्ली सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. फा. 70/49/2006-स्वा. एवं परि. कल्य/एसएसएचएफडब्ल्यू/463-475, दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 के जारी होने की तिथि को या उससे पहले अनुबंध आधार/तदर्थ आधार पर नियुक्त सभी अधिकारियों को आयोग द्वारा मूल्यांकित उपयुक्तता तथा अपेक्षित शैक्षिक योग्यताओं तथा अनुभव के आधार पर पद के लिए निर्धारित किया जायेगा तथा दुरुस्त पाये जाने पर इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त मानकर उन्हें सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी या गैर-अध्यापन विशेषज्ञ, जैसी भी स्थिति हो, उप-संवर्ग प्रदान किया जायेगा तथा वे प्रारंभिक गठन स्तर पर संबंधित उप-संवर्ग के प्रविष्टि स्तर पर सेवा के सदस्य होंगे।

7. **सेवा का अनुरक्षण** - (1) अनुसूची 2 में उल्लिखित किन्हीं ग्रेडों में रिक्त पदों को इस नियमावली में इसके पश्चात् यथा- उपबंधित रूप से भरा जायेगा।

(2) भर्ती पद्धति, पदोन्नति के लिए चयन क्षेत्र जिसमें सेवा में शामिल संबंधित उप-संवर्गों तथा संबंधित उप-संवर्ग में विशेषज्ञता पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए तत्काल निचले ग्रेड या ग्रेडों में, जैसी भी स्थिति हो, न्यूनतम अर्हक सेवा शामिल है अनुसूची-III में यथा-विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

(3) (i) विभागीय पदोन्नति संबंधित उप-संवर्ग के अधिकारियों तक सीमित रहेगी।

(ii) संबंधित उप-संवर्ग में उच्चतर पदों पर विभागीय पदोन्नति तुरन्त निचले ग्रेड या ग्रेडों, जैसी भी स्थिति हो, के सेवा के अधिकारियों में से अनुसूची-IV के अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर की जायेगी।

(4) (क) सेवा में विभिन्न ड्यूटी पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं, अनुभव तथा आयु-सीमा अनुसूची-V के अनुसार होंगी;

(ख) अनुसूची-VI में विनिर्दिष्ट सुपरस्पेशलिटी के पदों पर सीधी भर्ती जिसके लिये न्यूनतम अनिवार्य योग्यता डॉक्टर ऑफ मैडिसिन या मैजिस्टर चिरूरजी (एमसीएच) या समकक्ष में 6,600 रुपये ग्रेड पे पीबी-3 (संशोधित पूर्व वेतनमान 10,000-15,200 रुपये) है, में होगी;

(ग) मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता अनुसार VI के अनुसार होगी।

टिप्पण : (i) सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य अधिकारी (एनएफएसजी) एवं एसएजी के पद तथा गैर-अध्यापन उप-संवर्गों में विशेषज्ञ ग्रेड-III, विशेषज्ञ ग्रेड-II, विशेषज्ञ ग्रेड-I एवं एसएजी के पद पदोन्नति के उद्देश्य के लिये संबंधित उप-संवर्गों में परस्पर परिवर्तनीय होंगे;

(II) उपरोक्त ग्रेडों (प्रविष्टि ग्रेडों को छोड़कर) में पदोन्नति एमएजी स्तर तक रिक्तियों की संबंधिता से होंगे।

8. प्रतिनियुक्ति द्वारा ड्यूटी पदों को भरना (अल्पावधि अनुबंध सहित)-(1) नियम 7 में कुछ भी होते हुए जहां सरकार का मत है कि पदों को भरना आवश्यक या समीचीन है तो लिखित अभिलेखबद्ध कारणों से सामान्य ड्यूटी उप-संवर्ग चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में तथा गैर-अध्यपन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-3 के राज्य सरकार (रेलवे एवं रक्षा मंत्रालयों सहित)/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन समयरूप पदधारी उपयुक्त अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा या सांविधिक निकायों, स्वायत्त निकायों, अर्ध-शासकीय संगठनों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त शोध संस्थानों से आयोग के परामर्श से समरूप पदधारी उपयुक्त अधिकारियों के अल्पावधि अनुबंध द्वारा ड्यूटी पद भरे जायेंगे जो पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे:

(1) बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति पर भरे गये पदों के विषय में सरकार को आयोग के परामर्श से केवल गैर-अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में आमेलन पर नियुक्ति पर विचार का अधिकार होगा।

(2) प्रतिनियुक्ति या अनुबंध की अवधि सामान्य तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जो विशेष परिस्थितियों में, यदि सरकार उचित समझती है पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

(3) प्रतिनियुक्ति या आमेलन आधार पर ड्यूटी पदों पर नियुक्ति के लिये अधिकारी अन्य के साथ-साथ इस नियमावली की अनुसूची-V में पदों के लिये निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को भी पूरा करेंगे।

9. वरिष्ठता- (1) सम्बंधित उप-संवर्ग के किसी ग्रेड में नियुक्ति सेवा के सदस्य के परस्पर वरिष्ठता क्रम या सेवा के उप-संवर्ग की सम्बद्ध विशिष्टता में, जैसी भी स्थिति हो, उप-नियम 6(1) के अन्तर्गत सेवा के प्रारंभिक गठन के समय नियम 6(1) के अंतर्गत ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता इस नियमावली के लागू होने की तिथि पर प्राप्त की गई वरिष्ठता के अनुसार होगी:

बशर्ते कि यदि ऐसे किसी सदस्य की वरिष्ठता उक्त तिथि को विनिर्दिष्ट रूप से निर्धारित नहीं की गई है तो इसका निर्धारण इस नियमावली के लागू होने से पूर्व सदस्य की सेवा पर लागू वरिष्ठता को निश्चित करने संबंधी नियमों के आधार पर या आयोग के साथ परामर्श करके, जैसी भी स्थिति हो, के आधार पर किया जाएगा।

(2) जिन अधिकारियों की नियुक्ति नियम 6(1) के अन्तर्गत हुई है उन्हें छोड़कर अन्य अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण इस विषय में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) नियम 4 के उप-नियम (5) के अनुसार सेवा में भर्ती व्यक्तियों की वरिष्ठता उसमें उपबंधित रूप में निश्चित की जायेगी।

(4) प्रारंभिक गठन की अवस्था पर तैनाती से पूर्व संविदा आधार/तदर्थ आधार

पर कार्य कर चुके डाक्टरों द्वारा ली गई वेतनवृद्धियां जिनका, यदि बचाव किया गया हो, तो यह सेवा काल निर्धारण के लिये या प्रारंभिक गठन के समय उनकी तैनाती के बाद समयमान के आधार पर पदोन्नति के लिये वरिष्ठता हेतु विचारणीय नहीं होगा।

10. **परिवीक्षा-** (1) प्रारंभिक गठन के भाग के रूप में नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष के लिये परिवीक्षा पर होगा। प्रावधान है कि नियंत्रण प्राधिकारी समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकते हैं। आगे प्रावधान है कि परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने का निर्णय सामान्यतः पिछली परिवीक्षा अवधि के बीतने पर तथा आठ सप्ताह के भीतर लिया जायेगा तथा ऐसा किये जाने के कारणों को बताते हुये उक्त अवधि में संबंधित अधिकारी को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।

(2) परिवीक्षा या बढ़ी हुई परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने पर यदि उपयुक्त समझा जाता है तो अधिकारी को पद पर स्थाई घोषित किया जायेगा यदि उसे पहले प्रविष्टि ग्रेड में स्थाई नहीं किया गया था।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या उसकी विस्तारित अवधि जैसी भी स्थिति हो, के दौरान सरकार का विचार है कि कोई अधिकारी स्थाई नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं है तो सरकार उसे बर्खास्त कर सकती है या सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर जैसी भी स्थिति हो, प्रत्यावर्तन कर सकती है।

(4) परिवीक्षा या इसकी विस्तारित अवधि के दौरान परिवीक्षा के संतोषजनक पूर्ण करने की शर्त के रूप में सरकार यथापेक्षित किसी परीक्षा तथा परीक्षाओं को उत्तीर्ण (हिन्दी में परीक्षा सहित) करने के लिये अधिकारी को किसी पाठ्यक्रम तथा शिक्षण लेने के लिये कह सकती है।

(5) जहां तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों का संबंध है सदस्यों की सेवा इस संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नियंत्रित की जायेगी।

11. **सेवा में नियुक्ति-** सेवा में सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति आधार पर (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन के आधार पर सभी नियुक्तियां आयोग से परामर्श करके की जाएंगी।

12. **तैनाती-** सेवा में नियुक्त अधिकारी दिल्ली सरकार के किसी भी संस्थान में सेवा करने के प्रति उत्तरदायी होंगे।

13. **निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध-** (1) सेवा में नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी चाहे जो भी हो जिसमें कोई परामर्श तथा प्रयोगशाला अन्यास शामिल है।

(2) तथापि ऐसे व्यक्ति अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट दरों पर गैर-प्रैक्टिस भत्ते के हकदार होंगे।

14. **स्वास्थ्य सेवा की शर्तें-** (1) सदस्यों की सेवा नियमावली के संबंध में जो इन नियमों में स्पष्ट रूप से नहीं है यथासंभव परिवर्तनों सहित तथा सेवा के संबंध में सरकार द्वारा जारी किसी विशेष आदेश के अधीन रहते हुए उसी प्रकार होगी, जैसी केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर सामान्यतः लागू है।

(2) (क) इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले अर्थात् दिनांक 1.1.2004 से पहले नियम 6 के उप-नियम (1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 से नियंत्रित होंगे।

(ख) दिनांक 1.1.2004 के बाद नियम 6 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी नयी पेंशन योजना से नियंत्रित होंगे।

(ग) नियम 6 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी दिनांक 1.1.2004 के बाद लागू नयी पेंशन योजना से नियंत्रित होंगे।

15. **अयोग्यता**-कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

(क) जिसने किसी ऐसे अन्य महिला/पुरुष से विवाह का करार किया है जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी एवं पति है या

(ख) जिसने जीवित पति अथवा पत्नी के रहते हुए किसी अन्य से विवाह किया हो;

उपबंध है कि यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीयविधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

16. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों की किसी श्रेणी वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

17. **बचाव** : इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. **व्याख्या**- यदि इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उस स्थिति में सरकार आयोग के परामर्श से इस पर निर्णय लेगी।

अनुसूची-

विश्वविद्यालय सेवा में कार्यरत एच-क वर्गों के ग्रेड, चैकप्राइस तथा
नैर प्रोफेसर एवं प्रोफेसर I-ग्रेड एवं चैकप्राइस

क्र.सं.	ग्रेड	विवरण
1.	I सुपरग्राहस ग्रेड	पे बैंड पीबी-1, 27,100-67,000 रुपये ग्रेड पे 10,000 रुपये
2.	स्पेशलिस्ट ग्रेड (नैर-प्रोफेसर)	
	(क) स्पेशलिस्ट ग्रेड-I	पे बैंड पीबी-1, 27,100-67,000 रुपये
	(i) स्पेशलिस्ट ग्रेड-II (सुपर स्पेशलिस्ट्स)	ग्रेड पे 8,700 रुपये
	(ii) स्पेशलिस्ट ग्रेड-III (सुपर स्पेशलिस्ट्स के अतिरिक्त)	पे बैंड पीबी-1, 27,100-67,000 रुपये ग्रेड पे 8,700 रुपये
	(ख) स्पेशलिस्ट ग्रेड-III	पे बैंड पीबी-3, 15,600-29, 100 रुपये
	(i) स्पेशलिस्ट ग्रेड-III (सुपर स्पेशलिस्ट्स)	ग्रेड पे 7,600 रुपये
	(ii) स्पेशलिस्ट ग्रेड-III (सुपर स्पेशलिस्ट्स के अतिरिक्त)	पे बैंड पीबी-3, 15,600-29, 100 रुपये ग्रेड पे 7,600 रुपये
	(ग) स्पेशलिस्ट ग्रेड-III	पे बैंड पीबी 3, 15,600-29, 100
	(i) स्पेशलिस्ट ग्रेड-III (सुपर स्पेशलिस्ट्स)	ग्रेड पे 6,600 रुपये
	(ii) स्पेशलिस्ट ग्रेड-III (सुपर स्पेशलिस्ट्स के अतिरिक्त)	पे बैंड पीबी 3, 15,600, 100 रुपये, ग्रेड पे 6,600 रुपये
3.	सानाट ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड	
	(क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड प्रकाशनिक चरण ग्रेड)	पे बैंड-1, 27,100-67,000 रुपये ग्रेड पे 8,700 रुपये

- (ख) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पे बैंड पीबी-3, 15, 600-39, 100 रुपये बैंड पे 7, 600 रुपये
- (ग) चरिण्ड चिकित्सा अधिकारी पे बैंड पीबी-3, 15, 600-39, 100 रुपये बैंड पे 6, 600 रुपये
- (घ) चिकित्सा अधिकारी पे बैंड पीबी-3, 5, 600-39, 100 रुपये, बैंड पे 5, 100 रुपये
- II. नैर प्रीक्त्सा धत्ते की दर - केन्द्र सरकार द्वारा सनाद-सनाद पर जारी अदेशों के अनुसार ग्राह्य ।
- III. स्नातकोत्तर धत्ताध्याज धत्ताधैक्षिक धत्ता-केन्द्र सरकार द्वारा सनाद-सनाद पर जारी अदेशों के अनुसार ग्राह्य ।

अनुसूची-II

विस्तृत रक्षणस्य सौच (एन्सेपेक्ष) को प्रमाणित संख्या इत्यने पद

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1.	पे बैंड पीबी-1 नै 37, 100-67, 100 रुपये नै सपर वास्य बैंड/चरिण्ड प्रशासनिक बैंड पदनाम पद (फर्नीचर पोस्ट)	कुल पद-36
1.	अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, लोक गायक अस्पताल	1
2.	चिकित्सा अधीक्षक, अरुणा असाफ अली अस्पताल	1
3.	चिकित्सा अधीक्षक, सल्ट गांधी नैगोरेटल अस्पताल	1
4.	अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, गुरु तेग बहादुर अस्पताल	1
5.	अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य सौच/ निदेशालय	1
6.	सी डीएनएएस स्वास्थ्य सौच/ निदेशालय	3

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
7.	चिकित्सा अधीक्षक, दीन दयाल त्रिपाठ्याय अस्पताल	1
8.	निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं	1
9.	निदेशक, परिवार कल्याण निदेशालय	1
10.	चिकित्सा अधीक्षक, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, जगजपुरी	1
11.	परामर्शदाता, लोक नाटक अस्पताल	3
12.	चिकित्सा अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल	1
13.	परामर्शदाता, डी.बी. पन्त अस्पताल	1
14.	चिकित्सा अधीक्षक, डी.बी. पन्त अस्पताल	1
15.	परामर्शदाता, गुरु तेग बहादुर अस्पताल	1
16.	चिकित्सा अधीक्षक, धनानाग नाबालीर अस्पताल	1
17.	चिकित्सा अधीक्षक एमसी जेसी अस्पताल	1
18.	अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, दीन दयाल त्रिपाठ्याय अस्पताल	2
19.	चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. हैडगेवार अरोप्ट संस्थान	1

*09. श्री वेद प्रकाश : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य हेतु कितनी नई डिस्पेंसरियां खोली गई हैं, इनका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ख) क्या यह सत्य है कि बवाना विधान सभा में मोहल्ला क्लीनिक खोलने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(ङ) बवाना विधान सभा क्षेत्र में डेंगू की रोकथाम के लिये निगमों को कितनी धनराशि दी जानी थी, उसका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(च) क्या यह राशि आबंटित कर दी गई है; और

(छ) यदि हां, तो यह धनराशि कब तक दे दी जाएगी, उसका पूर्ण विवरण क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिल्ली सरकार डिस्पेंसरी/सीड पी.यू.एच.सी. की बवाना विधान सभा क्षेत्र की 6 डिस्पेंसरियां खोली गयी हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक के लिये बवाना विधान सभा क्षेत्र में 6 चिन्हित स्थानों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ड) स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगमों को डेंगू की रोकथाम के लिये विधानसभा क्षेत्रवार बजट प्रदान नहीं किया जाता। वर्ष 2015-16 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूरे क्षेत्र के लिये डेंगू की रोकथाम के लिये कुल 3,722/-लाख रुपये के बजट का प्रावधान है तथा बजट की पूरी राशि जारी कर दी गई है।

(च) समुचित राशि आबंटित कर दी गई है।

(छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

संलग्नक-1

LIST OF DELHI GOVT. ALLOPATHIC DISPENSARIES & SEED PUHC IN BAWANA ASSEMBLY CONSTITUENCY

District	S.No.	Dispensary/PUHC and Full Address	Contact No.
North-West	1	DGD Majra Dabas : Village Majra Dabas, Delhi	27755536
North-West	2	Seed PUHC Begumpur: Near Indraprastha Public School] Begumpur, Delhi	27581424
North	3	DGD Bawana: Sector-5, Bawana Industrial Area	NA
North	4	DGD Harewali: Village Harewali	27752950
North	5	DGD Katewara: Village Katewara	27741874
North	6	DGD Darya Pur Kalan: Vilage Dryapur	27751202

संलग्नक-2

**LIST OF SITES FOR AAM AADMI MOHALLA CLINIC IN BAWANA
ASSEMBLY CONSTITUENCY**

S.No.	Address of Site	District
1.	C/o Mr. karam veer Dabas, Village Sultanpur Dabas Delhi-110039	North
2.	126, Ishwar Colony, Ext. 3, Bawana	North
3.	H. No. 13A, Rajiv Nagar, Begumpur, Opp. Sector-22, Rohibi, Delhi-110086	North-West
4.	H.No. E-31, Rajiv Nagar, Negumpur, Opp. Sector-22, Rohini, Delhi-110086	North-West
5.	E-150 Sai Chowk, Rama Vihar, Delhi-110081	North-West
6.	H. No. 47-D, Budh Vihar, Phase-II, Delhi-110086	North-West

10. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वास्थ्य मानकों के आधार पर कितने व्यक्तियों पर स्वास्थ्य सुविधा/अस्पताल होने चाहियें और वर्तमान में उन स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने में कितनी कमी है;

(ख) क्या उस कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली सरकार द्वारा अब तक कितने अस्पताल/डिस्पेंसरियां खोले गये और उनमें कितने और स्टाफ की भर्ती की गई है; और

(घ) कितने सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की बढ़ोतरी की गई है; पूरा ब्यौरा दें ?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) से (घ) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना बहुत सारे मानकों जिनमें कि जनसंख्या डेमोग्राफी, भौतिक संरचना (सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, संचार सेवायें इत्यादि), सामाजिक-आर्थिक स्तर, रोग-विवरण, उपचार प्राप्त करने की रुचि, उपलब्ध वित्त-राशि, सम्मिलित है, के आधार पर की जाती है। भारत सरकार की संस्तुति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र के लिये 5,000 की जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र, 30,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 1,20,000 जनसंख्या पर एक समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना होनी चाहिये। दिल्ली में, 50,000 की जनसंख्या पर दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी तथा सीड् प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाती है। दिल्ली में वर्तमान में 1389 डिस्पेंसरियां, 267 प्रसूति केन्द्र, उप केन्द्र तथा शहरी कल्याण केन्द्र हैं। इस तरह से जनसंख्या के अनुसार ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। यद्यपि, दिल्ली में बड़ी संख्या में बाहर से आने वाली जनसंख्या के कारण डिस्पेंसरियों एवं अस्पतालों को भीड़भाड़ का सामना करना पड़ता है।

सरकार का अस्पताल में मौजूदा 10,000 बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर दौगुना अर्थात् 20,000 करने का प्रस्ताव है। दिल्ली सरकार के 21 अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के लिये उन्हें रि-मॉडलिंग प्लान तैयार कर लिया गया है। नागरिकों की ओ.पी.डी. जरूरतों को पूरा करने के लिये दिल्ली सरकार का अगले वित्त वर्ष तक 1000 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करने का प्रस्ताव है। पायलेट प्रोजैक्ट के अन्तर्गत सरकार मार्च, 2016 में 100 मोहल्ला क्लीनिक शुरू करने का प्रस्ताव है। इस पायलेट प्रोजैक्ट के लिये 140 एम.बी.बी.एस. स्नातकों को एम्पैनल्ड (Empanelled) किया गया है। डिस्पेंसरियों तथा अस्पतालों में नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु 1257 सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (GDMO) के स्वीकृत पद हैं, इनमें से 679 रिक्तियों की भर्ती

का कार्य संघ लोक सेवा आयोग के साथ प्रक्रियारत है। इसके अतिरिक्त 634 विशेषज्ञ चिकित्सकों (Specialists) के स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 323 रिक्त पदों की भर्ती का कार्य संघ लोक सेवा आयोग के साथ प्रक्रिया में है।

वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा 266 डिस्पेंसरियों/पॉलीक्लीनिक एवं 39 अस्पतालों के माध्यम से दिल्ली की जनसंख्या को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

11. **श्री विजेन्द्र गुप्ता :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सब्जी मंडी स्थित मोर्चरी के नवीनीकरण के लिये माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये आदेश क्या हैं और इनके अनुपालन की सरकार की क्या विस्तृत योजना है;

(ग) इसमें कितने पद अभी रिक्त हैं;

(घ) उन्हें भरने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं का नितांत अभाव है तथा फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भारी कमी है;

(च) यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या उपाय कर रही है;

(छ) क्या यह भी सत्य है कि मोर्चरी में एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था का अभाव है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार मृत शरीरों को सड़ने से बचाने के लिये क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, दिल्ली सरकार की सभी मोरचरियों में नए उपकरण व यंत्र खरीदने बुनियादी ढांचा और इसके रखरखाव के लिये आदेश दिये हैं। सभी मोरचरियां इस आदेश का पालन करने के लिये प्रयासरत हैं।

(ग) वर्तमान में इनमें 58 पद रिक्त हैं।

(घ) यह सरकार के पास विचाराधीन है।

(ङ) जी नहीं। यह सत्य नहीं है। दिल्ली सरकार के अधीन सभी मोरचरियों में कोल्ड स्टोरेज की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और सरकार इन सुविधाओं को और ज्यादा बढ़ाने व इनके रखरखाव के लिये कार्यरत है। यदि किसी मोरचरी में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की कमी पाई जाती है तो सरकार इसके लिये अतिरिक्त फॉरेंसिक विशेषज्ञों का पुनः वितरण द्वारा इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(छ) जी नहीं।

(ज) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

12. **श्री ओ.पी. शर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में मुफ्त दवाईयां देने का ऐलान किया था;

(ख) यदि हां, तो अभी तक किन-किन अस्पतालों में यह व्यवस्था कर दी गई है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि अभी भी सभी रोगियों को मुफ्त दवा नहीं मिल पा रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) इस निमित्त कितने बजट का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर दी गई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ङ) वर्ष 2015-16 में 230 करोड़ रुपये का प्रावधान सी.पी.ए. के अन्तर्गत किया गया है।

13. **श्री ओ.पी. शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और यमुना पार स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पिछले कई वर्षों में बनकर तैयार हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उनमें अभी तक केवल ओपीडी की सुविधाएं ही दी जा रही हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस अस्पताल के रखरखाव तथा अन्य तैनात कर्मचारियों पर प्रतिमाह करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इन्हें अब तक पूरी क्षमता पर चालू न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह कब तक पूर्णतया चालू होगा?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। यह सत्य नहीं है। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी एवं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को ओपीडी की सुविधा के अतिरिक्त अन्य विभागों में भी सेवायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(ग) जी नहीं। इन अस्पतालों के रखरखाव तथा अन्य तैनात कर्मचारियों पर नियमानुसार ही रुपया खर्च किया जा रहा है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

14. **श्री जगदीश प्रधान :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गत वर्षों की अपेक्षा दिल्ली में वर्ष 2015 में गर्भपात के मामले में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किस अनुपात में यह वृद्धि हुई है;

(ग) इस बेतहाशा वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि पश्चिम दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय लिंग जांच गिरोह पकड़ा गया है; और

(ड) लिंग जांच पर रोक लगाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य मंत्री : जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(घ) जी हां।

(ड) लिंग पांच को नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं:-

- ★ दोषी व्यक्ति के विरुद्ध पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत उचित कार्यवाही की गई, जिसमें प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करके केन्द्र का पंजीकरण रद्द किया गया तथा अल्ट्रासाउंड मशीन सील की गई।
- ★ अल्ट्रासाउंड/पराध्वनि मशीनों की बिक्री की जांच करने के संबंध में मशीन निर्माताओं का पंजीकरण करना।
- ★ अस्पताल एवं आई.वी.एफ. केन्द्रों के अनुसार लिंग अनुपात की जांच करना।
- ★ समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में दिनांक 14.10.15 से फार्म (एफ) का ऑनलाईन प्रक्षेपण आरम्भ कर दिया गया है।
- ★ वर्ष 2015-16 में 11 कार्यशालाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया है।
- ★ महत्वपूर्ण स्थानों पर शिकायत पेटी लगवाने का कार्य किया गया है।
- ★ अल्ट्रासोनोग्राफी की स्थिति से गुजरने हेतु गर्भवती महिलाओं के लिये पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया को आवश्यक किया गया है।

- ★ जिन स्थानों पर लिंग अनुपात जांचने के लिये ए.एन.सी. की सेवायें दी जा रही हैं, उन (सरकारी और निजी अस्पतालों) के ओ.पी.डी. रिकार्ड की जांच की जाती है।
- ★ दिल्ली में समय-समय पर स्टिंग ऑपरेशन करना।
- ★ गैर कानूनी एम.टी.पी. केन्द्रों, बिना पंजीकरण कार्यरत अल्ट्रासाउंड मशीनों एवं लिंग जांच इत्यादि के संबंध में शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपये की राशि देने हेतु अनुमोदन करना।

15. **श्री जगदीप सिंह :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हरि नगर स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के बगल में स्थित 32 एकड़ भूमि के प्लॉट पर मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को शुरू करने की सरकार की क्या समयबद्ध योजना है; और

(ग) दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के अपग्रेडेशन एवं वहां मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं बढ़ाने हेतु सरकार की क्या प्रस्तावित विकास योजनाएं हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) भूमि के आवंटन के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(ग) इस अस्पताल में लैप्रोस्कोपी, एम.आर.आई. मशीन, न्यू एक्स-रे मशीन, आई.सी.यू. का विस्तार एवं अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

16. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएसईएस को मनमाने ढंग से लोगों के मीटर के लोड बढ़ाने से रोकने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के आदेश संख्या एफ-11(548)/डीईआरसी/2009/10/सीएफ सं. 2373/4557 दिनांक 01.02.2011 के अनुसार उपभोक्ता का विस्तृत लोड तीन एमडीआई से ज्यादा लोड के प्रतिशत के आधार पर संशोधित (कम/ज्यादा) किया जाता है।

17. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएसईएस के ट्रांसफार्मर बनाकर मल्टी स्टोरी भवनों पर लगाए जा सकते हैं?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां। लेकिन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमन की धारा 44(vi)(e) के अनुसार केवल डाई टाईप ट्रांसफार्मर को ही आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों में स्थापित किया जा सकता है।

18. श्री महेन्द्र गोयल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा Bare overhead Conductor की जगह HT (ABC) LT (ABC) की लाईन डालने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार की छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर के स्थान पर बड़े ट्रांसफार्मर लगाने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री : (क) और (ख) वितरण कम्पनियां समय-समय पर HT (ABC) तथा LT (ABC) लाइनें आवश्यकतानुसार डालते रहते हैं।

(ग) वितरण कम्पनियां समय-समय पर ट्रांसफार्मर की क्षमता का आकलन करके अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाती रहती है।

(घ) वितरण कम्पनियों द्वारा कार्य जारी है।

19. श्री आदर्श शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र की जिन गलियों एवं सड़कों पर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था नहीं है, वहां स्ट्रीट लाईट लगाने के लिए बिजली कम्पनी बीएसईएस से अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उन गलियों में बीएसईएस बिजली कम्पनी के ईटीएस विभाग ने विधायक कोष से एलईडी लाईट लगवाने की अनुमति नहीं दी है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) सभी गलियों एवं सड़कों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी;

(ड) द्वारका विधान सभा क्षेत्र में जनसंख्या के अत्यधिक घनत्व को ध्यान में रखते हुए वहां बेहतर बिजली सेवा उपलब्ध कराने हेतु क्या सरकार वहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर/ग्रिड बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में बीएसईएस द्वारा प्रस्तुत किए गए आकलन को विशेषज्ञ तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है क्योंकि दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा कमेटी को यह सूचित किया गया है कि इस संबंध में दक्षिण दिल्ली नगर निगम में एक नीति बनाई जा रही है।

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा इसका समाधान करने के लिए वितरण कम्पनियों तथा दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ समन्वय (Co-ordination) बैठकें की जा रही हैं।

(घ) विवरण कम्पनी को नगर निगम से राशि प्राप्त होते ही कार्य आरम्भ हो जाएगा। समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार स्ट्रीट लाईट के लिए शीघ्र ही विस्तृत दिशानिर्देश/नीति जारी करेगी।

(ड) जी हां।

(च) द्वारका विधान सभा क्षेत्र में बेहतर बिजली की सेवा उपलब्ध कराने हेतु वितरण कम्पनी द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं:-

1. जी-4 द्वारका में 50 एमवीए क्षमता बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है।
2. जी-7 द्वारका में 50 एमवीए क्षमता बढ़ाने के लिए अनुबन्ध हो चुका है। इसके अलावा जी-6 द्वारका में 20/16 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जा चुका है।

3. पारेषण कम्पनी (Delhi Transco Ltd.) द्वारा 320 एमवीए पारेषण क्षमता और जोड़ी गई है।

20. श्री ओ.पी. शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कोई कमेटी बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन थे;

(ग) इसकी नियुक्ति की स्वीकृति किस सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई;

(घ) क्या यह सत्य है कि यह नियुक्ति दिल्ली उच्च-न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार हुई है;

(ङ) यदि हां, तो वे दिशा निर्देश क्या हैं;

(च) क्या यह नियुक्ति दिल्ली विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत न्यायसंगत है;

(छ) इसके अनुसार चयन समिति के कौन-कौन सदस्य होते हैं; और

(ज) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार के राजपत्र संख्या-185 दिनांक 2004 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्देश है कि उपराज्यपाल विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का उपयोग और निर्वहन करेंगे?

ऊर्जा मंत्री : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली सरकार ने अध्यक्ष, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के चयन के लिए एक समिति गठित की है। समिति के निम्न सदस्य हैं:-

1. न्यायमूर्ति एस.एन. अग्रवाल दिल्ली उच्च न्यायालय अध्यक्ष
तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
2. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार सदस्य
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग सदस्य

(ग) इस चयन समिति की नियुक्ति मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार द्वारा की गई।

(घ) जी हां।

(ङ) माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने दायर याचिका संख्या WP (C) 11605/2015 के परिणाम पर निर्भर नियुक्तियों के लिए चयन की अनुमति दिल्ली सरकार को दी है। माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि नियुक्ति पत्र में यह लिखा जाए कि नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर निर्भर रहेगी।

(च) जी हां। यह नियुक्ति विद्युत अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई है।

(छ) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 85 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित चयन समिति का गठन करना अपेक्षित है:-

1. एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है अथवा न्यायाधीश रहे हैं - अध्यक्ष
2. संबंधित राज्य का मुख्य सचिव - सदस्य
3. प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष - सदस्य

(ज) जी हां। दिनांक 20.02.2004 के भारत सरकार के अधिसूचना संख्या एस. ओ. 217(ई) जो भारत के राजपत्र संख्या 185 दिनांक 20.02.2004 में प्रकाशित

हुआ था, के अनुसरण में, यह निदेश हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और दिल्ली के उप राज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेशों तक, राज्य सरकार के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) के उपबंधों के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। किन्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सुविचारित राय में संविधान के अनुच्छेद 239AA, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनस रूल 1993 में प्रदत्त शक्तियों तथा कार्यों के निर्वहन के अनुसार माननीय उपराज्यपाल निर्वाचित कार्यपालिका की सहायता एवं सलाह मानने के लिए बाध्य है। ये शक्तियां तथा कार्य संविधान के अनुच्छेद 239AA के अनुसार निर्वाचित कार्यपालिका को स्थान्तरित किए गए हैं। इसलिए निर्वाचित कार्यपालिका ने इस विषय में फैसला लिया है जोकि माननीय उपराज्यपाल की ओर से तथा माननीय उपराज्यपाल के द्वारा लिया गया माना जायेगा।

21. **श्री सोमनाथ भारती :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि बसंत कौर मार्ग से महर्षि दयानन्द मार्ग को जाते हुए हर समय जाम रहने वाले बायें मोड़ को चौड़ा करने हेतु बसंत कौर मार्ग एवं महर्षि दयानन्द मार्ग, मालवीय नगर जंक्शन पर बीएसईएस पावर स्टेशन के कब्जे वाली 976 वर्ग मीटर अतिरिक्त जमीन प्राप्त करने की सरकार की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में बेकार पड़े बीएसईएस के खंभों को सड़क के बिल्कुल दूसरी तरफ शिफ्ट करने की सरकार की योजना है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) क्या यह सत्य है कि मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के (जिंदा तारों) वाले खंभों को दूसरी ओर शिफ्ट करने एवं जिया सराय के अन्दर स्थित ट्रांसफार्मर को कालोनी के बाहर मुख्य सड़क पर शिफ्ट करने की सरकार की योजना है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

ऊर्जा मंत्री : (क) और (ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) किसी भी बेकार पड़े वितरण कम्पनी के खम्भे को इनके यदि भविष्य में इस्तेमाल की कोई योजना नहीं है तो उन्हें हटा दिया जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

22. श्री जगदीश प्रधान : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बिजली विभाग द्वारा मीटर बिना पूर्व नोटिस के बदले जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस तरह बदले जा रहे मीटर ज्यादा तेज चलते हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि मीटर लगाये जा रहे हैं, वह तेज चलते हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि चुनाव के बाद फिर वही मीटर लगाये जा रहे हैं; और

(ड) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, उसका पूर्ण विवरण क्या है?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी नहीं। मीटर बदलने के लिए पूर्व सूचना दी जाती है सिर्फ प्रवर्तन विभाग (वितरण कम्पनी) द्वारा चैक किये जाने पर और मीटर में किसी प्रकार का संदेह होने पर मीटर तुरन्त बदला जाता है।

(ख) से (ड) सरकार के पास समय-समय पर उपभोक्ता/संगठनों द्वारा इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों को जन शिकायत केन्द्र के पास भेजा जाता है जोकि इन मीटरों की निष्पक्ष संस्था से जांच कराता है। यह प्रावधान दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को उचित निर्देश दे कर कराया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के निर्देश पर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने खुद की पसंद के मीटर का भी प्रावधान कर दिया है जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता को वितरण कम्पनी से मीटर लेना आवश्यक नहीं है तथा वह अपना मीटर स्वयं खरीद सकते हैं।

23. सुश्री भावना गौड़ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उपभोक्ताओं बिजली के लोड तीन किलोवाट से अधिक होने पर उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है इसका पूर्ण विवरण क्या है?

ऊर्जा मंत्री : (क) और (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार जिन आवेदकों के बिजली के लोड 2 किलोवाट से अधिक पाये जाते हैं वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड के पात्र नहीं हैं।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

24. **सुश्री भावना गौड़ :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली विभाग द्वारा नियमित रूप से छापे डालने से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की क्या योजना है; और

(ख) निर्धारित समय सीमा से ज्यादा बिजली कटौती को नियंत्रित करने की सरकार की क्या योजना है?

ऊर्जा मंत्री : (क) दिल्ली सरकार ने संबंधित विषय को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के साथ उठाया है जिसके अनुसार उचित दिशानिर्देश पारित करने के लिए कहा गया है और सुझाव दिया है कि वितरण कम्पनियों द्वारा इस तरह के मामले में बिल जारी करने से पहले जन शिकायत केन्द्र से अनुमोदन कराया जाए।

(ख) दिल्ली सरकार ने संबंधित विषय को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के साथ उठाया है और ये कहा है कि अघोषित बिजली कटौती को कम से कम करने के लिए दिशानिर्देश जारी करें साथ ही कड़े दंड का प्रावधान भी लागू करें।

25. **श्री वेद प्रकाश :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार द्वारा बवाना विधान सभा में साहित्य, कला व भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए किसी रंगमंच आदि का निर्माण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री : (क) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) साहित्य कला परिषद व भाषा अकादमियां दिल्ली के सभी क्षेत्रों में अनुरोध प्राप्त होने पर कार्यक्रम आयोजित करती हैं।

26. श्री ओ.पी. शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हिंदी, पंजाबी, उर्दू तथा सिंधी भाषाओं के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए भाषा अकादमियों तथा संस्कृति और कला के विकास और उनको प्रोत्साहन के लिए साहित्य कला परिषद का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सभी अकादमियों को दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए बजट का वर्षवार ब्यौरा दें;

(ग) सरकार द्वारा सभी अकादमियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख)

अकादमी	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	प्लान	नॉन	प्लान	नॉन	प्लान	नॉन	प्लान	नॉन
	रु.(लाख)	प्लान	रु.(लाख)	प्लान	रु.(लाख)	प्लान	रु.(लाख)	प्लान
	रु. (लाख)		रु. (लाख)		रु. (लाख)		रु. (लाख)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिंधी अकादमी	180	135	229	160	215	151	259	189
मैथिलि-भोजपुरी	20	-	50	-	100	-	100	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिंदी अकादमी	300	475	400	540	400	540	350	650
पंजाबी अकादमी	200	676	200	685	250	870	250	1025
संस्कृत अकादमी	165	166	280	151.75	270	172.51	289	170
उर्दू आकादमी	330	265	420	282	455	347	465	362

(ग) अकादमियों में गवर्निंग कॉउन्सिल तथा एग्जीक्यूटिव कार्यकारणी समितियों का गठन किया गया है जो सम्बंधित भाषा के प्रोत्साहन हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करती है तथा पुस्तकों व पत्रिकाओं का प्रकाशन, भाषा के शोध कार्य, लेखकों/कलाकारों/पत्रकारों को प्रोत्साहन एवं अन्य गतिविधियां की जाती हैं।

27. श्री सोमनाथ भारती : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कला संस्कृति एवं भाषा विभागों की स्थापना के उद्देश्यों एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में कोई ऑडिट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दें;

(ग) कला संस्कृति एवं भाषा के प्रोत्साहन हेतु दिल्ली सरकार की सिफारिश पर कितने ट्रस्ट एवं सामाजिक संस्थाओं को भूमि दी गई है; उनके नाम, पते, एवं अनुबंध के नियम-शर्तों सहित पूर्ण विवरण दें;

(घ) क्या उक्त ट्रस्टों एवं सामाजिक संस्थाओं का उनके वास्तविक उद्देश्यों के सम्बन्ध में कोई ऑडिट किया गया है; पूर्ण विवरण दें;

(ङ) क्या पिछड़े वर्गों में से गुनी लोगों को कला एवं संस्कृति का प्रशिक्षण देने की सरकार की कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो पूर्ण विवरण दें;

(छ) यदि नहीं, तो पिछड़े वर्गों में से गुनी लोगों को चिन्हित कर उन्हें प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रशिक्षित करने की सरकार की कोई योजना है;

(ज) क्या यह सत्य है बिरजू महाराज को गुलमोहर पार्क एवं हौज खास स्थित यामिनी डांस स्कूल की जमीन दिल्ली सरकार की सिफारिश पर दी गई थी; और

(झ) यदि हां, तो प्रार्थना पत्र, सिफारिशों-पत्र एवं आबंटन के नियम-शर्तों की प्रति प्रदान करें?

पर्यटन मंत्री : (क) जी नहीं। कला संस्कृति एवं भाषा विभागों की स्थापना के उद्देश्यों एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में कोई ऑडिट किया नहीं गया है, परन्तु प्रतिवर्ष जारी किये गए बजट एवं खर्च का ऑडिट केन्द्र सरकार एवं दिल्ली सरकार के ऑडिट विभाग द्वारा किया जाता है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार कला संस्कृति एवं भाषा विभाग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) साहित्य कला परिषद एवं भाषा अकादमियां कला संस्कृति एवं भाषा के विकास के लिए अलग-अलग अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं तथापि अलग से किसी विशेष वर्ग हेतु ऐसे कोई योजना नहीं है।

(च) लागू नहीं।

(छ) वर्तमान में ऐसी कोई योजना कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय विचाराधीन नहीं है।

(ज) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ऐसे कोई सिफारिश कला संस्कृति भाषा विभाग द्वारा नहीं की गई है।

(झ) लागू नहीं।

28. **सुश्री भावना गौड़ :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हिंदी भाषा को पूर्ण सम्मान मिले, क्या दिल्ली सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो ये प्रतिबद्धता क्या है और उसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यटन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने एवं इसके प्रचार-प्रसार हेतु हिंदी अकादमी द्वारा समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं तथा दिल्ली सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। हिंदी में कार्य करने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्र भी जारी किये जाते हैं।

29. **श्री प्रवीण कुमार :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितनी अकादमियां कार्यरत हैं;

(ख) इन अकादमियों के लिए सरकार द्वारा इस वर्ष में कितनी बजट आबंटित किया गया; और

(ग) प्रत्येक अकादमी में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं?

पर्यटन मंत्री : (क) वर्तमान में दिल्ली में इस विभाग के अधीन कुल 06 भाषा अकादमियां सिंधी अकादमी, मैथिली-भोजपुरी अकादमी, हिंदी अकादमी, पंजाबी अकादमी, संस्कृत अकादमी तथा उर्दू अकादमी कार्यरत हैं।

(ख)

अकादमी	प्लान 2015-16 रुपये (लाख)	नॉन-प्लान 2015-16 रुपये (लाख)
सिंधी अकादमी	259	189
मैथिली-भोजपुरी अकादमी	100	-
हिंदी अकादमी	350	650
पंजाबी अकादमी	250	1025
संस्कृत अकादमी	289	170
उर्दू अकादमी	465	362
योग	1713	2396

(ग)

सिंधी अकादमी कर्मचारी	21
मैथिली-भोजपुरी अकादमी अस्थाई-3	06
हिंदी, पंजाबी अकादमी से डाइवर्टेड-3	
हिंदी अकादमी	111
पंजाबी अकादमी	153
अकादमी कर्मचारियों की कुल संख्या-58	
संयुक्त पुस्तकालय कर्मचारियों की कुल संख्या-95	
संस्कृत अकादमी	21
उर्दू अकादमी	47

30. **सुश्री अल्का लाम्बा :** क्या उप-मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आर.टी.आई. की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो अभी तक ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं?

उप-मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जायेगी।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

31. **श्री जगदीश प्रधान :** क्या उप-मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार में आर.टी.आई. अधिनियम लागू है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा समय पर उनके उत्तर दिये जाते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि आर.टी.आई. का जवाब न देने की वजह से मुख्यमंत्री कार्यालय पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न हों, क्या सरकार ने इस आशय के निर्देश विभागों को जारी किये हैं; और

(च) यदि हां, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए?

उप-मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) विभागों के जन सूचना अधिकारी आर.टी.आई. अभ्यर्थी को निर्धारित समय-सीमा में उत्तर देने के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) दोषियों के विरुद्ध आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के नियमों तथा केन्द्रीय सूचना आयोग के दिशा-निर्देशों को संज्ञान में रखकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

32. **सुश्री अल्का लाम्बा:** क्या उप-मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) Adhoc एवं अस्थाई कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) सेवा की अवधि के संदर्भ में Adhoc एवं अस्थाई कर्मचारियों के नियमितिकरण हेतु क्या कोई दिशा-निर्देश मौजूद हैं;

(ग) कार्यस्थल से घर की दूरी के संदर्भ में सरकारी कर्मचारियों की तैनाती के संबंध में क्या कोई दिशा-निर्देश मौजूद हैं;

(घ) दिल्ली शहर में बढ़ते हुए यात्रा समय, प्रदूषण एवं सड़कों पर भीड़-भाड़

को देखते हुए क्या सरकार कर्मचारियों के घर से कार्यस्थल की दूरी को प्राथमिकता देने का विचार कर रही है; और

(ड) यदि नहीं, तो इस विषय पर विचार ना किये जाने के क्या कारण हैं?

उप-मुख्यमंत्री : (क) से (ड) आवश्यक जानकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सभी विभागों से एकत्रित की जा रही है। सभी विभागों से जानकारी प्राप्त होने पर समेकित उत्तर यथाशीघ्र सदन को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

33. **श्री विजेन्द्र गुप्ता :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा फाईल संख्या : एफ.1 (206) P&P/DSSB/2013, दिनांक 15.03.2013 के द्वारा स्टाफ नर्स (पोस्ट कोड-20/13) के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये क्रमशः 458 एवं 244 रिक्त पदों के लिये विज्ञापन जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त पदों के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवारों का चयन हुआ था, सूची उपलब्ध कराई जाये;

(ग) उपरोक्त रिक्त पदों के तहत अभी तक कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई है, सूची उपलब्ध कराई जायें;

(घ) उपरोक्त रिक्त पदों में वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने पद रिक्त हैं;

(ङ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इन सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) इन रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चयनित उम्मीदवारों को कब तक नियुक्त कर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) डी.एस.एस.बी. से अब तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 447 एवं 241 डोजियर प्राप्त हुए हैं, जिनकी सूची संलग्न है।¹

(ग) उपरोक्त सूचित सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। अभी तक जिसमें से 35 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों एवं 18 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः अब तक इन 53 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की जा चुकी है।

(घ) स्टाफ नर्स की पोस्टें अनुबंध पर भी भरी होने के कारण कोई पद रिक्त नहीं है।

(ङ) विभाग द्वारा स्टाफ नर्स के रिक्त पदों को भरने के लिये डी.एस.एस.बी. के माध्यम से चयन प्रक्रिया करवाई गयी थी एवं उक्त चयन प्रक्रिया के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 447 एवं 241 उम्मीदवारों का नामांकन डी.एस.एस.बी. से प्राप्त हुआ था। इन सभी उम्मीदवारों को अस्पताल आवंटित करते हुए नियुक्ति प्रस्ताव पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं एवं अभी तक जिसमें से 35 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों एवं 18 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः अब तक कुल 53 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की जा चुकी है।

(च) नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने पर उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी जाएगी।

¹ यह सूचना तारांकित प्रश्न सं. (2) के उनके भाग 'ख' के उत्तर में उपलब्ध है।

34. श्री ओ.पी. शर्मा : क्या उप-मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली सरकार में ग्रेड 1, 2, 3, एवं 4 तथा स्टैनोग्राफर्स के ग्रेड 1, 2 एवं 3 और पी.पी.एस. के कितने स्वीकृत पद हैं;

(ख) इनमें से कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं;

(ग) इन पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या इन पदों का पुनर्गठन करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा दें ?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिल्ली सरकार में दास एवं स्टैनोग्राफर्स के निम्नलिखित स्वीकृत पद हैं:

ग्रेड 1 (दास)	1569
ग्रेड 2 (दास)	2340
ग्रेड 3 (दास)	4151
ग्रेड 4 (दास)	4135
पी.पी.एस.	19
स्टैनोग्राफर्स ग्रेड-1/वरिष्ठ निजी सहायक	228
स्टैनोग्राफर्स ग्रेड-2	499
स्टैनोग्राफर्स ग्रेड-3	566

(ख) वर्तमान में इन वर्गों में रिक्त पदों की संख्या निम्न है:

ग्रेड 1 (दास)	240
ग्रेड 2 (दास)	991
ग्रेड 3 (दास)	1805
ग्रेड 4 (दास)	2802
पी.पी.एस.	01
स्टैनोग्राफर्स ग्रेड-1/वरिष्ठ निजी सहायक	111
स्टैनोग्राफर्स ग्रेड-2	45
स्टैनोग्राफर्स ग्रेड-3	436

(ग) उपरोक्त वर्णित पदों में से ग्रेड-2 (दास), ग्रेड-4 (दास) एवं स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 के लिए सीधी भर्ती का प्रावधान है। जिन्हें भरने के लिए समय-समय पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को पत्र भेजे जाते रहे हैं। वर्तमान में ग्रेड-2 (दास), ग्रेड-4 (दास) एवं स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 के क्रमशः 444, 2491 एवं 414 रिक्त पदों को भरने के लिए निवेदन बोर्ड के पास लंबित है।

इसके अतिरिक्त, पदोन्नति कोटा के अंतर्गत ग्रेड-1 (दास), ग्रेड-2 (दास), ग्रेड-3 (दास), ग्रेड-4 (दास) एवं पी.पी.एस., स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/वरिष्ठ निजी सहायक और स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 के पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक भी समय-समय पर आयोजित की जाती रही है।

वर्तमान में, दास के सभी ग्रेड और स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/वरिष्ठ निजी सहायक को पदोन्नति से भरे जाने के लिए प्रक्रिया जारी है। हाल ही में, पी.पी.एस. के 12 पदों पर योग्य स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/वरिष्ठ निजी सहायक को पदोन्नति दी गई है।

(घ) जी हां।

(ङ) दास कैडर के पुनर्गठन के विषय में मंत्रीमंडल ने विचार किया और दिनांक 31.12.2015 के मंत्रीमंडलीय निर्णय संख्या 2223 के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया है। स्टेनोग्राफर कैडर के पुनर्गठन का विषय भी विचाराधीन है तथा विभिन्न विभागों जैसे वित्त, प्रशासनिक सुधार, योजना और विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग से इस विषय में उनके विचार मांगे हैं।

35. श्री जगदीश प्रधान : क्या उप-मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्तियां संविदा स्तर पर की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2015-16 में किस-किस विभाग में कितनी नियुक्तियां की गई हैं;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों का नियमितिकरण करने की सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा दें; और

(ङ) ऐसे कर्मचारियों का शोषण होने से रोकने के लिए सरकार की क्या नीति है?

उप-मुख्यमंत्री : (क) से (ङ) आवश्यक जानकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सभी विभागों से एकत्रित की जा रही है। सभी विभागों से जानकारी प्राप्त होने पर समेकित उत्तर यथाशीघ्र सदन को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

36. श्री प्रवीण कुमार : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां डम्प की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इन्हें हटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) दिल्ली पुलिस को भविष्य में दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां डम्प करने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस के सभी जिलों में एक वाहन परिसर बनाया गया है जहां पर दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किये गए वाहनों को रखा जाता है और जरूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद जब्त किये गये वाहनों का निस्तांतरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस के थानों में जहां भी जगह उपलब्ध है जब्त किये गये वाहनों को रखा जाता है।

37. श्री आदर्श शास्त्री : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका विधानसभा क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में पुलिस थानावार कुल कितने दीवानी एवं फौजदारी मामले दर्ज कराये गये हैं;

(ख) उपरोक्त में से सुलझा लिये गये मामलों का पुलिस थानावार विवरण;

(ग) द्वारका विधानसभा क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में विभिन्न पुलिस-थानों में साइबर-क्राइम एवं वाहन चोरी के कुल कितने मामले दर्ज कराये गये;

(घ) उपरोक्त संबंध में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण; और

(ड) द्वारका विधानसभा क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) से (घ) दिल्ली पुलिस द्वारा केवल फौजदारी मामलों ही दर्ज किये जाते हैं। द्वारका विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015 व 2016 (15.03.2016 तक) पुलिस थानावार दर्ज किये गये फौजदारी मामलों का ब्यौरा व की गई कार्यवाही निम्नलिखित है

क्रम. पुलिस थाना	2015		2016	
	स्वीकृत	निपटारा	स्वीकृत	निपटारा
1. सागरपुर	917	303	192	52
2. पालम ग्रामीण	69	27	24	3
3. डाबरी	100	25	26	2

सम्पूर्ण फौजदारी मामलों का थानावार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(ड) द्वारका विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा उठाए गये कदमों का ब्यौरा परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

द्वारका विधान सभा क्षेत्र में दर्ज फौजदारी मामलों का शाना तार विवरण

HEAD	2016 PS SAGGAR PIR											
	REP	CAN	ADM	WFO	CHH	CYN	SCQ	PT	PI	UNT	PA	CHH
Acc. Mahr	2	0	2	2	0	0	0	0	2	0	2	0
Barrery	-	0	-	2	0	0	0	0	-	0	-	0
Shooting	10	0	10	2	1	0	0	1	9	0	-	2
Examination	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hur	2	0	2	1	0	0	0	0	2	0	2	0
Burglary	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
House Theft.	25	0	25	0	0	0	0	23	2	0	0	0
Pick Pocketing	8	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0
Shop Theft.	-	0	-	2	0	0	0	0	-	0	3	0
Other Theft.	55	0	55	2	2	0	0	2	33	10	2	2
Assault	-	0	-	1	0	0	0	0	-	0	1	0
Chasing	11	0	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0
C.M.T.	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Fatal Accidents	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Non-fatal Accidents	3	0	3	1	0	0	0	0	3	0	1	0

	Kindergarten	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	Total
Addition	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Multiplication	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Division	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Subtraction	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Geometry	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Algebra	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Science	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Social Studies	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Art	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Music	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Physical Education	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Language Arts	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mathematics	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Reading	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Writing	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
History	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Geography	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Health	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Environmental Science	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Career Education	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Foreign Languages	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Special Education	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Gifted/Talented	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Other	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Total	201	9	192	82	9	0	0	9	171	12	124	12	0	116

द्वारका विधान सभा क्षेत्र में दुर्ज फौजदारी मामलों का शाना तार विवरण निम्न

2013 PM PM-AM VILLAGE

HEAD	RIIP	CAN	ADDM	SSO	CHH	CYN	CCQ	PT	PM	UNT	PA	CHH	CYN	CCQ	PT	PM	DOS
Barnes	2	0	2	1	1	0	0	1	0	1	2	2	0	0	2	0	0
Rin.	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0
Hut	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Bugby	7	0	7	1	1	0	0	1	3	3	1	1	0	0	1	0	0
M.V. Ren.	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
House Thel.	3	0	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
Pick Packed	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Snow Thel.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Other Thel.	7	0	7	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
Cheating	11	0	11	1	1	0	0	1	6	2	1	1	0	0	1	0	0
Kindling	7	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Rare	3	0	3	3	3	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0
M.O. Rumer	3	0	3	3	2	0	0	2	1	0	12	9	0	0	9	3	0
48-5016 IX	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
309 IX (One Reading)	2	0	2	2	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0

Other INC	9	1	8	7	7	0	0	7	1	0	11	11	0	0	11	0	0
NIDRS Acc.	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
IT. Acc.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Debit Debitment Acc.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expenditure Acc.	2	0	2	2	2	1	0	3	0	0	8	8	2	0	6	0	0
Total	80	11	69	27	22	1	0	23	28	17	46	38	2	0	36	8	0

2016 IS-Palam Village																	
HEAD	REP	CAN	ADM	WRO	CIII	CYON	ACQ	PT	PI	INT	PA	CIII	CYON	ACQ	PT	PI	DIS
Swearing	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Hut	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Bugby	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
M.V. Fuel.	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
House Fuel.	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Pick upkeeping	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Star Fuel.	2	0	2	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0

HEAD	RTP	CLAN	ADM	WSS	CHH	CVN	ACV	PT	PI	UNT	PS	CHH	CVN	ACV	PT	PI	DIS
Other Thel.	~	0	~	0	0	0	0	0	~	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheating	2	0	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0
Simple Accidents	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Kidnapping	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9855061197	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	25	1	2~	3	2	1	0	1	14	3	3	2	1	0	1	1	0

द्वारा का विधान सभा क्षेत्र में दर्ज फौजदारी मामलों का शाना वार विवरण निम्न

2015/18-19 ARRT

HEAD	RTP	CLAN	ADM	WSS	CHH	CVN	ACV	PT	PI	UNT	PS	CHH	CVN	ACV	PT	PI	DIS
Adultery Male	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Romney	3	0	3	~	2	0	0	2	2	1	3	3	0	0	3	2	0
Snatching	6	0	6	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	1	0
Harassment	9	0	9	1	1	0	0	1	2	6	1	1	0	0	1	0	0
M.V. Thel.	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
House Thel.	7	0	7	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0
Other Thel.	33	0	33	0	0	0	0	0	3	30	0	0	0	0	0	0	0
Cheating	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

परिशिष्ट 'ख'

A. Strategy to prevent the incidents of street crimes like robberies and snatching:-

- Emphasis on beat Patrolling System.
- Enhanced police presence and patrolling.
- Identification of vulnerable areas based on crime pattern in each police station.
- Targeted checking of suspicious looking youth on motor bikes.
- Quicker reaction time through increased police presence in the area.
- Gathering of macro-intelligence by District police as well as specialized units against criminal gangs operating.
- Closer surveillance on known-criminals.
- Follow up of activities of criminals out of jail after conviction or release on bail.
- Public participation to control crime through schemes like 'Eyes and Ears' Scheme.

परिशिष्ट 'क'

द्वारका विधान सभा क्षेत्र में दर्ज फौजदारी मामलों का थाना वार विवरण

2013 PW S.A.G.A.R P.W.R

HEAD	RUP	CAN	ADM	W80	THH	CVN	ACVQ	PT	PH	UNT	PA	THH	CVN	ACVQ	PT	PH	DHS
Male	3	0	3	2	1	0	0	1	2	0	2	1	0	0	1	1	0
Adult Male	2	0	2	2	2	0	0	2	0	0	7	7	0	0	7	0	0
Barney	31	0	31	16	10	0	0	10	21	0	23	17	0	0	17	6	0
Rio	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	9	0
Ka. beting	31	0	31	3	3	0	0	3	16	12	12	7	0	0	7	3	0
Exa. tour	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Han	16	0	16	12	8	0	0	8	8	0	21	12	0	0	12	7	0
Bugby	29	0	29	3	3	0	0	3	12	12	12	3	0	0	3	0	0
Marble Tiel	137	3	132	9	3	0	0	3	132	3	10	3	0	0	3	3	0
Dani. Cal Tiel	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanaa Tiel	12	0	12	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0
M.V. Tiel	37	0	37	2	2	0	0	2	2	33	6	2	0	0	2	2	0
House Tiel	81	2	79	21	19	0	0	19	9	29	30	27	0	0	27	3	0
Snow Tiel	9	0	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
One Tiel	103	0	103	26	17	0	0	17	30	38	30	19	0	0	19	9	2
Chadig	2	0	2	3	1	0	0	1	36	7	2	1	0	0	1	3	0
Land Cockle t.	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Sim de Cockle t.	15	1	12	11	3	0	0	3	11	0	13	2	0	0	2	9	0

HEAD	REP CAN	ADM	WFO	CHH	CON	ACCQ	PT	PI	UNT	PA	CHH	CON	ACCQ	PT	PI	DIS	
Kindling	98	36	22	6	2	0	0	37	1	7	2	0	0	2	3	0	
Amalaki	3	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rice	36	0	36	27	22	0	0	22	12	0	27	22	0	0	22	5	0
M.O. Warden	81	3	78	24	13	0	0	13	62	1	32	13	0	0	13	34	0
298/2016 IX*	20	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309 IX* (Use Teasing)	5	0	5	3	0	0	0	5	0	12	0	0	0	0	0	12	0
188 IX*	35	0	35	35	3	0	32	0	0	35	35	3	0	32	0	0	0
318 IX*	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other IX*	72	0	72	22	17	1	0	16	53	2	27	1	0	26	57	0	0
Amra Acc.	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Udave Acc.	16	0	16	13	11	0	0	11	5	0	17	13	0	0	13	2	0
Chandling Acc.	6	0	6	3	3	0	0	3	3	0	27	13	0	0	13	12	0
HT Acc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udave Acc.	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pravara and Dargah Public Panchayat Acc.	2	0	2	2	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0
Other Acc.	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	985	68	917	303	183	2	0	179	529	236	203	238	2	0	222	196	2

REP: Revenue CAN; Caste or ADM; Acc: WFO; Govt: CHH; Caste: WFO; Govt

REP: Reproductive CAN; ADM: Administrative; WFO: Welfare; CHH: Child; CON: Contraceptive; ACCQ: Accidents; PT: Physical; PI: Personal; DIS: Discharge.

38. **श्री वेद प्रकाश :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बवाना विधान सभा में दिल्ली सरकार द्वारा परिवार कल्याण की कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ख) क्या दिल्ली सरकार परिवार कल्याण के लिए अन्य कोई नई योजना लागू करने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो ये योजनाएं कब तक लागू कर दी जाएंगी; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) **मातृ स्वास्थ्य योजना :** जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मातृ एवं बाल ट्रेकिंग व्यवस्था, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, संस्थागत प्रसव सेवा

योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं : मातृ स्वास्थ्य सम्बंधित:-

- ★ **जननी सुरक्षा योजना:-** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव के लिए एवं गरीबी रेखा के नीचे के सभी गर्भवती महिलाओं गृह प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि 600 रुपये (शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए), 700 रुपये (ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए) और 500 रुपये (गृह प्रसव के लिए) प्रसव के 7 दिन के अंदर दिये जाते हैं।
- ★ **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम:-** इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत निःशुल्क प्रसव एवं प्रसवोत्तर जटिलताओं के निःशुल्क इलाज की सुविधा के साथ एक साल तक के अस्वस्थ बच्चों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही निःशुल्क आहार और परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है।

- ★ **मातृ एवं बाल ट्रेकिंग व्यवस्था:-** गर्भवती महिलाओं और बच्चों (पांच साल के अंदर) को स्वास्थ्य और टीकाकरण के लिए ट्रेक किया जाता है। इससे भारी जोखिम वाले गर्भवती महिलाएं पकड़ में आ जाते हैं। और उनके स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखा जाता है। यह व्यवस्था मातृ एवं बाल मृत्यु दर कम करने के लिए है।
- ★ **प्रजनन स्वास्थ्य :-** गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व, प्रसव के समय और प्रसव उपरान्त स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। यह सेवा मातृ दर कम करने के लिए है।
- ★ **संस्थागत प्रसव :-** संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। यह मातृ दर कम करने के लिए है।

परिवार नियोजन संबंधित-

- ★ **परिवार नियोजन मुहान्वजा योजना -** किसी भी सार्वजनिक या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्था में नलबंदी/नसबंदी करवाने वाले को मुहान्वजे के तौर निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।
- ★ **परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना-** नलबंदी/नसबंदी आप्रेशन की विफलता/जटिलता मृत्यु के पश्चात् पीड़ित/पीड़िता/मृतक के परिवार को निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।
- ★ **Performance Linked Payment Plan :** इस योजना के तहत सुविधा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य कर्मी एवं आशा कार्यकर्ता को निश्चित धनराशि दी जाती है।
- ★ **Home Delivery of Contraceptives -** इस योजना के तहत आशा द्वारा गर्भनिरोधक उपायों को घर-घर तक पहुंचाया जाता है।

- ★ **Pragnancey Testing Kit** - इस योजना के तहत आशा द्वारा उनके क्षेत्र के लोगों का गर्भधारण की जानकारी किट द्वारा तुरंत उपलब्ध कराई जाती है।

सहायता अनुदान योजना -

- ★ **राज्य सरकार द्वारा निधिबद्ध (केवल दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित):**
प्रसव उपरान्त ईकाई (जिला अस्पताल), ग्रामीण परिवार स्वास्थ्य कल्याण सेवाएं।
- ★ **केन्द्र सरकार द्वारा निधिबद्ध (केवल दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित) :**
जिला क्षेत्रीय एवं शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का पुर्ननिर्माण-स्वास्थ्य चौकी एवं स्वास्थ्य उप-केन्द्र।

पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट : गर्भ धारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशोध) अधिनियम।

एम.टी.पी. एक्ट : एमटीपी एक्ट के अंतर्गत दिल्ली में जिला स्तर की समिति गठित की गई है जो मुख्य पदाधिकारी की अध्यक्षता में कानूनन वैध गर्भपात करने के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थानों का पंजीकरण, निरीक्षण तथा एक्ट के उल्लंघन संबंधित सूचनाओं पर तत्काल कारवाई करती है।

दिल्ली में किए जाने वाले गर्भपातों की विस्तृत जानकारी हर तिमाही में भारत सरकार को प्रेषित की जाती है।

बाल स्वास्थ्य योजना : जरूरी टीकाकरण, मिशन इन्द्रधनुष कवच, नवजात शिशु की देखभाल, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार की विधियां, अनीमिया, न्यूट्रीशियन रिहेबिलिटेशन केन्द्र, आशा द्वारा नवजात शिशु घरेलू देखभाल कार्यक्रम।

किशोर स्वास्थ्य योजना : किशोरों के स्वास्थ्य हेतु साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम, वार्षिक कृमि नियंत्रण कार्यक्रम।

(ख) मातृ स्वास्थ्य योजना :

1. मातृ शिशु सुरक्षा योजना - दिल्ली की अनुसूचित जाति की गर्भवती महिलाओं के गर्भ के तीसरी तिमाही के दौरान अर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए।
2. दिल्ली के अनुसूचित जाति की गर्भवती महिलाओं को मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव पूर्व देखभाल और प्रसव की सुविधा प्रदान करने की योजना।

बाल स्वास्थ्य योजना : राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल व राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने जा रही हैं।

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम : मासिक धर्म स्वच्छता योजना

(ग) मातृ स्वास्थ्य योजना : छः माह के अंदर ये योजनाएं लागू कर दी जाएंगी।

बाल स्वास्थ्य योजना : भारत सरकार अनुमोदित होने के पश्चात् दोनों उपरोक्त योजनाएं लागू कर दी जाएंगी।

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम : मासिक धर्म स्वच्छता योजना - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अनुमति के बाद (सितम्बर - अक्टूबर, 2016)

(घ) लागू नहीं है।

39. **श्री महेन्द्र गोयल :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के परिवार कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत कौन-कौन सी सहायता प्रदान की जाती है; और

(ग) इन योजनाओं की पात्रता के नियम व शर्तें क्या हैं। पूर्ण विवरण दें?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) **मातृ स्वास्थ्य योजना :** जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मातृ एवं बाल ट्रेकिंग व्यवस्था, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, संस्थागत प्रसव सेवा परिवार नियोजित संबंधित-

★ परिवार नियोजन मुहावजा योजना -

★ परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना-

★ Performance Linked Payment Plan (PPIUCD)- प्रदर्शन लिंकड भुगतान योजना

★ Home Delivery of Contraceptives - घर तक गर्भनिरोधक पहुंचाना।

★ Pragnancey Testing Kit - गर्भावस्था परीक्षण किट

पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट : गर्भ धारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशोध) अधिनियम।

एम.टी.पी. एक्ट : एमटीपी एक्ट के अंतर्गत दिल्ली में जिला स्तर की समिति गठित की गई है जो मुख्य पदअधिकारी की अध्यक्षता में कानूनन वैध गर्भपात करने के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थानों का पंजीकरण, निरीक्षण तथा एक्ट के उल्लंघन संबंधित सूचनाओं पर तत्काल कारवाई करती है।

दिल्ली में किए जाने वाले गर्भपातों की विस्तृत जानकारी हर तिमाही में भारत सरकार को प्रेषित की जाती है।

बाल स्वास्थ्य योजना : जरूरी टीकाकरण, मिशन इन्द्रधनुष कवच, नवजात शिशु की देखभाल, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार की विधियां, अनीमिया, न्यूट्रीशियन रिहेबिलिटेशन केन्द्र, आशा द्वारा नवजात शिशु घरेलू देखभाल कार्यक्रम।

किशोर स्वास्थ्य योजना : किशोरों के स्वास्थ्य हेतु साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम, वार्षिक कृमि नियंत्रण कार्यक्रम।

(ख) मातृ स्वास्थ्य योजना :

- ★ **जननी सुरक्षा योजना:-** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव के लिए एवं गरीबी रेखा के नीचे के सभी गर्भवती महिलाओं गृह प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि 600 रुपये (शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए), 700 रुपये (ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए) और 500 रुपये (गृह प्रसव के लिए) प्रसव के 7 दिन के अंदर दिये जाते हैं।
- ★ **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम:-** इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत निःशुल्क प्रसव एवं प्रसवोत्तर जटिलताओं के निःशुल्क इलाज की सुविधा के साथ एक साल तक के अस्वस्थ बच्चों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही निःशुल्क आहार और परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है।
- ★ **मातृ एवं बाल ट्रेकिंग व्यवस्था:-** गर्भवती महिलाओं और बच्चों (पांच साल के अंदर) को स्वास्थ्य और टीकाकरण के लिए ट्रेक किया जाता है। इससे भारी जोखिम वाले गर्भवती महिलाएं पकड़ में आ जाते हैं। और उनके स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखा जाता है। यह व्यवस्था मातृ एवं बाल मृत्यु दर कम करने के लिए है।
- ★ **प्रजनन स्वास्थ्य :-** गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व, प्रसव के समय और प्रसव उपरांत स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। यह सेवा मातृ दर कम करने के लिए है।
- ★ **संस्थागत प्रसव :-** संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। यह मातृ दर कम करने के लिए है।

परिवार नियोजन संबंधित-

- ★ **परिवार नियोजन मुआवजा योजना** - किसी भी सार्वजनिक या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्था में नलबंदी/नसबंदी करवाने वाले को मुहावजे के तौर निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।
- ★ **परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना**- नलबंदी/नसबंदी आप्रेशन की विफलता/जटिलता मृत्यु के पश्चात् पीड़ित/पीड़िता/मृतक के परिवार को निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।
- ★ **Performance Linked Payment Plan** : इस योजना के तहत सुविधा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य कर्मी एवं आशा कार्यकर्ता को निश्चित धनराशि दी जाती है।
- ★ **Home Delivery of Contraceptives** - इस योजना के तहत आशा द्वारा गर्भनिरोधक उपायों को घर-घर तक पहुंचाया जाता है।
- ★ **Pregnancy Testing Kit** - इस योजना के तहत आशा द्वारा उनके क्षेत्र के लोगों का गर्भधारण की जानकारी किट द्वारा तुरंत उपलब्ध कराई जाती है।

बाल स्वास्थ्य योजना :

- ★ **जरूरी टीकाकरण** : टीकाकरण कार्यक्रम दिल्ली राज्य में “यूनीवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम” के तहत अमल में लाया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों को बचपन की जानलेवा बीमारियों जैसे टी.बी. पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, खसरा, कनफेड, रूबेला, टायफाइड से बचाव के लिए दिल्ली के समस्त 11 जिलों में विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क लगाए जाते हैं।
- ★ **मिशन इन्द्रधनुष कवच** : इस टीकाकरण मुहिम के तहत दो वर्ष की उम्र तक

के टीकाकरण से वंचित व छोटे गुए बच्चों व गर्भवती महिलाओं को दिल्ली की सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं और ए.एन.एम. द्वारा उनके क्षेत्रों में टीके लगाए जाते हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की पहल से यह मुहिम दिल्ली के सभी जिलों में पूरे वर्ष 2015-16 में चलाई जा रही है।

- ★ नवजात शिशु की देखभाल जिला अस्पतालों में विशेष इकाईयों द्वारा बाल चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जाती है।
- ★ शिशु एवं छोटे बच्चों एवं अति कमजोर बीमार बच्चों के लिए आई.वाई.सी.एफ. एवं न्यूट्रीशियन रिहेबिलिटेशन केन्द्रों द्वारा परामर्श एवं देखभाल की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
- ★ आशा द्वारा नवजात शिशु की देखभाल के लिए घरेलू देखभाल सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

किशोर स्वास्थ्य योजना : किशोरों के स्वास्थ्य हेतु दिशा केन्द्र, साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम, वार्षिक कृमि नियंत्रण कार्यक्रम।

(ग) मातृ स्वास्थ्य योजना :

- ★ **जननी सुरक्षा योजना:-** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव के लिए एवं गरीबी रेखा के नीचे के सभी गर्भवती महिलाओं गृह प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि प्रसव के 7 दिन के अंदर दिये जाते हैं।
- ★ **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम:-** इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत निःशुल्क प्रसव एवं प्रसवोत्तर जटिलताओं के निःशुल्क इलाज की सुविधा के साथ एक साल तक के अस्वस्थ बच्चों के

लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही निःशुल्क आहार और परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए कोई शर्त नहीं है।

- ★ **मातृ एवं बाल ट्रेकिंग व्यवस्था:-** इसके लिए कोई शर्त नहीं है।
- ★ **प्रजनन स्वास्थ्य :-** इसके लिए कोई शर्त नहीं है।
- ★ **संस्थागत प्रसव :-** इसके लिए कोई शर्त नहीं है।

परिवार नियोजन संबंधित-

- ★ **परिवार नियोजन मुआवजा योजना -** किसी भी सार्वजनिक या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्था में नलबंदी/नसबंदी करवाने वाले को मुहावजे के तौर निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।
- ★ **परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना-** नलबंदी/नसबंदी आप्रेशन की विफलता/जटिलता मृत्यु के पश्चात् पीड़ित/पीड़िता/मृतक के परिवार को निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।
- ★ **Performance Linked Payment Plan (PPIUCD) प्रदर्शन लिंकड भुगतान योजना :** इस योजना के तहत सुविधा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य कर्मी एवं आशा कार्यकर्ता को निश्चित धनराशि दी जाती है।
- ★ **Home Delivery of Contraceptives -** घर तक गर्भनिरोधक पहुंचाना।- इस योजना के तहत आशा द्वारा गर्भनिरोधक उपायों को घर-घर तक पहुंचाया जाता है। आशा क्षेत्र के सभी दम्पति इस योजना के लाभार्थी हैं।
- ★ **Pregnancey Testing Kit गर्भावस्था परीक्षण किट -** इस योजना के तहत

आशा द्वारा उनके क्षेत्र के लोगों को गर्भधारण की जानकारी किट द्वारा तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। आशा क्षेत्र के सभी दम्पति इस योजना के लाभार्थी हैं।

बाल स्वास्थ्य योजना : ये योजनाएं दिल्ली में सभी निवासियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं।

40. **श्री अजेश यादव :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परिवार कल्याण हेतु दिल्ली सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ख) इन योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) **मातृ स्वास्थ्य योजना :** जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मातृ एवं बाल ट्रेकिंग व्यवस्था, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, संस्थागत प्रसव सेवा परिवार नियोजन संबंधित -

★ परिवार नियोजन मुहावजा योजना -

★ परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना-

★ Performance Linked Payment Plan (PPIUCD) : प्रदर्शन लिंकड भुगतान योजना

★ Home Delivery of Contraceptives - घर तक गर्भनिरोधक पहुंचाना।

★ Pragnancey Testing Kit - गर्भावस्था परीक्षण किट

एम.टी.पी. एक्ट : एमटीपी एक्ट के अंतर्गत दिल्ली में जिला स्तर की समिति गठित की गई है जो मुख्य पदअधिकारी की अध्यक्षता में कानूनन वैध गर्भपात करने के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थानों का पंजीकरण, निरीक्षण तथा एक्ट के उल्लंघन संबंधित सूचनाओं पर तत्काल कारवाई करती है।

दिल्ली में किए जाने वाले गर्भपातों की विस्तृत जानकारी हर तिमाही में भारत सरकार को प्रेषित की जाती है।

बाल स्वास्थ्य योजना : जरूरी टीकाकरण, मिशन इन्द्रधनुष कवच, नवजात शिशु की देखभाल, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार की विधियां, अनीमिया, न्यूट्रीशियन रिहेबिलिटेशन केन्द्र, आशा द्वारा नवजात शिशु घरेलू देखभाल कार्यक्रम।

(ख) परिवार नियोजन संबंधित-

- ★ **परिवार नियोजन मुहावजा योजना** - किसी भी सार्वजनिक या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्था में नलबंदी/नसबंदी करवाने वाले को मुहावजे के तौर निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।
- ★ **परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना**- नलबंदी/नसबंदी आप्रेशन की विफलता/जटिलता मृत्यु के पश्चात् पीड़ित/पीड़िता/मृतक के परिवार को निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।
- ★ **Performance Linked Payment Plan (PPIUCD) प्रदर्शन लिंकड भुगतान योजना :** इस योजना के तहत सुविधा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य कर्मी एवं आशा कार्यकर्ता को निश्चित धनराशि दी जाती है।
- ★ **Home Delivery of Contraceptives** - घर तक गर्भनिरोधक पहुंचाना।- इस योजना के तहत आशा द्वारा गर्भनिरोधक उपार्यों को घर-घर तक पहुंचाया जाता है। आशा क्षेत्र के सभी दम्पति इस योजना के लाभार्थी।
- ★ **Pregnancey Testing Kit गर्भावस्था परीक्षण किट** - इस योजना के तहत आशा द्वारा उनके क्षेत्र के लोगों को गर्भधारण की जानकारी किट द्वारा तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। आशा क्षेत्र के सभी दम्पति इस योजना के लाभार्थी हैं।

एम.टी.पी. एक्ट : एमटीपी एक्ट के अंतर्गत दिल्ली में जिला स्तर की समिति गठित की गई है जो मुख्य पदअधिकारी की अध्यक्षता में कानूनन वैध गर्भपात करने के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थानों का पंजीकरण, निरीक्षण तथा एक्ट के उल्लंघन संबंधित सूचनाओं पर तत्काल कारवाई करती है।

दिल्ली में किए जाने वाले गर्भपातों की विस्तृत जानकारी हर तिमाही में भारत सरकार को प्रेषित की जाती है।

बाल स्वास्थ्य योजना : ये योजनाएं संबंधित स्वास्थ्य जिला अधिकारी एवं अस्पतालों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम : ये योजनाएं संबंधित स्वास्थ्य जिला अधिकारी, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों व अंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

41. **श्री वेद प्रकाश :** क्या उप-मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार द्वारा बवाना विधान सभा में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उप-मुख्यमंत्री : (क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रथम प्रश्न के उत्तर के परिपेक्ष में प्रश्न (ख) एवं (ग) का जबाब खाली है।

42. **श्री विजेन्द्र गुप्ता :** क्या उप-मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पूरी दिल्ली में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने का वायदा किया था;

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा यह सुविधा किन-किन स्थानों पर उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) शेष जगहों पर कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी, पूरा ब्यौरा दें ?

उप-मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अब तक बसों में वाई-फाई, बुराडी में आउटडोर वाई-फाई और एनडीएमसी में वाई-फाई मॉडल के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किये हैं। इन मॉडलों से प्राप्त अनुभवों और जानकारी के आधार पर सरकार दिल्ली के आम नागरिकों को उत्तम कोटि का ऐसा वाई-फाई ढांचा उपलब्ध कराएगी, जिसमें सरकारी खज़ाने पर लागत भी कम से कम आए।

(ग) एजेंसी का चुनाव करने के लिए जल्द ही आर.एफ.पी. जारी किया जायेगा।

43. **श्री प्रवीण कुमार :** क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कार्यरत आयोग और बोर्ड के नाम और उनके गठन की तिथि क्या है; और

(ख) इन पर सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

परिवहन मंत्री : (क) और (ख) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है/सूचना एकत्रित होने पर सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

44. **श्रीमती प्रमिला टोकस :** क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रानुसार क्षेत्रीय विधायक को विभाग के सतर्कता प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष मनोनीत करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उप-मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्ता के आधार पर लागू नहीं।

(ग) उपरोक्ता के आधार पर लागू नहीं।

45. **श्री विजेन्द्र गुप्ता :** क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार द्वारा अब तक कुल कितने विधेयक विधानसभा सदन में पारित किये गए हैं;

(ख) इनमें से कितने विधेयकों पर दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल से संस्तुति प्राप्त हुई है;

(ग) कौन से विधेयक अभी माननीय उपराज्यपाल की संस्तुति के लिए लंबित हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सभी विधेयकों को नियमानुसार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-मुख्यमंत्री : (क) वर्तमान सरकार द्वारा अब तक कुल 23 विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किये गए हैं।

(ख) इनमें से 6 विधेयकों पर दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल से संस्तुति प्राप्त हुई है।

(ग) 17 विधेयक अभी माननीय उपराज्यपाल की संस्तुति के लिए लंबित हैं।
(सूची संलग्न है)

(घ) और (ङ) सभी विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत किये गए हैं।

माननीय उपराज्यपाल की संस्तुति के लिए लंबित विधेयकों की सूची

क्र.सं.	नाम
1.	दिल्ली विधान सभा सदस्य (अयोग्यता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015
2.	दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 05)
3.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015
4.	दिल्ली विद्यालय (लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 9)
5.	दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 10)

क्र.सं.	नाम
6.	दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 11)
7.	कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और विविध उपबंध (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 12)
8.	दिल्ली न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 13)
9.	दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 14)
10.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 15)
11.	दिल्ली जनलोकपाल विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 16)
12.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य के (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) (संशोधन) विधेयक, 2015
13.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मंत्रियों के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015

क्र.सं.	नाम
14.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015
15.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधान सभा के विपक्ष के नेता के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015
16.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के मुख्य सचेतक के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015
17.	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 23)

46. श्री सोमनाथ भारती : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क के किनारे लगे स्टालों एवं वाहनों में बिकने वाले भोज्य पदार्थों को रोगाणुरहित सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

(ख) मछली, चिकन एवं मीट बेचने वाली दुकानों में खाद्य सुरक्षा हेतु क्या गुणवत्ता मानक स्थापित किए गए हैं;

(ग) उक्त दुकानों पर कितने अंतराल पर औचक निरीक्षण किए जाते हैं ऐसे तीन औचक निरीक्षणों तथा उनके द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों सहित पूर्ण विवरण दें;

(घ) खुली बिक्री वाली दालों अनाजों मसालों एवं खाद्य तेलों में मिलावट रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) मिलावट रोकने हेतु मारे गए छापों से मिलावट रोकने में कितनी सुलभता प्राप्त हुई है मिलावट में दोषी पाए गए अभियुक्तों सहित पूर्ण विवरण दें ?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा इस माह (मार्च 2016) में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सड़क के किनारे लगे स्टालों एवं वाहनों में बिकने वाले भोज्य पदार्थों की स्वच्छता तथा रोगाणु रहित सुनिश्चित करना है। खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया अभियान, जिसमें गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर विशेष कदम उठाये गये हैं, जिसके पहले चरण में दिल्ली में 40 केन्द्रों के माध्यम से 20 हजार स्ट्रीट खाद्य विक्रेताओं का पंजीकरण तथा प्रशिक्षण करना शामिल है।

(ख) जी हां, मछली चिकन एवं मीट बेचने वाले स्टालों व दुकानों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा खाद्य सुरक्षा रेगुलेशन (लाईसेंसिंग एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन) के शेड्यूल 4 के भाग-4 में विस्तृत रूप से इनका विवरण है।

(ग) विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण उक्त दुकानों पर गत वर्ष केवल तीन नमूने लिये गये। जिसमें 1 नमूने में नियम का उल्लंघन पाया गया तथा दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

(घ) विभाग द्वारा सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु औचक

निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता है तथा मिलावट का दोषी पाये जाने पर विधिनुसार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

(ङ)गत वर्ष 01.01.2015 से 01.12.2015 के दौरान 1680 नमूने उठाए गये जिनमें से 248 नमूनों में करीब 15 प्रतिशत में नियमों का उल्लंघन पाया गया है तथा दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों का विवरण संलग्न 'क' में है।

अभियुक्तों का विवरण

SAMPLE DETAILS OF DISTRICT

Sl. No	Sample Number	Date of Lifting	Food Article
1	438/1030/01/2015	19/2/2015	Blended Edible Vegetable Oil
2	541/1041/19/2015	9/3/2015	Cullinary Powder
3	335/1032/19/2015	20/3/2015	Singhara Atta
4	1055/1038/40/2015	24/3/2015	Singhara Atta
5	952/1036/43/2015	13/4/2015	Mathura Ka Peda
6	437/1030/30/2015	26/5/2015	Raj Bhog
7	232/1019/89/2015	1/7/2015	Calcium Carbide
8	232/1033/83/2015	1/7/2015	Mango
9	232/1036/75/2015	1/7/2015	Calcium Carbide
10	643/1021/62/2015	20/7/2015	Rasgulla
11	849/1012/83/2015	28/7/2015	Gulab Jamun
12	439/1030/48/2015	24/8/2015	Besan Laddoo
13	439/1030/53/2015	28/8/2015	Spanch Rasgulla
14	747/1041/96/2015	28/8/2015	Kesar Kaju Burfi
15	1158/1033/119/2015	28/8/2015	Pakeeja
16	439/1019/133/2015	26/10/2015	Raj Bhog
17	643/1019/140/2015	3/11/2015	Besan Laddoo
18	643/1036/129/2015	3/11/2015	Besan ke Laddoo
19	1057/1019/141/2015	4/11/2015	Kesar Burr
20	850/1044/99/2015	5/11/2015	Gulab Jamun
21	542/1021/111/2015	5/11/2015	Kaju Kesar
22	335/1033/158/2015	5/11/2015	Gulab Jamun
23	336/1041/121/2015	5/11/2015	Besan Ke Laddoo
24	748/1012/126/2015	6/11/2015	Kesar Sandwich
25	953/1036/134/2015	6/11/2015	Kesar Coconut Burfi
26	748/1014/119/2015	6/11/2015	Gulab Jamun
27	232/1030/93/2015	8/11/2015	Boondi Laddoo
28	1055/1019/151/2015	9/11/2015	Boondi Laddoo
29	1055/1041/128/2015	9/11/2015	Boondi Laddoo

संलग्नक 'क'

FROM 01/01/2015 TO 31/12/2015

Address From where Lifted	Result	FBO Name
X-217 Opp Shiv Mandir Brahmpuri Delhi 53	Violation	Manoj Kumar
District Centre Manglam Place Rohini Delhi	Violation	Sh Himanshu Nirmal
Shop No. 13-14 Main Market Patparganj Delhi	Violation	Sh. Dhanender Jain
40/8 Subhash Market Kotla Mubarakpur New Delhi	Violation	Giri Raj Khendelwal
Hall No 2 Rajiv Gandhi Craft Bhawan BKM New Delhi	violation	Faisal Khan
A118 ShopNo 9 Chandu Nagar Main Karawal Nagar Road Delhi 94	Violation	Sanjay Aggarwal
C549New Azadpur Mandi Delhi	Violation	Parveen
C-535 New Subzi Mandiazadpur Delhi	violation	Hari sh Kumar
C 648 Sabji Rnandl Delhi	Violation	Ankit Ashra
G-90 Vardhman City Mail! Sector-23 Dwarka New Delhi	Violation	Rakesh Sharma
Shop No-1 Dda Community Centre Yusuf Sarai Near Green Park Metro Station New Delhi	Violation	Kartik Arora
C 3 342 Yamuna Vihar Delhi 53	Violation	Jai Bhagwan
A46 Bhagirathi Vihar Main Road Brijpuri Delhi 94	Violation	Mukesh Kumar Gupta
487 11 Rohtak Road Piragargho Ckowl Delhi	Violation	Sh Vipin Kumar
A2 Shop No-1 Main Chawk Harsh ViharDelhl	Violation	Rajesh
Al/L Bhajan Pura Main Wazirabad Road Delhi	Violation	Sanjeev Kumar
A25 Manglapuri Village Palam Delhi	Violation	Mukesh Panday
RZ 6S0A Sadh Nagar Palam Colony New Delhi	Violation	Sh. Prabhu Srivastav
B1/H8 Mohan Cooperative Indl State Mathura Rd Delhi	Violation	Rakesh Kumar Sharma
1092C Ward No 1 Near Bhool Bhulayan Mehraull New Delhi	Violation	Sanjay Sharma
B-433A Ashok Vihar Phase-2 Delhi	Violation	Raj Kumar Gupta
P19 Mayur Vihar Ph-1 Delhi	Violation	Mahavir
F 17 Vijay Block Laxmi Nagar Delhi	Violation	Miss. Priya Gupta
G1-23 Sahid Bhagat Singh Marg Jail Road Hari Nagar New Delhi	Violation	Azeem Khan
B-225 Ph-I Naraina Industrial Area New Delhi	Violation	Rajesh Sehgal
S No. 8 Da Block Dda Market Hari Nagar New Delhi	Violation	Chetan Agarwal
8 1099 Mangal Bazar Road Jhangirpuri Delhi 33	Violation	Rohit Kumar
G19 South Extention Part 1 New Delhi	Violation	Laksmiram
74 Bharat Nagar New Friends Colony Delhi	Violation	Sh. Deep Chand

Sl. No	Sample Number	Date of Lifting	Food Article
30	1056/1012/139/2015	26/11/2015	Kalakand
31	748/1012/141/2015	26/11/2015	Fancy Chocolate
32	748/1012/143/2015	27/11/2015	Veg Chomin
33	128/1038/182/2015	23/12/2015	Burfi
Sl. No.	Sample Number	Date of Lifting	Food Article
1	1160/1033/02/2015	5/1/2015	Tumeric OR Hal di Powder
2	746/1014/02/2015	7/1/2015	Refined Soyabean Oil
3	437/1019/08/2015	8/1/2015	Blended Edible Vegetable Oil
4	439/1019/10/2015	9/1/2015	Cumin Or Safed Zeera Whole
5	1055/1038/21/2015	4/2/2015	Pasteurised Full Cream Milk
6	953/1036/25/2015	13/2/2015	Ice Cream
7	128/1015/14/2015	17/2/2015	Ajowan OR Bishop Seeds
8	954/1036/28/2015	2/3/2015	Khoya
9	952/1036/30/2015	3/3/2015	Khoa
10	542/1041/18/2015	5/3/2015	Khoa
11	130/1030/08/2015	5/3/2015	Khoya
12	849/1012/30/2015	8/4/2015	Ghee
13	1159/1033/44/2015	9/4/2015	Mixed Milk
14	1159/1033/47/2015	15/4/2015	Mixed Milk
15	643/1021/21/2015	21/4/2015	Mixed Pickle
16	1055/1038/55/2015	23/4/2015	Toned Milk
17	643/1021/24/2015	28/4/2015	Channa or Paneer
18	232/1019/55/2015	8/5/2015	Ice Candy
19	130/1044/39/2015	29/5/2015	Pan Masala
20	643/1021/45/2015	11/6/2015	Full Cream Milk
21	336/1032/43/2015	22/6/2015	Toned Milk

Address From where Lifted	Result	FBO Name
S.No. T-56 Tehkhand Main Market Opp D-L Factory Okhla Phase I New Delhi	Violation	Smt. Shivani Aggarwal
G1-23 Sheed Bhagat Singh Marg Jail Road Hari Nagar New Delhi	Violation	Azeem Khan
A-10 Dda Market Opp TDI Mall Rajouri Garden New Delhi	Violation	Dheeraj Makkar
1 Under Hill Road Civil Line Delhi	Violation	Mahinder Singh
Address From where Lifted	Result	FBO Name
215 Karkardooma Delhi	Substandard	Praveen Jain
B-1/623 Old Rameshwaram Bulding Opp Pillor No. 574 Near Distt Centre Jankpur New Delhi	Substandard	Vikram Singh
A4 SRIRAM COLONY KHAJURI DELHI	Substandard	Ashok Kumar
Gali No 9 20 Ft Road Meet Nagar Delhi	Substandard	Shiddu Parsad Yadav
A 174 Batla House Zamia Nagar Delhi	Substandard	Ni zamuddin
C-86 Mayapuri Indl. Area Phase-II New Delhi	Substandard	Nand Ki shore
22 Roop Nagar Delhi	Substandard	Sanjay Kumar
Shop No. 48 Begam Zadi Market Moti Bagh I New Delhi	Substandard	Ramesh Chand
Shop No. 23-24-25 Bangali Market New Delhi	Substandard	Arun Gupta
3 Vaisali Main Road Delhi	Substandard	Sh B K Mishra
Shop No 45 Sanjay Mkt. Bagh Diwar Delhi 06	Substandard	Vinod Jain
Shop No-8 NDMC Market Yusuf Sarai New Delhi	Substandard	Satish Kumar Aggarwal
496/5a Rama Block Pandav Road Bhola Nath Nagar Delhi Shahdara Delhi	Substandard	Satyajeet Sangwan
X/579 Main Road Raghupura Delhi	Substandard	Jagdish
Shop No 5 and 6 Plot No 3 Krishna Plaza-11 Sector-12 Dwarka New Delhi	Substandard	Subhash Gupta
J 41/4 Old Double Story Lajpat Nagar IV New Delhi	Substandard	Ravi Pal Singh
Shop No WZA-430 Near Rail way Phata K Raj Nagar Palam Colony New Delhi	Substandard	Deepak Aggarwal
1/12 Keval Park Nehru Road Azad Pur Delhi	Substandard	Amichand
221 Naya Bans Delhi	Substandard	Bharat Bhushan Batra
Shop No G-5 Plot No 9 Vikash Surya Galaxy Sector-4 Dwarka New Delhi	Substandard	Ashok Kumar
Unit Mother Dairy Patparganj Delhi	Substandard	Navneet Sharma

Sl. No.	Sample Number	Date of Lifting	Food Article
22	643/1021/53/2015	22/6/2015	Full Cream Milk
23	130/1014/60/2015	23/6/2015	Ice Cream
24	130/1014/61/2015	24/6/2015	Standardized Milk
25	748/1041/73/2015	4/7/2015	Sweets And Sour Plum Sauce
26	233/1019/92/2015	10/7/2015	Rape Seed Oil or Toria Oil or Mustard Oil or Sarson ka Tel
27	233/1019/96/2015	17/7/2015	Rape Seed Oil or Toria Oil or Mustard Oil or Sarson ka Tel
28	130/1021/90/2015	14/9/2015	Khoya
29	541/1030/54/2015	14/9/2015	Dried Mango Powder OR Amchur
30	1055/1083/128/2015	16/9/2015	Low Fat Cream
31	1158/1083/136/2015	24/9/2015	Full Cream Milk
32	747/1030/70/2015	6/10/2015	Ghee
33	747/1038/143/2015	6/10/2015	Ghee
34	129/1041/112/2015 j	23/10/2015	Paneer
35	1055/1019/155/2015	18/11/2015	Wheat
36	128/1012/137/2015	23/11/2015	Wheat
37	232/1041/133/2015	27/11/2015	wheat
38	335/1030/113/2015	17/12/2015	Channa Or Paneer
39	130/1021/126/2015	18/12/2015	Cassia Whole
40	541/1019/172/2015	23/12/2015	Rape Seed Oil or Toria Oil or Mustard Oil or Sarson ka Tel
41	541/1019/171/2015	23/12/2015	Til Oil Gngelly or Sesame Oil
Sl. No	Sample Number	Date of Lifting	Food Article
1	437/1019/06/2015	6/1/2015	Yello Chilli Powder Or Pili Mirch
2	1158/1083/31/2015	16/3/2015	Mixed Fruit Juice
3	232/1019/36/2015	31/3/2015	Anar Ka Juice
4	130/1041/40/2015	1/4/2015	Imli chatney
5	130/1021/16/2015	1/4/2015	Cooked Chhde

Address From where Lifted	Result	FBO Name
DDA Market JJ Colony Mangla Puri Phase-1 Palam Colony New Delhi	Substandard	Sajjan Singh
643 Chnuch Mission Road Fathepur Old Delhi	Substandard	Harish Chandra
6046 Naya Bans Khari Baoli Delhi	Substandard	Parveen Dhingra
Janakpuri Delhi	Substandard	Sh. Rakesh Kumar
2407 DSIDC Narela Delhi	Substandard	Pawan Jain
125 Main Bazar Narela Delhi	Substandard	Arun Kumar
Shop No 386 Kari Baoli Delhi	Substandard	N
B 52 Sukh Lal Mkt Naharpur Sector 7 Rohini Delhi 85	Substandard	Raj Kishore Verma
M30 Gki New Delhi	Substandard	Devendra Kumar
695 Dda Flats Nand Nagri Delhi	Substandard	Satpal Singh
Gh 5 6 1181 LIG Flat Paschim Vihar New Delhi 87	Substandard	Naresh Goyal
Godown at Gh 5 and 7/1181 LIG Flat Paschim Vihar New Delhi	Substandard	Naresh Goyal
B 81 Shop No. 6 Subhadra Colony Sarai Rohilla Delhi	Substandard	Sh. Kailash Chand Khandelwal
B4 Krishana Park Near Khanpur Extension Delhi	Substandard	Narayan Lal Goil
Shop No E 1 56 Gali No 3 Hardev Nagar Jharoda Village Burari Delhi	Substandard	Ram Avtar
220 Sarai Pipal Thala Adarsh Nagar Delhi	Substandard	Sh. Mithlesh Kumar
Khokh Parked At Gazipur Subji Mandi Delhi 94	Substandard	Sunil Kumar
6701 Khari Baoli Delhi	Substandard	Rajan Bhargava
A49 Nahar Pur Sec 7 Rohini Delhi	Substandard	Sudarshan Kumar
A49 Nahar Pur Sec 7 Rohini Delhi	Substandard	Sudarshan Kumar
Address From where Lifted	Result	FBO Name
E4/AG/F KH No 4/21 Main 33 Ft RD Shiv Vihar Delhi	Unsafe	Santosh Kumar Shrivastava
Shop No L 34 A Dilshad Garden Delhi	Unsafe	Vikram Khanna
Shop No 3 G 8 Modal Town 3 Delhi	Unsafe	Umesh Kumar
GB Pant Hospital Asafali Road Delhi	Unsafe	Sh Gurunam Singh
Emergency Gate No 4 LNJP Hospital Delhi Gate Delhi	Unsafe	Bhagat Singh

Sl. No	Sample Number	Date of Lifting	Food Article
6	746/1014/26/2015	2/4/2015	Filled packet of Unmanufactured Tobacco
7	1159/1033/42/2015	6/4/2015	Zarda
8	1160/1033/41/2015	6/4/2015	Royal Zafrani Zarda
9	439/1030/21/2015	13/4/2015	Boondi Laddoo
10	849/1012/33/2015	16/4/2015	Scented Tobacco
11	952/1036/45/2015	16/4/2015	Deluxe Chewing Tobacco
12	1055/1038/52/2015	17/4/2015	Scented Tobacco
13	643/1021/20/2015	17/4/2015	Scented Tobacco
14	233/1019/41/2015	17/4/2015	Jarda Or Sungandhit Tobacco
15	542/1041/48/2015	9/5/2015	Rolled Oats
16	541/1014/38/2015	13/5/2015	Besan
17	1159/1033/60/2015	22/5/2015	Maggi Masala
18	952/1036/56/2015	25/5/2015	Noodles
19	437/1030/29/2015	25/5/2015	Magginoodles
20	129/1015/36/2015	25/5/2015	Maggi two minute Noodle Masala
21	335/1032/28/2015	25/5/2015	Instant Noodle
22	746/1041/56/2015	25/5/2015	Maggi Noodles Hungroo
23	439/1030/28/2015	25/5/2015	Maggi Noodles
24	232/1019/63/2015	25/5/2015	Noodles
25	1056/1038/71/2015	25/5/2015	Instant Noodles with Masala TasteMaker
26	541/1014/43/2015	25/5/2015	Noodles
27	643/1021/32/2015	26/5/2015	Noodles
28	849/1012/51/2015	27/5/2015	Instant Noodles
29	1158/1033/62/2015	27/5/2015	Namkeen
30	851/1012/55/2015	29/5/2015	Tang Orange Soft Drink Concentrate
31	128/1044/40/2015	3/6/2015	Noodles

Address From where Lifted	Result	FBO Name
WZ-A143 Gali No. 12 Hastal Uttam Nagar New Delhi	Unsafe	Lokesh Khandelwal
Shop No.D-12A Hanuman Road Ashok Nagar Delhi	Unsafe	Bhuwnesh Kumar Rathi
Intercepted at Office of The Asstt. Engineer-III Near Karkardooma Courts Delhi	Unsafe	Ramchander
1728 Gali No 17 Rajiv Ganghi Nagar New Mustafabad Delhi 94	Unsafe	Mohd Yaqub
584/5 Main Gate Chirag Delhi Delhi	Unsafe	Gulshan Chadha
S.No, 11 Prithvi Raj Market Near Khan Market New Delhi	Unsafe	Pawan Gupta
F 59 Gurudawara Road Kotla Mubarak Pur New Delhi	Unsafe	Ashok Kumar Gupta
W2-441 Main Road Opp Piller No 63 Palam Colony New Dehli	Unsafe	Mahesh Jain
E 655 656 DSIDC Industrial Park Narela Delhi	Unsafe	Ram Swaroop
C32 Lawrence Road Indl Area Delhi	Unsafe	Harkaran Choudhary
E-7/493-494 Sultanpuri Delhi	Unsafe	Harkesh Gupta
C56 Nathu Colony Delhi	Unsafe	Sushil Goyal
Shop No, 47 Gole Market CP New Delhi	Unsafe	Raj Kumar Gupta
Shop No 5 Ch Harkesh Mkt Khajoori Khas Main Karawal Nagar Road Delhi 94	Unsafe	Umashankar
3 38 Nehru Bajar Pahar Ganj New Delhi	Unsafe	Sh Virender Narula
12/490-491 Kalyan Puri Delhi-91	Unsafe	Ramkilshor Gupta
Plot No 67 Moment Mall Najafgarh Road Kirti Nagar Delhi	Unsafe	Sh Shakil Khan
C 6 469 Yamuna Vihar Delhi 53	Unsafe	Paramjeet Uppal
Shop No 13 Maal Road Kingsway Camp Delhi	Unsafe	Kamal Kishor
Shop No 18 19 Krishana Market Kalkaji New Delhi	Unsafe	Puneet Arora
Vikas Surya Shopping Mall Sec 3 Rohini Delhi	Unsafe	Raziahemd
RZ-36C Main Road Palam Colony New Delhi	Unsafe	Govind Kumar
F-7 Gautam Nagar N.Delhi	Unsafe	Sachin Garg
N11/A-5 Dilshad Garden Delhi	Unsafe	Unikrishnan
Shop No-37 J Block Market Saket New Delhi	Unsafe	Rajeev Kumar Gupta
27 Sham Nath Marg Delhi	Unsafe	Sachin Bindal

Sl. No	Sample Number	Date of Lifting	Food Article
32	438/1030/33/2015	25/6/2015	Anchoor Ke Chutney
33	438/1030/37/2015	2/7/2015	Papari Namkeen
34	748/1041/77/2015	14/7/2015	Golden Sela Rice
35	437/1030/42/2015	21/7/2015	Boondi Laddoo
36	1160/1033/95/2015	2/7/2015	Chilli Potato
37	643/1021/65/2015	27/7/2015	Cut Red Paprika in Brain
38	130/1014/83/2015	11/8/2015	Pooni
39	541/1015/78/2015	12/8/2015	Royal Moong Vadi
40	1055/1038/116/2015	12/8/2015	Dal Moong Dhuli
41	851/1012/90/2015	17/8/2015	Pop Com
42	748/1041/92/2015	22/8/2015	Boondi laddoo
43	952/1036/98/2015	27/8/2015	Kaju Burfi
44	643/1021/85/2015	4/9/2015	Prepared Chowmin
45	541/1012/99/2015	14/9/2015	Pepper Black OR Kallmirch Whole
46	952/1036/103/2015	15/9/2015	Laknavi Saunf
47	1055/1044/82/2015	15/9/2015	Soya Chap
48	1055/1012/100/2015	15/9/2015	Murmura
49	541/1038/132/2015	16/9/2015	Dal Arhar
50	748/1038/133/2015	17/9/2015	Sakkar
51	954/1019/121/2015	17/9/2015	Sugar Coated Saunf
52	130/1021/91/2015	17/9/2015	Rice
53	130/1015/89/2015	17/9/2015	Coriander OR Dhania Whole
54	954/1015/92/2015	25/9/2015	Moti Choor Ladoo
55	1055/1041/106/2015	29/9/2015	Chicken Biryani
56	748/1015/95/2015	9/10/2015	Sugar Powder
57	952/1033/144/2015	12/10/2015	Chicken Tikka
58	233/1015/98/2015	2/11/2015	Boondi laddoo
59	954/1038/153/2015	3/11/2015	Bundi Ke Laddo

Address From where Lifted	Result	FBO Name
Rehdi parked at Main Khajoori Chowk Near Shri Bikaner Sweet Delhi 94	Unsafe	Omkar Yadav
F 13 Gali No 6 Brahmpuri Delhi 53	Unsafe	Mahesh Chand Jain
1 B Sub District Centre Harl Nagar Delhi	Unsafe	Sh. Sanjay Kumar
..... Karawal Nagar Delhi 94	Unsafe	Sanjay Jain
Shop No 5 6 and 7 Atlantic Plaza LSC Market -II Surajmal Vihar Delhi	Unsafe	Piyush Kumar
Shop No F2D and F2EAEZ Square G-L Community Centre Vikash Puri New Delhi	Unsafe	Diwakar Prashad
1849 Hanuman Mandir Jamuna Bazar Delhi	Unsafe	Sawan Kumar Sharma
C8 14 Sector 7 Rohini Delhi	Unsafe	Ramesh Goyal
P 5 and 6 Private Colony Srinivas Puri New Delhi	Unsafe	Dhermender
DLF Place Mall 1st Floor District Centre Saket New Delhi	Unsafe	Anuj Bakshi
4 8 CSM Janakpuri Delhi	Unsafe	Sh Ramesh Kumar
B 1 Regal Building Connaught Place New Delhi	Unsafe	Sh. Prem Singh
P-17 Vijay Vihar Vani Vihar Road Uttam Nagar New Delhi	Unsafe	Deepak Kapoor
D-52 Sukhlal mkt Naharpur Sector-7 Rohini New Delhi	Unsafe	Pankaj Goyal
Shop no R 6 7 Bengali Market New Delhi	Unsafe	Sh. Dinesh Kumar Gupta
Shop no 276 I.N.A Market New Delhi	Unsafe	Ravi Chitkari
274 INA Mrket New Delhi	Unsafe	Ram Ahuja
Shop No 43 CSC II Sector 13 Rohini Delhi	Unsafe	Brijender Singh
10/1 Chhoti Subzi Mandi Janak Puri New Delhi	Unsafe	Manoj Dua
Shop No 131 Main Mkt Sarojini Nagar Delhi	Unsafe	Parkash Har Chandani
Shop No 636 Khari Baoli Delhi	Unsafe	Tarun Gupta
1 Khari Baoli Delhi	Unsafe	Joginder Singh
Shop Number 67 Babu Market Sarvodya Nagar Delhi	Unsafe	Jitender Sachdeva
Shop no 7 23 A old storey Lajpat Nagar IV New delhi	Unsafe	Sh. Md. Ayub
LGF Pacific Mall Khyala Shivaji Marg -Near Subhash Nagar	Unsafe	Ajay Kumar Tiwari
P15 Outer Circle Connaught Plae New Delhi	Unsafe	Praveen Bansal
Society Building Delhi Road Bawana Delhi	Unsafe	Gulshan Batra
104/2/2 M R Complex Rangpuri Mehupalpur New Delhi	Unsafe	Bal Ki shan

Sl. No	Sample Number	Date of Lifting	Food Article
60	954/1021/117/2015	8/11/2015	Boondi Laddoo
61	542/1032/97/2015	8/11/2015	Boondi Laddoo
62	542/1032/98/2015	8/11/2015	Boondi laddoo
63	1057/1014/124/2015	9/11/2015	Coconut Burfi
64	130/1014/125/2015	10/11/2015	Boondi Laddoo
65	1056/1019/154/2015	16/11/2015	Boondi Laddoo
66	850/1036/141/2015	19/11/2015	Wheat
67	335/1032/104/2015	20/11/2015	Wheat
68	233/1021/125/2015	3/12/2015	Split Pulse Dal Arhar
69	130/1012/147/2015	9/12/2015	Dal Chana
70	1158/1014/130/2015	9/12/2015	Sugur
71	130/1036/149/2015	15/12/2015	Dal Chini Whole
72	645/1014/136/2015	18/12/2015	Chewing Tobacco
73	130/1021/127/2015	18/12/2015	Pan Masala
Sl. No	Sample Number	Date of Lifting	Food Article
1	130/1014/50/2015	9/1/2015	Penne Pasta
2	747/1014/05/2015	19/1/2015	Tomato Blend
3	1160/1033/21/2015	29/1/2015	Canola Oil
4	1056/1038/23/2015	5/2/2015	New Fiery Marinade
5	849/1012/19/2015	13/2/2015	Heinz Baked Beans
6	438/1030/02/2015	23/2/2015	Rape Seed Oil or Toria Oil or Mustard Oil or Sarson ka Tel
7	748/1014/13/2015	25/2/2015	Strawberry Crush
8	335/1032/18/2015	12/3/2015	Ghee
9	1160/1033/29/2015	12/3/2015	Compounded Asafoetida
10	1056/1038/36/2015	20/3/2015	Kuttu Atta
11	336/1032/24/2015	30/3/2015	Pan Masala
12	542/1041/38/2015	30/3/2015	Pan Masala
13	953/1036/40/2015	31/3/2015	Pan Masala
14	746/1014/27/2015	6/4/2015	Paan Masala
15	1158/1033/46/2015	13/4/2015	Rape Seed Oil or Toria Oil or Mustard Oil or Sarson ka Tel
16	130/1044/34/2015	29/4/2015	Silver Leaf OR Chandi Ka Warq

Address From where Lifted	Result	FBO Name
Shop No 24 and 35 B-7 LSC Vasant Arcade Vasant Kunj New Delhi	Unsafe	Braham Kumar
Shop No.6 CI Market Keshav Purain Delhi	Unsafe	Sh. Kamal Deep Kaushal
2136/ 166 Khasara No 139 Ganesh Pura B Trinagar Delhi	Unsafe	Sh. Vijay Kumar
B-7 Molad Band Jait Pur Road Badarpur New Delhi	Unsafe	Vinod Kumar
251 Chandni Chowk Delhi	Unsafe	Shri Prakash Agarwal
A110 Mohla Chhurea Villeg Tehkhand New Delhi	Unsafe	Pawan Bansal
FPS No 5908 705A-10-3 Kalkadas Chowk Mehrauli New Delhi	Unsafe	Sh. Shyarn Sunder
DI/263 New Kondli Delhi	Unsafe	Sh. Krishan Lal
Khasra No 493-494 Khuren Road Narela Delhi	Unsafe	Punit Kumar
Shop No. 585 Shardhanand Market GB Road Delhi	Unsafe	Subhash Chander
at Truck No. DL-1L 56516 parked In Police Station Harsh Vihar Delhi	Unsafe	Chakrash Aggarwal
Shop no. 5120-21, Sirki walan Near Khari Baoli Delhi	Unsafe	Sh. Prakash Sharma
RZ-3 Naya Bazar Najafgarh New Delhi	Unsafe	Brij Raj Mishra
Shop No.6045 Naya Bans Delhi	Unsafe	Rakesh Kumar Gupta
Address From where Lifted	Result	FBO Name
3383 Gali Laliu Mishra Kutab Road Sadar Bazar Delhi	Mistranded	Sh. Dharambir Jain
Plot No. 27-28 Central Mkt. Punjabi Bagh Delhi	Mistranded	Jharat Chhabria
429 Jagriti Enclave Delhi	Mistranded	Shailender Singh
F 4 Kalkaji New Delhi	Mistranded	Abhishek Mittal
73/4 Yusuf Sarai New Delhi	Mistranded	Parvesh Kumar Aggarwal
S 11 Main Road Brahmपुरi Delhi 53	Mistranded	Vinod Kumar
12-13 II Floor Movement Mall Kirti Nagar New Delhi	Mistranded	Shyarnanj
A-16 Acharya Niketan Mayur Vihar Phase-I Delhi	Mistranded	Sh. V Srinivasan
6 Shiv Puri Extn Delhi	Mistranded	Subhash Chand Aggarwal
1801/9 Govindpuri Extn New Delhi	Mistranded	Jai Kishan
Plot No. 12 Block No.1 FIE Patparganj Delhi	Mistranded	Sh. Akshay
E 6 Shakur Pur Delhi	Mistranded	Sh Daya Kishan Gupta
C-123 Nariana Indl, Area Phase-I New Delhi	Mistranded	Vijay Prakash Shukla
20 Shivaji Marg Delhi	Mistranded	Shamsher Ali
O 35 A2 Main Road Dilshad Garden Delhi	Mistranded	Gulshan Kakkar
2112 Khari Baoli Delhi	Mistranded	Amit Aggarwal

Sl. No	Sample Number	Date of Lifting	Food Article
17	1055/1038/60/2015	6/5/2015	Turneric OR Haldi Powder
18	542/1041/46/2015	8/5/2015	Rose Syrup
19	1159/1033/61/2015	25/5/2015	Maggi Masala
20	746/1041/55/2015	25/5/2015	Maggi Masala Oats Noodles
21	130/1014/45/2015	26/5/2015	Turneric OR Haldi Powder
22	953/1036/59/2015	29/5/2015	Pan Masala
23	129/1014/48/2015	3/6/2015	Noodles
24	643/1021/38/2015	3/6/2015	Instant Noodles
25	1055/1038/78/2015	3/6/2015	Instant Noodles
26	643/1021/37/2015	3/6/2015	Instant Noodles
27	542/1015/44/2015'	3/6/2015	Top Raman Noodle Masala
28	1160/1033/65/2015	3/6/2015	Veg Hakka Noodles
29	335/1032/32/2015	3/6/2015	Instant Noodles
30	1160/1033/64/2015	3/6/2015	Masala Noodles
31	849/1012/57/2015	4/6/2015	Noodles With Masala Mix
32	643/1021/40/2015	5/6/2015	Noodles with Masala Mix
33	1160/1033/67/2015	5/6/2015	Instant Masala noodle
34	541/1015/48/2015	5/6/2015	Yippee Noodles Masala
35	850/1012/58/2015	5/6/2015	Instant Noodles
36	953/1036/63/2015	5/6/2015	Masala Noodles
37	849/1012/59/2015	5/6/2015	Soupy Noodles
38	129/1014/49/2015	5/6/2015	Noodles
39	1055/1038/80/2015	5/6/2015	Noodles With Masala Mix
40	1160/1033/66/2015	5/6/2015	Magic Masala Noodle
41	232/1019/70/2015	5/6/2015	Noodles With Tastemaker
42	336/1032/33/2015	5/6/2015	Instant Noodles
43	130/1014/51/2015	10/6/2015	Macaroni
44	1055/1038/83/2015	10/6/2015	Macaroni Pasta With Taste Maker
45	336/1032/36/2015	10/6/2015	Macaroni Bambino
46	849/1012/63/2015	10/6/2015	Macaroni Bambino

Address From where Lifted	Result	FBO Name
B 42 Sanwal Nagar New Delhi	Mistranded	Mahinder Kumar
G1 Usha Chambers Ashok Vihar Central Market Delhi	Mistranded	Sh Subhash Chander Arora
46 Bara Bazaar Shahdara Delhi	Mistranded	Shyam Sunder
Plot No 67 Moment Mall Kirti Nagar Najafgah Road Delhi	Mistranded	Sh Shakil Khan
6666 Khari Baoli Delhi	Mistranded	Akshay Kumar
C-123 Naraina Ind Area Phase-1 New Delhi	Mistranded	Vijay Prakash Shukla
5/34 Pusa Road N Delhi	Mistranded	Onkar Nath
Soul City Mall Plot No 4 Sector 13 Dwarka New Delhi	Mistranded	Vishai Pandey
T 1 Ground Floor Lajpat Nagar II New Delhi	Mistranded	Daulat Singh Rawat
Plot No 11-12-16-17 Palam Extn Sector-7 Dwarka New Delhi	Mistranded	Sunil Kumar
Netaji Subhash Place Wazirpur	Mistranded	Sachin Verma
A127 Main Road Jhilmil Colony Delhi	Mistranded	Vinay Batra
Mayur Vihar Extn MRTS Station Phase I Delhi	Mistranded	Sh. Anand Singh Mehra
Plot No 2 Shanti Vihar Delhi	Mistranded	Ashok Kumar
F-3/8 Gautam Nagar New Delhi	Mistranded	Sudhir Gupta
A-1/17 Main Palam Dabri Road Vijay Enclave New Delhi	Mistranded	Ram Dev
29-31 Aggarwal Function Mall Karkardooma Shahdara Delhi	Mistranded	Sameer Bajpai
C2 8 Sector 14 Prashant Vihar Rohini New Delhi	Mistranded	Vinod Kumar Sharma
Plot number 462 lado sarai New Delhi	Mistranded	Neeraj Singh
WZ-1390/2, Nangal Rai, New Delhi	Mistranded	Anand Singh
45 Comer Market, Malviya Nagar, New Delhi	Mistranded	Ravinder Kumar
Rajendra Palace Metro Station Delhi	Mistranded	Sandeep Kumar
Pro No 252 F Khsara No 185/150/2/1 Garhi Jharla Maria Sant Nagar New Delhi	Mistranded	Sonu Dass
29-31 Aggarwal Function Mall Karkardooma Shahdara Delhi	Mistranded	Sameer Bajpai
Shop No 5 And 6 Hadson Lane Kings Way Camp Delhi	Mistranded	Ratanjit Singh
31 & 32A Dayanand Block Madhuban Road Delhi	Mistranded	Sh. Atul Gupta
A 565/3 Shradhanand Market Delhi	Mistranded	Narinder Singh
A 32 Dayanand Colony Lajpat Nagar-IV New Delhi	Mistranded	Renju Ravi
53 Hasanpur Village Patparganj Delhi	Mistranded	Sh. Parvesh Tiwari
Shop No.-5 Old Market Malviya Nagar	Mistranded	Vikram Rnonga

Sl. No	Sample Number	Date of Lifting	Food Article
47	232/1019/71/2015	10/6/2015	Macaroni
48	542/1015/51/2015	11/6/2015	Macaroni
49	542/1015/52/2015	11/6/2015	Noodles With Tastemaker
50	336/1032/37/2015	11/6/2015	Jeera Cookies
51	541/1015/53/2015	12/6/2015	Macaroni
52	336/1032/40/2015	16/6/2015	Energy drink
53	130/1044/51/2015	17/6/2015	Dietary Supplement
54	542/1019/80/2015	18/6/2015	Carbonated Water
55	747/1041/63/2015	19/6/2015	Black Malka
56	1159/1033/80/2015	26/6/2015	Rape Seed Oil or Toria Oil or Mustard Oil or Sarson ka Tel
57	438/1030/39/2015	7/7/2015	Zeera Cookies
58	748/1041/72/2015	7/7/2015	Pure Mustard Oil
59	232/1019/91/2015	9/7/2015	Turneric OR Hal di Powder
60	746/1041/74/2015	9/7/2015	Mustard Oil
61	1056/1038/102/2015	10/7/2015	Turneric OR Hal di Powder
62	1160/1033/100/2015	28/7/2015	Soft Serve Mix
63	542/1015/73/2015	30/7/2015	Badam Lachha
64	129/1014/99/2015	8/9/2015	Tuna Flakes in Brine
65	851/1033/124/2015	14/9/2015	Split Pulse Dal Arhar
66	849/1032/67/2015	14/9/2015	Rice
67	130/1041/97/2015	15/9/2015	Mirch Kutti
68	541/1021/87/2015	15/9/2015	Masur Whole
69	130/1038/129/2015	15/9/2015	Turneric OR Hal di Powder
70	541/1021/86/2015	15/9/2015	Amla Sweet Candy
71	130/1036/105/2015	15/9/2015	Hal di Powder
72	1055/1015/87/2015	16/9/2015	Masur Whole
73	1055/1021/88/2015	16/9/2015	Split Pulse Dal Arhar
74	541/1038/131/2015	16/9/2015	Malka Masoor
75	746/1019/118/2015	16/9/2015	Namkeen

Address From where Lifted	Result	FBO Name
C 7 Arya Smaj Road Adrash Nagar Delhi	Mistranded	Shiv Cvhran Lal
FD8 Pitampura Delhi	Mistranded	Tejvir Singh
Plot Number 5 Engineers Enclave Road Number 44 Pitampura	Mistranded	Vijay Prakash Aggarwal
222 FIE Patparganj Indl Area Delhi	Mistranded	sh. Abhishek Chawla
43 44 Sukhal Market B 52 Naharpur Sector 7 Rohini	Mistranded	Harish Gupta
S528 School Block Shakarpur opp Gate No.2 Laxmi Nagar Metro Station Delhi	Mistranded	Sh. Sunil Kumar
7823 Opp Mata Mandir Roshnara Road Delhi	Mistranded	Prashant Kumar
House No 2726 Gali No 204 Tri Nagar Delhi	Mistranded	Dharm Singh
47 North Avenue Club Road Punjabi Bagh New Delhi	Mistranded	Sh. Sanjay Tyagi
1/4967 Balbir Bagar Extn Delhi	Mistranded	Satish Kumar
E 166 9 Gali No 17 Shastri Park Delhi 53	Mistranded	Safuddin
D 222 Tagore Garden Extn New Delhi	Mistranded	Sh. Madan Bansal
A1 Gujrawala Town 1 Delhi	Mistranded	Rajender Kumar
1 55 Moti Nagar Delhi	Mistranded	Sh. Ramesh Kumar Dua
Plot No 1 Community Centre Okhla Phase 1 New Delhi	Mistranded	SudershanSinghBhandary
Plot No 9b&C Cross River Mall Delhi	Mistranded	Sujit Nandi
B79 Industrial Area GT Karnal Road New Delhi	Mistranded	Abhishek Sharma
15-A/63 WEA Karol Bagh New Delhi	Mistranded	Saurabh Wadhwa
Hs17 Gf Kailash Colony Market Delhi	Mistranded	Swadesh Kumar
HS 19 Kailash Colony Market New Delhi	Mistranded	Sh. Suresh Kumar Singhal
6628 Khari Baoli Delhi	Mistranded	Sh. Ashish Grover
B-8/6, Sector-11, Rohini New Delhi	Mistranded	Rambhaji Tayal
6700, Main Road, Khari Baoli, Delhi	Mistranded	Sudhi Maheshwari
E-2/228, Sector-11, Rohini, New Delhi	Mistranded	Ram Kishan
Shop No. H 9, Shardhanand Market GB Road Delhi	Mistranded	Sh. Pramod Kumar Gupta
Shop No.46, INA Market, Defence Colony South East New Delhi	Mistranded	Anil Dhingra
Shop No. 48 INA Market New Delhi	Mistranded	Sanjay Kewalarnani
Shop No 21 CSC 6 Sector 9 Rohini Delhi	Mistranded	Parveen Gupta
A4Anoop Nager Uttam Nager Delhi	Mistranded	Kelsh Goil

Sl. No	Sample Number	Date of Lifting	Food Article
76	130/1044/84/2015	16/9/2015	Coriander OR Dhani a Powder
77	746/1014/103/2015	16/9/2015	Coconut Cookies
78	541/1012/101/2015	16/9/2015	Arhar Dal
79	954/1030/57/2015	16/9/2015	Cookies
80	541/1012/102/2015	16/9/2015	Lal Mirch Kutti
81	1055/1033/129/2015	17/9/2015	Turneric OR Hal di Powder
82	541/1014/104/2015	17/9/2015	Dal Moong Dhuli
83	1055/1044/85/2015	17/9/2015	Honey
84	952/1032/72/2015	17/9/2015	Split Pulse Dal Arhar
85	541/1041/100/2015	17/9/2015	Red Mal ka
86	643/1041/102/2015	23/9/2015	Rajma Chitra
87	643/1041/103/2015	23/9/2015	Golden Sela Rice
88	130/1044/89/2015	1/10/2015	Packaged Drinking Water
89	1160/1033/142/2015	7/10/2015	Butter Milk Masala
90	130/1038/145/2015	15/10/2015	Turneric OR Hal di Powder
91	746/1036/123/2015	26/10/2015	Luxurious Chocolates
92	541/1033/150/2015	2/11/2015	Sugar Based Confectionery
93	644/1033/152/2015	3/11/2015	Soan Papdi
94	1056/1036/131/2015	4/11/2015	Sweet and Namkeen
95	542/1041/127/2015	8/11/2015	Green Zeera Asal
96	1056/1015/106/2015	9/11/2015	Soan Papdi
97	541/1021/122/2015	19/11/2015	Wheat
98	747/1015/109/2015	20/11/2015	Wheat
99	130/1014/127/2015	7/12/2015	Nut Cracker
100	1055/1019/167/2015	15/12/2015	Patisa
101	1055/1012/152/2015	28/12/2015	Old Monk Supreme xxx Rum

Address From where Lifted	Result	FBO Name
B 4 Shardhanand market GB Road Delhi	Mistranded	Anil Kumar
A-1 Gulab Bagh Uttam Nagar New Delhi	Mistranded	Ram Sarup Arora
C.S.C 6 Shop No. 13 Sector-9 Rohini New Delhi	Mistranded	Bajrang Lal Singhal
Shop No 145 Ring Road Mkt. Sarojini Nagar New Delhi 23	Mistranded	Naresh Kumar
Shop No. 13 CSC-2 Sector-9 Rohini Delhi	Mistranded	Rajesh Bansal
Shop No 39 INA Market New Delhi	Mistranded	Krishan Lal
D-14/227 Sector-7 Rohini Delhi	Mistranded	Sunil Gulati
113 Ina Market New Delhi	Mistranded	Ashok Kumar
Shop no. 18 19 Bengali Market New Delhi	Mistranded	Sh. Lalji
D 12 114 sector 7 Rohini	Mistranded	Sh. Sushil Kumar Gupta
Shop No G 83 Manish Mall Sector 22 Dwarka Delhi	Mistranded	Sh. Amit Garg
G 88 Manish Global Mall Sector 22 Dwarka Delhi	Mistranded	Sh. Nasir Khan
Ground Floor Delhi Secretariat IP Estate New Delhi	Mistranded	Nibha Singh
Plot 29-31 CBD Aggarwal Fun City Mall Shahdara Delhi	Mistranded	Kashmir Singh
B 1102 Main Bazar Shastri Nagar Delhi	Mistranded	Sushil Kumar
6/33 Moti Nagar New Delhi	Mistranded	Rajvir Sharma
Shop no 1 Raisingh Market Kirari Road Sultanpuri Delhi	Mistranded	Sushil Kumar
19/28 Near Fun N Food Village Kapashera Delhi	Mistranded	Amar Chand
E 49 12 Okhla Industrial Area Phase 2 New Delhi	Mistranded	Sh. Chyawandeo Upadhyay
Lawrence Road Delhi	Mistranded	Sh. Kanwarjit Bajaj
261 19 Tughlakabad Extension New Delhi	Mistranded	Ashok Kumar
H-1/242 Sector -11 Rohini Delhi	Mistranded	Krishan Kumar Garg
BG 6 300A Paschim Vihar New Delhi	Mistranded	Shankar Lal Aggarwal
1454/2 Chandni Chowck Delhi	Mistranded	Babu Singh
66a Hkanna Mkt Lodhi Colony Delhi	Mistranded	Sharan Kumar Jhha
28A Defence Colony Market New Delhi	Mistranded	Ajay Sharma

प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मैं श्री गुलाब सिंह जी, चौधरी फतेह सिंह जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

श्री गुलाब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में मैं प्रस्तुत करता हूँ।¹

अध्यक्ष महोदय : श्री संदीप कुमार माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्ष 2014-15 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन की अंग्रेजी हिन्दी प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

श्री संदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्ष 2014-15 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन की अंग्रेजी हिन्दी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।²

विशेष उल्लेख (नियम-280)

अध्यक्ष महोदय : 280 नियम के अंतर्गत प्रश्न संख्या एक श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झा : बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए हमारी विधानसभा क्षेत्र के एक गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारी विधानसभा ज्यादातर अनॉथराइज कालोनीज से बसा हुआ विधानसभा क्षेत्र है और आज से कई वर्ष पहले कई सारी कालोनियों में ट्रांसफार्मर लगे हैं। उसके बाद कालोनियां काफी बढ़ गई हैं और लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मैं कई बार डिपार्टमेंट्स में मिला, मिनिस्ट्री में मिला, मंत्री जी से कई बार बातचीत हुई

पर उस पर कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। हालात यह हैं कि अगर इस बार हमने ठीक से इसकी प्लानिंग नहीं की तो पूरी विधानसभा चॉक एंड ब्लॉक हो जाएगी। किसी को बिजली नहीं मिल पाएगी। पिछली बार भी हमने अपने यहां गर्मी के समय में जितनी भी स्ट्रीट लाइट थी, उसको बंद करवा दिया था और उसका नुकसान यह हुआ कि चोरियां बढ़ गईं और तरह-तरह की घटनाएं होने लगी तो मेरा निवेदन मंत्री जी से बस इतना है कि इसके लिए कोई ठोस उपाय किये जाएं। ट्रांसफार्मर कैसे लगेगा? अधिकारी बोलता है कि हमारे पास फंड नहीं है। मंत्रालय फंड नहीं है तो ऐसे में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। दिन-रात हमारे पास लोग केवल बिजली के कनेक्शन लेने के लिए खड़े रहते हैं। यह बहुत गंभीर विषय है। एक साल से लगातार हम इसको उठा रहे हैं परन्तु इसमें कुछ हो नहीं रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयल : धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी 280 के तहत आज से 9 महीने पहले भी इसे विधानसभा के अंदर एक सीवर लाईन के बारे में मैंने प्रश्न उठाया था कि दिल्ली की बहुत सी कालोनियों के अंदर प्राइवेट सीवर लाईन डली हुई है और उन सीवर लाइन के अंदर इस हिसाब से गंदगी भर जाती है कि वो पानी सारा का सारा सड़कों पर आ जाता है तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी तक यह बात आप पहुंचाएं और 280 के हमारे जितने भी क्वेश्चन लगते हैं उनका प्रॉपर हमें जवाब मिले, अभी तक इस क्वेश्चन का मुझे जवाब नहीं मिला है, यह 9 महीने पुरानी बात हो चुकी है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : मेरा तो क्वेश्चन आ चुका है लेकिन मैं धन्यवाद

देना चाहता हूं मंत्री जी को कि उन्होंने सारी सूचनाएं दीं और आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन मेरा निवेदन है कि तथाकथित एक आरटीआई एक्टीविस्ट जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गये थे वो लगातार परेशान करते रहते हैं। अपने गलत तरीके से लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि दो साल से पैसा जमा होने के बावजूद अस्पताल नहीं बन पा रहा है इसीलिए तमाम तरीके से वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं इसलिए लगातार हम आपके समक्ष यह निवेदन रखते रहे हैं। जैन साहब मेरा निवेदन है आपसे कि आपकी अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय मीटिंग इस पर प्लीज ले लीजिए, दो साल हो गये हैं इस पर आपके नेतृत्व में ऐसी उच्चस्तरीय मीटिंग नहीं हो पाई है जिसमें दोनों विभागों को बुलाकर के आप कुछ निर्देश दे पाएं आप अगर बैठ जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि मेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा तो विपक्ष को मौका न मिले इसलिए हमें उम्मीद है कि जैसा आप काम करते हैं, उसी तरह यह काम जल्दी हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओमप्रकाश जी।

श्री ओमप्रकाश : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान सरकार के द्वारा प्रचार मध्यामों से लगातार जनता का गुमराह किये जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार प्रचार से दुष्प्रचार कर रही है कि भ्रष्टाचार को दूर कर तय कीमत से कम कीमत पर पुलों आदि का निर्माण कर बची हुई राशि को जनता के हित में लगाया। मुझे इस विषय में केवल इतनी बात करनी है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है, उसकी एक अनुमानित लागत होती है, उसके बाद एक टेंडर होता है कि अमूमन उससे बीस-तीस-पन्द्रह प्रतिशत कम होता है। उसके बाद राशि कम होने के केवल दो-तीन कारण होते हैं, नम्बर एक यदि वह काम जिसको आपने इस्टीमेट में लिया है, उस काम का कोई हिस्सा न करें या किसी वजह से स्टील या सीमेंट की

कीमत में कमी हो। इसके अलावा वह कौन-सा कारण है जिससे की कीमत में कमी होने का ये बार-बार दुष्प्रचार करके पब्लिक के पैसे को खराब किया जा रहा है? वास्तविकता यह है कि ठेकेदारों को निर्माण सामग्री का भुगतान वर्तमान भाव के अनुसार किया जाता है जैसे कि स्टील और सीमेंट मोदी सरकार की जनहित नीतियों के कारण देश में सीमेंट और स्टील की कीमत में जबरदस्त गिरावट आई है जिसके कारण टैंडर में निर्माण... व्यवधान... तो मुझे लगता यह है कि हमने, एक तो विश्व प्रसिद्ध जादूगर है पी.सी.सरकार एक है, गोगिया पासा अब ये विश्वस्तरीय एक जादूगर केजरीवाल जी हो गये हैं जो जनता को भरमा रहे हैं, जनता के पैसे को खराब करके जो दुष्प्रचार कर रहे हैं ऐसा कौन-सा इनके पास फार्मूला है जो टैंडर के बाद जो बार-बार ये दुहाई दे रहे हैं कि इन्होंने पैसे कम कर दिये हैं। तो न केवल पूरा देश बल्कि सभी विधायकों को बताना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो इस्टीमेट, इस्टीमेट के बाद जो टैंडर होते हैं उसमें जो सेविंग होती है, उसके अलावा भी इन्होंने कोई ऐसा फार्मूला ढूँढ लिया है तो उस फार्मूले को कृपया सभी लोगों को बताने का कष्ट करें। धन्यवाद...व्यवधान...ऐसा है ये बेईमानी की सरकार चलेगी नहीं जनता के पैसे को बर्बाद करने का दुष्प्रचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हो गया, ओमप्रकाश जी फिर आप, ओमप्रकाश जी आप बैठिये प्लीज। ओमप्रकाश जी आपका पूरा हो गया बैठ जाइये...व्यवधान... भाई कमांडो जी उत्तर देने की जरूरत नहीं है इसकी बैठिये आप प्लीज। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कह रहा हूँ पी.डब्ल्यूडी. मंत्री जी कैसे-कैसे डेढ़ सौ करोड़ रुपया बचाया इसकी सदन को पूरी जानकारी दे दें। जानकारी में आ जाएगा ओमप्रकाश जी के...व्यवधान बग्गा जी बोलेंगे, केवल बग्गा जी।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी बैठ जाइये। बग्गा जी। कमांडो जी प्लीज बैठो बस। केवल बग्गा जी। ओमप्रकाश जी बैठिये। बग्गा जी बोलेंगे केवल बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा आपने मुझे...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : ओमप्रकाश जी आप फिर गलत बोल रहे हैं नहीं आप बैठिये। बात कर ली आपने प्लीज बैठ जाइये सोमनाथ जी।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैठ जाइये। सोमनाथ जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैठ जाइये। सोमनाथ जी मैं बिल्कुल अलाऊ नहीं करूंगा। सोमनाथ जी मैं बिल्कुल अलाऊ नहीं करूंगा। सोमनाथ जी। ऐसे सदन चलाना, सोमनाथ जी बैठ जाइये। बैठ जाइये। मैंने बोल दिया ना मंत्री जी उत्तर देंगे। बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि नियम 280 के अंतर्गत मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान वेट डिपार्टमेंट की तरफ दिलाना चाहता हूं। वेट डिपार्टमेंट का कम्प्यूटर सिस्टम ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा। व्यापारियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे व्यापारी ने एक ओब्जेक्शन फाईल किया। ओब्जेक्शन के आर्डर हो गये ओब्जेक्शन अलाउड हो गया। उसके बाद भी कम्प्यूटर से डिमांड नहीं हटती। असेसमेंट आर्डर की एडिशनल डिमांड जमा करवाने के बाद भी कम्प्यूटर सिस्टम में डिमांड नहीं हटती। व्यापारी अपने सी फार्म, एफ फार्म, एच फार्म और किसी किस्म के फार्म नहीं निकाल सकता डिमांड की वजह से। व्यापारी डिपार्टमेंट के चक्कर काटता रहता है लेकिन डिमांड सिस्टम की वजह से नहीं हटती। अध्यक्ष महोदय, वेट डिपार्टमेंट से

2014-15 वर्ष 2015-16 वर्ष की एक लिस्ट मंगाई जाये कि कितने व्यापारियों के ओब्जेक्शन अलाउड हुए हैं और वह कम्प्यूटर से नहीं हटे हैं। दूसरे ओब्जेक्शन में स्टे कंडीशन की रकम व्यापारी जमा करते हैं। ओब्जेक्शन अलाउड होने के बाद रिफंड नहीं मिलता। डिपार्टमेंट में एक लिस्ट मंगाये जिससे कितने व्यापारियों के ओब्जेक्शन अलाउड हुए हैं और स्टे एमाउन्ट रिफंड नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि आप इस मामले को गंभीरता से लें जिससे दिल्ली के व्यापारियों का भला हो। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : टोकस जी। एक सैकेण्ड बग्गा जी, इसमें कोई एक रेफरेंस देते किसी व्यापारी का नाम और डेट तो ज्यादा उचित होता।

श्री एस.के. बग्गा : मैं लिस्ट दे दूंगा सर आपको।

अध्यक्ष महोदय : हां चलिये ठीक है।

सुश्री प्रमिला टोकस : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, दिल्ली अत्यंत वायु प्रदूषित राज्य है जिसके कारण पर्यावरण का संतुलन दिन प्रतिदिन बहुत बिगड़ रहा है। दिल्ली में पहले प्लास्टिक बैग पोलिथिन पर 2009 में बैन लगा फिर नाटिफिकेशन द्वारा 2012 में लगा परंतु प्लास्टिक के उत्पादकों, वस्तुओं एवं खुदरा व्यापारियों द्वारा कोर्ट में जाने से अभी इस पर स्टे है कृपया सरकार इस पर फिर से चर्चा करे और दिल्ली में प्लास्टिक बैग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दें। प्लास्टिक बैग पोलिथिन को अपने आप गलने, घुलने में तकरीबन चलीस पचास साल लगते हैं इसलिये प्लास्टिक बैग नालियों में बह कर नालियां ब्लाक कर देती हैं, जिससे बरसातों में डिस्लिटिंग में भी दिक्कत होती है कृपया सरकार इस पर फिर से चर्चा करे और दिल्ली में प्लास्टिक बैग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल कुमार वाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार वाजपेयी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जो विकलांग लोग हैं मतलब कहना उचित नहीं होगा लेकिन मानसिक रूप से या जिस तरीके के लोग हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो डिसएबल लोग हैं, उनको अगर आप रेलवे में जायें तो रेलवे के अंदर भी उनको कन्सेशन दिया जाता है ईवन दिल्ली सरकार द्वारा डीटीसी की जो बसेज हैं उनके अंदर भी उनको कन्सेशन दिया जाता है लेकिन दिल्ली मेट्रो आज दिल्ली के लोगों का एक अंग बन चुकी है और वहां पर डिसएबल लोगों के लिये कोई कन्सेशन नहीं है। मेरा अनुरोध है आपसे कि जो ऐसे लोग हैं, उनको कम से कम मेट्रो के अंदर फ्री पास या तो उपलब्ध कराये जायें अगर फ्री पास ना उपलब्ध कराये जायें तो जिस तरीके से रेलवे उनको कन्सेशन प्रदान करती है और भी जगह कई राज्यों में भी है तो कम से कम डिसएबल लोगों को दिल्ली मेट्रो के अंदर उनका कन्सेशन दिया जाये। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेते हुए इसको करवाने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, अभी यहां ओमप्रकाश शर्मा जी के 280 में भी यही मेन्शन हुआ था। प्रश्न ये है कि हम जनता के समक्ष किस तरह की सूचनाओं को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं और अगर सरकार स्वयं लोगों को गुमराह करती है विज्ञापनों के द्वारा तो इससे बड़ा धोखा जनता के साथ कोई दूसरा हो नहीं सकता। सरकार का काम है विज्ञापनों का इस्तेमाल जनता को सूचित करने के लिये किया जाये

लेकिन भ्रम या गुमराह या झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने के लिये अगर किया जाता तो इससे बड़ा अपराध लोकतंत्र में कोई और नहीं हो सकता किसी सरकार के प्रति। बार बार ये कहा गया रेडियो, टीवी, अखबारों के माध्यम से कि पुल बनाने में भ्रष्टाचार होता था और हमने भ्रष्टाचार की रकम बचा ली। अगर हम वो रकम भ्रष्टाचार की न बचाते तो ये पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता। दूसरा ये गुमराह किया गया। मैं दोनों चीजों पर बारी बारी से संक्षिप्त विवरण दूंगा। दूसरा कहा गया कि पानी के माध्यम से हमने 174 करोड़ रुपये का मुनाफा पाया है जल बोर्ड ने। 174 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया गया है हालांकि कल ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था लेकिन उप मुख्य मंत्री जी के बयान में कल दूसरी भावना आ रही थी मैंने भी जल बोर्ड के अधिकारियों से जानना चाहा कि एक जल बोर्ड जिसके पास तीन सौ चार सौ करोड़ रुपया बकाया राशि कमिटिड लायबिलिटी की पेन्डिंग है अगर वो 174 करोड़ रुपया प्रोफिट में आ गया है या उसने प्रोफिट कमा लिया है जो सरासर झूठ था, गलत था और लोगों को गुमराह करने वाला था। 174 करोड़ रुपये का रेवेन्यू अर्जित किया गया है प्रोफिट नहीं हुआ, 174 करोड़ रुपये का रेवेन्यू अर्जित किया गया है लेकिन उसको झूठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि फायदा हुआ, प्रोफिट हुआ, प्रोफिट हुआ। दूसरी जो बात आ रही है एक बात साफ है अभी आपने हा हा हू हू कर दिया क्योंकि आप संख्या में बहुत बड़े हैं। किसी का भी मजाक बना सकते हैं किसी भी बात का उपहास कर सकते हैं लेकिन ये सारी बातें अध्यक्ष जी आपके...व्यवधान...

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : नहीं विजेंद्र जी आप उधर मत देखिये आप मुझसे बात करिये। ...व्यवधान... देखिये गड़बड़ कब होती है सदस्यों की तरफ देख कर बात करते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, चार तरह की चीजें हैं जिससे टैंडर अमाउंट में वेरीयेशन होती है और ये वेरियेशन पहली बार नहीं है ये बार बार हर जगह होती है। पहली वेरियेशन कि अगर आपने टैंडर में कोई आइटम लिया हुआ है सपोज आपने फुटओवर ब्रिज उसमें जोड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : भई विजेन्द्र जी ऐसे तो लंबा हो जायेगा। आप इसको ...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ...व्यवधान... जब आपको लगता है सच सदन के सामने ...व्यवधान... मुझे अपनी बात कहने दीजिये। आपने अभी तक किसी को नहीं रोका।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक एक शब्द सुन रहा हूं। सब सुन रहा हूं जो लिख के दिया है उसको पढ़िये। आप दो पेज का लिख के देते।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं दो तीन मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिये एक बार।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये महत्वपूर्ण है दिल्ली के लोगों को पता लगना चाहिये। आप मंत्री जी से बयान दिलवाइये।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिये एक बार। जो लिख के दिया है सभी माननीय सदस्यों ने वह पढ़ा है आप दो पेज का लिख के देते।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मुझे कानून मत बताइये कृपया करके। मुझे कानून बहुत अच्छी तरह पता है। मैं किताब साथ लेके चलता हूं।

अध्यक्ष महोदय : 280 का कानून ये है जो लिख के दिया है वही बोला जायेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप सबको रोक कर किसी को छिपा नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय : आप हर चीज को चैलेंज करें, ये उचित नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपको भी, अगर आप फुटओवर ब्रिज हटा रहे हैं तो उसकी जितनी कीमत है वह हट जायेगी अगर आप नोएस बेरियर हटा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं नोएस बेरियर फ्लाई ओवर के ऊपर तो आप नोएस बेरियर पर जो खर्च होना था वो हट जायेगा और जनाब अध्यक्ष महोदय, अगर स्टील और सीमेंट सस्ता हुआ है तो हुआ है इसमें कौन सी हंसने की बात है। सारा देश दुनिया जानती है।

...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी...व्यवधान.. भई सोमनाथ जी बैठ जाइये त्रिपाठी जी आप बैठ जाइये प्लीज। ऐसे नहीं चलता है... राजेश जी बैठ जाइये। सोमनाथ जी आप बैठिये जरा...सोमनाथ जी आप बैठ जाइये...ये उचित नहीं है...मैं रोक रहा हूं ना उनको। मैं रोक रहा हूं ना बराबर उनको। आप बैठिये। जगदीश जी बैठ जाइये।

विजेन्द्र जी मेरी बात सुन लीजिये एक बार। विजेन्द्र जी एक बार मेरी बात सुन लीजिये प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जी,

अध्यक्ष महोदय : देखिये 280 में मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं आप ये चैलेंज करेंगे उत्तर दें...व्यवधान... 280 में आप बाध्य नहीं कर सकते मंत्री जी को उत्तर देने के लिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैंने कब कहा आपने कहा था आप बता दो डेढ़ सौ करोड़ कैसे बचे। हम तो कह रहे हैं बतायें।

अध्यक्ष महोदय : बता देंगे वो अपने आप। मैंने ये नहीं कहा इस सदन में बतायें। लिखित में दे देंगे वो उसका उत्तर।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप दस करोड़ खर्च करके एडवर्टाईजमेंट कर रहे हैं। जनता को गुमराह कर रहे हैं और मंत्री जवाब नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे?

अध्यक्ष महोदय : आप किस ढंग से बात कर रहे हैं?

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुझे बात करने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : शिवचरण गोयल जी 280

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप इसका राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। विजेन्द्र जी आप अपना 280 पढ़ नहीं रहे हैं। आप खाली सत्र के समय को खराब कर रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। आप एक-एक शब्द गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ।...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बोलिये। आपने जो लिखा है जितना लिखा है उससे ज्यादा बोल गये आप। बोलिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं बोल रहा हूँ वो अलग है सेन्टेन्स थोड़ा आगे-पीछे हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल जी, बैठ जाईये। आप बैठिये प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आप एक आदमी के खड़े होते ही घबरा जाते हो।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 10 CA एक clause है of 10 CA एग्रीमेन्ट की। वो कहती है। CAIA - CL उसका अर्थ है कि जो prevalent 5 act,...

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट रुक जाइये। इसमें कहीं नहीं लिखा है आपने।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : प्रवेलेण्ट एक्ट जो टैण्डर एमाउण्ट है इसमें जो डिफरेंस होगा वो एस्केलेट भी हो सकता है और घट भी सकता है। एस्केलेशन लगेगा अगर बढ़ जायेगा। और अगर कम होगा तो सेविंग हो जायेगी। ...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : घबरा क्यों रहे हो आप ? बोलने क्यों नहीं देते ? आप सच से इतना डरते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं विजेन्द्र जी डिस्एलाउ कर रहा हूं। राजेश जी बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मेरी बात पूरी होने दो।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप बात पूरी नहीं कर रहे हैं। विजेन्द्र जी आपके पास बोलने को कुछ नहीं है। आप अननैसेसेरी चैलेंज कर रहे हैं। उनको भड़का रहे हैं। आपके पास बोलने को कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो लिख कर दिया था यह आपका पेज है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : चौथा प्वाइंट है डिजाइन। अगर डिजाइन चेंज होगा तो ...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई चौथा प्वाइंट आपने लिखा हुआ नहीं है। आप छोड़ दीजिये। शिवचरण बोलिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : XXX¹

*** चिन्हित अंश माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र गुप्ता जी जो भी बोले उसको कार्यवाही से हटा दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आप सीमा से बाहर जा रहे हैं। मैं आपकी रिस्पैक्ट करता हूँ आप बाहर जा रहे हैं। मैं इसलिये हटवा रहा हूँ जो आपने लिख कर दिया। यह 280 है यह किसी पर चर्चा नहीं हो रही। आप इसमें चर्चा का समय मांग लीजिये। एक सैकेण्ड रुक जाइये। प्रवीण जी बैठिये। दो मिनट रुक जाइये। जरनैल जी, रुक जाइये दो मिनट। मैं रूलिंग दे रहा हूँ कुछ। शिवचरण जी एक मिनट बैठ जाइये। कमांडो साहब, दो मिनट रुक जाइये। विजेन्द्र जी, आप बात सुन लीजिये। मैं रूलिंग दे रहा हूँ सुन लीजिये। अगर आपको इस विषय पर कुछ शंका है, आप चर्चा मांगिये। नहीं आप चर्चा कर रहे हैं। 280 में जो लिखकर दिया है आप चर्चा मांगिये। आप नियम के अर्न्तगत इस विषय पर चर्चा मांगिये। आपको नियम की जानकारी नहीं। आप ओपोजिशन लीडर हैं आप 280 का लाभ उठा रहे हैं। 280 पर गलत बयानी कर रहे हैं। आप इस विषय पर चर्चा मांगिये। 280 में आपने जो लिख कर दिया मैंने एलाउ कर दिया। यह रहा आपका पेज मेरे पास।...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र गुप्ता जी ने जो लिख कर दिया, मैं पढ़ कर सुना देता हूँ। यह मेरे पास राइट पेज हैं मैं इसको पढ़ देता हूँ। आप संख्या एक, दो, तीन, चार बोल दीजिये। बिल्कुल मिला लीजिये। मैंने सबको टोका है। न मैं ऐसे नहीं करूंगा। आप चर्चा मांगिये। इसके बाद जो बोल रहे हैं जो पहले बोल दिया आपने, मैंने यह कहा, सुन लीजिये आपने चार चीजें इसमें कही हैं। सीरियलवाइज लिख कर नहीं दिया है। आपने बोल दिया, जितना बोल दिया। मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपने चारों चीजें गिनवा दीं।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट रुक जाइये राजेश जी।

विजेन्द्र गुप्ता : हम सदन का बहिष्कार करते हैं इस सदन का विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कर दीजिये चलिये अब छोड़ दीजिये। राजेश जी, बैठ जाइये प्लीज। देखिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना हूँ कि आज भी स्टार्ड क्वेश्चन्स के 5 रह गये मेरी कोशिश थी 20 के 20 पूरे हो जायें। मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि समय का कृपया ध्यान रखें। समय डिस्टर्ब होता है तो माननीय सदस्यों को जो प्रश्न तैयार करके लाते हैं, इतनी मेहनत करके लाते हैं, उनको बहुत पीड़ा होती है। उनके क्वेश्चन्स रह जाते हैं बहुत पीड़ा होती है उनको। चलिये, शिवचरण जी।

शिवचरण गोयल : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मेरी मोती नगर विधाना सभा क्षेत्र में एक कर्मपुरा क्षेत्र आता है, उसमें एसबीएम एक स्वतंत्र भारत मिल थी उसको डीएलएफ ने आक्शन में परचेज कर लिया था। कुछ जगह उसमें डीडीए की थी, कुछ डीएलएफ की थी। उसमें एक पार्क की जगह थी जिसे वहां के लोग पार्क के लिये इस्तेमाल करते थे। जब यह जगह डीएलएफ को मिली तो उन्होंने आपसी मिली भगत से वो पूरी जगह पर कब्जा कर लिया। और वहां पर कर्मपुरा के निवासियों का रास्ता बन्द कर दिया। आज कर्मपुरा के निवासी उस जगह की तलाश में हैं पिछले आठ-नौ सालों से उस रास्ते को बन्द कर दिया गया। इससे वहां की जनता में बड़ा आक्रोश है। और वहां जी उनको मूल सुविधायें उस पार्क की मिलती थीं वो बन्द हो गईं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि उस पार्क का रास्ता खुलवायें और वहां के लोगों को तत्काल राहत दिलवायें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : प्रवीण कुमार जी।

श्री प्रवीण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, आज जो मैं सवाल उठा रहा हूँ ये सवाल सारी दिल्ली से जुड़ा हुआ है और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में करीबन ढाई सौ गर्वमेंट ऐडिड स्कूल हैं और ये गर्वमेंट ऐडिड स्कूल जिसमें 95% दिल्ली सरकार का स्टेक होता है और बाकी जो है वो सोसायटी या ट्रस्ट अपने माध्यम से डोनेशन लेकर जिस भी तरीके से पैसे इकट्ठा करता है। अध्यक्ष महोदय, जो इसमें स्कूल के व्यय होते हैं, उसमें काफी बड़ा पार्ट जो है, एक इंप्रॉपर्ट पार्ट पानी के बिल का होता है जिसमें कि ये सारे स्कूल जो है, उनमें जितने कनैक्शन लगे हुए हैं सारे कमर्शियल कनैक्शन लगे हुए हैं, जिसके कारण इसका काफी ज्यादा बिल ड्यू काफी दिन से हो गया है तो अध्यक्ष महोदय, इस पर स्पेशल स्कीम निकालकर, एक तो दिल्ली जल बोर्ड स्पेशल स्कीम निकालकर, कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करवा पाए और ये जो व्यय है अल्टीमेटली वो बच्चों से वसूला जा रहा है, पैरेंट्स से वसूला जा रहा है तो इसमें कुछ दिल्ली जल बोर्ड जो है कुछ स्कीम निकालकर इसपे एक तो डिस्काउंट उपलब्ध कराए और सारे जो कनैक्शन हैं, वो अगर डोमेस्टिक करा दें तो बेहतर होगा। शुक्रिया।

संकल्प (नियम 90)

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। नियम 90 के अंतर्गत मुझे श्री जगदीप सिंह, मुख्य सचेतक से संकल्प की एक सूचना प्राप्त हुई है। मुख्य सचेतक का पद मंत्री के समक्ष है, अतः उनके द्वारा दी गई सूचना को मैंने नियम 90 के अंतर्गत सरकार द्वारा संकल्प की सूचना के तहत अनुमति दी है। अब श्री जगदीप सिंह, मुख्य सचेतक नियम 90 के अंतर्गत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। दिल्ली स्टेट नहीं पूरे हिंदुस्तान में 29 राज्यों में ये गंभीर समस्या जो कि हमारे आभूषण व्यापारी, निर्माणकर्त्ता, छोटे दुकानदार और फुटकर व्यापारी आज इस समस्या से जुझ रहे हैं। पिछले 29 दिनों से वो अपनी दुकानें बंद करके सड़कों पर बैठे हुए हैं। देश की केंद्र सरकार को गुहार लगा रहे हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी उन पर थोपी जा रही हैं और उससे वो बहुत ही चिंता में हैं क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में मैं यहां पर चर्चा करना चाह रहा हूं, जिसके लिए इस मोशन को पेश किया जा रहा है। अगर बात करें कि ये जो एक्साइज ड्यूटी एक परसेंट लगाई जा रही है इसमें बहुत सारे शिल्पकार हैं, छोटे-छोट दुकानदार हैं जिन्होंने सिर्फ हाथ में डिजाइनिंग सीखी है, आज तक उन्होंने, कई दुकानदार तो ऐसे हैं, जिन्होंने पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा और इसी समस्या को लेकर 2012 में जब आज प्रणव मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके पास आज केंद्र में बैठी बीजेपी इसी गुहार को लेकर गई थी कि ये एक्साइज ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। आज जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने चिल्ला-चिल्ला कर उस वक्त कहा था कि ये एक्साइज ड्यूटी जो है इंसपेक्टर राज लेकर आएंगी, ये घूसखोरी लेकर आएंगी, ये भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगी, इसको हटाया जाए। उस वक्त भी 21 दिन के लिए हमारे जितने भी ज्वैलर भाई हैं जो आभूषण बनाते हैं, उस वक्त भी उन लोगों ने विरोध किया था और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उस वक्त गुजरात से भागे-भागे आए थे और देश के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणव मुखर्जी से गुहार लगाई थी कि इसको वापस लिया जाए। जहां 21 दिन में कहीं न कहीं उन्होंने विरोध दर्ज कराकर सरकार को मजबूर किया था इस कानून को वापस लेने के लिए। आज जो विरोध कर रहे थे 2012 में, जो इस कानून का विरोध कर रहे थे आज 2016 में आते ही, केंद्र से आते ही उनको पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने वो ही कानून, वो ही एक इंसपेक्टर राज, वो ही एक

घूसखोरी राज, राजनाथ जी ने खड़े होकर कहा था कि ये भ्रष्टाचार का द्वार खोलने जा रही है कांग्रेस...

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी आप संकल्प प्रस्तुत करें, इसको शॉर्ट करके। संकल्प है वो लाइये।

श्री जगदीप सिंह : सर, मैं अपनी मेन बात पर ही आ रहा हूँ कि आज तीन करोड़ व्यापारी जो हैं इस बिजनेस में हैं और कहीं न कहीं बारह करोड़ परिवार उनके साथ जुड़े हुए हैं जो इस बिजनेस में हैं। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि केंद्र सरकार के आगे एक प्रस्ताव पेश किया जाए कि इस एक्साइज, ये जो एक परसेंट एक्साइज लगाई जा रही है इसको वापस लिया जाए और दिल्ली सरकार इसके विरोध में अपना विरोध दर्ज कराए।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जगदीप सिंह जी (मुख्य सचेतक) द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है :-

जो इसके पक्ष में है वो हां कहे,

जो इसके विरोध में हैं वो ना कहे,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

संकल्प पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन की कार्यवाही अवकाश हेतु 30 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही जलपान हेतु 4.15 बजे तक स्थगित की गई)

(सदन उपराह्न 4:15 पर पुनः समवेत हुआ)

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

उप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा एवं मतदान

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, अब श्री गोपल राय, विकास एवं परिवहन मंत्री द्वारा उप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 22 मार्च, 2016 को प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। चर्चा में भाग लेने के लिए सुश्री अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे उप राज्यपाल श्री नजीब जंग जी के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, एलजी साहब ने जब 32 पन्नों का यह अपना अभिभाषण 40 मिनट में खत्म किया तो लगा दिल्ली सरकार के एक साल के कामों को बताने में 40 मिनट लगे सिर्फ बताने के लिए और वही काम हमने एक साल में किये, जो हमने पूरे कर दिखाए, हमारा वायदा था सबसे पहला जो उन्होंने पहले पन्ने में ही जिक्र किया कि हर घर में पीने का 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने की बात हुई और इसको हमने पूरे एक साल लगातार निरन्तर जारी रखा ही नहीं, कल जो हमने बजट पेश किया, उसमें इस बात को दोहराया भी कि आगे भी इसे जारी रखा जाएगा। उसके बाद बिजली के 50% दाम कम किये गये 400 यूनिट तक, एक बहुत बड़ी उपलब्धी है कि हम लोगो ने बिजली की एक साल भी, क्योंकि पिछली सरकारों में आप देखेंगे हर साल दरें बढ़ती रहीं। इसके लिए मैं अपने बिजली मंत्री सतेन्द्र जैन जी को भी बधाई देना चाहूंगी कि पिछले एक साल में एक बार भी आपने बिजली के

दाम बढ़ने नहीं दिये और 50% की राहत जो पिछले साल दी उसे इस साल के बजट में जारी रखा है। एलजी साहब ने तीसरी प्वाइंट में ये जिक्र किया है कि दिल्ली का जो योगदान है केंद्र को करें के माध्यम से एक लाख तीस हजार करोड़ का है, उसमें से दिल्ली को वापिस कितना मिलता है, एक लाख तीस हजार करोड़ में से केवल 325 करोड़। एलजी साहब ने हर बार अपने हर पैरे में मेरी सरकार, मेरी सरकार कह के दोहराया। मैं उम्मीद करती हूं एलजी साहब अगर मेरी सरकार कहते हैं तो ये इसे अपनी सरकार समझते भी हों और ये भी अन्नाय होता हुआ दिख रहा है कि हम एक लाख तीस हजार करोड़ रुपया केंद्र को करें के माध्यम से देते हैं और हमें बदले में सिर्फ 325 करोड़ मिलता है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि दिल्ली के साथ न्याय हो सके। अध्यक्ष जी इसमें बहुत बड़ा मैं नहीं कहूंगी पर 10 नम्बर पर अब मैं सीधा चली जाती हूं, 10 नम्बर पैरे में जो बात कही शिक्षा के ऊपर, निजी स्कूलों के ऊपर लगाम लगाने की बात कही। तीन चीजें कही उसमें कि निजी और गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा अधिक फीस वसूली को रोकने के लिए दिल्ली स्कूल खातों की जांच और अतिरिक्त फीस वापसी विधेयक, 2015 लाती है। दूसरे में कहा कि प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षक (संशोधन) विधेयक, 2015 शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम लेकिन दुख की बात है कि अंत में एलजी साहब ये बताते हैं उपराज्यपाल की मेरी सरकार इन प्रस्तावित विधानों के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है। मुझे समझ नहीं आता जब दिल्ली विधान सभा ने इसे पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया तो उसका इंतजार क्यों किया जा रहा है? मैं इसके बाद सीधा 15 नम्बर पर आती हूं, 9 नम्बर पृष्ठ पर। नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा बढ़ाकर इसे नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बना दिया गया इसके लिए मेरी सरकार

ने दिल्ली विधान सभा में एक विधेयक पारित किया और अब इस पर भारत सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। इसमें भी प्रतीक्षा की जा रही है। आप देखिए कि काम तो किए हैं लेकिन केन्द्र सरकार ने उन सभी विधेयकों को जो पूर्ण बहुमत से यहां से भेजे हैं, उन्हें रोक के रखा गया है। मैं उसके बाद सीधा आती हूं 30 नम्बर पे ये सबसे ज्यादा हम लोगों को प्रभावित करता है क्योंकि इसमें मजदूरों की बात की गई।

इसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। न्यूनतम मजदूरी दिल्ली संशोधन विधेयक, 2015 विधान सभा में पारित किया गया कि हर मजदूर को उसका मेहनत का न्यूनतम वेतन मिले लेकिन दुख की बात है कि एल. जी. साहब इसकी तारीफ करते हैं कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया और ये यहां से न्यूनतम वेतन मजदूरी विधेयक पारित किया है। लेकिन फिर एक बार बताते हैं कि इस पर केन्द्र सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार को कम से कम बख्श दे और मजदूरों के लिए जो हम लोगों ने मिनिमम, न्यूनतम वेतन तय किया है, उसे पारित करके जरूर और जल्द भेजे। मैं इसके बाद सीधा 37 नम्बर, 19 पेज पर। एल.जी. साहब इसमें जिक्र करते हैं कि उन्हें खुशी है कि दिल्ली की सरकार ने जो वायदा आम आदमी से किया था कि जन लोकपाल कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून लाकर दिल्ली को भारत को पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनायेंगे। लेकिन उसमें भी एल.जी. साहब कहते हैं मेरी सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है और सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने का हर सम्भव प्रयास कर रही है। आगे देखिये। कहते हैं दिल्ली जन लोकपाल विधेयक 2015 इस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है जिसे विधान सभा में 30 नवम्बर, 2015 को पारित किया गया। यह केन्द्र सरकार

के विचाराधीन है। यानी की 30 नवम्बर से आज भी जन लोकपाल जो इस सदन ने पास करके बहुमत से भेजा है, केन्द्र सरकार उस पर अभी भी विचार कर रही है। उस पर क्यों विचाराधीन कर रही है। अध्यक्ष जी, आप मौका देंगे तो आज नहीं तो कल मैं इस पर बताऊंगी कि क्यों विचाराधीन कर रही है। ये एक लैब पत्र है जो मैं आपके सामने जरूर रखूंगी। जो इनके भ्रष्टाचारों की खुलासा करता है कि किन्हें-किन्हें बचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, इसके बाद मैं सीधा जो है एल.जी. साहब की जो बातें जो है मैं इस बात पर यही बस कहना चाहूंगी कि आपसे, उप राज्यपाल से कि जो भी अनबन रही हो लेकिन जब वो अभिभाषण अपना यहां पर दे रहे थे उन्होंने हर बार मेरी सरकार की और हर सरकार के एक-एक कदम की उन्होंने तारीफ भी की क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जो चीज साक्षात दिख रही है, उसमें वो आँख बन्द कैसे कर सकते? कैसे इन्कार कर सकते हैं कि दिल्ली का जो विकास हो रहा है, दिल्ली के जो कम समय में काम पूरे किये गये। जो पैसे की बचत की गयी और किस तरीके से उस पैसे को लोगों के ऊपर वापिस खर्चा किया जा रहा है। 01 फरवरी से दिल्ली सरकार के तमाम अस्पतालों में दवाएं ईलाज और जांच को मुफ्त कर दिया गया। ये यही था कि हम लोगों ने पैसा बचाया और उसमें काम किया। मुझे खुशी है लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि एल.जी. साहब के अभिभाषण में मेरी सरकार कहें तो मेरी सरकार समझें भी। और मेरी सरकार अगर वो कहते हैं और उनकी सरकार के साथ अगर अन्याय होता हुआ दिख रहा है। पांच से दस ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसमें जन लोकपाल, न्यूनतम मजदूरी वेतन ऐसे ही प्रस्ताव हैं जिन्हें इस सदन ने बहुमत से पारित किया है और आज भी एल.जी. साहब उन्हें कोशिश करें, गृह मंत्रालय ने उसे पारित करवाकर लायें ताकि वो कानून बन सके और उसे हम सख्ती से पालन करके लोगों की जिन्दगियों में, मजदूरों, गरीबों की जिन्दगी में बदलाव ला सकें। जय हिन्द, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री अवतार सिंह जी।

सरदार अवतार सिंह कालकाजी : अध्यक्ष जी, तुसी मौका दित्ता गल करन्दा साडी सरकार बणन नु एक साल तो वाददा समा हो गया है पर बड़ी खुशी दी गल है कि कम्मा दी झड़ी लगी हुई है पर उस दिन सडडे उपराज्यपाल जी भाषण दे रहे सन, मैं उना दे चेहरे उत्ते खुशी वी देख रहा सी बहुत सारी पर वो अंदरो बहुत खुश सन की एक ऐहो जी सरकार आई जिन्होंने कम्मा दी झड़ी लगा दिती ते काम करने वासते साडे रास्ते आसान कर देते। चाहे उदे विच साडे कम्मा दी, आम जनता नु इतना फायदा हुआ कि लोक इतने खुश ने चाहे वो बिली दी गल करिये, बिजली दे अददे ह्ये हन, पानी दी गल करिये, पानी उनना द 20 किलोलीटर फ्री हो गया है ते गल करिये इनया खुशिया मिल रहीया हन कि ओहो सरकार दे कम्मा तो इतने खुश ने कि सरकार पहली बार ऐहो जी आई है जिसने पहली बार काम करने सोखे कर देत्ते अतः लोका नु पता लगन लग पाया कि गल की है पर लोका नु अंदरो सब समझ आ रही है कि पिछलिया सरकारा करदीया कि रहीया ने उन्होंने पब्लिक विच जाकर काम करन्तदा मौका नहीं दिता आम आदमी पार्टी जो सरकार आई है ऐहे जा जाकर काम कर रही है लोका नु बड़ा उत्साह मिल रिया है। मैं बड़ी खुशी रहा सी उना दे चेहरे उत्ते। चाहे उसी हुण स्वास्थ्य दी गल कर लिये डिस्पेंसरिया खुल गई है लोक नु फ्री दवाइयां मिल रही हन, लोका कोल कोई गल ही नहीं रही, कोई गल कहना चाहण सहनु कोई सुविधा नहीं मिल रही, चाहे पानी दी गल होवे, पानी उनानु फ्री मिल रहा है ते जे गल करिये आज कल जो एम्बुलेंस चल रही है सौ के करीब बेसिक और दस के करीब आधुनिक बन रही हन, ऐहे कितनी सुविधा मिल रही है दिल्ली के लोका नु, इसदे वास्ते बहुत खुशी दी गल है कि क्योंकि मैं देख रिहा सी कि वो बार-बार अपने चेहरे ते हाथ भी फेर रहा सन, ते खुशी महसूस कर रहा सन कि मेनु आज मौका मिलया कि

आज सडा अपना ही सडडे कोल खोलुता होया है ते नजारा आ रहा सी उस गल सुणदा झेहड़ा एक साल दा सरकार दा काम है वडडी गल है कि आज जो किसान पूरे हिंदुस्तान विच बड़ी मुश्किल विच है, करजे थलते है, ओहो अपनी खुदकुशी करानु बिल्कुल तैयार बैठा है, ओहो अपना कर्जा नहीं दे सकता तो कि करा, दिल्ली सरकार ने जडा काम कित्ता कि सब तो पहला जणा सडा अन्नदाता है जे बेमौसमी बरसात हो गई है, फसल खराब हो गई है, सरकार ने जाकर उननू चैक दित्ते, इसतो वदिया होर कि हो सकदा है ते इतनी सरकार चिंतित है अपने दिल्ली के लोका वास्ते आम आदमी नु जणी सुविधा मिले, जिमे पढ़ाई दे मियार दी गल करिये, पढ़ाई द मियार इतना उच्चा चुकिया जा रया है कि जे एजुकेशन अच्छी हो गई है ते सरकार अच्छी तरह समझ दी है कि जे हर नौजवान, हर बच्ची पढ़-लिख गई ता इस देश दा भाविख बहुत अच्छा हो जावेगा इस दे उल्ले सरकार गम्भीरता नाल विचार कर रही है, ते सरकार ने इस दा बजट वी दुगुना कर दित्ता है, ते दिल्ली सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। मैं एलजी नु बहुत धन्यवाद करदा कि वो आये, जिने क्वेश्चन चालीस मिनट विच पढ़े गये। ऐहे बड़ा सौभाग्य समा जी साडे वासते जे सानु मौका मिलया इस सरकार नाल मिलकर काम करनदा अससी एम.एल.ए. चुण कर आये और इसतो वडडा साडे वास्ते कोई सौभाग्य समा नहीं हो सकदा। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करदा दिल्ली सरकार दा, जो आगे वी इतना वडया काम कर रहे हन, ते आगे वी चढ़ती कला विच काम करनगे। जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : धन्यवाद अध्यक्ष जी, अभी जो बाईस तारीख को उप राज्यपाल महोदय ने यहां सरकार की उपलब्धियां गिनायी। मैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले शिक्षा जिसमें पिछले साल बजट भाषण में जो प्रस्तुत

किया था उसमें पांच सौ स्कूल गये खोलने की बात कही गयी थी और एक साल बीत जाने के बाद मेरे विचार से एक भी नये स्कूल चालू नहीं हो पाया। मेरे विचार से एक हजार मुहल्ला क्लीनिक खोलने की बात की गयी। उसमें केवल एक मुहल्ला क्लीनिक खुली। तो मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जो दिल्ली की समस्याएँ हैं, जिन पर बहुत ही बढ़-चढ़कर यहां बताया गया। मैं आपका ध्यान दो-तीन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली की जैसे की अनाधिकृत बस्तियां हैं। करीब चलीस प्रतिशत लोग वहां रहते हैं और ये हमारे बीच में हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर यहां बैठे हैं। खासकर मैं उनका इस विषय की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यमुनापार में जो शाहदरा नार्थ का एरिया है उसकी जो हालत है। वहां ट्रैफिक चलता नहीं है बल्कि कछुवे की तरह रेंगता हैं। लोगों का करोड़ों रुपये का रोजाना का पेट्रोल फुकता है, तेल फुकता है। आप कभी भी जा सकते हैं। सभापुर से लेकर और गांधी नगर तक कोई आदमी अगर किसी को सर्विस पर जाना है, टाईम से नहीं पहुंच पाता। किसी बच्चे को पेपर देने जाना है तो वो भी अपने टाईम पर नहीं पहुंच पाता है। न मोटरसाईकिल निकल पाती है न पैदल आदमी निकल पाता है और कम-से-कम 6 किलोमीटर के सफर में दो से ढाई घंटे डेली के लगते हैं। वजीराबाद ब्रिज जो सिग्नेचर ब्रिज का कह रहे थे भई 2016 में शुरू हो जायेगा। तो मुझे लगता है कि वो भी शायद एक-दो साल अभी शुरू होने वाला नहीं है। वजीराबाद ब्रिज के ऊपर आप चले जायें। किसी भी टाईम, दो घण्टे से पहले आदमी नहीं निकल सकता। मेरे घर से विधान सभा आने में मुश्किल से आधा घण्टा लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। दो से ढाई-ढाई घण्टे यहां तक आने में लगते हैं। जिस बच्चे को परीक्षा देने जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है और वो बस जा रहा है और वो बस डेढ़-डेढ़, दो-दो घण्टे वहां खड़ी रहती है वजीराबाद पुल के ऊपर। तो सरकार ने इस पर कोई ध्यान मेरे विचार

से नहीं दिया है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ, बजट के ऊपर उसके कन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता कि भई मैं उसको दूसरे उसमें ले जाऊँ। मैं सिर्फ दिल्ली के विकास कैसे हो। उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सिग्नेचर ब्रिज में दो साल लगेगे। वहाँ एक पन्टून पुल चलता था। दो साल से वो पन्टून पुल बन्द है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि कम से कम जब तक आपका सिग्नेचर ब्रिज न बने तो उस पन्टून पुल को शुरू करा दें ताकि मोटरसाईकिल वाले, छोटे ह्वीकल वाले वहाँ से निकल जायें या सोनिया विहार जहाँ से हमारे कपिल मिश्रा जी मंत्री हैं, एक बहुत पुराना प्रपोजल था कि बुराड़ी से और सोनिया विहार के बीच में एक ब्रिज बनाने का था। तो मैं आग्रह करता हूँ कि वहाँ एक ब्रिज का प्रपोजल जरूर बनाना चाहिए और जो सभापुर से लेकर गांधी नगर तक का रास्ता है। इसको बहुत जल्द से जल्द, जैसे खजूरी चौक है उसके नीचे अण्डरपास होने चाहिए और जितने भी इस पर रेड लाईट पड़ती है। उन पर सब पर ब्रिज बनना चाहिए ताकि जो यू.पी. से आने वाले आदमियों का लोड है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश से इतना आदमी आता है मोटर साईकिल से, कार से, स्कूटर से, ट्रक से कि वो निकल नहीं पाता ये तो हो गई ट्रेफिक की बात। उसमें एक हजार नई बसें चलाने की बात कही गई है कि हम इस साल में एक हजार नई बसें लेकर आएंगे तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ जब बसों के चलने के लिए रास्ते नहीं हैं तो बसें चलेंगी कहां? मेरी विधान सभा करावल नगर विधान सभा और मुस्तफा बाद विधान सभा अभी ऑड-ईवन लागू हुआ था। 15 दिन के लिए तो वहाँ हर पांच मिनट में बस आती थी। जब मैं वहाँ बैठकर देखता था उस बस के अंदर एक भी सवारी नहीं चढ़ती थी। अब हमने पूछा कि इस बस में कोई आदमी जाता नहीं? तो उसका कारण क्या था कि बस वहाँ से पांच मिनट का जो रास्ता है भजनपुरा का एक घंटे से पहले वहाँ नहीं पहुंच पाती। अब एक घंटे आदमी

बस में बैठकर इंतजार करे तो समझता हूं नहीं, क्योंकि करावल नगर रोड की बात है। जो चौड़ा करने का करीब आठ नौ साल से काम चल रहा है। दयाल पुर से शिव विहार तिराहे तक उसकी हमने दो-तीन मीटिंग भी रखी माननीय उप-मुख्य मंत्री जी के यहां पर और उन्होंने उसमें कुछ काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं सिसोदिया जी का। उसके बाद हमारे कपिल मिश्रा जी जो कल बहुत यहां उछल-उछल कर भाषण दे रहे थे उनकी विधान सभा भी मेरी विधान सभा के साथ है और जब वो कानून मंत्री बने और मैं सिसोदिया के पास गया कि सिसोदिया जी हमारे रोड का, की कुछ व्यवस्था करें... तो सिसोदिया जी ने कहा कि अब तो आपके कानून मंत्री मिश्रा जी बन गए हैं और हमारी जो फाईल थी उस रोड की लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में लीगल ओपीनियन के लिए लॉ डिपार्टमेंट में भेज दी। मैं मिश्रा के पास गया। क्योंकि अब तो ये इनका भी काम है क्योंकि रोड इनकी भी विधान सभा में है वह और मेरी विधान सभा भी वहीं है तो ये काम शायद जल्दी हो जाएगा। बाकी मैं ने चार-पांच बार कपिल मिश्रा जी से आग्रह किया कि भैया, इस फाईल को निकलवा दो। अभी मोदी सरकार ने जो ऑर्डिनेन्स लाया हुआ है, अध्यादेश लाया हुआ है उसके अंदर हमारा ये रोड क्लीयर हो जाएगा। एलजी साहब के पास फाईल भिजवा दो ये। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस मंत्री के एरिया में वो सड़क हो और वो मंत्री उस सड़क पर कोई ध्यान न दे तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा सरकार के लिए और शर्म की बात नहीं हो सकती। जो छः साल से उस रोड का रास्ता रुका पड़ा है। अगर वह अध्यादेश लागू होने तक फाईल वहां पहुंच जाती एलजी साहब के पास तो आज करावल नगर रोड चौड़ा हो गया होता। मैं सिसोदिया जी से अभी जिक्र कर रहा था कि मैंने एक रोड की रिक्वेस्ट की थी करावल नगर रोड को चौड़ा करने की कि मेरे यहां कोई बस नहीं आती और न तो बच्चे स्कूल पहुंच पाते हैं और न कोई सर्विस

पर पहुंच पाता है। बड़ी खुशी हुई मुझे कि हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी लॉ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बने और आपने कहा कि अब कपिल मिश्रा जी लॉ के मिनिस्टर बन गए हैं अब काम जल्दी हो जाएगा रोड का। मैं छः-सात बार मिश्रा के पास गया और डेढ़ महीने तक वो फाईल लॉ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के यहां पड़ी रही तब तक वो अध्यादेश खत्म हो चुका था अगस्त के महीने में। अगर वो फाईल पहुंच जाती सिसोदिया साहब तो आज हमारे करावल नगर के रोड के चौड़ी करने का पिछले लैंड बिल के अनुसार वो हो जाना था। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है। तो मैं एक तो यह जानना चाहता हूं कि जो जमीन अधिग्रहण करनी है हमें किसी भी काम के लिए चाहे स्कूल के लिए हो, रास्ता चौड़ा करने के लिए हो या होस्पिटल बनाने के लिए एक्वायर करनी हो, तो उसके लिए सरकार की क्या नीति है और उसको हम किस तरह से पूरा करेंगे? अभी मैं एलजी साहब के भाषण के दौरान पढ़ रहा था कि कुछ जगह पर जमीन एक्वायर की गई है। एक तो मैं जानना चाहता हूं कि जो ये लैंड एक्वायर की हैं वो डीडिए से ली गई हैं या कोई प्राईवेट लैंड एक्वायर की गई हैं। अगर प्राईवेट लैंड एक्वायर होने का सिलसिला शुरू हो गया है तो जो दिल्ली में रास्तों की जहां दिक्कतें हैं तो मेरा आग्रह है सरकार से कि उन रास्तों का प्रायरिटी पर लेकर उन रास्तों को चौड़ा कराया जाए। क्योंकि जब तक रास्ते नहीं होंगे तो हम कितनी भी बसें ले आएंगे जब वहां निकलने के लिए जगह नहीं होगी तो मैं समझता हूं बसें लाने का, बसें चलाने का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा स्कूल भी हम नहीं बना पाएंगे जब जगह नहीं होगी हमारे पास तो। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर एक कमेटी बनाई जाए जो कि विधान सभा जिनमें जगह हमारे पास मुहैया नहीं है चाहे स्कूल की बात हो, होस्पिटल की बात हो या रास्तों की बात हो और एक कमेटी के अंदर उस का कोई भी विधायक चेयरमैन होना चाहिए ना कि

सरकारी अफसर। क्योंकि सरकारी अफसर नई दिल्ली में रहते हैं और विधायक हैं रोजमर्रा की वहां की परेशानी से वह अवगत है पूरी तरह से। तो उसकी जितनी भी विधान सभा है वो एक कमेटी बनाकर जहां जमीन एक्वायर करनी है। क्योंकि आपने बजट में कालोनी पास करने बात कही है। उसका मैं स्वागत करता हूं और उसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि कालोनी पास करने से पहले जो रास्ते चौड़े करने हैं जो स्कूल के लिए जगह लेनी है, हॉस्पिटल के लिए जगह लेनी है तो उन जगहों को पहले चिन्हित कर लिया जाए वरना कालोनी पास होने के बाद आपको जमीन एक्वायर करना बहुत मशकिल हो जाएगा किसी भी कीमत पर, जमीन आप एक्वायर नहीं कर पाओगे। क्योंकि वहां मुआवजा जो देना पड़ेगा कालोनी पास होने के जो सर्किल रेट हो उसके डबल देना पड़ेगा आपको। आज एग्रीकल्चर के हिसाब से जो अन-ओथोराइज्ड कालोनी है, उनमें आप जमीन एक्वायर कर सकते हो और दिल्ली की जनता को अच्छी सुविधा दे सकते हो। दूसरा जो सड़क की बात है मैं सिसोदिया जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे यहां समस्या को समझा है देखा है और उसके लिए मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूं कि मेरे यहां इन्होंने 108 कमरे का निर्माण शुरू करवाया। मैं कपिल मिश्रा जी की जो एक मंत्री है जिनका वहां विधान सभा मेरे बराबर में है, उनके कार्य की मैं भर्त्सना करता हूं यहां क्योंकि कोई भी उन्होंने किसी तरह का कोई सहयोग नहीं किया। तो ऐसे मंत्री दिल्ली का विकास मैं समझता हूं नहीं कर सकता जो आदमी विधान सभा का ध्यान न दे, किसी का फोन न उठाए, कोई काम करने को तैयार न हो तो मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम उन लोगों से कहा जाए कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ काम की बात कर रहा हूं कि दिल्ली का विकास कैसे हो। मैं और ज्यादा न कहते हुए आपने मुझे वक्त दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरिता जी को बुलवाऊँ इससे पहले एक परिचय करना आवश्यक समझ रहा हूँ हमारे बीच में कन्नू भाई कलसरिया जी गुजरात से आए हैं तीन बार वहां विधायक रहे हैं और पिछली बार एमपी का भी चुनाव इन्होंने लड़ा था, मैं उनका दिल्ली विधान सभा की ओर से उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सरिता सिंह जी।

सुश्री सरिता सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो जिस विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है कि एलजी साहब का धन्यवाद करना है तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि एक साल में ही सही, एक साल में ही सही कम से कम इस दिल्ली सरकार को मेरी सरकार तो कहा तो आज पूरा सदन उनका धन्यवाद करता है कि हम आप ही की सरकार हैं हम पर भरोसा करके देखो और जो आपसी जंग थी उसको खत्म करने का प्रयास आपने किया। जिन कार्यों की उन्होंने सरहाना की अलका जी ने भी बताया बिजली, पानी सब्सिडी जो हमने दी लोगों ने इस पर कहा कि सब्सिडी की सरकार है ये पर हम बस यही करना चाहता हैं कि अगर सब्सिडी अम्बानी, अडानी को मिल सकती है तो आम जनता को क्यों न मिलें? आम आदमी को क्यों न मिले? तो बिजली पानी की सब्सिडी इस लिए दी गई। and I really feel proud to say the children of Delhi are in safe hands पिछली बार एजुकेशन का जो बजट था वह डबल किया गया था और उसको किस तरह से हमारी सरकार ने सार्थक सिद्ध किया है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी नाम की हर स्कूलों में एक एसएमसी नाम की एक कमेटी बनती थी हर स्कूलों में जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पाता होता था। हमारी सरकार ने एसएमसी को इतना पावर दिया कि स्कूल की रोजमर्रा की बेसिक फैसिलिटी पर चैक लगाया जा सके और वो चैक लगाएगा कौन? वहां के स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स। ये बहुत बड़ी उपलब्धि दिल्ली सरकार ने की।

स्कूल के इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्कूल की बेसिक फैसिलिटी को सुधारा गया और सबसे बड़ी बात जो इस बार की गई इतिहास में पहली बार हुई कि हर स्कूल में ईडब्ल्यूएस का एडमिशन होता था जिसमें 75 से 80% सीट बेची जाती थी इस बार उसको ऑन-लाईन किया गया और हमें गर्व है इस चीज का मेरे आफिस में ऐसी कई महिलाएं आईं जिनके बच्चे कभी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, पर उन्होंने आ आकर धन्यवाद दिया कि मैडम धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेन्ट हमारी सरकार का है और एलजी साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस चीज को उन्होंने अपने वक्तव्य में मेन्शन किया। अगर हम हैल्थ की बात करें दिल्ली में सरकारी अस्पताल पिछले एक साल में नहीं खुले थे, कई सालों से चल रहे हैं सरकारी अस्पताल पर वहां की जो दलाली थी। लाभ माफिया, मैडिसन माफिया जो हॉस्पिटल के अन्दर चल रहा था उस पर आकर हमारी सरकार ने नकेल लगाई है और गर्व है मुझे यह कहते हुए। एलजी साहब ने भी इसके बारे में कहा कि अस्पतालों में दिल्ली सरकार के सारे के सारे अस्पतालों में फ्री दवाइयाँ मुहैया कराई जाएंगी और दवाइयाँ न मिले तो कम्प्लेंट करना। ये किया है हमारी सरकार ने केवल जुमले बाजी नहीं की। हमारी सरकार ने महिला सुरक्षा की बात की थी। यहां मैं फिर कहूंगी हमने जुमले बाजी नहीं की। हमने बसों में एक साल के अंदर सीसीटीवी कैमराज लगाए, बस मार्शल नियुक्त किये, ई-रिक्शा यानि लास्ट माइल कनेक्टिविटी मेट्रो स्टेशन पर तो आ गई परन्तु अब घर कैसे जाऊंगी। ई-रिक्शा फैसिलिटी प्रोवाइड की। पर मेरे पास ई-रिक्शा खरीदने के पैसे नहीं हैं तो अब मैं क्या करूं? उस पर सब्सिडी दी और आपने महिला सुरक्षा के वादे को हमने सिद्ध किया। सार्थक किया कि हम केवल बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं लगाते। हम उसको वाकई में करके दिखाते हैं और एलजी साहब ने भी इसको माना। राशन में जो माफिया था

पायलेट प्रोजेक्ट पिछली एक साल में 40 दुकानों में मशीनें लगाई गई जिससे राशन की जो चोरी होती है, वह कम की जा सके और इस साल वो ज्यादा बड़े स्तर पर लगाई जाएंगी। आज तक कभी ये नहीं किया गया था तो यह सरकार की नीयत थी कि वो कुछ अच्छा काम करें क्योंकि आम आदमी की सरकार थी और आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध है और आम आदमी के पैसे की सरकार है। इसी लिए आज सुबह भी मंत्री जी ने बोला कि आम आदमी का पैसा है तो आम आदमी के लिए ही खर्च होगा। फ्लाई ओवर्स जो बने, उसमें कम पैसे लगे तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो एजली साहब ने अपने वक्तव्य में कहा। मैं बस एलजी साहब से धन्यवाद करने के साथ-साथ बस उनसे यह अनुरोध करना चाहूंगी कि अलका जी के वक्तव्य को और स्ट्रांग करते हुए कि हम आपकी ही सरकार हैं जो मेरी सरकार आपने बार-बार कही थी। ग्यारह ऐसे विधेयक हैं जो आज भी सेंटर में पड़े हैं और वो पास नहीं हो रहे हैं यानि जन लोकपाल जिससे दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो जाता कम हो जाता पर वो आज भी सेंटर में है जो इस विधान सभा का दिल्ली की जनता का सपना था। तो ये एक साल इस साल आप एक हमसे वादा करिए कि आप सेंटर से अपील करके जन लोकपाल बिल वहां से पास करा देंगे और दिल्ली की जनता को वो तोहफा देंगे जो दिल्ली की जनता चाहती है। एजली साहब के माध्यम से मैं अपनी पूरी सरकार का, अपने पूरे मंत्री गण का, स्पीकर साहब यहां पर बैठे सारे सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने अपने मैनीफैस्टो को हर दिन पढ़ा। एक पवित्र ग्रंथ की तरह बाइबल, कुरान गीता की तरह पढ़ा और उसके हर अध्याय को इस तरह पूरा करने की कोशिश की कि मेरे घर का बजट है, मेरे घर का सपना है और वो मुझे पूरा करना है इसके लिए पूरी की पूरी दिल्ली सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि एलजी साहब आप हमें अपना मानते रहिए अभी तो यह पहला साल बीता है अभी

चार साल और बाकी हैं। चार साल में दिल्ली में क्रान्ति भी आएगी और जरूर आएगी। दिल्ली एक मॉडल स्टेट भी बनेगा और दिल्ली में बदलाव जरूर आएगा क्योंकि ये हमारा नेता जी का नारा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली हमारा सपना नहीं, हमारी जिद्द है तो ये तो हम लेकर रहेंगे, जय हिंद।

अध्यक्ष महोदय : राजेन्द्र पाल गौतम।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे उप-राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए चर्चा के लिए समय दिया। मैं बेहद गर्व के साथ खुशी के साथ ये महसूस करता हूं कि दिल्ली सरकार ने पिछले एक साल के अंदर इतने अच्छे काम किये कि उनका बखान करने में माननीय उप-राज्यपाल जी को पूरे 40 मिनट का समय लगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी देश के विकास का जो पैमाना है, वो उस देश की शिक्षा की स्थिति से पता लगता है। ये पहली सरकार है मैं समझता हूं हमारे देश के किसी भी राज्य की जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने टोटल बजट का लगभग एक तिहाई बजट खर्च किया। ये पहली सरकार है वर्ना आंकड़े उठाकर देख लें बाकी राज्यों के और यहां तक की हमारी केन्द्र सरकार की नजर में शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। जबकि विश्व किसी भी देश को देख लें, जहां शिक्षा को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जहां शिक्षा पर ज्यादा खर्च किया जाता है जहां शिक्षा के सुधार पर ज्यादा कार्य किया जाता है वो देश और वो राज्य हमेशा विकास के रास्ते पर अवल्ल रहते हैं। हमारी सरकार ने इस बात को बड़ी गम्भीरता से लिया और शिक्षा के सुधार को प्राथमिक दृष्टि से देखा। पिछली सरकार ने जो नो डिटेन्शन पॉलिसी लागू की थी जिसका सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के गरीब लोगों को उठाना पड़ा और दिल्ली में भी उसका नुकसान सबसे गरीब लोगों को उन मजलूम लोगों को

उठाना पड़ा जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अपनी सरकार का एक तरफ तो पिछली विधान सभा में नो डिटेन्शन पॉलिसी को खत्म करने का बिल इस विधान सभा में आप सबने पास किया और दूसरी बात जैसा अभी सरिता जी बोल रही थी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का महत्व दिल्ली की जनता को पहली बार पता लगा और पहली बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जनता का विश्वास लौटा है वरना सरकारी स्कूलों में स्थिति ये थी कि न तो क्लासरूम्स के अंदर टीचर ढंग से जाते थे, न पीने का पानी मिलता था ठीक से और न सफाई व्यवस्था ठीक थी। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने शिक्षा के महत्व को समझा एसएमसी को मजबूत किया और आज लगभग हर स्कूल के अंदर सीसीटीवी लग गए हैं और जो कल सरकार ने अगले बजट के लिए जो प्लान किया, उसके लिए भी धन्यवाद करूंगा कि अब केवल स्कूल में नहीं बल्कि हर क्लासरूम में भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे मैं समझता हूं इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जा सकेगी Health and Education are the prime responsibility of the Government और ये पहली सरकार है जिसने इस बात को समझा कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है इसीलिए इतना बड़ा बजट उसके लिए रखा गया और मैं महसूस करता हूं यह बचपन से देखता आ रहा हूं कि सरकारें वायदे करती हैं घोषणा पत्र बनता है लेकिन जीतने के बाद वायदे जुमले बन जाते हैं। ये पहली सरकार है जिसने जो वायदे अपने घोषणा पत्र में किये एक एक करके अपना सारे वायदे लगातार हम लोग पूरे कर रहे हैं हमारी सरकार पूरी कर रही है इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं। चाहे पानी के 20 हजार लीटर तक बिल माफ करने की बात हो, चाहे 400 युनिट तक बिजली के बिल आधे करने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां मुफ्त करने की बात हो जाहे सारे पैथॉलाजीकल टेस्ट हॉस्पिटल में करने की

बात हो, मैं समझता हूं ये सारे ही वायदे दिल्ली सरकार ने अपने एक-एक करके पूरे किए और इससे जनता को बहुत बड़ा फायदा हुआ है चाहे बेशक कोई कहता रहे कि यह सब्सिडी की सरकार है। अगर दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के लिए इतनी अच्छी योजनाएं बनाती है और दिल्ली के बजट में से कुछ पैसा जनता को वापिस लौटाती है तो मैं समझा हूं इसमें कोई बुराई नहीं हमें अपनी सरकार की तारीफ करनी चाहिए। सबको करनी चाहिए। कोई परिवार मुश्किल से ऐसा बचा होगा जिसको पानी के बिल माफ होने का फायदा न मिला हो, ऐसा कोई परिवार होगा जो छोटा परिवार है जिसको बिजली के बिल आधे होने का फायदा न मिला हो, ऐसे परिवार बहुत कम होंगे जिनको दवाइयां मुफ्त होने का फायदा न मिल रहा हो। तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी सरकार का धन्यवाद करें ये पहली सरकार है जो वायदे न केवल करती है बल्कि उसको लागू करती है और यह भी देखने में आया कि दिल्ली के अंदर जिन क्षेत्रों में पिछले 20 सालों से पानी नहीं पहुंच रहा था पिछले एक साल में उन जगहों पर पानी पहुंचा है, नई लाइनें डली है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। 20 साल से द्वारका में, देवली में जहां लोग सालों से पानी का इंतजार कर रहे थे इस सरकार ने पहली बार वहां पानी पहुंचाया इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए चूंकि दिल्ली में हवा के अंदर जिस तरह प्रदूषण बढ़ता जा रहा है जहरीली मात्रा बढ़ती जा रही है उसमें भी सरकार ने बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ उसको सुधारने की प्रक्रिया में कदम उठाए बेशक शुरू में उन कदमों की बड़ी आलोचना हुई और लगा ये सफल नहीं होंगे। जैसे ईवन और ऑड की योजना जो दिल्ली सरकार ने हिम्मत के साथ लागू की और पूरी दुनिया ने उसको सराहा। साथ ही साथ कार फ्री डे महीने में एक दिन जो चालू किया ये भी इसी ये भी एक महत्वाकांक्षी योजना है ये भी जनता को जागरूक करने की योजना है कि हमारे और आपके बच्चे

ये जहरीली जो हवा ग्रहण करते हैं इससे सबका स्वास्थ्य बिगड़ता है, इसके सुधार की तरफ हमें और आपको सबको मिलकर काम करना होगा और ये काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारी सरकार ने निभाया है ये धन्यवाद की पात्र है। ईडब्ल्यूएस इस में बड़ा घोटाला है। बहुत घोटाला होता था। ईडब्ल्यूएस के नाम पर हजार दो हजार लोग रुपये देकर लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते थे। ईडब्ल्यूएस इसमें बड़ा घोटाला है बहुत घोटाला होता था। ईडब्ल्यूएस के नाम पर हजार दो हजार लोग रुपये देकर लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते थे और जिन लोगों को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ मिलने के बजाय वो लोग जो पैसे वाले थे वो फर्जी ईडब्ल्यूएस का इन्कम सर्टिफिकेट बनवाकर उसका लाभ उठाते थे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी सरकार को जिसने पहली बार एक इतनी अच्छी योजना बनाई। डॉ ऑनलाइन कर दिया और जिसका उसमें नाम निकला, उसको उसका हक मिला। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन साथ ही साथ एक-एक करके जिस तरफ से सरकार ने सारे वायदे लागू किए हैं, मुझे लगने लगा है कि आने वाले 4 साल बाद क्या होगा। दिल्ली की जनता तो इतनी खुश हो जाएगी मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आज तक कभी दिल्ली के इतिहास में इस तरह के काम ही नहीं हुए कि वायदे किए जाएं और उनको निभाया जाए और एक जो महत्वकांक्षी योजना खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने अभी शुरू की है केवल 40 जगह पर शुरू किया है जिसमें अंगूठा लगाकर कार्डधारक को राशन मिलेगा। चूंकि राशन की चोरी लगातार सालों से होती जा रही थी और जिन लोगों को परमिट मिले हुए थे वो लोग किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहते थे और देखते ही देखते कुछ ही सालों में वो करोड़पति बन जाते थे। ये सरकार पहली सरकार है जिसने उस तरह की चोरी और लूट को रोकने का प्रयास किया और जब ये अंगूठा लगकर राशन

मिलेगा तो मैं समझता हूँ जितनी चोरी राशन की होती थी, वो राशन की चारी भी हमेशा के लिए बन्द हो जाएगी। इसके लिए भी सरकार का धन्यवाद करता हूँ और अंत में जो स्वराज बजट जो हमारी सरकार का एक सपना भी है और बेहद महत्वपूर्ण है सरकार के लिए जो स्वराज बजट के तहत जो 11 विधानसभाओं में लागू करके जिसको देखा गया, उससे भी जनता बेहद खुश है जनता को खुद को लगने लगा कि पहली बार कोई ऐसी सरकार बनी है जो आज हमसे भी राय मांग रही है। पैसे खर्च करते वक्त हमसे भी पूछ रही है बीस बीस करोड़ जिन 11 विधानसभाओं में खर्च हुआ है या होने की प्रक्रिया में जारी है, वहां की जनता से पूछे कि जनता कितनी खुश है। मेरी बगल की विधानसभा शाहदरा में...

अध्यक्ष महोदय : कन्वल्सूड करिए राजेन्द्र जी प्लीज।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : शाहदरा में भी स्वराज बजट लगा और चूंकि मेरे बिल्कुल बगल में है तो लोगों से मुझे पता चलता है कि लोग बेहद खुश है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं अपनी सरकार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह जी तिलक नगर।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) : दिल्ली दे आम आदमियां दी सरकार वल्लो एजली साहब दे अभिभाषण ते धनवाद दा समा देन वास्ते मेरबानियां अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार दे ऐतिहासिक काम जे गिनवाइये ते ओंदे विच बोट समय लग जाइगा तुस्सी वेखा एलजी साब नु लगभग 40 मिनट लागे मेन मेन काम गिनवान विच। इक जेडी सबतो खुशी दी गल मेनु ते मेरे साथियों नु लगी कि एलजी साब हर लेन तो पहले मेरी सरकार बोल दे सी और मेरी सरकार सुन दे नाल ही ध्यान किसी

और सरकार वाल चला जांदा सी फिर लगा दा सी वो सरकार इन्ने काम कर ही नहीं सक दी फिर ध्यान लग दा सी हां, ये सरकार अपनी है।

हुन गल्ल पाव एजुकेशन शिक्षा विभाग वालो दी गल्ली करिए दिल्ली विच सैकडा नवे स्कूल बन रहे न ओना दी करिए या दिल्ली विच सरकार बन्दे नाल जो दिल्ली सरकार वालो पानी फ्री किता गया बिजली दे रेट आदे किते गए ओना दी करिए, दिल्ली दे जेडे नागरिक ने ओना दी सुरक्षा वास्ते दिल्ली गोरमेंट वालो सैकाडा अरेंजमेंट किते गए वूमेन्स सिक्योरिटी वास्ते टैक्सी आटो विच जीपीएस सिस्टम लाये गए। जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लवाये जा रें ने। पीडब्ल्यूडडी वाल्लो लाइट्स डार्क स्पॉट आइडेंटिटीफाई करके डार्क स्पॉट्स नूं लभके ओत्थे लाइट लगवाण दा काम हो रेहा है। पर सुरक्षा दे इंतजाम ते हो जाणगे ऐदे नाल हिक चीज हौर है लॉ एण्ड आर्डर। दिल्ली दी कानून व्यवस्था में एक अहम मुद्दे वाल तुहडा ध्यान दिवाणा चाहूणा 23 तारीख दी रात नूं दिल्ली दी सड़क ते हिक डॉक्टर नूं सरेआम कूट-कूटके मार दित्ता गया। ऐ सवाल दिल्ली दी कानून व्यवस्था ते फिर एक सवाल खड़ा करदा है। उसतो बाद देश दी जेड्डी वड्डी पार्टी है जिन्हा दी सरकार चल दी हैं सेन्टर विच्च। ओना दे मंत्रीया वाल ओणा दे ते पदाधिकारियों वल्लो उस जो दरिंदगी नाल कुछ गुंडियां ने उस डॉक्ट नूं मारया जोकि इंसानियत नूं शर्मसार करण वाली घटना सी उस घटना नूं इस वड्डी पार्टी दे मंत्रियां वल्लो हिन्दू मुस्लिम संप्रदायिक दंगे देण दी कोशिश कीत्ती गई। मैं कुछ सुबूत लेंके आया नाल इस चीज दे बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है उस पार्टी दे मंत्री दा स्क्रीन शॉट है जो ओदे पूरी दिल्ली विच काफी जगह ते सर्कुलेट कित्ता बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि न्यू कृष्णा पार्क, विकासपुरी डॉक्टर पंकज नारंग की 23 मार्च रात जब भारत ने बांग्लादेश को भारत ने मैच हराया तब पड़ोस की इन्द्रा कैम्प झुगियों में ठहरे कुछ बंगलादेशीय मुस्लिम समुदाय के दर्जन भर लोगों

ने डंडों से पीट-पीटकर डॉक्टर की हत्या कर दी। नारंग परिवार दहशत के माहौल में है सभी मित्रों से निवेदन है कि नारंग जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मंदिर में 3 बजे पहुंचे एक हिन्दू ने कुछ मुसलमानों ने मिलकर एक हिन्दू को मारा है इस चीज का बदला लिया जाए। ये इनके मंत्रियों द्वारा मैसेज सर्कुलेट किए जाते हैं व्हाट्सअप पर। इनके जो भाजपा के हरिश ओबराय है, मेरे नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है भाजपा मंत्री पश्चिमी दिल्ली। इन चीजों के पर कोई लॉ एण्ड आर्डर का पहरा होना चाहिए। एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए गुप्ता जी आपका समय आया (व्यवधान)...अध्यक्ष जी, दिल्ली के लोग एकलाख तीस हजार करोड़ रुपये दे रहे हैं। दिल्ली सरकार 95% जो दिल्ली के विकास के कार्य वो दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से कर रहे हैं। दिल्ली के लोग इसके अलावा एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये दे रहे हैं दिल्ली सरकार को अगर देने में आप भी दिल्ली में रहते हैं आपका परिवार भी दिल्ली में रहता है। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा तो सबकी जिम्मेवारी बनती है। ये माहौल अगर देश की राजधानी के अन्दर है कि एक डॉक्टर की सरेआम पीट-पीटकर हत्या कर दी जाती है और वो 100 नम्बर पर फोन कर रहा है, 15 मिनट बाद पुलिस आ रही है अध्यक्ष जी वहां पर। 15 मिनट तक पुलिस नहीं आती तो क्या देश की राजधानी में लॉ एण्ड आर्डर है? इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है अध्यक्ष जी तो मैं इनसे भी अपील करूंगा कि आप हमारी सभा के सदन के सदस्य हैं तो आप भी केन्द्र सरकार से आपकी पार्टी जो केन्द्र में सरकार चला रही है, आप उनसे बोलिए कि दिल्ली के लॉ एण्ड आर्डर को बेहतर करें। दिल्ली के सिपाहियों को सम्मान देने के लिए दिल्ली सरकार ने जो काम किया है, वो सराहनीय है। किसी शहादत की कोई कीमत नहीं है पर फिर भी शहीदों की शहादत को दिल्ली के सिपाहियों की शहादत को सम्मान देने के लिए दिल्ली सरकार एक करोड़ का ऐलान करती है। इसके

अलावा अध्यक्ष जी इन चीजों के ऊपर कोई एक्शन चाहिए दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली पुलिस नहीं करती तो इस सदन की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन जानी चाहिए कि ऐसे माहौल में जबकि परिवार को साथ की सपोर्ट की मोरल सपोर्ट की जरूरत है उस टाइम पर ये हिन्दू मुस्लिम दंगे भड़काने में लग जायेंगे तो अध्यक्ष जी पुलिस तो काम करने में सक्षम नहीं है। एक आदमी को सरेआम मार दिया जाता है तो पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो ऐसे माहौल को कैसे कंट्रोल किया जाए...

अध्यक्ष महोदय : कन्क्ल्यूड करिए प्लीज।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) : अध्यक्ष जी, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरी विधानसभा को उन 11 विधानसभाओं में से चुना गया जो मौहल्ला सभा जिनमें 11 पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए। मैं लोगों की आंखों में वो खुशी देख पा रहा था क्योंकि जब मैं पहली बार एमएलए बना तो मैंने देखना चाहा कि मेरे से पहले जो एमएलए थे उन्होंने पिछले साल का बजट कहाँ खर्च किया तो मुझे मालूम चला कि फंड का लगभग 87% हिस्सा सिर्फ एक एन्ट्री गेट लगते हैं जी कालोनी में घुसने से पहले जिसमें लिखा होता है अशोक नगर में आपका स्वागत है, तिलक नगर में आपका स्वागत है। फंड का 87% हिस्सा सिर्फ उन गेट्स के ऊपर खर्च कर दिया गया। जबकि मेरे क्षेत्र में नालियां नहीं हैं, प्रोपर सड़कें नहीं हैं, सीवर नहीं हैं बुनियादी जरूरतों तक का अभाव है और जब इसकी वजह जांची गई तो मालूम चला कि फंड कैसे खर्च हो, इस चीज का फैसला एक बन्द कमरे में कर लिया जाता था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब दिल्ली सरकार की इस पहल पर की स्वराज के माध्यम से स्वराज को इंप्लीमेंट करने का जो माध्यम मौहल्ला सभा चुना उस माध्यम से तिलक नगर को उसमें शार्ट लिस्ट किया गया और लोगों की आंखों में खुशी थी कि पहली बार ऐसा लोगों

ने माहौल देखा कि टैक्स की मालिक जो है वो जनता है, जनता को खुद मौका दिया जा रहा है ये डिमांड करने के लिए कि वो पैसा कैसे खर्च हो। तो लोगो ने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताई। यही सब चीजें बताई नाली बनवा दो जी, सड़क बनवा दो जी, सीवर डलवा दो, पानी की लाइन डलवा दो और वो चीजें जब इंप्लीमेंट हुई तो लोगों की आंखों में फिर एक विश्वास और ज्यादा उभरकर के आया। तो इस चीज के लिए मैं एक बार फिर से अपनी सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। अध्यक्ष जी, कामों की तो बहुत लाइन है दिल्ली सरकार के विकास कार्यों के मोटे-मोटे कार्य गिनवाते हुए एलजी साहब को 40 मिनट लग गए थे। आप कन्क्ल्यूड करने के लिए कह रहे हैं तो मैं एक बार अंत में अपने सारे साथियों को सारे मंत्रीगण को दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी को सारे सदन को इस शानदार और ऐतिहासिक बजट लाने पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, सदन के आरम्भ में उपराज्यपाल महोदय ने सदन को संबोधित किया। मैं भी सरकार के इस प्रतिवेदन को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हर पेज पर एक बोगस एजेंडा प्रस्तुत किया गया है। पहले ही पेज पर यह कहा गया...

अध्यक्ष महोदय : आपकी हंसी तो कुछ और बता रही है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुख्यमंत्री जी बैठे तो मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं और वो कहते हैं कि निंदक नियरे ना राखिए तो इसलिए मैं मुस्करा रहा हूं। जो मुझे लगता है कि जितना आप लोग बोलोगे, सब उस सबको निपटाने के लिए हम अकेले ही काफी हैं तीन लोग और अध्यक्ष जी तो इतनी समस्या खड़ी हो जाती है कि वो दो मिनट के

बाद घड़ी दिखाने लगते हैं मझे और कार्यवाही में से हमारा कहा हुआ निकलवाने के लिए आदेश देते हैं। इतना ही बहुत है हमारे लिए कि इतनी विकट परिस्थितियां हो जाती है अध्यक्ष के लिए भी कि उनको लगता है कि कैसे चलेगा मामला। खैर मैं आगे महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करूंगा तथ्यों से बाहर नहीं जाऊंगा। पहले ही पेज पर कहा गया कि हमने बिजली की कीमतें it was for the first time in over half a decade that there was no hike in electricity tariff. मैं सिर्फ सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि बिजली का टैरिफ इलैक्ट्रिसिटी का टैरिफ सरकार तय नहीं करती है इसके लिए दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी रेगुलरेट्री कमीशन है, ये उसका अधिकार क्षेत्र है क्वासी जुडिशियल पैनल और वो तय करता है और अगर...

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी प्लीज, भई ऐसे नहीं चलेगा। आप बैठिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अपनी पीठ ठोकना कि अगर एक पैनल ये डिसाइड करता है और कल को वही पैनल अगर बिजली के दाम बढ़ायेगा तो आप सदन के सामने माफी मांगेंगे ये हमारी अपेक्षा होगी क्योंकि वो ऐसे आप बढ़ायेगे। मैं अध्यक्ष जी, आप स्टॉपवाच रख लीजिए क्योंकि मैं मुद्दों पर ही बोलूंगा और बीच में जितना समय जाया जाएगा...

अध्यक्ष महोदय : सरिता जी प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उसके बाद यहां पर कहा गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बेड है, उसको एक्यूपेंसी पर अपनी पीठ ठोकी गई। अगर उसका डिस्क्रिप्शन्स सही रूप से देते हैं आकंडे प्रस्तुत कर सकता हूं अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो और मैं पूरा आपको रिकार्ड लाकर दे सकता हूं। कुल दिल्ली में 6000 बेड है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के और उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए स्वास्थ्य

मंत्री भी आ गए अच्छा रहेगा उनके सामने 10% रिजर्व होते हैं फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सरकार ने यहां पर आंकड़े पेश किए हैं वो सच से परे हैं क्योंकि जो एक्ज्यूपेंसी का रिकार्ड है उसमें कभी ऐसा नहीं था कि वेकेंसी जो है वो 65% वेकेंसी रहती हो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको लाकर रिकार्ड दिखा सकता हूं एक मिनट ... (व्यवधान)... सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाहती है स्वयं। जबकि वास्तविकता ये है कि अभी सरकार के रिकार्ड के हिसाब से ही जो प्रस्तुत किया गया 25% बैड वेकेंट पड़े हैं यानि कि 150 से 200 बैड अभी भी 600 में से वेकेंट पड़े हैं। ये सरकार खुद मानती है और ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है कि बैड उपलब्ध होने के बाद भी गरीबों को 200 बैड ऐसे है जो नहीं मिलते। अध्यक्ष जी, इसके आगे अभी मैं बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि 15 रुपये की जो थाली उसको शुरू किया जाएगा वो तो पहले से ही चल रही थी। आप ये कहिए कि आपके शासनकाल में वो बन्द हो गया प्रोजेक्ट और आपने साल के प्रारम्भ में ही कहा था कि इसको फिर से शुरू करेंगे। लेकिन आज तक वो शुरू नहीं हुआ है गरीब रोजना चौराहे पर जाते हैं और आपकी थाली ढूंढते हैं और फिर आम आदमी पार्टी को कोसते हुए भूखे ही वहां से चले जाते हैं। स्कूलों के मामले में यहां बहुत बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं लेकिन दिल्ली में शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह विफल हो गई। मुझे याद है पिछले वर्ष मार्च के महीने में एक बहुत बड़ा एडवर्टजमेंट निकला था मार्च अप्रैल के महीने में जिसमें कहा था कि हमने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगा दी है और हम विधेयक लाए हैं वगैरह-वगैरह। पहले तो वो विधेयक नहीं आया उसके बाद मेरे पास पूरी सूची है आपके तमाम विधेयकों की। मैं एक-एक करके इनका जिक्र करूंगा कि ये विधेयक आज तक कानून में परिवर्ति नहीं हुए और इसमें कमी क्या रही। क्या वजह है कि ये आपके विद्यालयों से जुड़े हुए शिक्षा से जुड़े

हुए तमाम विधेयक आज भी एक ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं उसका क्या कारण है। आपने कहा कि 20 हजार अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं एक वर्ष में एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं कर पाए एक भी। क्योंकि दिल्ली सर्वोर्डिनेट सेलेक्शन बोर्ड इसको पूरा करने के लिए कांपिटेंट एजेंसी है ही नहीं। वहां पर जिस प्रकार की गड़बड़ियां कि आपने उन पर आज चर्चा नहीं होने दी लेकिन मुझे कहने में ये गुरेज नहीं है कि अगर यही व्यवस्था चलती रही तो मुझे नहीं लगता आप कहते हैं कि नए स्कूल पुराने स्कूलों में 20 हजार टीचर नहीं हैं। आप नए स्कूलों के लिए टीचर कहां से लायेंगे? स्कूल आपने खोलने का पहले ही कोई प्रावधान नहीं है। अगर प्रावधान सरकार करें भी तो टीचर्स कहां से लायेंगे जब एक्जीसटिंग 20 हजार की संख्या टीचर्स की शार्ट है और इस एक वर्ष में एक भी नियुक्ति कर नहीं पायी है। पिछले वर्ष नवीं कक्षा में एक लाख छात्र फेल हुए थे। मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है इस वर्ष उनकी संख्या एक लाख से ज्यादा होने वाली है। दो लाख छात्र-छात्राएं ड्रॉप आउट हैं छोटे-छोटे कारण से घर बैठ जाते हैं, डेढ़ लाख डिसेबल्ड बच्चे जिनके लिए विद्यालयों में शिक्षा की किसी प्रकार की सुविधा उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं की जा रही है जिसके कारण वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। डेढ़ लाख है ऐसे डिसेबल्ड छात्र-छात्राओं की संख्या जिनको शिक्षा का एक जो मूलभूत और राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 4 सी में के अनुसार कोई भी बच्चा उसका वायलेशन हो रहा है दिल्ली में क्योंकि 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे को विद्यालय में पढ़ाना शिक्षा देना ये सरकार की मेंडेटरी रिस्पॉन्सेबिलीटी है। लेकिन आज दिल्ली में लगभग 7 लाख बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं और दिल्ली की सरकार कोशिश करती है उन तमाम छात्र-छात्राओं को एंक्रोज नहीं करती है कि वो विद्यालय आए। डिस्क्रेज करती है। प्री-प्राइमरी में 80 से एक ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए दो सेक्शन होंगे 40 से एक बच्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए इनको भेजो। अगर ये हमारे विद्यालय में

आ रहे हैं इनको भेजो नगर निगम में। 5वीं कक्षा तक किसी बच्चे को दाखिला मत दो, भेजो इनका दूसरे स्कूलों में। हमारे स्कूल में नहीं आयेंगे, ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है और इस तरह के आदेश बार-बार जारी किए जा रहे हैं। अगर विद्यालयों की स्थिति सुधारनी है तो फिर फिनलैंड जाने से नहीं होगी, वो सुधरेगी झुग्गी बस्ती में रहने वाले एक अभिभावक महिला मां से जाकर पूछिये कि उसके बच्चे को शिक्षा कैसे दी जाये। उसका दर्द बतायेगा कि उसके बच्चे को कैसे बढ़ाना है और मुझे लगता है कि शायद आप वो दर्द जानना अब भूल गये। मैं इतना कहूँगा कि आपने एक कानून बनाया कि 4 प्लस को दाखिला नहीं दिया जाएगा, वो कानून जनविरोधी था। अदालत में चुनौती हुई और सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि उस तरह का कोई भी कानून जो बच्चे को विद्यालय में आने से रोकता है, वो जनविरोधी है। उसी तरह का कानून आपने 9वीं कक्षा में बना दिया कि जो 13 से ज्यादा होगा और 15 से कम होगा सिर्फ वही 9वीं कक्षा में बैठेगा, वरना 9वीं कक्षा में उसको दाखिला नहीं दिया जाएगा। हजारों-हजार बच्चे ऐसे हैं, जो इस कारण ड्रॉप आउट हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप शिक्षा मंत्री जो को कहें कि उन तमाम बच्चों के लिए सोचें कि यह ड्रॉप आउट की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है और यह आउट ऑफ स्कूल इतना क्यों हो रहा है, फैलियर इतना क्यों हो रहा है? पिछली सरकारों के किए हुए कामों पर सरकार अपने टैग लगा रही है, इसके अंदर बहुत सारी योजनाओं के बारे में व्याख्या की गई है। हमने यह किया, हमने यह किया, हमने द्वारका में पानी पहुँचाया। सब जानते हैं फ्लाईओवर कब बना, क्यों बना और कैसे बना? सिर्फ टैग मत लगाइये, कुछ और सोचिये। अगर उससे ही संतुष्ट होते रहेंगे तो जनता के सामने बेनकाब हो जायेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने दिल्ली ह्यूमन राइट कमीशन बनाया, कहाँ है वो, हम जानना चाहते हैं। आपने दिल्ली कमीशन फॉर वूमेन बनाया, लेकिन कानून का उल्लंघन

किया। आपको एक्स-पोस्ट फेक्टो उस पर इजाजत लेनी पड़ी। लोकायुक्त के मामले में मैं खुद अदालत गया, कानून का उल्लंघन हो रहा था, अदालत के आदेश के बाद मुख्यमंत्री जी ने यह समझा कि चलो इन्हें भी बिठा लो। वरना उससे पहले मुख्यमंत्री जी मुझे अपने साथ बैठाना नहीं चाहते थे। नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री जी मुझे अपने साथ बिठाना और यह कानून का उल्लंघन था। मुख्यमंत्री जी सदन के पटल पर चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट को नहीं लाना चाहते थे, यही सदन में हमको कई बार बेइज्जत किया, आपने भी मार्शल बुला-बुला कर हमको उठा कर के फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पर, अदालत जाना पड़ा और अदालत के कहने से फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट टेबल तो हो गई, लेकिन उसको आपने लागू नहीं किया, यह भी आपका असंवैधानिक कार्य है। डीईआरसी के मामले में लिटिगेशन हो गई है और मुझे नहीं लगता कि जो डीईआरसी का पैनल आपने कॉन्स्टिट्यूट किया है, यह जो चैलेंज हुआ है कोर्ट में, सरकार की स्थिति इसमें कोई ठीक रहने वाली है। अभी यहां पर बात आ रही थी, इसके अंदर कहा गया है हमने मिनिमम वेज अमेंडमेंट बिल आये हैं, उससे मजदूरों को मिलने वाली जो वेजेज हैं, उसमें उनको राहत मिलेगी। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यह बिल रिपगनैन्ट है, यह विरोधाभासी है, केन्द्रीय कानून से और यह सरकार को पता है भली-भांति लेकिन उसके बाद भी ऐसे पांच बिल है, जो यहां पर आपने कहा था शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकेंगे, पब्लिक स्कूलों पर रोक लगायेंगे। उसके लिए आप बिल लाये थे Delhi School Verification of Accounts and Refund of Excess Fee, 2015 यह भी रिपगनैन्ट है, उसके बाद Delhi School Education Amendment Bill, 2015 यह भी रिपगनैन्ट है, फिर उसके बाद आप बिल लेकर के आये वर्किंग जर्नलिस्ट पर, वो भी रिपगनैन्ट है। फिर

मिनिमन वेज वाला रिपगनैन्ट है। कुल मिलाकर के the Right of children to Free and Compulsory Education Bill, 2015 यह भी रिपगनैन्ट है। जब यह बिल रिपगनैन्ट है, विरोधाभासी है तो उस विरोधाभास को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये और ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि वो बिल किस कारण से, क्योंकि वो केन्द्रीय कानूनों के साथ, सेंट्रल लॉ के साथ, सेंट्रल एक्ट के साथ विरोधाभासी हो गये, कन्ट्राडिक्टरी हो गये, इसमें कहीं न कहीं सरकार की सोच में कमी थी। सरकार के तीन मुद्दे थे उनमें से एक बिल लाये जनलोकपाल बिल, वो यहां पर एनटाइटलमेंट नहीं है। फिर यहां पर सीआरपीसी की एनटाइटलमेंट नहीं है। फिर वैल्यू ऐडिड टैक्स में जो आप पुलिस वगैरह की पावर्स ले रहे थे, वो आपको नहीं है। वो तीनों बिल आपके गायब हो गये तीनों के तीनों पहले सत्र में तीन बिल आये, एक भी बिल कानून नहीं बना, फिर दूसरे सत्र में 14 बिल लाये, उनमें से 13 कोई कानून नहीं बन पाये और जो एक बना, उसका कहीं असर नजर नहीं आ रहा। जो एक आपने बनाया, उसके बारे में भी Right to citizen to time bound delivery of services इसका भी कोई इम्पेक्ट नजर नहीं आ रहा। कौन सी टाइम बाउंड सर्विस कहाँ हो रही है, कैसे लोगों को लाभांशित किया जा रहा है, लोगों के बीच में इस पर, मैं तो चाहूँगा सरकार सर्वे कराये और उसकी रिपोर्ट सदन के समक्ष पेश करें। फिर उसके बाद आप कितने बिल इसमें ऐसे हैं जिस पर आपको प्रायर एप्रूवल लेनी चाहिए थी, प्रोसीजरल वॉयलेशन तो थ्रू आउट है, हर बिल में, लेकिन कितने बिल ऐसे हैं इसमें, पांच-छह बिल ऐसे हैं जिसमें आपको बिल में, वैसे तो हर बिल में प्रायर एप्रूवल लेनी चाहिए थी लेकिन पांच-छह बिल तो सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं कि उनकी प्रायर एप्रूवल नहीं हुई थी। सरकार क्या जानती नहीं थी कि प्रायर एप्रूवल नहीं होने से या रिपगनैन्ट होने से या फिर एनटाइटलमेंट नहीं है, क्या सरकार को मालूम नहीं था, लेकिन ये तमाम बातें इसके अन्दर...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप कन्क्ल्यूड कीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जिन पर उपराज्यपाल ने बार-बार इस सरकार की पीठ ठोकी है, वो तमाम चीजें इस समय अधूरी हैं और पॉलीक्लीनिक की बात की जा रही है। मुझे याद है 14 फरवरी 2015 को मुख्यमंत्री जी ने रिमोट से 21 पॉलीक्लीनिक जो डिस्पेंसरीज चल रही थी सालों से, बीस-बीस साल से कोई किसी देशभक्त के नाम पर थी, वो किसी महान नेता पर थी, कोई महान महात्मा के नाम पर थी, सब के नाम बदल दिये आपने और सब के आगे आम आदमी लिख दिया। आम आदमी पॉलीक्लीनिक और डिस्पेंसरी वैसे ही चल रही है, वो पॉलीक्लीनिक हो गये और आप यहां पर उसका क्लेम कर रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय कि हमने इतने पॉलीक्लीनिक खोल दिये लेकिन उनमें सेवायें पॉलीक्लीनिक की एक भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप कन्क्ल्यूड कीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं खत्म करता हूँ। आपने कहा कि हमने फैंब्रिक पर, हमने वाचेज पर वैट कम कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बजट की चर्चा में लीजिएगा ना। बजट की चर्चा कल होगी। यह उपराज्यपाल के अभिभाषण में कहीं है ही नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना कहना चाहूँगा यह पूरा का पूरा मसौदा सरकार के खोखलेपन की पोल खोलता है और अगर सरकार इस पर सैटिस्फाइड है कि हमने बहुत कुछ कर दिया तो मुझे लगता है कि सरकार अंधेरे में है। सरकार को अपनी कार्य क्षमता का और कार्य प्रणाली पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए और उसके बाद दिल्ली के लोगों को कैसे लाभांवित किया जा सकता है, इस पर जरूर एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा का उत्तर दे, मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूँ। कल बजट पर चर्चा होगी। सदन की कार्यवाही 11 बजे आरंभ होगी। यह सभी नोट कर लें। कल 11 बजे सेशन आरंभ होगा और राजेश जी ने लंच का विषय उठाया है शायद माननीय उप मुख्यमंत्री उसका उत्तर दे रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री : कल क्योंकि अध्यक्ष जी का आदेश है कि 11 बजे सदन चलेगा तो कल दोपहर का जो भोजन होगा वो वित्त मंत्री जी की तरफ से। आप सभी विधायक साथी उसमें सादर आमंत्रित हैं।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, पांच मिनट में कन्क्ल्यूड कीजिए। फिर माननीय मुख्यमंत्री की चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज विपक्ष के मित्र कह रहे थे कि यह बोगस है, हर पेज बोगस है, पता नहीं कहां से इनको क्या समझ में आया? यह जो पहला पैराग्राफ है, माननीय एलजी महोदय का a little over a year ago people of Delhi reposed their trust in my govt. which believes in participative and consultative democrac. My govt. is committed to inclusive development with a priority for effectively the basic public services to the citizen. इस सारी लइन के अंदर और साथ में एलजी महोदय डायरेक्टली तो नहीं, अपने लिए तो नहीं, लेकिन केन्द्र सरकार के बिहेस्ट पर, सारे साल आलोचना करते रहे, लेकिन धन्यवाद बाबा साहेब अम्बेडकर का, धन्यवाद उनके संविधान का कि आखिरकार यहां पर आकर के हमारी सारी सरकार की प्रशंसा करनी पड़ी। यहां पर आकर उनको बार-बार कहना पड़ा मेरी सरकार, मेरी सरकार यह तो संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर की कृपा है कि यह ऐसी परम्परा है कि यहां

पर आकर के उनको प्रशंसा करनी पड़ी, सच बोलना पड़ा। मुझे याद है 23 मार्च को जब माननीय मुख्यमंत्री शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव साहब की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे, हम सब को बड़े तरीके से याद दिलाया कि मूर्तियां अनावरण करने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी चल कर के, उनके मार्ग पर चलकर के, दिखा कर के कि हम देश का कितना भला कर सकते हैं और मुझे गर्व है अपनी सरकार पर। यह डाक्युमेंट दर्शाता है कि हम शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु साहब के मार्ग पर चल रहे हैं और पांच साल में वो करके दिखायेंगे, जो उनके सपनों को पूरा कर दिखायेगा। क्या जाने ये संविधान, जुमलों की पार्टि, अभी आज उत्तराखंड हाई कोर्ट से भी बात आ गई बाहर कि इन्होंने जो उत्तराखंड के अंदर सरकार गिराई, आज उसको गैर संवैधानिक घोषित किया गया और उत्तराखंड की होई कोर्ट की पीठ ने कहा कि 31 मार्च को वहां की सरकार अपना बहुमत सिद्ध करे। हर मुद्दे पर इन्होंने यू-टर्न लिया, चाहे 15 लाख हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का हो, वूमेन सिक्योरिटी का हो लेकिन जो पाकिस्तान के मसले पर इन्होंने यू-टर्न लिया है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमानथ जी, आप अभिभाषण पर चर्चा करें।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी पर आ रहा हूं, तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, उस संविधान के कारण ही बिकॉज संदर्भ वो था कि माननीय एलजी महोदय को हमारी सरकार की प्रशंसा रूबरू होकर के करनी पड़ी और यह बहुत बड़े गर्व की बात है। चूंकि मेरे पास दो ही मिनट है, आज आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मुझे याद है कि हम सब ने एक कहानी पढ़ी कि कुछ पुराना डॉक्टर था, जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो उसने कहा कि मैं एक तीर्थयात्रा पर निकलता हूं, जब वापस आया तो अपना क्लिनिक अपने बेटे को सौंप कर गया था, जब वापस आया तो देखा

कि जितनी लाइन लगी होती थी मरीजों की, वो सारे गायब। उसने पूछा कि मामला क्या है कहा कि सारे मरीज तो ऐसे ही आ रहे थे इनके पास तो कोई रोग ही नहीं था। इनका रोग तो कुछ था ही नहीं। कहा भाइया, इन्हीं को बुद्धू बनाकर के तो हमने तुम्हारी पढ़ाई-लिखाई करी। मुझे समझ में आ रहा है कि भाजपा और कांग्रेस ने जो बुद्धू बनाया पूरे देश को, आम आदमी पार्टी उसको एक्सपोज कर रही है जब उसको जनता ने मौका दिया और डॉक्यूमेंट दर्शाता है कि किस तरह से बुद्धू बनाया है। अध्यक्ष महोदय, एक-एक चीज चाहे वो 20 हजार लीटर पानी देने का मामला हो, चाहे वो स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का मामला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बेहतर करने का मामला हो, हर क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी का हमारी सरकार ने उपयोग किया है और जिसका उल्लेख माननीय एलजी महोदय ने बार-बार किया है, उसका मेरे नजर में पूरे देश में कोई पैरलल मिलता नहीं है लेकिन जो दुख है कि हमारे 11 के 11 कानून, जो बिल गये हुए हैं केन्द्र में, वो अभी तक बिल ही हैं, कानून बनने में आड़े आ रहा है तो केन्द्र सरकार। जब जरनैल ने कहा कि एलजी महोदय किस सरकार की बात कर रहे थे मेरी सरकार, मेरी सरकार तो हमें भी लगा कि उनकी सरकार है, कम से कम एक बार कह दें कि जो भी बिल्स हैं उसको पास करके दिल्लीवासियों की मंशा को पूरा करें। हम लोगों ने बहुत प्रोमिसेज किए हैं और ये सारे वायदे पूरे करने हैं, उसके लिए उन बिल्स का पास होना बहुत जरूरी है। आखिरी में अध्यक्ष महोदय, दो लाइनों से मैं खत्म करता हूँ-

जिस दौर में जीना हो मुश्किल

उसी दौर में जीने का मजा आता है।

केन्द्र सरकार ने हमारा जीना हराम कर दिया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का

धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से हम सब को लेकर के जूझते रहते हैं केन्द्र सरकार के साथ। इनकी लाख कोशिशों के बावजूद हम सारे, जितने इलैक्शन मैनिफेस्टो है अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए होली बुक है, पवित्र किताब है, हम उन सब को पूरा करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मुख्यमंत्री जी, चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के समक्ष बजट रखा इस साल का, बजट अच्छा है, पूरी दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर इस बजट की चर्चा हो रही है। लोग बहुत खुश हैं। वैसे तो बजट के ऊपर कल चर्चा होगी और कल भी बजट के ऊपर मैं विस्तृत रूप से अपनी बातें रखूंगा लेकिन मुझे अभी माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन का सारा भाषण सुनकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत खोदने के बाद भी उनको उसमें कोई खास कमी नजर नहीं आई। इसका मतलब बजट वाकई बहुत अच्छा है इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिसने मुझे अन्ना आंदोलन की याद दिला दी। मुझे याद है 4 अप्रैल, 2011 का दिन था, जब जंतर मंतर में अन्ना हजारे जी का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ था। मांग थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाये, लेकिन उस आंदोलन ने इस देश के एक-एक आदमी के दिल के अंदर ऐसे तार झनझना दिये कि सारा देश सड़कों पर आ गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार उसने इतना भ्रष्टाचार किया था, इतना भ्रष्टाचार किया था, टू जी का भ्रष्टाचार, कोयले का भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ का भ्रष्टाचार जहां देखे एक उंगली रखो उसके नीचे एक हजार स्कैम

नजर आते थे और रोज लोग भ्रष्टाचार देखते थे और लोग उकता गये थे बुरी तरह से भ्रष्टाचार की वजह से। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर उतरे और लोगों का मानना है कि आज़ादी के बाद का शायद यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था। दूसरी चीज हुई कि कांग्रेस के अहंकार और उनके एरोगेंस की वजह से इतने रूढ़ थे उनके मंत्री, टीवी पर आते थे तो मन करता था कि टीवी फोड़ कर अंदर, इतना ज्यादा उनका अहंकार टपकता था, आप लोगों को याद होगा मनीष तिवारी जी ने किस तरह से अन्ना हजारे की खिल्ली उड़ाई थी और पूरे देश के अंदर उसके प्रति रोष जागा था और उसी के बाद अगले दिन फिर उन्होंने अन्ना हजारे जी को गिरफ्तार कर लिया और पूरा देश सड़कों के ऊपर था। उस वक्त लोगों ने ठान लिया था कि यूपीए को हराना है और बुरी तरह से हराना है। हमने देखा कि 16 मई, 2014 को जो नतीजे आये, लोगों ने उनको इतनी बुरी तरह से हराया, इतनी बुरी तरह से हराया कि 50 से भी कम सीट रह गई उन लोगों की, जो कि पहले सत्ताधारी पार्टी थी। 16 मई को लोगों ने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनाई और लोगों को इस बार उम्मीद थी कि जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार था, जो कांग्रेस का अहंकार था, अब वो खत्म होएगा। उन्होंने कहा था ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा, उन्होंने विकास की बहुत सारी बातें की थीं, उन्होंने गुजरात मॉडल की बात की थी तो लोगों को लगा कि अब बदलेगा सब कुछ, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 16 मई के ठीक 9 महीने बाद 14 फरवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी की इसी सदन के अंदर के तीन सीटें ही रह गई। वही पार्टी जिसको लोगों ने इतना भारी बहुमत बताते हैं कि 1984 के बाद का पहला ऐसा पूर्ण बहुमत की सरकार उसके बाद कभी नहीं बनी, अभी बनी थी, इतने भारी बहुमत के बाद मात्र 9 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया इतनी क्या नफरत हो गई लोगों को कि लोगों ने दिल्ली के अंदर

भारतीय जनता पार्टी की मात्र 3 सीट छोड़ दी और उसके बाद बिहार। बिहार के अंदर उनका हथ्र हमने देखा। अब बीजेपी का जो हाल है देश के अंदर लोग बीजेपी के काम से इतने ज्यादा नाखुश हो चुके हैं, इतने ज्यादा नाखुश हो चुके हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी, अहंकारी थी, वही अहंकार जो अहंकार कांग्रेस को शायद छह-सात साल के राज्य के बाद आया था वो अहंकार मात्र दो साल के अंदर दिखाई दे रहा है बीजेपी के अंदर। पहले अरुणाचल प्रदेश की सरकार तोड़ी फिर उत्तरांचल की सरकार तोड़ी। अब ये कोई सोचे कि...

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी बैठिये प्लीज, ओम प्रकाश जी बैठ जाइये शांति से ...व्यवधान...

मुख्यमंत्री : अब अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार तोड़ी गई। कांग्रेस के विधायक तोड़े गये। अब विधायक वो कैसे टूटे? ऐसा तो है नहीं कि अचानक बीजेपी के प्रति कोई प्यार जाग गया तो कुछ तो दिया होगा उनको कुछ पैसे-वैसे कुछ तो दिया ही होगा कुछ तो लालच दिया होगा तो वही पैसे की राजनीति जो पहले कांग्रेस किया करती थी, अब ये बीजेपी वालों ने कर दी तो जब उनको लगा दिल्ली में हार गये, बिहार में हार गये तब उनको लगा कि देखों अब चुनाव तो जितने अब आने वाले समय में सारे कह रहे हैं, अगले दो साल में बीजेपी कोई चुनाव नहीं जीतने वाली, कोई स्टेट नहीं जीते, कहीं कोई चांस ही नहीं है। तो जब उनको लगा कि चुनाव तो अब जीत नहीं सकते तो अब गुंडागर्दी चालू कर दो। तो अरुणाचल प्रदेश में गुंडागर्दी करी, उत्तरांचल में गुंडागर्दी करी और उत्तरांचल में तो

दोनों पार्टियां, हमने देखा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी टीवी के ऊपर हमने देखा कि किसी तरह से वो विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से केन्द्र सरकार ने उत्तरांचल के ऊपर और अरुणाचल के अंदर जबदस्ती गुंडागर्दी से बिना फ्लोर टेस्ट कराए संविधान की हत्या करके उन्होंने दोनों जगह राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो दोनों पार्टियां एक ही रास्ते पर चल रही हैं। आज सवेरे एक आई. बी.ऑफिसर आया था मेरे घर, बोला जी अब अगला नंबर हमारे को पता चला है हिमाचल प्रदेश का है और उसके बाद अगला नंबर दिल्ली का है। कह रहे हैं दिल्ली में ये 21 एमएलए जो करे हैं, इनको तो पहले ये बर्खास्त करेंगे जो 21 एमएलए को पहले तो बर्खास्त करेंगे फिर जो बच जाएंगे उनको कह रहे हैं 46 बचेंगे तो 23 को उसने देश के बहुत बड़े उद्योगपति का नाम बताया जिसका नाम हम अक्सर लेते रहते हैं, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि इनके 23 विधायक खरीदने हैं मैंने कहा 23 तो दूर की बात है तुम हमारा एक खरीद कर दिखा दो। मैंने कहा तुम अपने उद्योगपति, तुम्हारी औकात है अगर, अगर तुम्हारी औकात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा चुनाव के बाद हमारे 28 थे, इनके 31 थे। उस वक्त अगर 4 खरीद लेते थे, तो इनकी सरकार बन चुकी होती। इनसे 4 नहीं खरीदे गये ये 23 खरीदेंगे हमारे? 23 खरीदना तो बहुत दूर की बात है हमारे 4, ये जितने बैठे हैं ने ये सारे, ये सारे बिल्कुल फक्कड़ हैं बिल्कुल। ये सारे के सारे बिल्कुल फक्कड़ हैं मैंने उसको कहा किसी ने कहा था बीजेपी वालों को बोले ये फक्कड़ आदमी हैं, भगवान इनके साथ। इनको छूना मत नहीं तो बचोगे नहीं तुम। फिर उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले पठानकोट के ऊपर हमला हुआ। पठानकोट के हमारे ऐयरबेस के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने हमारी कई सिपाहियों को शहीद कर दिया और सारा देश जानता है, सारी दुनिया जाती है कि किसने किया। हमें पता है कि किसने किया। तो हम सब लोग जानते हैं कि किसने

किया। हम सब लोग जानते हैं कि आईएसआई ने करवाया। हम सब लोग जानते हैं पाकिस्तान ने करवाया। हमारे देश के अंदर कितनी आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे कितने लोग मारे जा चुके हैं। हमारे कितने सैनिक सीमा पर शहीद हो चुके हैं। हमारे कितने पुलिस वाले मर चुके हैं और हम सारे जानते हैं छब्बीस-ग्यारह के पीछे कौन था, छब्बीस-ग्यारह के पीछे पाकिस्तान था। हम सब लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ उसके पीछे कौन था, उसके पीछे पाकिस्तान था। जिस पाकिस्तान ने, जिस आईएसआई ने हमारे देश को तोड़ने की हमारे देश के अंदर आतंकवाद को बार-बार फैलाने की कोशिश की है आज मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पाकिस्तान को गले से लगा लिया है दोस्तो। दिल को बड़ी तकलीफ होती है। जो सैनिक पठानकोट में मारे गये, उनके परिवार वालों से पूछों की उनके दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। जिस आईएसआई ने हमले करवाये और ये हम नहीं कह रहे पिछले तीस साल से भारत का ये स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। युनाइटेड नेशन के अंदर हम बार-बार बात उठाते हैं, सारे देशों को हम डोजियर भेजते हैं। अमरीका को हम बताते हैं कि पाकिस्तान करा रहा है। सारे देशों को हम बताते हैं पाकिस्तान करा रहा है। अब क्या मजबूरी हुई हमारे प्रधानमंत्री जी की कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का नाम बदनाम कर दिया पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिये उन्होंने। जिस आईएसआई ने ये आतंकवाद फैलाया, आज उसी आईएसआई को आमंत्रित करके उसको कहा जा रहा है की आप जांच कीजिये। हमारी जांच एजेंसियां मर गई क्या? सीबीआई मर गई? मरे दफ्तर के अंदर रेड करवानी हो तो सीबीआई से रेड करवाते हैं और हमारे पठानकोट की करवानी हो तो आईएसआई को बुलाते हैं। हमारी सीबीआई मर गई, हमारी रॉ मर गई, हमारी सेनाएं मर गई, हमारी आईबी मर गई। हमारी सारी एजेंसियों को छोड़कर

आईएसआई को बुलाया है जांच करने के लिए। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि दिसम्बर के महीने में हमारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने पूरे के पूरे भारी-भरकम डोजियर भेजे थे पाकिस्तान के एनएसए को और उसमें सबूत दिये थे कि आईएसआई का सीध-सीधा हाथ है, उन सारे डोजियरों का क्या हुआ? तो अब क्या प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब इस आतंकवाद के अंदर शामिल नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आईएसआई शामिल नहीं है इसके अंदर या प्रधानमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि आईएसआई को बुलवाया सही अपने खिलाफ कल से अखबारों में खबरें प्लांट की जा रही हैं कि आईएसआई को जब ये सारे सबूत दिये गये तो आईएसआई को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बड़े अच्छे सबूत हैं मतलब हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आईएसआई जाकर कहेगी उसके बाद की भारत वालों ने सबूत दे दिये। अब हम सहमत हैं कि हम ही शामिल थे उस आतंकवाद में। ये कहेगी पाकिस्तान में जाकर आईएसआई, बेवकूफ हैं, हम बेवकूफ हैं कि आईएसआई बेवकूफ है? प्रधानमंत्री जी किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पूरे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अगर जांच होनी थी, इतनी दोस्ती थी तो पहले भारत की एजेंसियों को पाकिस्तान में जाकर हाफिज सईद की पहले इंटरोगेशन करनी चाहिए थी। अगर जरूरत थी तो पहले हमारी जांच एजेंसीज को जाकर सलाउद्दीन की इंटरोगेशन करनी चाहिए थी। सलाउद्दीन ने खुलेआम बोला है कि पठानकोट पर अटैक उन्होंने करवाया है। सलाउद्दीन की जाकर इंटरोगेशन करो। यहां क्या करने आये हैं? भारत तो विक्टिम है। भारत को बर्दाश्त कर रहा है इन आतंकवादियों को इतने सालों से। असली ब्रेन्स तो वहां बैठे हैं उनकी जांच होनी चाहिए थी। अब क्या जांच करने के लिये आये हैं ये लोग? आज सुबह एक पुलिसवाला मिला। दिन में एक सीबीआई का ऑफिसर मिला। दोनों ने कहा कि खून खौल रहा है हम लोगों का।

सारी पुलिस फोर्स का खून खौल रहा है, सारी इंटेलीजेंस एजेंसीज का खून खौल रहा है, सारी सेनाओं का खून खौल रहा है देश के अंदर कि ये क्या कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिये। तो एक बड़ा मुद्दा उठता है कि प्रधानमंत्री जी आखिर ये कर क्या रहे हैं? मैंने कई लोगों को सुबह से फोन किये। मैंने कह जी क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या हो गया ऐसा? भारत इतनी स्ट्रांग पोजीशन में था, भारत पाकिस्तान के मुकाबले इतनी स्ट्रांग पोजीशन में था अपनी सेनाओं के बल पर हमारी एजेंसीज के बल पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि नोबल पीस प्राइज चाहिए अब उनको वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं मैं अपने दुश्मनों के सामने भी घुटने टेक देता हूं, मैं शांतिप्रिय हूं। कुछ लोगों का कहना है कि वाशिंगटन जो रहे हैं। वहां जाकर कहेंगे अमरीका को खुश करने के लिए कर रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि बात बड़ी संगीन है। वो जो नवाज शरीफ के पास गये थे उनके बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे बोलेने के लिये वहां पर बता रहे हैं कुछ तो डील हुई है। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिया जा रहा है कि उनको बिजनेस दिलवाने के लिए नवाज शरीफ और मोदी जी के बीच में कुछ डील हुई है और नवाज शरीफ साहब की शायद वहां पर पोजीशन कमजोर है, अखबारों में छपा था ये। ये क्या हो रहा है, ये क्या डील है प्रधानमंत्री जी की पाकिस्तान के साथ ये पूरा देश जानना चाहता है कि वो डील बताई जाए जो प्रधानमंत्री जी की पाकिस्तान के साथ डील हुई है। ये देश ऐसे बर्दाश्त नहीं करने वाला। इस देश ने बहुत बड़े सूरमा पैदा किये हैं और अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा करेंगे तो ये देश चुप नहीं रहने वाला।

अध्यक्ष महोदय, कल वित्तमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया। कितनी सारी चीजों के ऊपर वैट कम कर दिया और एक आध चीज है जिस पावर रेशनलाइज करने के लिए वैट छोटी-मोटी चीजों के ऊपर बढ़ाया लेकिन अमूमन ढेर सारी चीजों के ऊपर

वैट कम हुआ है। आज कई मार्बल वाले आये थे, बोले जी पहली बार हमें ऐसे लगा कि वाकई ईमानदार सरकार आई है। बोले पहले ऐसा होता था कि अगर एक प्रतिशत टैक्स कम करवाना पड़े तो सरकार कहती थी कि इतने करोड़ रुपये लगेंगे तब टैक्स कम होगा बोले हमें एक पैसा नहीं देना पड़ा इस सरकार को। मिठाई वाले, मार्बल वाले, ई-रिक्सावाले किसी को एक पैसा नहीं देना पड़ा और अपने साढ़े बारह प्रतिशत से पांच प्रतिशत टैक्स कम कर दिया बिना एक नया पैसा खर्च किये बिना, कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। बोला हमें वाकई लगा कि ये वाकई आम आदमी की सरकार है और बिना पैसे लिये ईमानदारी के साथ काम करती है और दूसरी तरफ देश के अंदर ज्वैलर्स के ऊपर स्वर्णकारों के ऊपर केन्द्र सरकार ने एक प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। सारे देश के स्वर्णकार सड़कों के ऊपर हैं। स्वर्णकार बहुत ही शांतिप्रिय लोग होते हैं। वो कोई सड़कों के ऊपर ऐसे नहीं आते आप कहां देखते हो स्वर्णकारों को सड़कों के ऊपर शांति से अपना काम करते हैं। अपने बच्चे पालते हैं। वो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। आज अगर देश के सारे स्वर्णकार सड़कों के ऊपर आये हुए हैं तो तकलीफ कुछ गहरी है उनकी बेचारों की। उसको सुनना चाहिए। तो हम देख रहे हैं जो अहंकार कांग्रेस के अंदर था, कांग्रेस भी नहीं सुनती थी अगर उस समय अन्ना हजारे जी की बात सुन लेती काहे को ये आम आदमी पार्टी बनती? काहे को उनका ये हाल होता? जो अहंकार उनके अंदर था वहीं अहंकार आज आपको बीजेपी के अंदर मोदी सरकार के अंदर दिखाई दे रहा है। जब सारे ज्वैलर्स इतना हाहाकार कर रहे हैं। इनको वापस ले लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं स्वर्णकार? स्वर्णकार कह रहे हैं कि आप हमारे से दूसरे इतने सारे टैक्स लेते हो, अगर आपको पैसे ही इक्ठ्ठे करने हैं आप एक परसेंट दूसरी कोई ड्यूटी बढ़ा दो हमें कोई दिक्कत नहीं है हम टैक्स दे देंगे लेकिन अभी तक हमारे ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा ही नहीं करती थी। अब आपने एक नई ड्यूटी लगा

दी अब एक नये डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर आयेगा वो उसके लिए नये तरीके से कागज बही-खाते रखने पड़ेंगे और नई तरह की रिश्वतखोरी शुरू होगी। एक प्रतिशत टेक्स मैं आपको चैलेंज करता हूं कम से कम दो प्रतिशत तो इसका जो हैं वो रिश्वत केक अंदर चला जाएगा आपको एक प्रतिशत कुछ नहीं आने वाला। ढेला नहीं मिलने वाला सरकार को। सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार की वेदी के ऊपर चढ़ जाएगा। तो दोस्तो इंटरनेशनल मार्किट के अंदर हमारे ज्वैलर्स फेमस हैं। हमारे देश का जो जेवर है पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है तो ऐसी इंडस्ट्री को ऐसे सेक्टर को हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए या उसका गला घोटना चाहिए। हमें तो नये-नये तरीके बनाकर पॉलिसीज ऐसी बननी चाहिए जैसे दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार ने इवेंट इंडस्ट्री को ठीक किया। दिल्ली सरकार रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ठीक कर रही है। दिल्ली सरकार एक-एक करके सारी इंडस्ट्रीज को इन्करेज करती जा रही है। आज सारा बिजनस सारा व्यापार हमारे साथ खड़ा है। ऐसे ही केन्द्र सरकार को भी आना चाहिए। केन्द्र सरकार को भी ज्वैलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए न कि उनका गला घोटना चाहिए। प्रधानमंत्री जी “मेक इन इंडिया” की बात करते हैं। ये सारे ज्वैलर्स तो इंडिया में बनाते हैं अपनी ज्वैलरी। इनका तो गला घोट रहे हैं और अमरीका में जाकर कहते हैं “मेक इन इंडिया” तो विदेशियों को तुम लाना चाहते हो और अपने लोगों का गला घोटना चाहते हो। ये नीति तो अपने को समझ में नहीं आती और दुख की बात यह है कि मोदी जी ने खुद 2012 के अंदर, 2012 में यूपीए सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी लगाई थी उस वक्त जब यूपीए ने एक्साइज ड्यूटी लगाई थी तब नरेन्द्र मोदी जी ने खुद इसका विरोध किया था कि एक्साइज ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए और 22 दिन के आंदोलन के बाद उन लोगों की एक्साइज ड्यूटी तत्कालीन यूपीए सरकार ने हटा दी थी। आज ये सरकार ऐसी है 28 दिन हो गये इसका आंदोलन चलते-चलते ये सरकार

इनकी सुन ही नहीं रही है, वही एरोगेंस इन लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। अभी हम राष्ट्रपति जी से मिलने जा रहे हैं स्वर्णकारों के साथ और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति जो इसके अंदर दखलंदाजी करेंगे। अध्यक्ष महोदय दो किस्म के मॉडल ऑफ गवर्नमेंस आज देश के अंदर दिखाई दे रहे हैं एक है 16 मई के आसपास दो सरकारें बनीं थी इस देश के अंदर उम्मीदों के साथ। केन्द्र के अंदर एक सरकार बनाई थी लोगों ने 16 मई को कि कुछ बदलाव करेगी और एक सरकार बनाई थी 14 फरवरी को कि कुछ बदलाव करेगी। आज एक साल हो गया दिल्ली की सरकार को और पूरी दिल्ली खुश है सारे देश के लोग उसको देख रहे हैं, सारे देश के लोग खुश हैं। बिजली के रेट कम हो गये। पानी मुफ्त हो गया। पानी के बिल माफ हो गये। घर-घर में पानी पहुँचने लग गया। किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा मिलने लग गया। अस्पतालों के अंदर दवाइयां मुफ्त हो गईं। कितने काम हो गये एक साल के अंदर और बीजेपी ने क्या किया केन्द्र में? पूरे देश के अंदर गुंडागर्दी, सरकारे गिरानी, विधायक तोड़न, गायें, भारत माता की जय की जगह गुंडागर्दी करना किस्म-किस्म की चारों तरफ गुंडागर्दी के अलावा मैं चेलेंज करता हूँ बीजेपी वालों को एक काम बता दें जो इन लोगों ने दो सालों के अंदर किया हो जिसके लिए बीजेपी वाले भी उसके लिए खुश हों। तो ये दो मॉडल ऑफ गवर्नमेंस आज पूरे देश के सामने हैं और सारा देश आज दिल्ली सरकार की तरफ देख रहा है और सारा देश दिल्ली-दिल्ली नहीं पूरी दुनिया के अंदर। अमरीका वाले कह रहे हैं अब दिल्ली सरकार से हम लोगों को सीखने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कवेल एक चीज कहना चाहता हूँ ये डॉक्टर पंकज नारंग की जो हत्या हुई थी हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वो बहुत ही धिनौनी हरकत थी। जिन लोगों ने उनकी हत्या की उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं लेकिन

ज्यादा दुख की बात यह भी कि उसको जो हिंदू-मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई हम सलाम करते हैं उस एक डीसीपी डॉक्टर मोनिका भारद्वाज को मुझे पूरी उम्मीद है कि मेजें थपथापकर ये सदन डॉक्टर मोनिका भारद्वाज को एप्रीसिए करेगा जिसने समय रहते सारा डेटा, सारी सच्चाई सबके सामने रखी जिस वजह से इनकी घिनौनी जो हरकत थी, वो बंद हो गई। वहीं पर और ये अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकते। आज हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं नहीं कल आएंगे मुझे उम्मीद है कल बैठेंगे तो मैं दोबारा उनको बोलूंगा। उन्होंने कई सार छोटी-छोटी बातें कहीं ये बिल पास नहीं हुआ जी, वो बिल पस नहीं हुआ जी, ऐसा है वो भी जानते हैं क्यों नहीं हुआ पास मैं कल में उनसे कहना चाहता हूं कि मिलके काम करते हैं। एक-दूसरे की बुराई करने से कोई फायदा नहीं। हमारे में कमी होगी सौ कमी हैं हम ये थोड़े ही कह रहे हैं हमारे में कमी नहीं है। आप हमें कमी बताओं मैं सारा दिन जनता से मिलता हूं जो कोई छोटा-सा भी एसएमएस भेज देता है मैं उस पर भी एक्शन लेता हूं। आप हमें कमी बताओं आप जितनी भी हमें कमी बताओगे हम ठीक करेंगे वो सारी की सारी कमी लेकिन आप भी हमारा साथ दो जितने बिल फंसे पड़े हैं एलजी साहब के पास मैं चाहता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जाएं एलजी साहब के पास, प्रधानमंत्री जी के पास अपनी पार्टी के और उनको कहें कि ये बिल फंसे पड़े हैं, आप इनको पास कराओ। हम सारे चलेगे इनके साथ, इनको आगे करके चलेंगे विजेन्द्र गुप्ता जी को आगे करके चलेंगे लेकिन अपने को मिलकर काम करना है केवल एक-दूसरे के ऊपर छींटकशी करने से कोई फायदा नहीं है तो जो धन्यवाद प्रस्ताव है एलजी साहब के अभिभाषण के ऊपर मैं उसका समर्थन करता हूं

अध्यक्ष महोदय : अब श्री गोपाल राय विकास एवं परिवहन मंत्री अभिभाषण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। श्री गोपाल राय विकास एवं परिवहन मंत्री द्वारा दिनांक 22 मार्च,

उप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण 303
पर चर्चा एवं मतदान

09 चैत्र , 1938 (शक)

2016 को उप-राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2016 को विधान सभा में दिये गये अभिभाषण के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता है।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं :-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहे

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप-राज्यपाल महोदय को इसकी सूचना सम्मानित तरीके से भिजवा दी जाएगी। अब सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 30 मार्च, 2016 पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित ही जाती है। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 30 मार्च, 2016 को पूर्वाह्न
11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

विषय सूची

सत्र-3 भाग (1) मंगलवार, 29 मार्च, 2016/09 चैत्र, 1938 (शक्र) अंक-29		
क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	3-121
3.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	121-130
4.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	130-241
5.	प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	241
6.	विशेष उल्लेखित (नियम-280)	241-256
7.	संकल्प (नियम-90)	256-259
8.	उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान	259-303